RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १८-२४, २०१९/चैत्र २८-वैशाख ४, शके १९४१ [पृष्ठे ११९

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन २०१७.— महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१७। . .	२

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2017.

THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक १० जनवरी, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हि. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR ACADEMIC AUTONOMY AND EXCELLENCE, ADEQUATE REPRESENTATION THROUGH DEMOCRATIC PROCESS, TRANSFORMATION, STRENGTHENING AND REGULATING HIGHER EDUCATION AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१७।

(जो कि मा. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

उच्चतर शिक्षा की लोकतंत्रिक प्रक्रिया, अंतरण, समर्थ बनाने और विनियमित करने के ज़रिए अकादमिक स्वायत्तता और उत्कर्ष, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में गैर-कृषिक और गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता और उसके लिए बेहतर उपबंधों को बनाने के लिए उपबंध करना इष्टकर है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, ऐसी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न उपायों को सुझाने के लिए, उच्चतर शिक्षा तथा अध्यापन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और सिफारिश करने की दृष्टि से, डॉ. अरुण निगवेकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. राम ताकवले और स्वर्गीय श्रीमती कुमुद बंसल की अध्यक्षता के अधीन समितियाँ नियुक्त की थी ;

और क्योंकि उक्त समितियों की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, महाराष्ट्र सरकार ने, उच्चतर शिक्षा की लोकतंत्रिक प्रक्रिया, अंतरण, समर्थ बनाने और विनियमित करने के जरिए, अकादमिक स्वायत्तता और उत्कर्ष, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करने और अधिक प्रभावी रीति में महाराष्ट्र राज्य में गैर-कृषिक तथा गैर-चिकित्सा विश्वविद्यालयों को विनियमित करने, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की सहभागिता के लिए उपबंध करने, महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा और विकास आयोग की स्थापना करने, विभिन्न बोर्डों का

सन् १९९४ का महा. ३५।

गठन करने, और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ का निरसन करने के लिए एक विधि बनाना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सडसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(१) " अकादमिक सेवा युनिट " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय विज्ञान तथा इंस्ट्रुमेंटेशन केंद्र, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय, संगणक केंद्र, विश्वविद्यालय प्रिंटींग प्रेस, या विश्वविद्यालय के किन्हीं उद्देश्यों को बढावा देने के लिए विशेषज्ञीय सेवाओं का उपबंध करने वालें किसी अन्य युनिट से है ;

(२) " अनुबद्ध आचार्य ", "अनुबद्ध सहयोगी आचार्य" या " अनुबद्ध सहाय्यक आचार्य " का तात्पर्य, उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐसे अन्य सहबद्ध क्षेत्र के व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय के साथ सहयोग या सहयोजन की अवधि के दौरान इस प्रकार पदाभिहित किया गया है ;

(३) " संबद्ध महाविद्यालय ", का तात्पर्य, ऐसे महाविद्यालय से है जिसे विश्वविद्यालय ने संबद्धता मंजूर की है ;

(४) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(५) " स्वायत्तता " का तात्पर्य, महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय विभाग को, अकादमिक कार्यक्रम चलाने या परीक्षाएँ लेने, संबंधित विषयों के लिये पाठ्यविवरण में सुधार करने तथा परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाणपत्र निर्गमित करने आदि की अनुमति देने के लिये, परिनियमों द्वारा प्रदत्त विश्वविद्यालयों के विशेषाधिकार से है ;

(६) " स्वायत्त महाविद्यालय, " " स्वायत्त संस्था " या " स्वायत्त विभाग " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा इस प्रकार प्रदत्त ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग से है जिन्हे स्वायत्तता अनुदत्त की गयी है ;

(७) " निकाय " का तात्पर्य, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा बनाये गये विश्वविद्यालय के निकायों से है ;

(८) " कुलाधिपति " और " कुलपति " का तात्पर्य, क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, और कुलपति से है ;

(९) " विकल्पाधारित श्रेय देनेवाली प्रणाली " का तात्पर्य, पाठ्यचर्या-संबंधि प्रणाली, जो, परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट श्रेय देने का संचय करने के लिये, पाठ्यक्रमों (केन्द्रीय, चयनात्मक, या लघु या मृदु कौशल पाठ्यक्रमों) में से चयन करने के लिये, छात्रों के लिये, बहुविध आंतरविषयक विकल्पों का प्रस्ताव करती है, से है ;

(१०) " समूह विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (६) के अधीन स्थापित किये गये समूह विश्वविद्यालय से है ;

(११) " सहयोग " का तात्पर्य, अन्य विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थाओं जिसमें स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाएँ तथा संघटन जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य, क्रीडा, सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, प्रोद्योगिक और किसी अन्य क्षेत्र समेत विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था की सहयोगी अकादमिक गतिविधियों से है ;

(१२) " महाविद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में स्थित विश्वविद्यालय से सहबद्ध महाविद्यालयों से है ;

(१३) " महाविद्यालय विकास समिति " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ९७ के अधीन गठित महाविद्यालय विकास समिति, से हैं ;

(१४) " सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के विभागों के अधिशासी मंडल प्रमुख " का तात्पर्य, सहबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं से विभागों के प्रमुखों से बने निर्वाचकगण महाविद्यालय से है, जो उनमें से विविध प्राधिकरणों के सदस्यों के रूप मे निर्वाचित करेंगे, से है ;

(१५) " विश्वविद्यालय के स्नातकों का अधिशासी मंडल" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रीकृत स्नातकों से बने निर्वाचकगण, से हैं ; जो उनमें से विविध प्राधिकरणों के सदस्यों के रूप में से निर्वाचित करेंगे से है ;

(१६) " प्रबंधमंडल या प्रतिनिधियों का अधिशासी मंडल" का तात्पर्य, निर्वाचकगण, जिसमें संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं का समावेश है जो, उनमें से, विविध प्राधिकरणों के सदस्य के रुप में, निर्वाचित करेंगे, से हैं ;

(१७) " प्राचार्यों का अधिशासी मंडल " का तात्पर्य, निर्वाचकगण, जिसमें, मान्यताप्राप्त संस्थाओं के पूर्णकालिक, अनुमोदित प्राचार्यों तथा निदेशकों का समावेश है जो, उनमें से, विविध प्राधिकरणों के सदस्यों के रुप में, निर्वाचित करेंगे, से हैं ;

(१८) " अध्यापकों का अधिशासी मंडल " का तात्पर्य, निर्वाचकगण, जिसमें, संबद्ध तथा स्वायत्त महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं से पूर्णकालिक अनुमोदित अध्यापकों का समावेश है, जों, उनमें से, विविध प्राधिकरणों के सदस्य के रुप में, निर्वाचित करेंगे, से हैं ;

(१९) " विश्वविद्यालय अध्यापकों का अधिशासी मंडल " का तात्पर्य, निर्वाचकगण, जिसमें, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थाओं तथा संचालित महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये पूर्णकालिक अध्यापकों का समावेश हैं, जो उन में से, विविध प्राधिकरणों के सदस्यों के रुप में, निर्वाचित करेंगे, से हैं ;

(२०) " आयोग " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ७६ के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा और विकास आयोग, से हैं ;

(२१) " समुदाय महाविद्यालय " का तात्पर्य, परिनियमों में यथाविहित कौशल-आधारित अकादमिक कार्यक्रम मुहैय्या करनेवाली संस्था, से हैं ;

(२२) " संचलित महाविद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित तथा प्रबंधित महाविद्यालय से हैं ;

(२३) " निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से इस प्रकार घोषित जनजातियों से हैं ;

(२४) " विभाग " का तात्पर्य, परिनियमों में यथा विहित महाविद्यालय या संस्था में विशिष्ट विषय या समूहित विषयों का अध्यापन करनेवाले विभाग से हैं ;

(२५) " निदेशक " का तात्पर्य, मान्यताप्राप्त संस्था के प्रमुख से हैं, जिसमें प्रबंध परिषद द्वारा यथा पदाभिहित विश्वविद्यालय का केंद्र या विद्यालय समेत किसी संस्था के प्रमुख से हैं ;

(२६) " उच्चतर शिक्षा निदेशक ", तथा " तकनीकी शिक्षा निदेशक " का तात्पर्य, क्रमशः उच्चतर शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य, और तकनीकी शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(२७) " सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय " का तात्पर्य, महाविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संभाव्य उत्कृष्टता का महाविद्यालय या उत्कृष्ट महाविद्यालय के रुप में जाना है, जिसे सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उच्चस्तरिय श्रेणी है और विश्वविद्यालय द्वारा, जिससे वह संबद्ध हैं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय का पद दिया गया हैं और संबध्द विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त उपाधि प्रदत्त करने के लिए सशक्त करने, से हैं ;

(२८) " सशक्त स्वायत्त समूह संस्थाओं " का तात्पर्य, एक ही प्रबंधमंडल या शैक्षिक संस्था के स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संभाव्य उत्कृष्टता का महाविद्यालय या उत्कृष्ट महाविद्यालय के रुप में जाना है, जिसे सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट उच्चस्तरिय श्रेणी है द्वारा, जिससे वह संबद्ध हैं, सशक्त स्वायत्त समूह संस्थाओं का पद दिया गया हो, और संबध्द विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त उपाधि प्रदत्त करने के लिए सशक्त करने से हैं ;

(२९) " सशक्त स्वायत्त कौशल विकास महाविद्यालय " का तात्पर्य, महाविद्यालय जो कौशल अहर्ता और शिक्षा ढाँचा संबधी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय नीति के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता के लिए है और जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सशक्त स्वायत्त कौशल विकास महाविद्यालय की प्रतिष्ठा दी गई है, जो सहबद्ध विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त उपाधि, प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया है, से है।

(३०) " फीस " का तात्पर्य, ट्यूशन फीस, अन्य फीस और प्रभार, विकास प्रभारों समेत, से हैं ;

(३१) " विश्वविद्यालय विभाग प्रमुख ", " संस्था प्रमुख " और " महाविद्यालय विभाग प्रमुख " का तात्पर्य, क्रमशः परिनियमों में यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय विभाग प्रमुख, मान्यताप्राप्त संस्था का प्रमुख और महाविद्यालय विभाग के प्रमुख, से हैं ;

(३२) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्च माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयीन, स्तर पर विद्या के परे ज्ञान की खोज से हैं ;

(३३) " छात्रवास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या, यथास्थिति, संस्था द्वारा उपबंधित, संपोषित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिये आवास के स्थान से हैं ;

(३४) " संस्था " का तात्पर्य, उच्चतर अध्ययन की अकादमिक संस्था से हैं जो विश्वविद्यालय का सहयोगी महाविद्यालय नहीं है तथा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार उसे नहीं मिलते है ;

(३५) " आंतर विषयक पाठ्यक्रम " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा यथाविहित विविध शाखाओं में संमिश्र अकादमिक पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान, से हैं ;

(३६) " ज्ञान स्रोत केन्द्र " का तात्पर्य, शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार सेवा या समान उद्देश्यों के लिये आवश्यक, मुद्रित में, इलेक्ट्रानिक और दृक्-श्राव्य प्रारुप सामग्री, प्रबंध, संदर्भ ग्रंथ, पाठ्य तथा पुनरीक्षण पुस्तकें, सभी प्रकार की पत्रिकायें और विभिन्न प्रारुपों में किन्हीं अन्य सामग्री को धारण करने के लिये, विश्वविद्यालय के निवेश या उप-निवेशों में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित पुस्तकालय, से हैं ;

सन् १९५० का २९।
सन् १८६० का २१।
सन् २०१३ का १८।

(३७) " प्रबंध मंडल " का तात्पर्य, ऐसे प्रबंध मंडल के अधीन जिसके एक या अधिक महाविद्यालय या अभिज्ञात संस्था या अन्य संस्था विश्वविद्यालय द्वारा संचलित हैं तथा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को ग्रहण करता हैं, महाराष्ट्र लोकन्यास अधिनियम के अधिन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास के न्यासी या प्रबंध या शासी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, या संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी संस्था कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, से हैं :

परन्तु, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या **जिला परिषद,** नगर परिषद या नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित या पोषित किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में उसका तात्पर्य, क्रमशः केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या **जिला परिषद** या नगर परिषद या, यथास्थिति, नगर निगम से है ;

(३८) " बहुविध-विषयक पाठ्यक्रमों " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा यथा विहित विशिष्ट शाखा के विविध प्रवाहों में संमिश्र अकादमिक पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान, से है ;

(३९) " खानाबदोश जनजाति " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से घोषित अपने जीवनयापन की खोज में जगह-जगह भटकते है, ऐसी जनजातियों, से है ;

(४०) " दीर्घावकाशेतर अकादमिक स्टाफ " का तात्पर्य, ऐसे स्टाफ से है जिसे राज्य सरकार, दीर्घावकाशेतर अकादमिक स्टाफ के रूप में स्पष्ट करें तथा इसमें ऐसा सभी स्टाफ शामिल है जो अकादमिक स्टाफ के अलावा मानार्थ है किन्तु, इसमें वह स्टाफ शामिल नहीं होगा जो पूरी तरह से प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन के लिये रखा गया है ।

(४१) " अन्य पिछड़े वर्ग " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा यथा घोषित नागरिकों के किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षणिक रुप से पिछले प्रवर्गों से है, तथा इसमें महाराष्ट्र राज्य के संबंध में भारत सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछडे प्रवर्ग अन्तर्विष्ट है ;

(४२) " स्नातकोतर विभाग " का तात्पर्य, महाविद्यालय का कोई विभाग या उच्चतर विद्या, अनुसंधान या विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार अभिज्ञात विशेषज्ञीय पाठ्यक्रम की संस्था या स्नातकोतर शिक्षा देने तथा या अनुसंधान में मार्गदर्शन करनेवाली संस्था से है ;

(४३) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन बनाये गये परिनियमों या आर्डिनेन्सों या, यथास्थिति, विनियमों द्वारा विहित से है ;

(४४) " प्राचार्य " का तात्पर्य, अध्यापक जो विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य के रुप में सम्यक्तया अनुमोदित है, से है ;

(४५) " प्रतिकुलपति " का तात्पर्य, संपूर्ण विश्वविद्यालय का अभिप्राय रखनेवाला, कुलपति के बाद के, अकादमिक तथा प्रशासनिक अधिकारी, से है ;

(४६) " मान्यताप्राप्त संस्था " का तात्पर्य, महाविद्यालय से अन्य उच्चतर विद्या, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन की तथा विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार अभिज्ञात संस्था है ;

(४७) " रजिस्ट्रीकृत स्नातक " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझे गये स्नातकों से है ;

(४८) " सेटलाईट केंद्र " का ताप्तर्य, किन्हीं संबध या संचालित महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के महत्वपूर्ण भाग रुप में ऐसे महाविद्यालयों या संस्थाओं के पास के ग्रामीण या जनजाति क्षेत्र में दूरदराज तक शिक्षा पहुँचाने के उद्देश्य से अकादमिक कार्यक्रम, सह-पाठ्यचर्या, अनुसंधान तथा विस्तार क्रियाकलापों देने के लिये, **राजपत्र** में आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निबंधनों पर स्थापित किये गये केंद्र, से है ;

(४९) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम की अनुसूची से है ;

(५०) " अनुसूचित जाति " का तात्पर्य, ऐसी जातियाँ, वंश या जनजातियाँ या ऐसी जातियों, वंशों या जनजातियों के भागों या समूहों से है जिन्हें, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा गया है ;

(५१) " अनुसूचित जनजातियाँ " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य के किसी भाग में रहनेवाले ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजाति या जनजातियों समुदायों के भागों या वर्गों से है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियाँ समझा गया है ;

(५२) " विद्यालय " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्तसमूह संस्था द्वारा ऐसे संपोषित या मान्यताप्राप्त अध्ययन विद्यालय से है ;

(५३) " कौशल विकास प्रबंधक " का तात्पर्य, संस्था जो कौशल अर्हता ढाँचा संबंधी राष्ट्रीय, राज्य स्तरिय नीति के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(५४) " विशेष पिछड़ा प्रवर्ग " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा प्रवर्ग के रूप में घोषित नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों से है ;

(५५) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(५६) " राज्य सरकार या सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(५७) " परिनियम ", " ऑर्डिनेन्स " तथा " विनियम " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम द्वारा या के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों तथा विनियमों से है ;

(५८) " छात्र " का तात्पर्य, व्यक्तिगत, जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के संबद्ध, संचालित, स्वायत्त महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के कार्यक्रम के लिये, प्रवेशित तथा रजिस्ट्रीकृत है, से है ;

(५९) " छात्र परिषद " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ९९ के अधीन स्थापित छात्र परिषद से है ;

(६०) " उप-केंद्र " का तात्पर्य, अकादमिक, प्रशासनिक, अनुसंधान के विकेंद्रीकरण के लिए पूर्वनिर्धारित भौगोलिक अधिकारिता के लिए विश्वविद्यालय के व्यापक अंतर्निष्ठ स्वतंत्र युनिट से है और कारगरता और प्रभाविता के सुधार के उद्देश्य के साथ उस अधिकारिता के क्रियाकलापों का विस्तार होगा ;

(६१) " अध्यापक " का तात्पर्य, किसी विश्वविद्यालयीन विभाग, संचलित, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालय, स्वायत्त संस्था या विश्वविद्यालय में किसी विभाग या मान्यताप्राप्त संस्था में पूर्ण-कालिक अनुमोदित आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निदेशक या व्यायाम शिक्षक किसी संस्था के निदेशक, आजीवन अध्यापन तथा विस्तार के निदेशक, विश्वविद्यालय में उप या सहायक ग्रंथपाल, महाविद्यालय ग्रंथपाल, भौतिक शिक्षा के निदेशक या प्रशिक्षक से है ;

(६२) " अधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ८० के अधीन स्थापित अधिकरण से है ;

(६३) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, अनुसूची में उल्लिखित किन्हीं लोक विश्वविद्यालयों से है और इसमें धारा ३ की उप-धारा (६) के अर्थांतर्गत समूह विश्वविद्यालय अंतर्विष्ट है ;

(६४) " विश्वविद्यालय क्षेत्र " का तात्पर्य, अनुसूची में विश्वविद्यालय के नाम के सामने विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है ;

(६५) " विश्वविद्यालय विभाग " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा पोषित विभाग से है ;

सन् १९५६ का ३।

(६६) " विश्वविद्यालय अनुदान आयोग " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधिन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ;

(६७) " विश्वविद्यालय संस्था " का तात्पर्य, परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तथा पोषित केंद्र, विद्यालय या संस्था से है ;

(६८) " विश्वविद्यालय अध्यापक " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये पूर्णकालिक अध्यापक से है।

अध्याय दो

लोक विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयों का निगमन।

३. (१) इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से अनुसूची के भाग १ का, स्तंभ (१) में, विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यमान लोक विश्वविद्यालय, उक्त भाग के स्तंभ (२) में, विनिर्दिष्ट उसी क्षेत्र के लिये इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया समझा जायेगा जिसके लिये उसे इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व दिनांक को गठित किया गया था।

(२) राज्य सरकार, समय-समय से **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन, ऐसे नाम का, ऐसे क्षेत्र के लिए तथा ऐसे दिनांक से, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, किसी भी नवीन विश्वविद्यालय का

गठन कर सकेगी तथा अनुसूची के भाग दो में आवश्यक प्रविष्टि निविष्ट करेगी ; तथा उस प्रयोजनार्थ या इस निमित्त विनिर्दिष्ट किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में यथोचित संशोधन कर के किसी विद्यमान विश्वविद्यालयों या नवीन विश्वविद्यालय के क्षेत्र को घटाकर, उसमें वृद्धि या परिवर्तन कर सकेंगी और तब अनुसूची के भाग एक के स्तम्भ (२) या, यथास्थिति, भाग दो के स्तम्भ (२) की प्रविष्टियाँ तद्नुसार, संशोधित की जायेगी; तथा नवीन विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर के समस्त शैक्षणिक संस्था चाहे, वह महाविद्यालय, संस्था, उप-निवेशों पर के स्वायत्त या सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त संस्थाएँ, स्नातकोत्तर विभाग विद्यालय, चाहे जिस नाम से भी पुकारा जाये, जो विद्यमान विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध किये गये या मान्यताप्राप्त थे उपर्युक्त दिनांक से, नवीन विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध किये गये या मान्यताप्राप्त होंगे :

परंतु, ऐसी कोई भी अधिसूचना, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित संकल्प के सिवाय जारी नहीं की जाएगी।

(३) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि परिस्थितियों की अत्यावश्यकता में, नवीन विश्वविद्यालय यह इष्टकर समझता है कि, विद्यमान विश्वविद्यालय के कतिपय विशेषाधिकार, जिसके बारे में उप-धारा (२) में यथा निर्देशित ऐसी शैक्षणिक संस्था उक्त उप-धारा के अधीन विनिर्दिष्ट दिनांक से पूर्व हकदार थी, कतिपय अवधि के लिए जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, हकदार बनी रहेगी, उपर्युक्त दिनांक के बाद नवीन विश्वविद्यालय, तद्नुसार, अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा तथा ऐसी सिफारिश की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे विशेषाधिकार, इस प्रकार जारी रखे जा सकते है, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि ऐसी अवधि के लिए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, ऐसे विशेषाधिकार जारी रखे जायेंगे।

(४) कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, रजिस्ट्रार, सिनेट सदस्य, प्रबन्ध परिषद तथा विद्यापरिषद के सदस्य जो प्रत्येक विश्वविद्यालय ने उस समय इस प्रकार पद धारण किये हुए थे, एतद्द्वारा, अनुसूची में उसके लिए विनिर्दिष्ट नाम की निगम निकाय के रूप में गठित तथा घोषित किये जायेंगे तथा उनका शाश्वत उत्तराधिकारी होगा तथा उनकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उस नाम से वे वाद चला सकेंगे या उनपर वाद चलाया जा सकेगा।

(५) प्रत्येक विश्वविद्यालय, जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति, अर्जित तथा धारण करने, किसी स्थावर या जंगम संपत्ति जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसमें निहित है या उसके द्वारा अर्जित की गई है, को पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरण या निपटान करने में तथा संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त कार्य करने में सक्षम होगा ;

परंतु, ऐसी संपत्ति का कोई पट्टा, विक्रय या अन्तरण, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा उसका मूल्यांकन किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(६) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, समूह विश्वविद्यालय का गठन करके, ऐसे समूह विश्वविद्यालय को समूह सहबद्ध या स्वायत्व महाविद्यालय या संस्थाओं को समाविष्ट करके ऐसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को समाविष्ट करेगी और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कियें गये विश्वविद्यालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी :

परंतु, ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी करने के बाद यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य, सामान्यतः अध्यापन, अनुसंधान तथा विकास, कुशलता विकास प्रशिक्षण तथा शिक्षण, प्रसार तथा सेवा द्वारा तथा सामान्यतः समाज पर अपने संगठित जीवन के प्रभावी प्रदर्शन तथा असर द्वारा ज्ञान तथा समझदारी का प्रसार सृजन, परिरक्षण करना है तथा विशेष रूप से उसका उद्देश्य,—

(१) ज्ञान के सृजन, परिरक्षण तथा प्रसारण के अपने दायित्व को निभाना;

(२) अनुशासन तथा बौद्धिक जिज्ञासा की भावना की अभिवृद्धि तथा उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए निर्णय अकादमिक समुदाय के रूप में स्वयं को समर्पित करना ;

(३) सहनशिलता तथा पारस्परिक समझ के वातावरण के बीच, वैयक्तिकता तथा विविधता को बढ़ावा देना ;

(४) भारत संविधान में यथा प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रीय विकास के मर्म के मूल विचार तथा मूल्यों की अभिवृद्धि कर देशभक्ति-पूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में उत्प्रेरक बनना ;

(५) सामाजिक सामंजस्य, सहभाव, एकीकृत मानवता (एकात्ममानवदर्शन), तथा अत्यंत गरीबों की उन्नति, उन्नति के लिए प्रेरक वातावरण को बढावा देना ;

(६) स्थानिय तथा प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय विकास को समस्याओं से विश्वविद्यालय को करीब से जोड कर व्यक्ति तथा समाज के विकास के लिए ज्ञान और कौशल्य की प्रसुविधा का विस्तार करना ;

(७) शिक्षित तथा वस्तुनिष्ठ आलोचक के रूप में सामाजिक दायित्व निभाना, प्रतिभा की परख और अभिवृद्धि करना तथा जीवन के हर क्षेत्र में सही नेतृत्त्व की शिक्षा देना तथा नई पिढि को सही रूख, हितों तथा मूल्यों का विकास करने में सहायता देना ;

(८) उच्चतर शिक्षा की सुविधा, अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अन्य समर्थक सेवाओं के साम्यपूर्ण वितरण की अभिवृद्धि करना ;

(९) कुशल एवं उत्तरदायी प्रशासन, वैज्ञानिक प्रौद्योगिक प्रबंध के लिए तथा अध्यापन, अध्ययन प्रशिक्षण तथा अनुसंधान तथा विस्तार के संगठन के विकास की व्यवस्था करना ;

(१०) वैयक्तिक बौद्धिक क्षमताएँ कृत्रिम नहीं बल्कि, अभिनव उत्साह, तथा सच्चे योगदान की ईच्छा, और स्वयं-संपादन को समझना घोषित है कि सुनिश्चिति के लिये प्रेरणात्मक तंत्र का अविष्कार करना ;

(११) तेजी से विकासशील एवं परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन को बढाना तथा समाज को शिक्षित करने के लिए उपयोगी आधुनिक संचार माध्यम, सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्चतर शिक्षा तंत्र का विकास कर मानवीय प्रयास के सभी क्षेत्र में परिवर्तन, अनुसंधान खोज तथा खोज के संदर्भ में उन्नतीशील ज्ञान, प्रशिक्षण तथा कौशल के अवसर निरन्तर प्रदान करना;

(१२) विभिन्न धर्मो, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला, सभ्यताओ तथा संस्कृतियों के अध्ययन के जरिए राष्ट्रीय एकता, बंधुता की अभिवृद्धि करना तथा सांस्कृतिक परम्परा संजोना तथा भारत की विविध संस्कृतियों तथा विभिन्न धर्मों के प्रति आदर को बढावा देना ;

(१३) कार्य संस्कृति का विकास करना तथा पाठ्य विवरण में अनुप्रयुक्त घटकों के माध्यम से श्रम की प्रतिष्ठा बढाना ;

(१४) स्थानिय, प्रादेशिक तथा वैश्विक स्तर पर निजी तथा सार्वजनिक उद्योगों, सरकारी संगठन के लिये अकादमिक अध्यापन, प्रशिक्षण तथा सहबद्ध कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेकर वित्तीय आत्म-निर्भरता और स्रोत उत्पादक सेवाओं को प्रभावी ढंग से उन्नत करना ।

(१५) सामान्यत: विश्वविद्यालय के अभिशासन में तथा उसके द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए उपबन्धित सुविधाओं में सुधार कर, राज्य के, क्षेत्र के, राष्ट्र के तथा वैश्विक स्तर कें ऐसे सभी माध्यमों से विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अन्य महाविद्यालयों के बीच बेहतर पारस्परिक प्रभाव तथा समन्वयन की अभिवृद्धि करना;

(१६) समाज के कमजोर वर्गों में आत्मसन्मान तथा प्रतिष्ठा की भावना जागृत करना और उसमें अभिवृद्धि करना ;

(१७) समाज मे लिंग समानता तथा संवेदनशीलता को बढावा देना ;

(१८) विद्यार्थियों से संबंधित समस्त अकादमिक और अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक कसौटी के रूप में प्रतियोगिता योग्यता एवं उत्कर्ष की अभिवृद्धि का प्रयास करना ।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे :— विश्वविद्यालय की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

(१) विकल्पाधारित श्रेय देनेवाली प्रणाली या जैसा कि विश्वविद्यालय समय समय पर अवधारित करे ऐसी भविष्य में उभरनेंवाली किसी अन्य पद्धति समेत ऐसी शाखाओं या विषयो या विद्याशाखाओं या पाठ्यक्रमों मे अनुदेश, विस्तार शिक्षा, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबन्ध करना ;

(२) अनुसंधान तथा ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबंध बनाना तथा सामान्यत: ललित कला समेत कला मानविकी, सामाजिक विज्ञान, लेखा तथा वाणिज्य, पूर्ण तथा उपयोजित विज्ञान पूर्ण तथा उपयोजित प्रौद्योगिक चिकित्सा शास्त्र विभिन्न प्रारूप अभियांत्रिकी, विधि, व्यायाम शिक्षण तथा शिक्षा की अन्य शाखाओं तथा संस्कृति तथा उसके बहुशाखीय तथा आंतरशाखीय क्षेत्रों का संवर्धन तथा अभिवृद्धि करना ;

(३) संचलित तथा संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को विशेषज्ञीय अध्ययन शुरू करने में समर्थ बनानें के लिए उपबन्ध बनाना ;

(४) संस्थाओं के स्वायत्त, सशक्त स्वायत्त और सशक्त स्वायत्त समूह के निर्माण का उपबंध करना;

(५) निजी कौशल शिक्षा मुहैय्यादार की पहचान करने तथा सशक्त स्वायत्त कौशल विकास महाविद्यालयों के लिये कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का विकास करना;

(६) शिक्षा, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास या विस्तार के लिये विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों, संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा उपस्कर का संगठन, पोषण तथा प्रबंध करना;

(७) विभागों, अनुसंधान संस्थाओं, विशेषज्ञीय अध्ययन संस्थाओं या अकादमिक सेवा युनिट की स्थापना, पोषण तथा प्रबंध करना;

(८) महाविद्यालय, संस्था, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र, सभाभवन तथा व्यायामशाला की स्थापना, पोषण तथा प्रबन्ध करना ;

(९) विश्वविद्यालय परिसर, अन्तर विश्वविद्यालय केंद्र, अनुसंधान प्रयोगशाला, आधुनिक इन्स्ट्रुमेंटेशन केंद्र तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर स्थापित शिक्षा केंद्र जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समूह द्वारा उपयोग में लाये जा सके, जैसे स्वायत्त संस्था पर स्थापना का उपबन्ध करना :

परंतु, विश्वविद्यालय की, इस सुविधा का स्वयं के लिए उपयोग करनेवाले उद्योगों या गैर सरकारी संगठनों या विश्वविद्यालय को सुविधा प्रदान करनेवाले ऐसे संगठनों के मामले में, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी ।

(१०) महाविद्यालयों के वर्ग के काम में लाने वाले उप-केंद्रो की स्थापना के लिए तथा स्नातकोत्तर विभागों, बहुशाखीय तथा आंतरशाखीय विद्यालयों, ज्ञान स्रोत केंद्रो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संगणक केंद्र के रूप में तथा अध्ययन तथा कौशल प्रशिक्षण केंद्र के समान ऐसे उप-केंद्रो में सामान्य स्रोत केंद्रों का उपबन्ध करने तथा पोषण करने के लिए भी, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार उपबन्ध करना ;

(११) विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक, प्राचार्य, विश्वविद्यालय अध्यापक, अवकाशेतर अकादमिक कर्मचारिवृंद, शिक्षकेतर कुशल, प्रशासकिय मंत्रीपदीय कर्मचारीवृंद तथा अन्य पदों का उनकी निधियों या अन्य निधि देनेवाले अभिकरणों से प्राप्त निधि द्वारा सृजन करना, उनकी अर्हता, अनुभव तथा वेतनमान विहित करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(१२) राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित अर्हताओं और अनुभव के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा मंजूर निदेशकों, प्राचार्यों, विश्वविद्यालय अध्यापकों, अवकाशेतर अकादमिक कर्मचारीवृंद, शिक्षकेतर कुशल, प्रशासकीय, मंत्रीपदीय कर्मचारिवृंद के पदों तथा अन्य पदों की नियुक्तियाँ करना ;

(१३) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबद्ध आचार्य, अनुबद्ध सहयोगी आचार्यों, अनुबद्ध सहायक आचार्य, विश्वविद्यालय के अभ्यागत प्राचार्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करना या मान्यता देना ;

(१४) संबंधित शिक्षक की सहमति से विश्वविद्यालय में तथा अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की गतिशिलता सुकर करना ;

(१५) विशिष्ट उपाधियों तथा डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन अनुदेशों को विहित करना ;

(१६) एकल ढाँचा या अन्य राज्य या राष्ट्रीय या वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त ढाँचे में, विशिष्ट उपाधियाँ, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रमों तथा विकल्पाधारित श्रेय देनेवाली प्रणाली में अध्ययन अनुदेशों को विहित करना ;

(१७) विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओ, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, तथा विद्यालयों में, राज्य तथा राष्ट्रीय योजनाओं सहित विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से संबंधित आँकडे, डाटा तथा अन्य विशिष्टियों के सर्वेक्षण तथा संग्रहण, विद्यार्थियों द्वारा, उनके पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के भाग के रूप में भाग लेने सहित विकासात्मक योजनाओं के मूल्यांकन के लिए, जहाँ भी साध्य हो, उपबंध बनाना ;

(१८) विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों, बहुशाखीय तथा आंतरविषयक विद्यालयों, समूह, चलाये जानेवाले तथा संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं विद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, विद्यार्थियों के प्रवेश पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना ;

(१९) विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारियों, में से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, महाविद्यालयों में अध्यापन को मार्गदर्शन करना तथा उनका स्तर बढ़ाने के लिए, अध्यापन की अनुपूर्ति करना ;

(२०) परीक्षाओं या किसी अन्य परीक्षा या अन्यथा के आधार पर उपाधियाँ तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा उच्च माध्यमिकोत्तर डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ संस्थित करना;

(२१) परीक्षायें कराने तथा ऐसे व्यक्तियों को, उपाधियाँ तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदत्त करने तथा उच्चतर, माध्यमिक डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेष उपाधियाँ संस्थित करना, जिन्हे—

(क) विहित रीत्या उससे जब तक उसे छूट नहीं दी जाती, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था या मान्यताप्राप्त संस्था या विद्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षायें उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित आवश्यक श्रेय या गुणांक या श्रेणी प्राप्त की है ; या

(ख) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था या मान्यताप्राप्त संस्था या स्वायत्त महाविद्यालय या स्वायत्त मान्यताप्राप्त संस्था या सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय या सशक्त स्वायत्त समूह संस्था या स्वायत्त महाविद्यालय या स्वायत्त मान्यताप्राप्त संस्था या सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय या सशक्त स्वायत्त समूह संस्था या विद्यालय से अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार अध्यपन किया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षायें उत्तीर्ण की हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा विहित आवश्यक श्रेय या गुणांक या श्रेणी प्राप्त की हैं ; या

(ग) जो आर्डिनेन्स तथा विनियमों द्वारा उपबंधित निबंधनों के अधीन अनुसंधान में लगा हुआ है ;

(२२) बाह्य विद्यार्थियों तथा पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय तथा निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के अधीन विद्यार्थियों के लिए ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा देने तथा ऐसे व्याख्यान, शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए उपबंध करना ;

(२३) परिनियमों द्वारा यथा विहित मानद उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदान करना ;

(२४) प्रबंधमंडल की विश्वसनीयता तथा महाविद्यालयों, संकायों तथा विषयों के अकादमिक प्रदर्शन मानक, समय-समय से अधिकथित किये जा सके, को ध्यान में लेते हुये तथा स्वयं को, कालिक मूल्यांकन या अन्यथा द्वारा, समाधान हो, कि, ऐसी शर्ते पूरी की गई है, महाविद्यालयों के संबद्धन तथा संस्थाओं की मान्यता की शर्ते, अधिकथित करना ;

(२५) विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं ऐसी संस्थाओं की विशेषाधिकारिता स्वीकार करना तथा सभी या उन में से किन्हीं भी विशेषाधिकारों को अस्थायी या स्थायी रूप से निकालना ;

(२६) राज्य सरकार या विश्व-विद्यालय अनुदान परिषद द्वारा अधिकथित, यदि कोई हो, मार्गदर्शक सिध्दातों के साथ, विश्वविद्यालय विभाग, संचलित महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, संस्था या विद्यालय को स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग, संचलित महाविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विद्यालय के रूप में पदाभिहित करना ;

(२७) संचालित महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों, संस्था तथा विद्यालय को सशक्त महाविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं या विद्यालय के रूप में, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकथित यदि किन्ही, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में, अकेले या समूह प्रारुप में पदाभिहित करना ;

(२८) संबद्धता या, यथास्थिति, मान्यता के लिये या कालिक प्रत्यायनों के लिये विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थाओं, संचालित महाविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों, एकल या समूह प्ररूप में स्वायत्त या सशक्त महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को मॉनिटर करना तथा मूल्यांकन करना ;

(२९) प्रयोजन के लिये स्थापित उचित कार्यप्रणाली के ज़रिए, वहाँ आवश्यक हो, सभी प्रकार के महाविद्यालयों या संस्थाओं या मान्यताप्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा अनुदेशन, शिक्षा, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान का यथोचित दरजा उनके द्वारा बनाये रखा जाता है तथा पर्याप्त पुस्तकालय, वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, छात्रालय, कार्यशाला तथा अन्य अकादमिक सुविधाएँ मुहैय्या की जाती है की सुनिश्चिति के लिये उपाय करना ;

(३०) न्यासों तथा विन्यासों को धारण तथा प्रबंध करना तथा विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, प्रतिमान तथा पुरस्कार संस्थित करना तथा प्रदान करना ;

(३१) अध्यादेशों द्वारा समय-समय पर, विनियमित की जाए ऐसी फीसों या अन्य प्रभारों को नियत करने या की मांग करने तथा प्राप्त या वसूल करना ;

(३२) फीस नियतन समिति गठित करना ;

(३३) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, संस्थाओं, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विद्यालयों तथा छात्रावासों के विद्यार्थियों के आचरण तथा अनुशासन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा विनियमन करना ;

(३४) औपचारिक से अनौपचारिक स्ट्रीम में तथा विपर्ययेन तथा राज्य में और राज्य के बाहर के अन्य विश्वविद्यालयों में से विद्यार्थियों को कार्यप्रवृत्त करने के लिए उपबंध करना ;

(३५) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा संस्थाओं के शिक्षकों के लिए, सेवा संबंधी पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए सुविधाओं का उपबंध करना ;

(३६) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों तथा संस्थाओं के विद्यार्थियों के स्वास्थ्यकर वातावरण, सामुदायिक जीवन तथा कल्याण की उन्नति के लिए, प्रबन्ध करना ;

(३७) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के कल्याण की उन्नति के लिए प्रबन्ध करना ;

(३८) महाविद्यालयों, तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विस्तार समन्वित तथा विनियमित करना ;

(३९) अध्यापकों और अध्यापनेतर कर्मचारियों की गुणता सुधारने के लिये, दरजे के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अध्यापन के लिये गुणता वृद्धि पर गहन कार्यशालाएँ या अध्ययन अभ्यास और आंतरिक गुणता सुनिश्चिति को उपर उठाने के लिये भी रचनायंत्र का उपबंध करना ;

(४०) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार, महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के कार्य कालिक निर्धारण के लिए उपबंध करना ;

(४१) विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों या संस्थाओं के परिसर में, अध्यापन के समय या अध्यापनेतर समय के दौरान, यथाविहित अध्यापकों की उपस्थिति विनियमित तथा उपबंधित करना तथा निजी अध्यापन या निजी कोचिंग कक्षायें चलाने से अध्यापकों को रोकना ;

(४२) विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों या संस्थाओं के परिसरों में, कार्य के समय या कार्योतर समय के दौरान, यथाविहित अध्यापनेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विनियमित तथा उपबंधित करना ;

(४३) अध्यापक तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा, विहित आचरण तथा अनुशासनिक नियमों कों प्रवर्तित करना ;

(४४) प्रबंध मंडलों के लिए आचार संहिता विहित करना ;

(४५) छात्र सनद विहित करना और प्रवृत्त करना ;

(४६) जहाँ भी आवश्यक हो, निम्न की स्थापना, संपोषण तथा प्रबंध करना,—

(क) ज्ञान स्त्रोत केंद्र ;

(ख) विश्वविद्यालय विस्तार बोर्ड ;

(ग) सूचना ब्यूरो ;

(घ) नियोजन मार्गदर्शन ब्यूरो ; तथा

(ड.) स्वायत्त मूल्यांकन बोर्ड ; तथा

(च) ऐसी अन्य गतिविधियाँ जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये, आवश्यक तथा संभव हो ;

(४७) निम्न में छात्रों के सहभागिता का उपबंध करना,—

(क) राष्ट्रीय सेवा योजना ;

(ख) राष्ट्रीय कॅडेट कोर ;

(ग) होमगार्ड तथा सिविल सुरक्षा ;

(घ) राष्ट्रीय क्रीडा संगठन ;

(ड.) शारीरिक तथा सैनिक प्रशिक्षण ;

(च) निवेश-बाह्य अध्यापन सभा अनुसंधान ;

(छ) आजीवन शिक्षा तथा विस्तार संबंधी कार्यक्रम ;

(ज) ऐसे अन्य कोई कार्यक्रम सेवाएँ या गतिविधियाँ जो सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए निर्देशित है, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक तथा संभव है ;

(४८) लोकसेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों मे भर्ती करने के लिये तथा अन्य प्रतियोगिता नियोजन संबंधी अवसरों हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिये विशेष प्रशिक्षण या कोचिंग का उपबंध करना ;

(४९) अनुसंधान तथा सलाहकारी सेवाओं के लिये किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था, प्राधिकरण या संगठन के साथ सहकार करना या सहयोग देना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, प्राधिकरणों या संगठनों, सार्वजनिक या निजी के साथ कतिपय पाठ्यक्रम चलानेवाली संस्थाओं, जैसा कि, परिस्थिति की मांग हों, के लिये समुचित प्रबंध में प्रवेश करना ;

(५०) महाविद्यालयों, संस्थाओं या संस्थाओं के समूहों को दी गयी सहबद्धता, मान्यता या सशक्त दर्जा खंडित या स्थगित करना ;

(५१) संस्थाओं या संस्थाओं के समूहों को, राज्य सरकार को पूर्वानुमति से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूतियों पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये निधियाँ उधार लेना ;

(५२) संस्थाओं या संस्थाओं के समूहों को अनुसंधान तथा विकास, परामर्शी, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी गतिविधियों की छानबीन करके या उन्हें परिवर्तित करके तथा उद्योग, व्यापार या किन्ही अन्य गैर सरकारी संगठनों मे विभिन्न ग्राहकों के लिये सेवाएँ उबलब्ध कराके, विश्वविद्यालय के स्त्रोतों को बढाने की संभावनाओं की छानबीन करना ;

(५३) ऐसे मामले में जहाँ ऐसे महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधमंडल द्वारा या आपराधिक स्वरूप की अनियमितताएँ या कार्य या कार्यलोप प्रबंधमंडल के सामने प्रथमदृष्ट्या साबित हो चुका है, ऐसे संबद्ध महाविद्यालय, संस्था या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय या संस्थाओं के समूह के प्रबंध को अंतरित करने के लिये सरकार को सिफारिश करना ;

(५४) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ अकादमिक सहयोग कार्यक्रम, अनुसंधान तथा सलाहकारी सेवाएँ हाथ में लेना ;

(५५) सहयोग कार्यक्रमों के लिये विदेशी एजंसियों से निधियाँ प्राप्त करना जो कि उस निमित्त केंद्र तथा राज्य सरकार के नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन होंगी ;

(५६) अधिशेष में से समग्र विकास सृजित करना जिसे विश्वविद्यालय उसके अध्यापन, अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा विकास, परामर्श तथा किन्हीं अन्य अकादमिक या सहायक गतिविधियों के जरिए उत्पन्न कर सकें, संचय बनाना और उसे व्यावसायिक रित्या में, निवेशित करना तथा उसके जरिए उत्पन्न ब्याज का प्रयोग अकादमिक वृद्धि तथा विकास, अनुसंधान तथा विकास, अकादमिक तथा शारीरिक आधारभूत संरचना तथा किन्ही अन्य आधारभूत संरचना के लिये विकास करना ;

(५७) शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिये ऐसे अनुदेश या निर्देश, जो कि विश्वविद्यालय की राय में अकादमिक मामलों में आवश्यक है, निर्धारित करना ;

(५८) फीस प्रभारित करते हुए, ताकि साधन उत्पन्न किये जा सके उच्च स्तर शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आधारित परियोजनाओं के लिये विकास कार्यक्रम तथा बाह्य एजेंसियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेना ;

(५९) ऐसे वर्गों तथा समुदायों के लिये, जो सामाजिक तथा शैक्षणिक तौर पर पिछडे हुए है उन्हे विश्वविद्यालय शिक्षा के लाभ सुलभ करने के लिये विशेष उपबंध बनाना ;

(६०) महिला, विद्यार्थी तथा विकलांग विद्यार्थियों के लिये विश्वविद्यालय शिक्षा के लाभ सुलभ करने के लिये विशेष उपबंध बनाना, जिसे कि विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(६१) ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के लिये विशेष उपबंध बनाना ;

(६२) कुल भरती अनुपात बढाने के लिये उचित उपाय करना ;

(६३) विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वेच्छा आधार पर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के जरिये राष्ट्रीय साक्षरता तथा प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करना तथा इस क्षेत्र में विद्यार्थियों के सामान्य अकादमिक कार्य के अलावा, उनके प्रयत्नों तथा कार्य को उचित महत्व देने के उपायों का प्रतिपादन करना तथा इस क्षेत्र में शिक्षकों के भी कार्य का मूल्यांकन करना ;

(६४) राज्य सरकार की नीतियों के पालन में स्वयं या अन्य विश्वविद्यालयों के सहयोग से, मराठी का अध्ययन तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में मराठी उसका प्रयोग, अध्ययन, अनुसंधान तथा परीक्षा को बढ़ावा देना ;

(६५) स्वयं या अन्य विश्वविद्यालय या संघटनों के सहयोग से, आमतौर पर विदेशी भाषाओं तथा विशेष तौर पर एशियाई भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देना ;

(६६) विश्वविद्यालय, संस्थाओं तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों, अवकाशेतर अकादमिक तथा शिक्षकेतर स्टाफ की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन योजना प्रतिपादन करना ;

(६७) किसी विश्वविद्यालय में एक से अधिक विभागों के साथ ही तथा विश्वविद्यालय लोक या विश्वविद्यालय निजी या विश्वविद्यालय सार्वजनिक-निजी भागिदारी के बीच विश्वविद्यालय गवेषणा प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालय अध्यव्यवसाय तथा अन्य निकायों में, वेतन की एकल श्रेणी में संयुक्त नियुक्तियों का उपबंध करना ;

(६८) ज्ञान का सृजन करना तथा उसका प्रसार करना और उच्चतम दरजा के अनुसंधान, जो समसामायिक, वैश्विक प्रतियोगी तथा स्थानिय के साथ-साथ प्रादेशिकतया तथा राष्ट्रीयतया सुसंगत है, को प्रोत्साहित करना ;

(६९) अध्येता-केंद्रित दृष्टिकोण रखना तथा ज्ञान सृजनकर्ता की भूमिका निभाना ;

(७०) स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा को मजबूत बनाना तथा अनुसंधान तथा संस्कृति और सुसंगत उपाधि कार्यक्रमों के विकास को बढ़ाना तथा उद्यमकर्ता के लिये अभिलाषा बढ़ाना ;

(७१) इ-अध्ययन तथा इ-प्रशासकीय सेवाएँ, दोनों के लिये, व्यापक डिजिटल विश्वविद्यालय ढाँचे का सृजन करना ;

(७२) सूचना तथा संसूचना के उपयोग से 'सहयोग द्वारा अध्ययन' और 'सहभागिता' की शक्ति को काम में लाना ;

(७३) विश्वविद्यालय अनुसंधान को वाणिज्यिक क्षेत्र में बदलने के लिये अनुसंधान पार्क, प्रौद्योगिकी इन्क्युबेटर, तथा अन्य आबन्ध तत्त्वों का परिष्कार करना तथा परियोजनाएँ, जिनमें अनेक शाखाओं से बहुविध संकाय समूह शामिल है, को समन्वित करना, जो राज्य के समक्ष की कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं को संबोधित करें ;

(७४) स्थानिय जरुरतें, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएँ, बढती जरुरतें तथा नये रोजगार अवसरों को ध्यान में रखने के द्वारा कौशल, जो छात्रों ने अभिव्यक्त करना जरुरी है, की पहचान करना ;

(७५) देश की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा में अभिव्यक्ति द्वारा युवाओं के संपूर्ण विकास के लिये वातावरण का उपबंध करना तथा क्रीड़ा में कौशल्यों के विकास के लिये अवसरों का सृजन करना ;

(७६) अन्तरणीय आकलन बिंदू, चार प्रवाहों से, अर्थात्, अकादमिक प्रवाह, प्रौद्योगिकी, प्रवाह, वृत्तिक तथा सामाजिक प्रवाह और व्यक्तित्व तथा सांस्कृतिक विकास प्रवाह, के साथ विकल्पाधारित आकलन श्रेय देने की प्रणाली की भूमिका सुनिश्चित करना ;

(७७) जीवनक्षम वास्तविक जीवन उपयोग में ज्ञान के अंतरण को समर्थ बनाने के लिये, सामाजिक विकास में जुड़े उद्योगों, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाएँ, गैर-सरकारी संघटनों जैसे संस्थाओं के सहयोगिता के लिये शिक्षकों की गतिशिलता सुसाध्य बनाना ;

(७८) केंद्र तथा राज्य सरकार की अनुमति से विदेशों में केंद्र तथा संस्थाएँ स्थापित करना ;

(७९) उद्योंगे के साथ भागीदारी में व्यावसायिक या कौशल आधारित समुदाय महाविद्यालय स्थापित करना ;

(८०) आयोग द्वारा, उसने दिये गये समयबंध के भीतर, उच्चतर शिक्षा तथा विकास के लिये, दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना ;

(८१) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गमित किन्ही निदेशों का पालन करना तथा कार्यान्वित करना ।

(८२) नियमित अंतराल पर, विश्वविद्यालय विभागों, संचालित महाविद्यालयों सबंद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं या विद्यालियो का अकादमिक लेखा संचालित करना ;

(८३) ऐसे सभी अन्य कार्यो तथा बातों को करना जो कि उसके सभी या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आनुषंगिक या सहायक होने कि लिये आवश्यक हो सकेंगे ;

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की अधिकारिता तथा प्रवेश ।

६. (१) वह क्षेत्रीय सीमाएँ, जिनके अधीन, इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें संपूर्ण विश्वविद्यालय क्षेत्र समाविष्ट होगा, जिसे अनुसूची में ऐसे के विश्वविद्यालय के नाम के सामने यथा विनिर्दिष्ट किया गया है ;

परंतु, किसी विश्वविद्यालय का दूरस्थ-शिक्षा पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम, खुला विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम या बाह्य उपाधि पाठ्यक्रम राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, विश्वविद्यालय के बाहर, राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तारित तथा उसे समाविष्ट करेगा ;

परंतु, आगे यह कि, यदि विश्वविद्यालय स्वयं या किन्हीं अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं के सहयोग से, किन्ही विदेश में उप-केंद्रो या केन्द्रों या संस्थाओं की स्थापना करना चाहता है तो, केंद्र तथा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, ऐसा कर सकेगा ।

(२) धारा ३ की उप-धारा (३) के उपबंधों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय क्षेत्र में अवस्थित किसी शैक्षणिक संस्था को सिर्फ विश्वविद्यालय की सहमति तथा राज्य सरकार की मंजूरी से, राज्य खुला विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अनुसंधान तथा परियोजना सहयोग, अन्य किन्हीं विश्वविद्यालयों के महाविद्यालय या महाविद्यालयों के अलावा विधि द्वारा स्थापित अन्य कोई विश्वविद्यालय से किसी प्रकार में सहयुक्त या उसके विशेषाधिकारों की स्वीकृति पा सकेगी :

परन्तु, यदि कोई शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक या निजी, भारतीय या विदेशी किसी विश्वविद्यालय के सहयुक्त होने या उसके विशेषाधिकारों मे सम्मिलित होना चाहती है, जिसकी क्षेत्राधिकारिता किसी राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, तो ऐसा सहयोजन या प्रवेश को राज्य सरकार मंजूरी दे सकेगी :

परन्तु आगे यह कि, यदि कोई विश्वविद्यालय, जिसकी क्षेत्राधिकारिता किसी राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उस विश्वविद्यालय क्षेत्र में कोई केंद्र या अन्य अनुसंधान का कोई युनिट स्वयं या सार्वजनिक या निजी भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं के सहयोग से स्थापित करना चाहता हैं, तो वह ऐसा राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकेगा ।

(३) यदि कोई शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक या निजी भारतीय या विदेशी, विधि द्वारा स्थापित किन्ही अन्य कोई विश्वविद्यालय से सहयुक्त या उसके विशेषाधिकारों से प्रवेशित है, विश्वविद्यालय से सहयुक्त या उसके विशेषाधिकारों के प्रवेश को पाना चाहती है, तो ऐसा सहयोग या प्रवेश, राज्य सरकार की मंजूरी या संबंधित विश्वविद्यालय की स्वीकृति से पा सकेगा ।

(४) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रवर्तमान होने के दिनांक से पूर्व, अन्य विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा, उपयुक्त विशेषाधिकारों को, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना प्रत्याहृत नहीं किया जायेगा ।

(५) यदि, राज्य सरकार द्वारा नया जिला सृजित किया जाता है, तो, ऐसे जिले का क्षेत्र, ऐसे विश्वविद्यालय की अधिकारिता के प्रवेश के प्रयोजन हेतु, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिघोषित किये जा सके, ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अधीन होगा ।

लिंग, पन्थ, वर्ग, जाति, धार्मिक स्थल, जन्म या मत के भिन्न होते हुए भी विश्वविद्यालय सब के लिए खुला होगा ।

७. (१) भारत का कोई भी नागरिक सिर्फ लिंग, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद, या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए, विवर्जित नहीं किया जायेगा :

परन्तु, विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय या संस्था को केवल महिलाओं के लिये, प्रत्यायित या मान्यता प्रदान कर सकेगी या महिलाओं के लिये आरक्षित रख सकेगी ।

(२) विश्वविद्यालय, शिक्षकों तथा शिक्षकेतर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विभिन्न पदों पर की नियुक्ति तथा संबद्ध या संचालित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थाओं या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश प्रयोजनार्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, और अन्य पिछडे वर्गों के आरक्षण के संबंध मे सरकारी नीति तथा समय-समय पर निर्गमित आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों, महिला और विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा ।

राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण ।

८. (१) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, विश्वविद्यालय :—

(क) शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नवीन पद सृजित नहीं करेगा ;

(ख) अपने शिक्षकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सेवानिवृत्ति के पश्चात् के लाभों या अन्य लाभों को पुनरीक्षित नहीं करेगा ;

(ग) अपने किन्हीं शिक्षकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को कोई विशेष वेतन, भत्ता या अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, किसी भी अभिवर्णन का, जिसमें वित्तीय आशय के अनुग्रहपूर्वक अदायगी या अन्य लाभ समाविष्ट है, अदा नहीं करेगा ;

(घ) किसी प्रयोजन के लिये निश्चित निधियों को, उसके प्राप्त करने के प्रयोजन से अन्य प्रयोजन के लिये नहीं लगायेगा ;

(ङ) स्थावर संपत्ति को विक्रय या पट्टे द्वारा हस्तांतरित नहीं करेगा ;

(च) राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कोई व्यक्ति या निकाय से प्राप्त प्रयोजनों जिसके लिये निधि प्राप्त किया है, से अन्य प्रयोजनों के लिये निधियों से विकास कार्य पर व्यय उपगत नहीं करेगा ;

(छ) राज्य सरकार से वित्तीय दायित्व में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस कारण वृद्धि होती है, उस के विषय में संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में कोई विनिश्चय करेगा ।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के समय-समय पर जारी किये गये नीतियों तथा निदेशों के सामंजस्य में निम्न प्राप्त निधियों से व्यय उपगत करने के लिये सक्षम होगा :—

(क) राज्य सरकार से कोई अंशदान या शेयर प्राप्त किये बिना, विभिन्न निधिकरण एजंसियों से ;

(ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये व्यक्तियों, उद्योगों, संस्थाओं, संगठनों या किसी प्रकार के व्यक्ति से प्राप्त अंशदान से ;

(ग) अनुदानित या स्वयं सहाय्यित अकादमिक कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक या अन्य सेवाओं के लिये प्रदत्त अंशदान या फीस से ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा, निम्न प्रयोजनों के लिये स्थापित की गई है विकास निधि या किसी अन्य निधि से,—

(एक) विभिन्न संवर्गो में पदों के सृजन के लिये ;

(दो) अपनी निधियों के मार्फत सृजित वे पद जिसमें सरकारी अंशदान आरक्षित है, के लिए जो पद धारित किया है ऐसे व्यक्तियों द्वारा वे निधियों से उपबंधित पद धारित नहीं है पदों पर वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ का अनुदान करने के लिए ;

(तीन) आत्मनिर्भरता आधार पर कोई अकादमिक कार्यक्रम की शुरुवात करने के लिए ;

(चार) उनके कर्मचारियों को, उनके नियमित कर्तव्यों तथा जिम्मेवारियों के अलावा उन्हे समनुदेशित कियें गये किन्हीं कार्यो को करने के लिये पारिश्रमिक या प्रोत्साहनों की मंजूरी करना ;

(पाँच) किसी विकास कार्य या अपने छात्रों या कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय उपगत करने के लिए :

परंतु, राज्य सरकार पर, कोई भी दायित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तत्काल या भविष्य में का नहीं होगा ।

(३) राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में एक जैसा मानक हासिल करने और बनाए रखने के प्रयोजन लिए राज्य सरकार, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शिक्षकों तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों और अभिज्ञात संस्थाओं (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित तथा पोषित से अन्य) के अन्य कर्मचारियों के वर्गीकरण, चयन एवं नियुक्ति की रीति और पद्धति, शिक्षकों और कर्मचारियों को समाहित करने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियाँ (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजातियाँ और अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों के लिए पदों का आरक्षण, इनके कर्तव्य, कार्य के बोझ, वेतन, भत्ता, सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ, अन्य लाभ, आचरण और अनुशासनिक विषय तथा अन्य सेवा को शर्तों का उपबंध करते हुए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, मानक संहिता विहित कर सकेगी । संहिता संबद्ध महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापक और अन्य कर्मचारियों असहायताप्राप्त संबद्ध महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं मे अध्यापक और अन्य कर्मचारियों संबंधी होगी। जब ऐसी संहिता विहित की जाए तो, संहिता में बनाए गए उपबंध लागू होंगे और संहिता में सम्मिलित विषयों के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम में किए गए उपबंध, जहाँ तक वे संहिता के उपबंधों से असंगत है, अविधिमान्य होंगे ।

(४) विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित तथा पोषित से अन्य) में शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिये अर्हता और अनुभव **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी ।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि आवश्यक परिस्थितियाँ हो तथा राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हो तो, वह एक समय पर १ वर्ष से अनधिक और कुल मिलाकर तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, रजिस्ट्रार, वित्त तथा लेखा अधिकारियों, या परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, आवश्यक अर्हताएँ धारण करनेवाले उचित व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी ।

(६) राज्य सरकार, को, किन्हीं संबद्ध, संचालित या स्वायत्त महाविद्यालयों मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय विभाग के, उच्चतर शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के निदेशक या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय, जैसा कि वह निदेश दे, के द्वारा अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के साथ किये जानेवाले निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(७) धारा ५ में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालय के विफल होने की दशा में, या जहाँ विश्वविद्यालय ने, पर्याप्ततः ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का अनुपालन नहीं किया है या राज्य सरकार द्वारा जारी किसीं आदेश का अनुपालन करने में विफल हुआ है, या राज्य सरकार आवश्यक समझे ऐसे किन्ही अन्य परिस्थितिओं के अधीन है तो राज्य सरकार, ऐसी जाँच करने पर जिसे वह आवश्यक समझती है, ऐसी शक्ति या प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन या आदेश का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा ; तथा ऐसे निदेशों का अनुपालन करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा ।

यदि, विश्वविद्यालय के निदेशों के अनुपालन करनें में विफल होने के मामले में, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को निदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, का लिखित में कारणों को देने को कहेगी । यदि, राज्य सरकार स्पष्टीकरण से समाधानी न हो तो, धारा ९ की उप-धारा (३) के अधीन आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(८) राज्य सरकार, किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के लेखों की नियमित रूप से, ऐसे अंतरालो पर जिसे सरकार उचित समझे, लेखों की सांकेतिक संपरीक्षा या पूर्ण लेखा परीक्षा करवा सकेगी ।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

कुलाधिपति तथा उसकी शक्तियाँ ।

९. (१) महाराष्ट्र के राज्यपाल, प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे तथा कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा ।

(२) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह की अध्यक्षता करेगा तथा जब कभी, आवश्यक हो, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए, किसी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण की बैठक बुलाने का कुलपति को, निदेश जारी कर सकेगा तथा कुलपति, ऐसी बैठक का कार्यवृत्त कुलाधिपति को, उसके परिशीलन के लिये पेश करेगा ।

(३) कुलाधिपति,–

(क) धारा (८) की उप-धारा (७) के परंतुक के अधीन राज्य सरकार से निर्देशन प्राप्त होने पर ऐसे मामले में ; या

(ख) किसी मामले में **स्व-प्रेरणा** से या अन्यथा,

विश्वविद्यालय के ऐसे मामले या किसी मामले या कार्यों से संबंधित कोई रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या ऐसी जानकारी और अभिलेख के लिए मँगा सकेगा और ऐसी रिपोर्ट या स्पष्टीकरण, या जानकारी या अभिलेख का विचार करने के पश्चात्, उस पर विश्वविद्यालय या छात्रों के हित में या व्यापक लोक हित में जैसा कि उचित समझें ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा और उसके निर्देश अंतिम होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा अविलंब उनका अनुपालन किया जाएगा ।

(४) कुलाधिपति, कुलपति से लिखित रिपोर्ट लेने के बाद किसी प्राधिकरण, निकाय, समिति या अधिकारी का कोई संकल्प आदेश या कार्यवाहियाँ, निलंबित या उपांतरित कर सकेगा, जों उसकी राय में, इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित परिनियमों, आर्डिनेंसों या विनियमों के अनुरूप नहीं है या विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तथा विश्वविद्यालय प्राधिकरण, निकाय, समिति तथा अधिकारी उनका अनुपालन करेंगे :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश बनाने से पूर्व, कुलाधिपति, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण, निकाय, समिति या, यथास्थिति, अधिकारी को कारण दर्शाने के लिये कहेगा कि ऐसा आदेश क्यों न बनाया जाये तथा यदि कुलाधिपति द्वारा नियत समय के भीतर, कोई कारण दर्शाया जाये तो वह उस पर विचार करेगा तथा जहाँ कहीं वह आवश्यक समझता है, राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, इस विषय में की जानेवाली कार्यवाही का निर्णय लेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(५) जहाँ, कुलाधिपति की राय में, किसी निर्वाचित, या नामित या नियुक्त या सहयोजित किसी सदस्य का आचरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति के सुचारू कार्य के लिये, अहितकर है, तो वह ऐसे सदस्य को लिखित में अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के बाद तथा ऐसे स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, तथा अपना समाधान करने के बाद कि, ऐसा करना आवश्यक है, ऐसा सदस्य, ऐसी अवधि के लिये निरर्ह होगा या उसे निलंबित किया गया ठहरा सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है ।

(६) कुलाधिपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त या उसमें निहित किए जाए ।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

१०. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(१) कुलपति ;

(२) प्रति-कुलपति ;

(३) रजिस्ट्रार ;

(४) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(५) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(६) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(७) विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों के निदेशक ;

(८) अभिनव, उद्‌भवन तथा अनुबंध निदेशक ;

(९) ज्ञान स्रोत केंद्र के निदेशक ;

(१०) आजीवन शिक्षा तथा विस्तार विकास के निदेशक ;

(११) छात्र-विकास के निदेशक ;

(१२) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशक ;

(१३) राष्ट्रीय सेवा योजना के निदेशक ;

(१४) विश्वविद्यालय की सेवा में, ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

कुलपति की नियुक्ति।

११. (१) एक कुलपति होगा जो कि विश्वविद्यालय का अकादमिक प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकारी होगा और सिनेट, प्रबंध-परिषद, अकादमिक परिषद, परीक्षाएँ तथा मूल्यांकन बोर्ड, आजीवन-शिक्षा, तथा विस्तार बोर्ड, वित्त तथा लेखा समिति, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड और अभिनव परिवर्तन, उद्‌भवन तथा उद्यम बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड, छात्र-विकास बोर्ड, क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड, तथा अनुसंधान बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा तथा वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियाँ प्रदान करने हेतु, दीक्षांत-समारोह में तथा सीनेट की किसी बैठक की अध्यक्षता करेगा । उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा कि धारा १२ में उपबंधित किए जाए ।

(२) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कुलपति के वेतन और भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करें।

(३) कुलपति, कुलाधिपति द्वारा निम्न रीत्या में नियुक्त किया जाएगा,—

(क) कुलपति की नियुक्ति के लिए, कुलाधिपति को यथोचित नाम की सिफारिश करने हेतु, निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति होगी, अर्थात् :—

(एक) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य, ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का निवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति या राष्ट्रीय ख्याति का विख्यात विद्वान या शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार पानेवाला हो ;

(दो) उच्च तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सरकार के प्रधान सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी ;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीति में, संयुक्त रूप से, प्रबंध परिषद और अकादमिक परिषद द्वारा नियुक्त, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय ख्याति की संस्था या संगठन के निदेशक या प्रमुख ।

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य समिति का सभापति होगा ।

(ग) समिति पर नामनिर्देशित सदस्य, ऐसे व्यक्ति होंगे, जो कि विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित न हो।

(घ) जब तक समिति के सभी तीन सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं, तब तक समिति की कोई बैठक नहीं ली जाएगी।

(ड.) समिति, कुलाधिपति के विचारार्थ, कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए ५ से अनधिक यथोचित व्यक्तियों के पैनल की उपस्थिति की सिफारिश करेगी। इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों के नाम वर्णानुक्रम में, बिना किसी वरीयता के सूचित किए जाएँगे। रिपोर्ट के साथ पैनल में समाविष्ट किए गए प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर ब्योरेवार, विवरण संलग्न किया जाएगा।

(च) कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को,—

(एक) विख्यात परिषद सदस्य और उच्चतर योग्यतावाला प्रशासक होना चाहिए ;

(दो) अपने स्वयं के उदाहरण से नेतृत्त्व करने के लिए समर्थ होना चाहिए ;

(तीन) दूरदर्शिता जुटाने में समर्थ रहना होगा और छात्रों तथा समाज के हित में वास्तव में उसे स्थापित करने के लिए समर्थ होना चाहिए ;

(चार) कुलाधिपति के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी शैक्षणिक अहर्ताएँ और अनुभववाला होना चाहिये।

(छ) कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए, नाम की सिफारिश के लिए अधिक उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश सुनिश्चित करने हेतु पात्रता शर्तों और प्रक्रिया का व्यापक प्रचार किया जाएगा ।

(४) कुलाधिपति, पैनल में समाविष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

परंतु, यह कि, यदि कुलपति, इस प्रकार सिफारिश किए गए किसी भी व्यक्ति को अनुमोदन नहीं देता है तो वह इस प्रयोजन के लिए या तो उसी समिति से या नयी समिति के गठन के पश्चात्, ऐसी नई समिति से एक नये पैनल के लिए बुलावा भेजेगा ।

(५) कुलपति की रिक्ति होने के संभाव्य दिनांक से कम से कम छह महिनों के पूर्व कुलपति के रूप में नियुक्त होने के लिए यथोचित व्यक्तियों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया की शुरूआत होगी और कुलपति की रिक्ति होने के संभाव्य दिनांक से कम से कम एक महीने के पूर्व, कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

(६) कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा विहित किए गए सेवा के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, जिस दिनांक से वह अपना पद ग्रहण करता है उस दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए या वह पैंसठ वर्षों की आयु होने तक, जो कोई भी पूर्व का है, पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा ;

(७) कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि कोई हो, अपनी नियुक्ति के पूर्व अधिष्ठायी पद पर, धारणाधिकार रखेगा।

(८) निम्न किन्हीं परिस्थितियों में, जिसकी विद्यमानता केवल कुलाधिपति द्वारा न्यायोचित ठहराई जायेगी, अर्थात् :—

(एक) जहाँ उप-धारा (३) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई समिति, कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, कोई नाम का सुझाव देने में असमर्थ है ;

(दो) जहाँ कुलपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यू, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण होती है तथा जिसे उप-धाराएँ (३) और (४) के उपबंधों के अनुसार, उसे सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता सें नही भरा जा सकता है ;

(तीन) जहाँ कुलपति के पद की रिक्ति, उसकी छुट्टी, बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी तौर पर होती है ; या

(चार) जहाँ कोई अन्य आपतकालीन स्थिति हो ; कुलाधिपति, किसी समुचित व्यक्ति को अपने आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी कुल मिलाकर अठारह महिनों से अनधिक अवधि के लिये, कुलपति के रूप में नियुक्त कर सकेगा :

परंतु, इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति, उस दिनांक को ऐसा पद धारण करने से परिविरत होगा, जिस दिनांक को उप-धाराएँ (३) और (४) के उपबंधों के अनुसार, कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करता है या कुलपति पुनः पद ग्रहण करता है ।

(९) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित वेतन तथा भत्ता और अन्य सुविधाएँ प्राप्त करेगा। इसके अलावा, वह निःशुल्क सुसज्जित आवास, अपने इस्तेमाल के लिए निःशुल्क चालक की सेवा सहित मोटारकार जिसमें उसका रखरखाव, मरम्मत तथा उसके लिए आवश्यक इंधन का समावेश है का हकदार होगा।

(१०) ऐसा सत्कार भत्ता, कुलपति के व्ययन के लिए रखा जाएगा, जैसे कि राज्य सरकार अनुमोदित करें।

(११) यदि राज्य की समेकित निधि से मानदेय प्राप्त कोई व्यक्ति या सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था का कोई प्राचार्य या विश्वविद्यालय के किसी आचार्य को, कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है तो, उसके कुलपति के रूप में उसकी पदावधि के दौरान, उसकी सेवा के निबंधनों तथा शर्तों को उसके अनुकूल बदला नहीं जायेगा।

(१२) पूर्वगामी उप-धाराओं में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, उप-धारा (७) में निर्दिष्ट व्यक्ति अपने मूल पद की सेवा के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

(१३) कुलपति, अपने हस्ताक्षर से लिखित में कुलाधिपति के नाम पत्र लिखकर एक महिने का नोटीस देकर अपना पद त्याग सकेगा तथा कुलाधिपति द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकृत होने पर या उक्त नोटीस की अवधि के अवसान के दिनांक से, जो भी पूर्व का दिनांक हो, वह अपना पद धारण करने से परिविरत होगा।

(१४) कुलपति को अपने पद से हटाया जा सकेगा यदि, कुलाधिपति का समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) उन्मत हो गया है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है ;

(ख) नैतिक अधमता में अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय में दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक दृष्ट्या अस्वस्थ्य है तथा लंबी बीमारी या शारीरिक अशक्तता के कारण कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ है ;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए जान बूझकर छोड़ दिया है या इंकार किया है या उप-धारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित की गई सेवा के किसी निबंधनों और शर्तों या किसी अन्य शर्तों का भंग किया है, या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग किया है या विश्वविद्यालय के हित में यदि कुलपति का पद बना रहना अहितकर है ; या

(च) किसी राजनीतिक दल या ऐसी किसी संगठन, जो राजनीतिक में हिस्सा लेता है का सदस्य है या अन्यथा उसमें जुड़ा है या किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि की सहायता के लिए अंशदान देता है या किसी अन्य प्रकार से सहायता करता है ;

स्पष्टीकरण.— इस उप-खण्ड के प्रयोजनों के लिए, कोई दल चाहे राजनितिक दल है या कोई संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है या कोई आंदोलन या गतिविधि, इस उप-खण्ड की परिधि के भीतर आती है या नहीं इस पर कुलाधिपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा :

परंतु, कुलाधिपति, उप-खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन कुलपति को हटाने का मार्ग अपनाने के पूर्व, उसे कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

१२. (१) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख अकादमिक तथा कार्यकारी अधिकारी होगा जो विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों के विकास के लिये जिम्मेदार होगा । विश्वविद्यालय की कार्य कुशलता तथा बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वह विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यक्रमों तथा सामान्य प्रशासन का निरीक्षण तथा नियंत्रण रखेगा।

(२) वह, विश्वविद्यालय के अन्य कोई प्राधिकरण या निकाय या समिति की किसी बैठक में उपस्थित रहने तथा बोलने का हकदार होगा, किन्तु, वहाँ वह मत देने का हकदार नहीं होगा, बशर्ते वह उस प्राधिकरण या निकाय का अध्यक्ष या सदस्य है।

(३) कुलपति को, जैसा और जब भी ऐसा करना आवश्यक समझें किन्ही प्राधिकरणों, निकायों या समितियों की बैठके बुलाने की शक्ति प्राप्त होगी।

(४) कुलपति, यह सुनिश्चित करेगा कि कुलाधिपति द्वारा जारी किये गये निदेशों का सर्वथा अनुपालन किया जा रहा है, या यथास्थिति, कार्यान्वित किया जा रहा है।

(५) कुलपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार के निर्देश, यदि कोई हो, और इस अधिनियम, परिनियमों, ऑर्डिनेंस या विनियमों के उपबंधों का सर्वथा अनुपालन हो रहा है तथा प्राधिकरणों, निकायों तथा समितियों का निर्णय, जो कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेसों या विनियमों से असंगत नहीं है, उनका उचित ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है।

(६) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति द्वारा लिये गये निर्णय या पारित किसी प्रस्ताव के कार्यान्वयन को आस्थगित कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि वे राज्य सरकार के निर्देशों या इस अधिनियम, परिनियमों, ऑर्डिनेंस या विनियमों के उपबंधो से संगत नहीं है या ऐसा निर्णय या प्रस्ताव विश्वविद्यालय के हित में नही हैं तथा संबंधित प्राधिकरण, निकाय या समिति को अभिलिखित कारणों सहित पुनर्विचारार्थ उसकी अगली बैठक में उसे यथावसर फिर भेज सकेगा यदि, असमानता बनीं रहती है तो वह सप्ताह के भीतर, कारण बताकर निर्णय के लिये उसें कुलाधिपति प्रस्तुत करेगा और शीघ्र ही संबंधित प्राधिकरण निकाय या समिति के सदस्यों को ऐसा किये जाने की सूचना देगा। कुलाधिपति का निर्णय प्राप्त होने पर कुलपति, कुलाधिपति द्वारा यथानिर्देशित कार्यवाही करेगा और तद्नुसार, संबंधित प्राधिकरण, निकाय या समिति को सूचित करेगा।

(७) यदि कुलपति के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है जिसमें सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है या विश्वविद्यालय के हित में यदि कोई कार्यवाही करना आवश्यक हो तो, वह जैसा कि आवश्यक समझें, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और शीघ्र ही अपने विश्वास का आधार कि आपातकालीन स्थिति थी, और उसके द्वारा की गई कार्यवाही को लिखित रूप में ऐसे प्राधिकरण या निकाय को सूचित करेगा जो सामान्यतः इस मामले में कार्यवाही कर सकते थे। कुलपति और प्राधिकरण या निकाय के बीच ऐसा कोई मतभेद होने पर कि क्या वास्तव में ऐसी आपातकालीन स्थिति थी या की गई कार्यवाही पर या जहाँ ऐसी कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं डालती है कोई मतभेद हैं, या दोनों पर मतभेद है, तो यह मामला, कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा और उसका निर्णय, अंतिम होगा :

परंतु, जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्यवाही विश्वविद्यालय में सेवारत किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, तो वह व्यक्ति, जिस तारीख को ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्त करता है, उस तारीख से, तीस दिनों के भीतर प्रबंध परिषद को अपील करने के लिए हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही, विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होगी।

(८) जहाँ किसी मामले को परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है लेकिन उस निमित कोई परिनियम, आर्डिनेंस या विनियम नहीं बनाया गया है या जहाँ कहीं परिनियमों, आर्डिनेंसो या विनियमों का संशोधन करना अत्यावश्यक है तो कुलपति, तत्समय के लिए ऐसा निदेश जारी करके, जैसा कि वह आवश्यक समझे, उस मामले को विनियमित कर सकेगा और तदुपरांत, शीघ्र ही वह अनुमोदनार्थ प्रबंध परिषद या संबंधित अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वह उसी वक्त उस निमित्त बनाने के लिए आवश्यक परिनियम, आर्डिनेंस या, यथास्थिति, विनियम का प्रारूप उस प्राधिकरण या निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि, ऐसा निदेशन, परिनियम, अध्यादेश या, यथास्थिति, विनियमन में सम्परिवर्तित होने के लिए ऐसे निदेशन का निर्गमन छह महिने के भीतर होगा, जिसमें ऐसा निदेशन है, वह न होने पर अपने आप ही व्यपगत होगें।

(९) कुलपति, विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करनेवाला और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(१०) कुलपति, विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार श्रेणी के या उसके समकक्ष और ऊँचे श्रेणी के पदाधिकारियों की नियुक्ति करनेवाला और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा।

(११) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों या समितियों के सभापति के नाते, किसी सदस्य को, किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति की बैठक की कार्यवाहियों में लगातर बाधा डालने या रोकने या ऐसा व्यवहार करने जो कि सदस्य के लिये अशोभनीय है, निलंबित करने की शक्ति कुलपति को प्रदान की गई हैं तथा तद्नुसार, वह कुलाधिपति को मामले की सूचना देगा।

(१२) कुलपति, आर्डिनेन्सों के अधीन यथा उपबंधित आवधिक काल पर विश्वविद्यालय के कार्य का रिपोर्ट, प्रबंध परिषद के समक्ष रखेगा ।

(१३) कुलपति को,—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा, विशेष अध्ययन अनुसंधान संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, स्वायत्त महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह को सशक्त करने और कौशल विकास महाविद्यालयों को सशक्त करने के लिए मान्यता प्रदान करने ;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, निजी कौशल शिक्षा प्रबंधकों को मान्यता प्रदान करने ;

(घ) ॲप्लिकेशन ओरियेंटेड उद्योगों या कंपनियों के क्षेत्र से तज्ञों तथा निजी कौशल शिक्षा मुहैयादारों और सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों में प्रशिक्षण तज्ञ के रूप में कार्य करनेवाले विभिन्न वृत्तिक कौशल क्षेत्र के विशिष्ट तज्ञों को अर्हताप्राप्त अध्यापकों के रूप में मान्यता प्रदान करने ;

(ङ) स्नातकोत्तर डॉक्टर की उपाधि तथा उच्चतर उपाधियाँ प्रदान करने के लिए शोध-प्रबंध या शोध-निबंध के लिए सिफारिश किये गये निर्णायक पैनल को अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(१४) (क) कुलपति को विश्वविद्यालय के ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की या व्यक्ति निकायों द्वारा जैसा कि वह निदेश दे, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं तथा उपस्करों की तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जानेवाली या अभिज्ञात, सहबद्ध, संचालित या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, अभिज्ञात या स्वायत्त संस्थाओं, सशक्त कौशल विकास

महाविद्यालयों या निजी कौशल शिक्षा उपबंधक, सभा-भवन या छात्रावासों की तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचलित या के निमित्त ली जानेवाली परीक्षाएँ अध्यापन तथा अन्य कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा विश्वविद्यालय, सहबद्ध संचालित या समुदाय या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, अभिज्ञात या स्वायत्त संस्थाओं, सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों या निजी कौशल शिक्षा उपबंधक के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी विषय के बारे में वैसी ही रीति में, जांच करवाने का अधिकार होगा :

परंतु, कुलपति, सम्बद्ध या स्वायत्त महाविद्यालय सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, अभिज्ञात या स्वायत्त संस्थाओं, सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों या निजी कौशल शिक्षा उपबंधक के मामले में ऐसे सहबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, अभिज्ञात या स्वायत्त संस्थाओं, सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों या निजी कौशल शिक्षा प्रबंधक इस प्रकार किए जानेवाले निरीक्षण या जाँच के अपने आशय की सूचना प्रबंधन को देगा :

परंतु यह और कि, प्रबंधमंडल ऐसा निरीक्षण या जाँच की जाने के पहले कुलपति को ऐसा अभ्यावेदन कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे ;

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के बाद कुलपति ऐसा निरीक्षण या जाँच करवायेगा या उसे बन्द करवायेगा ;

(ग) प्रबंधमंडल के मामले में जब ऐसा निरीक्षण या जाँच करनी हैं तब प्रबंधमंडल ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिये हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित रहने तथा सुनवायी किए जाने का हक प्राप्त होगा ;

(घ) यदि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार पानेवाले किसी महाविद्यालय या संस्था के बारे में निरीक्षण या जाँच करवानी है, तो कुलपति, ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम प्रबंधमंडल को संसूचित कर सकेगा ;

(ड़) प्रबंधमंडल, कुलपति को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जिसे वह अपने द्वारा करने का प्रस्ताव रखता हैं, या जो की गई हैं, की संसूचना देगा;

(च) जहाँ प्रबंधमंडल, कुलपति द्वारा नियत समय के भीतर, उसके समाधान होने तक कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ कुलपति, प्रबंधमंडल पर जुर्माना अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा और महाविद्यालय या संस्थाओं के नए प्रवेशों को रोकने के लिए, प्रबंधमंडल को निदेश देगा या इस निमित्त की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही का निर्णय लेगा और इसके अनुपालन के लिए संबंधित प्रबंधमंडल को संसूचित करेगा ।

(१५) कुलपति, प्रबंधमंडल परिषद की सिफारिश राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी जिसमें सहबद्ध महाविद्यालय, संस्था या स्वायत्त महाविद्यालय, सशक्त महाविद्यालय या समूह संस्थाओं के प्रबंधमंडल पर छात्रों के हित में दिन प्रतिदिन की अकादमिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों को चलाने के लिये अस्थायी आनुकल्पिक इन्तजामों के सबंध में प्रशासनिक बोर्ड की नियुक्ति करेगा जहाँ ऐसे महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधमंडल के अपराधिक स्वरूप द्वारा या ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कुप्रबंधन की अनियमितताएँ या कमिशन या विलोपन प्रथम दृष्ट्या होकर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई जाँच समिति के सबूत है और प्रबंधमंडल के चलाऐ जानेवाले ऐसे विद्यालय विवाद का निपटान होने तक संविधिक रूप से बंद रहेंगे। इस निमित्त राज्य सरकार का निर्णय, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(१६) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि उसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किया जाए।

१३. (१) प्रति-कुलपति, कुलपति के उपरांत संपूर्ण विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र का अकादमिक तथा प्रशासनिक अधिकारी होगा। प्रति-कुलपति।

(२) प्रति-कुलपति वह व्यक्ति होगी, जिसने किसी संस्था या महाविद्यालय का प्राचार्य या प्राध्यापक का पद धारण करने के साथ १५ वर्ष से अनून का अध्यापन करने तथा अनुसंधान का अनुभव है ।

(३) प्रति-कुलपति, संकायाध्याक्षों का बोर्ड, उपकेंद्रों का बोर्ड, विश्वविद्यालय विभाग बोर्ड तथा आंतर-शाखीय बोर्ड, महाविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और अनुसंधान तथा मान्यता समिति का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(४) प्रति-कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और कुलपति के निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन प्रत्यक्षत: कार्य करेगा।

(५) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, वेतन तथा भत्ते जो उसे अनुज्ञेय हैं इसके साथ ही उसकी सेवा की निबंधनों और शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाए।

(६) कुलाधिपति, कुलपति के परामर्श से, विश्वविद्यालय के लिए प्रति-कुलपति की नियुक्ति करेगा।

(७) प्रति-कुलपति की पदावधि, कुलपति की पदावधि के साथ सह विस्तारी होगी या अपने उम्र के पैंसठवे वर्ष तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(८) धारा ११ की, उप-धारा (११) के उपबंध, प्रति-कुलपति की पदावधि संबंधी सेवा की शर्ते यथावश्यक परिवर्तन समेत लागू होंगी ।

(९) प्रति-कुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकरणों, निकायों और समितियों के अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

(१०) जब प्रति-कुलपति का पद रिक्त होता है या जब प्रति-कुलपति बीमारी या अनुपस्थिति या अन्य किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो, कुलपति जब तक उप-कुलपति अपना पद पुनःग्रहण नहीं करता है या, यथास्थिति, नया उप-कुलपति अपने कर्तव्यों को नहीं संभालता है तब तक किसी उचित योग्य व्यक्ति को उप-कुलपति के तौर पर नियुक्त किए जाने के लिए अध्यक्ष के रुप में स्थानापन्न करेगा।

(११) प्रति-कुलपति, एक महीने की सूचना देने के पश्चात्, उसके हस्ताक्षर के अधीन लिखित द्वारा, कुलपति को संबोधित कर, उसके पद का इस्तीफा दे सकेगा और कुलपति द्वारा उसके इस्तीफा स्वीकार्य होने पर या उक्त सूचना अवधि के अवसान के दिनांक से, जो भी पहले हो, अपना पद धारण करने से परिविरत होगा।

(१२) प्रति-कुलपति, उसके पद से हटाया जायेगा, यदि कुलपति का समाधान हो, जाता है कि पदधारी,-

(क) विकृत चित्त का है या सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त वाले किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है ;

(ग) उन्मुक्त दिवालियाँ हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो ; या

(घ) लम्बी बीमारी या शारीरिक अक्षमता के कारण कार्यो के निर्वहन करने में शारीरिकदृष्टया अस्वस्थ और अक्षम हो ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधो को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड दें या इन्कार करें या उप-धारा (५) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा विहित सेवा की किन्ही शर्तो और निबंधनों या किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करे या अपने निहित स्वार्थ में शक्तियों का दुरुपयोग करें या यदि, पद पर प्रति-कुलपति का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में हानिकर हो ; या

(च) किन्ही राजनीतिक दल या किन्ही संगठन जो, राजनीति में भाग लेता हो या भाग ले रहा हो, का सदस्य हो या अन्यथा संबद्ध हो या किन्ही राजनीतिक आन्दोलन या क्रियाकलाप की सहायता कर रहा हो।

स्पष्टीकरण.— इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, जहाँ कोई दल राजनीतिक दल हो या जहाँ कोई संगठन राजनीति में भाग लेता हो या जहाँ कोई आन्दोलन या क्रियाकलाप, इस खण्ड के विषय के भीतर पडता हो तो उसपर का कुलपति का निर्णय अंतिम होगा :

परंतु, प्रति-कुलपति को खण्ड (घ), (ङ) और (च) के अधीन उसके हटाये जाने का अवलंब करने के पूर्व, कुलपति द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(१३) **प्रति-कुलपति,—**

(क) अकादमिक विकास कार्यक्रमों समेत स्नातकोत्तर अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय के सहयोजित कार्यक्रमों का प्रधान अकादमिक योजना तथा अकादमिक संपरीक्षा अधिकारी होगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का दर्जा और केंद्रीय सेवाएँ विश्वविद्यालय द्वारा पोषित हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय के पार बौद्धिक पारस्परिक प्रभाव को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि वहाँ अनुसंधान और विकास तथा उद्योग अनुबंध है ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों के दीर्घकालीन और अल्पकालीन विकास योजनाएँ उनके अकादमिक कार्यक्रमों में सुसंगत प्राधिकरणों, निकायों, समितियों और अधिकारियों के जरिए सम्यकतया प्रसंस्करणीय हैं और कार्यान्वित हो रही हैं ;

(ङ) सहबद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं, स्वायत्त महाविद्यालयों और संस्थाओं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं के समूह और मान्यताप्राप्त संस्थाओं या स्नातकोत्तर केंद्रों के प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति को मानिटर करेगा ;

(च) आर्डिनेंसों में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार, सहबद्ध महाविद्यालयों और संस्थाओं, स्वायत्त महाविद्यालयों और संस्थाओं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं के समूह और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों और शिक्षकों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान करेगा या उसे वापस लेगा ;

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के मानकों के अनुसार, महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति को अनुमोदन प्रदान करेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय में आयोजित महाविद्यालयों, विद्यालयों, विभागों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विशेष अध्ययन, ज्ञान संसाधन केंद्र, अकादमिक सेवा विभागों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रबंध परिषद को प्रस्तावों की सिफारिश करेगा ;

(झ) विश्वविद्यालय की निधियों से और अन्य निधि एजेंसियों से प्राप्त निधियों से विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक, प्राचार्य, विश्वविद्यालय, शिक्षक, दीर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारी, अध्यापनेतर कर्मचारी पदों के सृजन के लिए और ऐसे पदों के लिए अर्हताएँ, अनुभव तथा वेतनमान का विचार करेगा और प्रबंध परिषद को प्रस्तावों की सिफारिश करेगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय के सहायक और विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए निधि जुटाने के लिए बाह्य निधि एजेंसियों का प्रमुख संपर्क-अधिकारी होगा और उन निधियों के उचित उपयोग के लिए मानिटर करेगा ;

(ट) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों के बीच सहयोग पैदा करने, और बढ़ाने के लिए संपर्क स्थापित करने हेतु जिम्मेदार होगा ;

(ठ) विभिन्न विकासात्मक और सहायक कार्यक्रमों में हुई प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और कुलपति, जो वह रिपोर्ट प्रबंध परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा ;

(ड) कुलपति द्वारा, समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन यथा विहित या उसे समुनदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

१४. (१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह पूर्ण-कालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और वह कुलपति के निरीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन प्रत्यक्षतः कार्य करेगा।

(२) रजिस्ट्रार के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हताएँ तथा अनुभव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकथित नुसार तथा राज्य सरकार द्वारा, अनुमोदित होंगे।

(३) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(४) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, पाँच वर्ष की पदावधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, होगी और वह इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर पुनर्नियुक्ति के लिए जिस विश्वविद्यालय में वह सेवा करता हे उस विश्वविद्यालय में केवल पाँच वर्षों की एक अधिक अवधि के लिए पात्र होगा।

(५) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त होता है या रजिस्ट्रार बीमारी या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से छह महीनों की अनधिक अवधि के लिए अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो, कुलपति जब तक नया रजिस्ट्रार कर्तव्यों को नहीं सँभालता है या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं सँभालता है तब तक रजिस्ट्रार के रूप में स्थानापन्न करने के लिए उचित व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(६) **रजिस्ट्रार,—**

(क) सीनेट, प्रबंध परिषद, अकादमिक परिषद और ऐसे अन्य प्राधिकरणों, निकायों और समितियों के जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) अध्यापक, अवकाशेतर अकादमिक कर्मचारियों और सहायक रजिस्ट्रार की श्रेणी के अधिकारियों और उससे समान या के ऊपर के पद धारण करनेवाले अन्य अधिकारियों से अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करनेवाला तथा अनुशासन प्राधिकारी होगा । रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय की संसूचना के दिनांक से तीस दिनों के भीतर कुलपति के पास अपील कर सकेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा तथा ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जिसे प्रबंध परिषद उसका प्रभार सुपुर्द करेगी ;

(घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के रूप में विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचनों का संचालन करेगा ;

(ङ) प्राधिकरणों, निकायों या समितियों द्वारा, समय-समय पर अनुमोदित परिनियमों और विनियमनों की पुस्तिका तैयार करेगा और अद्यतन बनाए रखेगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सभी सदस्य और अधिकारियों को उपलब्ध करवाएगा ;

(च) प्रशासन में सुधार संबंधी शिकायतें और सुझाव प्राप्त करेगा तथा समुचित कार्यवाही के लिए उन पर विचार करेगा ;

(छ) विश्वविद्यालय, उसके भवनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, ज्ञान साधन केंद्र, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और साधन कुलपति द्वारा यथा निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय द्वारा बनाए गए हैं, उनके निरीक्षण के लिए आवश्यक सहायता करेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय तथा सहबद्ध महाविद्यालयों में अध्यापनेतर कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा अनुकूलन का आयोजन करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चय के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के निमित्त करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ;

(ञ) विश्वविद्यालय के विकास क्रियाकलापों की रिपोर्ट प्रत्येक छह महीने पर प्रबंधमंडल के समक्ष रखेगा ;

(ट) राज्य सरकार तथा अन्य बाहरी अभिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए संकायाध्यक्ष, वित्त तथा लेखा अधिकारी और विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी से विश्वविद्यालय के किसी मामले के संबंध में जानकारी माँगने की शक्ति होगी ;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा प्रति-कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समुनदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) प्रत्येक संकाय के लिए एक संकायाध्यक्ष होगा, जो पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(२) संकायाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए चयन समिति की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(३) संकायाध्यक्ष की पदावधि, कुलपति की पदावधि या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो कोई भी पहले हो, सहपर्यवसित होगी :

परंतु, नया कुलपति नये संकायाध्यक्ष की सम्यक्त्या नियुक्ति होने तक संकायाध्यक्ष के रुप अपनी सेवा में बना रहेगा :

परंतु आगे यह कि, मृत्यु, इस्तीफा या से अन्यथा कारण से कुलपति का पद रिक्त होने के मामले में, संकायध्यक्ष उक्त अकादमिक वर्ष के अंत तक पद नियमित धारण करेगा।

(४) संकायाध्यक्ष के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव पंद्रह वर्षों से कम न हो ऐसे कुल न्यूनतम अध्यापन या अनुसंधान अनुभव रखने वाले प्राध्यापक या प्राचार्य होंगे ।

(५) कुलपति, सहायता, समर्थन तथा समन्वयन के लिए, यथावश्यक संबंधित अध्ययन बोर्ड के विशिष्ट समूह के लिए सहयोगी संकायध्यक्ष को नामित करेगा और ऐसे नामांकन के लिए न्यूनतम अहर्ताएँ तथा अनुभव, संकायध्यक्ष के पद के अनुसार होंगे :

परंतु आगे यह कि, सहयोगी संकायध्यक्ष को देय वेतन, भत्ता और अन्य आर्थिक लाभ विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोत से उपगत किया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार पर कोई दायित्व, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं होगा।

संकायाध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१६. संकायाध्यक्ष,—

(क) वह अकादमिक योजना तथा अकादमिक लेखा के कार्याक्रमों के लिए और उसके संकाय के भीतर अकादमिक विकास, अध्यापकों के अध्यापन और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के स्तर समेत दर्जात्मक शिक्षा के अनुरक्षण के बारे में अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अकादमिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह सीधे कुलपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा :

(ख) उच्चतर शिक्षा के विभिन्न अकादमिक ओर प्रशासनिक गतिविधियों के लिए गुणता निर्देशचिन्हों या प्राचलों का विकास और उपयोजन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ग) गुणता शिक्षा के लिए अध्ययन केंद्रित सहायक वातावरण के सृजन को सुकर बनाएगा ;

(घ) गुणवत्ता से संबंधित संस्थागत प्रक्रियाओं पर छात्रों, अध्यापकों, अध्यापनेतर कर्मचारियों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से आयी प्रतिक्रियाओं की प्रतिक्रियाएँ निपटाएगा ;

(ङ) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल द्वारा बाहरी वर्तनी से अध्यापन गुणवत्ता के अनुरक्षण के लिए जैसा कि आवश्यक हैं ऐसी समुचित कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों द्वारा अध्यापकों का अंकन कार्यान्वित किया गया है और उसकी रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालय प्राधिकरणों को भेजी गई हैं या नहीं ;

(छ) शैक्षिक संस्थाओं में गुणवत्ता के निर्धारण और प्रत्यायन से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा जैसे कि परिभाषित किया जाए ऐसे उच्चतर शिक्षा के विभिन्न गुणवत्ता प्राचलों पर जानकारी के प्रचार के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ज) गुणवत्ता से संबंधित विषयों पर अंतर-संस्थागत और अन्तःसंस्थागत कार्यशालाओं, परिसंवादों का आयोजन करेगा तथा गुणवत्ता परिधियों का उन्नयन करेगा ;

(झ) संस्थागत गुणवत्ता का अनुरक्षण या वृद्धि करने के प्रयोजन के लिए, सूचना प्रबंधन प्रणाली के जरिए उत्तम व्यवहारों के अभिग्रहण और प्रचार, संस्थागत डाटाबेस के विकास और अनुरक्षण समेत गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियों का समन्वयन करेगा ;

(ञ) उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता संस्कृति के विकास के लिए जिम्मेवार होगा ;

(ट) विहित प्रारुप में, संबंधित गुणवत्ता आश्वासन निकायों द्वारा विकसित गुणवत्ता प्राचल या निर्धारण मानक पर आधारित, उसके संकाय के भीतर, कार्यक्रमों की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ठ) वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट पर आधारित उच्चतर शिक्षा के गुणवत्ता प्राचल सनद आंतरिक युनिट के द्विवार्षिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ड) पूर्व-प्रत्यायन और उत्तर-प्रत्यायन में गुणवत्ता निर्धारण, पुष्टि और प्रयास वृद्धि के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन सेल को प्रभावित करेगा ;

(ढ) संस्था की अध्येतावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कारों के लिए तथा उनको प्रदान करने के लिए विनियमन बनाने के प्रस्ताव की सिफारिश प्रबंध परिषद को करेगा ;

(ण) अंतर-संकाय और क्षेत्र या प्रादेशिक अध्ययन के संचालन के लिए, सामान्य सुविधाएँ जैसे कि, वाद्यसंगीत-शास्त्र केंद्रों, ज्ञान-साधन केंद्रों, विज्ञान और तकनीकी पार्क, उद्यम विकास और औद्योगिक उद्‌भवन केंद्रों, बौद्धिक संपत्ति अधिकार केंद्र, कार्यशालाओं, हॉबी केंद्रों, संग्रहालय आदि के लिए प्रस्तावों की सिफारिश अकादमिक परिषद के जरिए, प्रबंध परिषद को करेगा ;

(त) विश्वद्यालय के विभागों, महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों में और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापन तथा अनुसंधान मानकों के अनुरक्षण के लिए अनुसंधान गतिविधियों को नियंत्रित, विनियमित और समन्वित करेगा ;

(थ) विश्वविद्यालय के विभागों, महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों में और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए प्रस्तावों की सिफारिश अकादमिक परिषद को करेगा ;

(द) महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों स्वायत्त महाविद्यालयों तथा संस्थाओं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के समूहों के स्नातकोत्तर विभागों में स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा अनुसंधान मार्गदर्शकों की मान्यता के मानकों की सिफारिश अकादमिक परिषद को करेगा ;

(ध) महाविद्यालयों, स्वायत महाविद्यालयों तथा संस्थाओं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के समूहों के स्नातकपूर्व विभागों में स्नातकपूर्वक अध्यापकों तथा परियोजना मार्गदर्शकों की मान्यता के मानकों की सिफारिश अकादमिक परिषद को करेगा ;

(न) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा सिफारिश किए गए महाविद्यालयों, संस्थाओं, स्वायत्त महाविद्यालयों और संस्थाओं सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह, सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों और निजी कौशल शिक्षा प्रबंधक द्वारा चलाये जाने वाले उन प्रमाणपत्र या डिप्लोमा या अग्रवर्ती डिप्लोमा या सहायक उपाधि कार्यक्रमों के लिए मान्यताप्राप्त अध्यापकों के रूप में जिन उद्योग या निजी वृत्तिक कौशल विभाग कंपनियों या निजी कौशल्य विकास संस्थाओं में कार्य करनेवाले विशेषज्ञ हैं उनकी मान्यता के मानकों की सिफारिश अकादमिक परिषद को करेगा ;

(प) संकाय में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(फ) उसके कार्यक्षेत्र के अधीन संकाय का अकादमिक विकास सुनिश्चित करने और उसके संकाय के संबंध में अध्ययन बोर्ड, संकाय, अकादमिक परिषद, प्रबंध परिषद और परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निर्णय के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ब) उत्तरों के साथ प्रश्नों के निर्माण के लिए जो निरंतर अद्यतन और उसमें विस्तार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा ;

(भ) अकादमिक परिषद द्वारा निदेशित किए जाने पर विश्वविद्यालय विभाग, सहबद्ध, संचालित या सामुदायिक या स्वायत्त, सशक्त स्वायत्त विश्वविद्यालय या संस्थाओं के समूह या मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा संकाय के किसी अकादमिक कार्यक्रमों में किए गए किसी अपराध में पूछताछ करेगा और अकादमिक परिषद को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(म) संकाय में छात्रों के शिकायतों के प्रतितोष के लिए आवश्यक सहायता करेगा ;

(य) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए तथा संकाय की अन्य विशिष्टताएँ अकादमिक परिषद को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा ;

(यक) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रधिकरणों या निकायों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा आयोग या परिषद और किसी ऐसे निकाय द्वारा यथा आवश्यक रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(यख) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या समय-समय पर कुलपति द्वारा उसे समुनदेशित किया जाए ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक।

१७. (१) निदेशक परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह सीधे कुलपति के निर्देशनों तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा । वह परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का अनुपालन करेगा और वह परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दिए गए नीतियों तथा निदेशों के अनुपालन से संबंधित होगा।

(२) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड निदेशक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हताएँ तथा अनुभव परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होंगा।

(३) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, इस अधिनियम के अधीन प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा।

परंतु, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति में शिक्षा देने में प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिसिद्ध क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी।

(४) निदेशक, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड की नियुक्ति, पाँच वर्षों कि पदावधि या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो के लिए होगी और जिस विश्वविद्यालय में वह सेवारत रहा है उसमें केवल पाँच वर्षों की एक अधिक अवधि के प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर चयन द्वारा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(५) निदेशक परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक,—

(क) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन के संचालन और उनके परीक्षाफल घोषित करने के लिए मुख्य प्रभारी-अधिकारी होगा ;

(ख) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का और पेपर-सेंटरों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए गठित समितियों के सिवाय बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए समितियों का सदस्य-सचिव होगा ;

(ग) परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन करने के लिए और समय पर उनके परिणामों की घोषणा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के परामर्श से परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के उचित तथा निर्बाध संचालन के लिए प्रक्रियाएँ प्रस्तुत और कार्यान्वित करेगा ;

(ड.) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का अनुमोदन लेने के पश्चात्, परीक्षाओं के कार्यक्रम पहले से ही तैयार और घोषित करेगा ;

(च) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए प्रबंध करेगा ;

(छ) कुप्रथाओं की स्थिति में, या परिस्थिति की ऐसी माँग हो तो, परीक्षाएँ भागतः या पूर्णतः स्थगित करना या रद्द करना तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करना या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या महाविद्यालय या संस्था के विरुद्ध जिसके संबंध में कुप्रथाएँ करने का आरोप है तो, कुलपति से परामर्श करके कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरू करेगा ;

(ज) जहाँ आवश्यक हो परीक्षार्थियों, पेपर सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों या परीक्षा तथा मूल्यांकन से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध और परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के संबंध में कुप्रथाओं का दोषी पाए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(झ) समय-समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा मूल्यांकन के परिणामों का पुनरीक्षण करेगा और उस मूल्यांकन पर परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड को रिपोर्ट भेजेगा ;

(त्र) उस विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए मूल्यांकन के अंतिम दिनांक से तीस दिनों के भीतर, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने और धारा ८९ में यथा उपबंधित पैंतालिस दिनों के भीतर, अंतिम परिणाम घोषित करने के मामले में और विलंब के मामले में कारणों की विस्तृत रुप रेखा रिपोर्ट तैयार करेगा ;

(ट) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिए गए सभी अकादमिक और प्रशासनिक निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए सभी कदम उठाएगा ;

(ठ) परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करेगा ;

(ड) स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर और अन्य अध्यापन कार्यक्रमों में रुचि आधारित आकलन प्रणाली के संदर्भ में सभी नीति और प्रवर्तनशील निर्णयों का कार्यान्वयन करेगा ;

(ढ) परीक्षाओं, परीक्षणों तथा मूल्यांकन के पेपर सेटींग और संचालन में अध्यापकों के लिए निर्धारण प्रक्रियाओं में नई प्रवृत्तियों से उन्हें परिचित कराने की दिशा में, जैसे कि, संज्ञानात्मक और संकलनात्मक निर्धारण, प्रश्नों को रखने की रचना एवं उपयोग, प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित ऐसे विषयों में कार्यशालाओं का आयोजन करेगा ;

(ण) परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया में सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी का अभिनव तथा कारगर उपयोग सुनिश्चित करेगा ;

(त) परीक्षाओं तथा परिणामों की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के उचित निर्धारण के लिए व्यवस्था करेगा ;

(थ) यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय निर्धारण प्रणाली के जरिए सभी स्नातक परीक्षाओं के लिए उत्तर-पुस्तिकाएँ निर्धारित की गई हैं ;

(द) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय में, प्रत्येक अध्यापक तथा अध्यापनेतर कर्मचारी, सहबद्ध या संचालित महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को आवश्यक सहायता करता है और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में कार्य करता है ;

(ध) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा उसे समुनदेशित सभी अन्य कर्तव्यों और कृत्यों को कार्यान्वित करेगा ;

(न) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समुनदेशित किसी अन्य कार्य का जिम्मा लेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्य पूरे किए गए हैं ;

(प) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति द्वारा समय-समय पर, उसे समुनदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

वित्त तथा लेखाधिकारी।

१८ (१) वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा तथा लेखा परीक्षा अधिकारी होगा । वह पूर्ण कलिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और कुलपति के प्रत्यक्ष के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में कार्य करेगा ।

(२) वित्त तथा लेखा अधिकारी, व्यक्ति, जो चार्टर्ड एकाऊंटेंट का व्यवसाय या लागत एकाऊंटेंट का व्यवसाय, व्यवसाय के पाँच वर्षों से अनून किसी अनुभव से व्यवसाय कर रहा है या कर रहा होगा, वह होगा।

(३) उप-धारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट अर्हताओं और अनुभव प्राप्त करनेवाले व्यक्ति, नियुक्त न हो सकने के मामले में, राज्य वित्त तथा लेखा सेवा के सरकारी अधिकारी, उप-निदेशक की श्रेणी से अनिम्न पद धारण करनेवालों में से नियुक्त किया जायेगा।

(४) वित्त तथा लेखा अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(५) वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति पाँच वर्ष या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो, होगी और वह उस विश्वविद्यालय में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(६) वित्त तथा लेखा अधिकारी,–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के वित्त संबंधी, कुलपति को सलाह देना ;

(ख) विश्वविद्यालय के अधिकतर उद्देश्यों के लिए निधियाँ, संपत्ति तथा विनिधानों जिसमें न्यास तथा विन्यासित संपत्ति सम्मिलित है, कुलपति के अनुमोदन से धारित करेगा तथा उसका प्रबंध करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि किसी वर्ष में विश्वविद्यालय की आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए निश्चित की गई सीमाओं से अधिक नहीं है तथा समस्त आबंटन जिन प्रयोजनों के लिए अनुदत्त या आबंटित किया गया है उन्ही प्रयोजनों के लिए व्ययित होता है ;

(घ) नकद या बैंक बकायों तथा विनिधानों की स्थिति पर नजर रखना ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रक्रिया तथा प्रगति पर निगरानी द्वारा, प्रभावी राजस्व प्रबंधन को सुनिश्चित करना और इस संबंध में नियोजित की जानेवाली पद्धतियों पर कुलपति को सलाह देना ;

(च) महाराष्ट्र विश्वविद्यालय लेखा संहिता के अनुसार खंड (क) से (ङ) के अधीन के कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(छ) विश्वविद्यालय के लेखों की नियमित रुप से संपरीक्षा करवाना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, उपस्करों तथा मशीनरी और अन्य अस्तियों के रजिस्टर अद्यतन बनाये रखे जाते है तथा विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों, संचालित महाविद्यालयों, कार्यशालाओं तथा भण्डारों में के इन अस्तियों तथा अन्य उपभोज्य सामग्री का भौतिक सत्यापन और मेल मिलाप नियमित रुप से संचालित किया जाता है ;

(झ) कुलपति को यह प्रस्ताव करना कि किसी विश्वविद्यालय अध्यापक या दीर्घावकाशेतर अकादमिक कर्मचारीवृन्द या विश्वविद्यालयीन सहायक रजिस्ट्रार या उससे समतुल्य या उससे उपर की श्रेणी के किसी अधिकारी से अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तिय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगना ;

(ञ) रजिस्ट्रार को प्रस्तावित करना कि विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारीवृंद, अध्यापकों से अन्य, दीर्घावकोशेतर अकादमिक कर्मचारी और विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी जो सहायक रजिस्ट्रार या उससे समतुल्य या उससे उपर की श्रेणी का है, उनसे किसी विशेष मामले में अप्राधिकृत व्यय या अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगना तथा चूक करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, संचालित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का विभाग या विश्वविद्यालय संस्था से कोई जानकारी और विवरणियाँ माँगना जिसे कि वह अपने वित्तिय दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है ;

(ठ) वित्त तथा लेखा समिति के बैठकों का ब्यौरा बनाए रखना ;

(ड) वित्त और लेखा समिति और प्रबंधन परिषद को वार्षिक वित्तिय प्राक्कलन (बजट), लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रोद्भवन के आधार पर, द्वितीय प्रविष्टि लेखा प्रणाली के द्वारा लेखाओं की तैयारी और बनाए रखने के लिये जिम्मेवार होना ;

(ढ) विश्वविद्यालय के विविध प्राधिकरणों या निकायों द्वारा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्रीय शिक्षा आयोग या परिषद, आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और ऐसे कोई निकाय जो विश्वविद्यालय को निधि मुहैया करते है इनकी यथा आवश्यकता पर वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना ;

(ण) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित कुलपति द्वारा समय समय से उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

विश्वविद्यालय उप-केंद्र के निदेशक।

१९. (१) उप-केन्द्र का निदेशक, पूर्ण कालिक अधिकारी होगा जो कुलपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(२) उप-केंद्र के निदेशक, ऐसा व्यक्ति होगा जो जिसे किसी विश्वविद्यालय या अध्यापन, अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में जुडी विख्यात संस्था में प्राध्यापक या प्राचार्य या समतुल्य स्थिति में अर्हताएँ और अनुभव की पात्रता होगी और न्युनतम कुल पंद्रह वर्षो के अध्यापन या अनुसंधान या प्रशासनिक अनुभव धारण करता है।

(३) उप-केन्द्र के निदेशक की नियुक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिये गठित चयन समिति के सिफारिश पर कुलपति द्वारा की जायेगी।

(४) उप-केन्द्र के निदेशक की नियुक्ति, पाँच वर्षों या अधिवर्षिता की आयु होने तक जो भी पहले हो की पदावधि के लिए होगी और वह इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति के सिफारिश पर चयन द्वारा पाँच वर्षों के केवल एक अधिक पदावधि के लिए विश्वविद्यालय में जहाँ वह तामिल है, वहाँ पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(५) उप-केन्द्र का निदेशक,—

(क) उप-केन्द्र का मुख्य अकादमिक और प्रशासनिक अधिकारी होगा ;

(ख) जिला में महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अकादमिक कार्यक्रमों का प्रशासनिक निरीक्षण करना तथा मॉनीटर करेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय के उप-केन्द्र के सामान्य प्रशासन निरीक्षण करेगा तथा मॉनीटर करेगा और उप-केन्द्र पर विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों या संस्थाओं के प्रभावी और समुचित आदेश का सुनिश्चय करेगा ;

(घ) जिले में विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के साथ ही साथ विश्वविद्यालय के उप-केन्द्र पर विश्वविद्यालय के विभागों, विद्यालयों या संस्थाओं के बीच शृंखला के रुप में कार्य करेगा ;

(ड.) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अध्यापन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यथा आवश्यक है, ऐसी समुचित कार्यवाही का सुनिश्चय करना और विश्वविद्यालय प्राधिकरण उसके अभिलेखों को बनाये रखना, उसमें छात्रों द्वारा अध्यापकों के अंकन का निष्पादन किया जा रहा है इसका आरंभ किया जायेगा और रिपोर्ट को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को भेज दिया जाएगा ;

(च) जिले में और उप-केन्द्र पर मूल्यांकन, अकादमिक प्रशिक्षण कार्यशालाएँ या सेमिनार, गुणवत्ता मापन और अन्य अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तिय और संबंधित क्रियाकलापों का समन्वयन करेगा ;

(छ) जिले में या संबध्द महाविद्यालयों, और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में जुडी अंतर-संस्थागत और अंत:संस्थागत सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना की सुनिश्चिति करेगा ;

(ज) यह सुनिश्चित करेगा कि, उप-केंद्र पर के महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय विभागों, विद्यालयों, संस्थाओं के निर्णय और उनके कृत्य अधिनियमों, परिनियमों और विनियमों से असंगत न हो ;

(झ) जिले में और उप-केद्रों पर अध्यापन और सहायक कर्मचारीवृंद के लाभ के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय उप-केन्द्र समिति के सिफारिश द्वारा और विश्वविद्यालय की वित्त और लेखा समिति के द्वारा मंजूर बजेट उपबंधों के भीतर है, केन्द्र के अनुशासन और व्यय बनाये रखेगा ;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि, उप-केन्द्र से संबंधित वार्षिक संपरीक्षित लेखा तैयार करना और प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर उसे विश्वविद्यालय भेजेगा ;

(ठ) विश्वाविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित किए जा सकने वाला कोई अन्य कार्य हाथ में लेने का सुनिश्चय करेगा कि, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा किए जा सके ;

(ड) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा प्रति-कुलपति द्वारा समय समय से उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

नवपरिवर्तन उद्‌भवन और अनुबंध का निदेशक।

२०. (१) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबंध का निदेशक पूर्णकालिक वेतनभोगी होगा, जो नवपरिवर्तन की संकल्पना का प्रचार करने के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण और संवर्धन के लिए, उद्‌भवन की प्रक्रिया के जरिए कार्य करने के प्रतिमानों में नवपरिवर्तनकारी विचारों को परिवर्तित करने के लिए जो उद्यम के सृजन और प्रमुख राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के अनुबंध के संवर्धन, स्थापन, पोषण और बल देने के लिए अंतिमतः मार्गदर्शन करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह सीधे कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(२) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन तथा अनुबंध के निदेशक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हताएँ और अनुभव ऐसे होंगे जैसा कि **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए।

(३) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन तथा अनुबंध के निदेशक की नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा की जाएगी।

(४) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन तथा अनुबंध के निदेशक की नियुक्ति पाँच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु के लिए, जो भी पूर्व का हो, की जाएगी और वह इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर चयन द्वारा पाँच वर्ष की केवल एक अधिक पदावधि के लिए विश्वविद्यालय में जहाँ वह सेवा करता वहाँ पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(५) अभिनव, उद्‌भवन और अनुबंध का निदेशक,–

(क) मुख्य अधिकारी होगा जो अपनी गतीशीलता और उत्साह के साथ परिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम केंद्र को अपना नेतृत्व और दूरदर्शिता मुहैया करेगा ;

(ख) बौद्धिक संपदा अधिकारों और उसके साथ सहयुक्त पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करने के लिए जानकारी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व करना ;

(ग) उद्यमकर्ता के महत्त्व पर जानकारी सृजित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(घ) आरोह्य पद्धति के अच्छी कल्पनाओं का उद्‌भवन और संवर्धन के लिए आधार प्रणाली आयोजित करना और सृजित करना, वह छोटे, मध्यम और बडे उद्योग की स्थापना में अंततः चरम बिंदू पर होगी ;

(ङ) छात्रों में उद्यमता कौशल्य का सृजन और विकास करने में अंतर्ग्रस्त राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय निकायों और अभिकरणों के साथ संपर्क सृजन के जरिए काम करना ;

(च) ज्ञान के आधार और अन्य प्रकार के उद्योगों के साथ अनुबन्ध स्थापित करके विद्यालयों को आगे बढने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाना ;

(छ) परिचालन पहलुओं, विधि पहलूओं, बौद्धिक संपदा अधिकारो, पेंटेंट संबंधित विषय, उद्योग मॉडल सृजन और वित्तिय पहलूओं में युवा उद्यमकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ज) राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रमुखों के साथ आंतराष्ट्रीय अनुबंन्धों को बढावा देने के लिए राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अनुबन्ध बोर्ड और विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा यथा परिकल्पित नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन करेगा ;

(झ) विश्वविद्यालय के विभागों, संस्थाओं, संचलित महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं से अध्यापकों और छात्रों की राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थाओं की भेंट कराने के लिए आवेदन की प्रक्रिया करना और उन्हे ऐसी भेंट के लिए संभार तंत्र आधार पर सहायता देना;

(ञ) विदेशी छात्रों के सहायक कक्ष जिसमें विदेशी छात्रों को एकल खिडकी परिचालन की सुविधा दे दी है, उसके प्रशासन का निरीक्षण और मॉनीटर करना ;

(ट) भारत के अन्य भागों मे उनकी भेट देने के लिए विदेशी छात्रों प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया करना;

(ठ) देश के अन्य भागों से आनेवाले छात्रों के लिए एकल खिडकी परिचालन को उपबंधित करने के लिए स्थापित प्रवासी भारतीय छात्र कक्ष के कार्यो का पर्यवेक्षण करना ;

(ड) विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड तथा नवपरिवर्तन उदभवन और अनुबंध बोर्ड के उद्देश्यों को निष्पादित करने हेतु उसे समनुदेशित किया जा सकेगा ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

(ढ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित कुलपति या प्रति कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक।

२१. (१) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय में ज्ञान स्त्रोत केंद्र का प्रभारी होगा । वह प्रत्यक्षतः कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा ।

(२) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक की सेवा के लिए अर्हताएँ और अनुभव, पारिश्रमिक और शर्ते तथा निबंधन, पुस्तकालयाध्यक्ष के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा सिफारिश की गई होगी तथा राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत की जायेगी।

(३) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक की नियुक्ति, कुलपति द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की सिफारिश पर होगी ।

(४) ज्ञान स्रोत केंद्र निदेशक,–

(क) वह ज्ञान स्रोत्र केंद्र समिति का सदस्य-सचिव होगा और ज्ञान स्रोत केंद्र समिति द्वारा लिये गए निर्णयों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा ;

(ख) वह सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं, हस्तलिखितों, हस्तलिपिओं, मुद्रित में पत्रिका, श्राव्य पुस्तक और डिजिटल प्ररुप का और ज्ञान स्रोत केंद्र में उपकरणों का अभिरक्षक होगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुस्तके, नियत कालिक, पत्रिका, हस्तलिपियों, जर्नल, और ज्ञान स्रोत केंद्र में उपकरणों की हानियाँ नुकसान न हो और ज्ञान स्रोत केंद्र में अनियमितता न होने की ऐसी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली विकसित करना और कार्यान्वित करना ;

(घ) नियतकालिक पत्रिकाओं के स्टाक का सत्यापन करना, समुचित रिपोर्ट तैयार करना कि जिसमें हानियों का भी समावेश हो, और उसे ज्ञान स्रोत केंद्र समिति के समक्ष रखना ;

(ङ) विश्वविद्यालय ज्ञान स्रोत केंद्र का विकास, आधुनिकिकरण, अनुरक्षण करने और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेवार रहना ;

(च) विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों पर ज्ञान स्रोत केंद्र के संबंधित अधिकारी को सहायता और मार्गदर्शन कर देना ;

(छ) संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पुस्तकालयाध्यक्षों की वार्षिक बैठक के आयोजन द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के पुस्तकालय और पुस्तकालयाध्यक्षों को सहायता करना और सलाह देना ;

(ज) संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के पुस्तकालयाध्यक्षों के कौशल और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करना ;

(झ) सूचना साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए स्रोंतों की उपलब्धियाँ, सूचना, तलाशी तकनीकें और डेटाबेस से संबंधित विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों के बीच में जानकारी सृजित करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित कोई अन्य कार्य हाथ में लेने का सुनिश्चय करना कि वह ज्ञान स्रोत केंद्र के द्वारा या के अधीन उद्देश्यों को पूरा करें ;

(ट) जैसा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा प्रति कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

आजीवन अध्ययन और विस्तार निदेशक।

२२. (१) आजीवन अध्ययन और विस्तार निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा और आजीवन अध्ययन और विस्तार के बोर्ड के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार होगा । वह सीधे कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में काम करेगा ।

(२) आजीवन अध्ययन और विस्तार निदेशक की सेवा की अर्हता, अनुभव, परिश्रमिक और सेवा की शर्ते तथा निबंधन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा सिफारिश किये जायेंगे ऐसे होंगे ।

(३) आजीवन अध्ययन और विस्तार निदेशक की नियुक्ति, इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु गठित समिति की सिफारिश पर कुलपति द्वारा होगी ।

(४) नियुक्ति पाँच वर्ष या अधिवर्षिता की आयु होने तक, जो भी पहले हो होगी और वह जिस विश्वविद्यालय में सेवारत है उप-धारा (३) में तथा उपबंधित रित्या में वहाँ पर पाँच वर्षों की केवल एक पदावधि की पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(५) आजीवन अध्ययन और विस्तार बोर्ड का निदेशक, आजीवन अध्ययन और विस्तार के विभाग प्रमुख के रुप में कार्य करने के लिए **पदेन** निदेशक होगा ।

(६) आजीवन अध्ययन और विस्तार बोर्ड का निदेशक,–

(क) आजीवन अध्ययन और विस्तार बोर्ड की नीतियों और सुझावों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ख) प्रौढों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए और गहन शिक्षा के लिए आजीवन विद्या, मूल्य शिक्षा, जीवन कौशल विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बढावा देना ;

(ग) वयोवृद्ध मरीजों या मरणांतक बीमार मरीजों को संभालने के लिए स्त्री परिचारिका और पुरुष परिचारकों को प्रशिक्षण देने के लिए निम्नस्तर कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(घ) अध्यापन कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसमें स्नातक छात्रों के लिए मूल्य शिक्षा और गहन शिक्षा में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए मूल्य शिक्षा और गहन शिक्षा में उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रमों का समावेश करना ;

(ड.) प्रौढों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल मूल्य शिक्षा और जीवन कौशल के क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्यापन कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(च) अधिक आयु का सामना करने के लिए जीवन कौशल पर प्रौढों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समकक्ष जानकारी क्रियाकलापों का आयोजन, और समन्वयन करना, वयस्क व्यक्तियों के लिए सामाजिक संस्थाओ और सरकारी योजनाओं की सूचना देना और वयस्कों के लिए घर पर विवरण देना ;

(छ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि आजीवन अध्ययन तथा विस्तार बोर्ड के उद्देश्यों में उसे क्रियान्वित किया जा सकें ;

(ज) जैसा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा प्रति-कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

छात्र विकास निदेशक तथा राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशक।

२३. क (१) छात्र विकास निदेशक, कुलपति द्वारा, कुल मिलाकर दस वर्षों का अध्यापन अनुभव होनेवाला तथा पाठ्यक्रमेतर तथा विस्तार गतिविधियों के क्षेत्र में इष्ट प्रदर्शन करनेवाले अध्यापकों में से नामनिर्देशित किया जायेगा। वह प्रत्यक्षतः कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में काम करेगा ।

(२) परिश्रमिक कालावधि तथा सेवा की शर्तें तथा निबंधन परिनियमों द्वारा यथाविहित होंगी।

(३) छात्र विकास निदेशक,–

(क) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के विभागों में छात्रों के संस्कृति उन्नयन, आमोद-प्रमोद और कल्याण के लिए क्रियाकलापों के जरिए कार्य करना ;

(ख) छात्रों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ;

(ग) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में युवा छात्रों के लिए वहाँ परामर्शदाता और समुपदेशन कक्ष होने की सुनिश्चिति करना ;

(घ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं में ॲन्टी रॅगिंग समिति और दस्तों का आयोजन करना और रॅगिंग का निवारण करने के सभी आवश्यक उपाय किए गए है इसकी सुनिश्चिति करना ;

(ड.) छात्रों की शिकायतों और सामान्य कल्याण की तरफ ध्यान देना ;

(च) छात्रों का सर्वगुणसंपन्न व्यक्तिमत्व बनाने के लिए मदद करना और भावी नेतागण और आत्मविश्वासी प्रौढ बनने के लिए उन्हें शिक्षा देना ;

(छ) प्रादेशिक और राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ संयुक्त रुप से सांस्कृतिक और आमोद-प्रमोद क्रियाकलापों का आयोजन करना ;

(ज) ललित करतब दिखानेवाली कलाएँ, विशुद्ध कलाएँ और साहित्यिक कौशलों का अधिमूल्यांकन करने के लिए नवयुवकों की दिलचस्पी बढाना और उनके कौशल विकास करना ;

(झ) छात्रों के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय राज्य, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ, कौशल्य विकास कार्यशालाएँ और पारस्परिक क्रिया कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(ञ) राज्य, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं के लिए, विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलपों में छात्रों को प्रशिक्षित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय छात्र परिषद के निर्वाचनों का संचालन करना ;

(ठ) सिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये छात्र विकास बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करना ;

(ड) छात्र विकास बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित कर सके ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

(ढ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा प्रतिकुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना।

(ख) (१) राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशक, न्यूनतम कुल मिलाकर दस वर्षो का अध्यापन अनुभव, **एनएसएस** कार्यक्रम अधिकारी के रुप में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखनेवाले और राष्ट्रीय सेवा योजना गतिविधियों के क्षेत्र मे प्रदर्शन के इच्छुक शिक्षकों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा।

(२) सेवा के पारिश्रमिक अवधि तथा निबंधनों और शर्ते परिनियमों द्वारा यथा विहित होंगी।

(३) राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशक,—

(एक) महाविद्यालयों, संस्थाओ तथा विश्वविद्यालय विभागों में राष्ट्रीय सेवा योजना के अधीन विभिन्न गतिविधियों के समर्थन, समन्वयन और संचालन के लिये कार्य करेगा ;

(दो) विश्वविद्यालय, राज्य राष्ट्रीय तथा आंतराष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाएँ, परिसंवाद, शिबिर, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवको के लिये प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगा ;

(तीन) छात्रों को राज्य, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये प्रशिक्षण देगा ;

(चार) राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक तथा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा उसे समनुदेशित किये गये किन्हीं अन्य कार्य हाथ में लेगा ;

(पाँच) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन यथा विहित या कुलपति तथा उप-कुलपति द्वारा समय-समय से समनुदेशित की गई ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।"

क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक।

२४. (१) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में क्रीडा संस्कृति से संबंधित क्रियाकलापों को बढावा देने के लिए तथा क्रीडा पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(२) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक के चयन के लिए अर्हता और अनुभव ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(३) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति इस अधिनियम के अधीन प्रयोजन के लिये गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कुलपति द्वारा, की जायेगी।

(४) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति, पाँच वर्ष की पदावधि या अधिवर्षिता की आयु के लिए होगी और वह इस प्रयोजन के लिये गठित समिति के सिफारिश पर पाँच वर्ष के केवल एक अधिक पदावधि के लिए विश्वविद्यालय में जहाँ वह सेवारत है वहाँ पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(५) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक,–

(क) क्रीडा के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में उत्कर्ष बढाना और लाभप्रद प्रतियोगिताओं में भी जोश बढाना;

(ख) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में क्रीडा के क्षेत्र में संस्कृति को बढावा देना और क्रीडा क्षेत्र के क्रियाकलापों का आयोजन करना ;

(ग) प्रादेशिक और राष्ट्रीय निकायों के साथ संयुक्त रूप से विभिन्न क्रीडाओं से संबंधित क्रियाकलापों का आयोजन करना ;

(घ) विश्वविद्यालय परिसर पर विभिन्न क्रीडाओं में विश्वविद्यालय स्तर प्रतियोगिताएँ, क्रीडा कौशल विकास कॅम्प का आयोजन करना ;

(ड.) छात्रों को विभिन्न क्रीडाओं में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षित करना ;

(च) सीनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड की रिपोर्ट तैयार करना ;

(छ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा उसे समनुदेशित कर सके ऐसा कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि वह क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड के उददेश्यों को कार्यान्वित कर सके ;

(ज) जिसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा या कुलपति तथा प्रति-कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा ।

प्राधिकारणों, निकायों के अधिकारी, सदस्य और विश्वविद्यालय के कर्मचारी लोकसेवक होंगे।

२५. विश्वविद्यालय के सभी वैतनिक अधिकारी, प्राधिकरणों के सदस्यों, समितियों, या निकायों, और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थांतर्गत लोकसेवक समझे जाएगें।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२६. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(१) सीनेट ;

(२) प्रबंधमंडल परिषद ;

(३) अकादमिक परिषद ;

(४) संकाय ;

(५) संकायाध्यक्षों का बोर्ड ;

(६) विश्वविद्यालय के उप-केन्द्रों के बोर्ड ;

(७) अध्ययन बोर्ड ;

(८) विश्वविद्यालय विभागों और आंतर विषयक अध्ययनों का बोर्ड ;

(९) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा का बोर्ड ;

(१०) आजीवन अध्ययन और विस्तार बोर्ड ;

(११) परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड ;

(१२) सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ;

(१३) राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अनुबन्ध बोर्ड ;

(१४) अभिनव, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड ;

(१५) छात्र विकास बोर्ड ;

(१६) क्रीडा तथा शारिरीक शिक्षा बोर्ड ;

(१७) अनुसंधान बोर्ड ;

(१८) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जो, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों को परिनियमों द्वारा पदाभिहित है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने के लिए पात्रता शर्ते विनिर्दिष्ट करने की राज्य सरकार की शक्ति।

२७. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति के साथ परामर्श पर, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के यथा निर्वाचित नामित या सहयोजित सदस्य होने के लिए पात्रता शर्ते विनिर्दिष्ट करेगी।

सीनेट।

२८. (१) सीनेट, विश्वविद्यालय के वर्तमान और भविष्य के अकादमिक कार्यक्रमों पर सभी वित्तीय प्राक्कलन और बजट विषयक विनियोग के लिए और सामाजिक पुनर्निवेश मुहैया करने के लिए, प्रमुख प्राधिकरण होगा।

(२) सीनेट, निम्न सदस्यों से गठित होगी, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति - अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति-कुलपति ;

(घ) संकायाध्यक्ष ;

(ङ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक ;

(च) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(छ) विश्वविद्यालय के उप-केन्द्रों के निदेशक ;

(ज) अभिनव, उद्‌भवन तथा अनुबंध निदेशक ;

(झ) उच्चतर शिक्षा के निदेशक या उसके संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी के उसके नामनिर्देशिती ;

(ञ) तकनीकी शिक्षा के निदेशक या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी के उसके नामनिर्देशिती ;

(ट) विश्वविद्यालय के ज्ञान स्त्रोत केंद्र निदेशक ;

(ठ) छात्र विकास बोर्ड निदेशक ;

(ड) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशक ;

(ढ) आजीवन अध्ययन और विस्तार बोर्ड निदेशक ;

(ण) संबद्ध, संचालित, स्वायत्त महाविद्यालय, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद, (एनएएसी) या, यथास्थिति, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित हो, उनमें से प्राचार्यों के अधिशासी मंडल द्वारा निर्वाचित हो रहे, दस प्राचार्य और कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों या विशेष पिछडे प्रवर्गो में से हो और एक महिला हों ;

(त) छह प्रबंधमंडल प्रतिनिधि संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थाओं के प्रबंध मंडल प्रतिनिधियों के गुटों में से निर्वाचित होनेवाले जिनमें से एक, चक्रानुक्रम द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग से होगा तथा एक महिला होगी :

परंतु ऐसे प्रबंध मंडल का निर्वाचित होनेवाला प्रतिनिधि, ऐसे महाविद्यालय के प्रबंध मंडल का प्रतिनिधि होगा, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद या, यथास्थिति, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित होगा।

परंतु आगे यह कि, जहाँ प्रबंध मंडल एक या अनेक महाविद्यालय या संस्था संचालित करते है, ऐसे प्रबंध मंडल का केवल एक प्रतिनिधि, प्रबंधमंडल के अधिशासी मंडल में समावेशित होने के लिये, पात्र नहीं होगा;

(थ) विश्वविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष और सचिव ;

(द) अध्यापकों के अधिशासी मंडल द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले दस अध्यापक उनमें से प्रत्येक एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे प्रवर्ग से संबंधित एक व्यक्ति होगा और एक महिला होगी ;

(ध) अध्यापकों के अधिशासी मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले तीन अध्यापक, उनमें से प्रत्येक एक चक्रानुक्रम द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा और एक महिला होगी ;

(न) नामनिर्देशन के दिनांक के कम से कम पाँच वर्षों पूर्व स्नातक उपाधि वाले दस रजिस्ट्रीकृत स्नातक, रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के अधिशासी मंडल में से निर्वाचित किए जाने वाले जिनमें से प्रत्येक एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित व्यक्ति होगा और एक महिला होगी :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत स्नातक शिक्षकों के प्रवर्ग (उनके अध्यापन के अनुभव के बिना नियमित या निविदा के आधार पर), इस उप-धारा में उल्लिखित प्राचार्य, विभागों के प्रमुख, प्रबंधन मंडल या किसी अन्य प्रवर्गों के प्रवर्ग द्वारा आनेवाले या अंतर्गत लाए गए स्नातक सम्मिलित नही होंगे ;

(प) कुलाधिपति द्वारा नामित दस व्यक्तिंयों में से चार, कृषि, समाजकार्य, सहकारिता आन्दोलन विधि, वित्तिय, बैंकिंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र से होंगे और शेष छह व्यक्तिंयों से एक उद्योग से एक शिक्षाविद्, एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति प्रदर्शन तथा ललित कला या साहित्य या क्रीडा से, एक पर्यावरण या प्रकृति का संरक्षण में अंतर्ग्रस्त संगठन से तथा एक महिला विकास या वरिष्ठ नागरिक कल्याण संसूचना या प्रसारमाध्यम में अंतर्ग्रस्त संगठन से हो ;

(फ) कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्ति, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी होगा और एक संबध्द महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थांओं के अध्यापनेतर कर्मचारियों में से होगा ;

(ब) ढाई वर्ष की पदावधि के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित विधानसभा के दो सदस्य;

(भ) ढाई वर्ष की पदावधि लिए विधान परिषद के सभापति द्वारा नामित विधान परिषद का एक सदस्य ;

(म) एक वर्ष की पदावधि के लिए चक्रानुक्रम से, कुलपति द्वारा नामित किया जाने वाला नगरपालिका या नगर निगम का एक सदस्य ;

(य) एक वर्ष की पदावधि के लिए, चक्रानुक्रम से, शिक्षा समिति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर **की जिला परिषदों** की शिक्षा समितियों का एक प्रतिनिधि ;

(यक) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव।

(३) कुलाधिपति, सामान्यः सीनेट की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में कुलपति, अध्यक्षता करेगा ।

(४) सीनेट की बैठक वर्ष में दो बार, कुलाधिपति द्वारा नियत किए गए दिनांक पर होगी। एक बैठक वार्षिक बैठक होगी।

सीनेट के कृत्य तथा कर्तव्य ।

२९. सीनेट, उसकी बैठक में निम्नलिखित कार्य पूरा करेगी , अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय प्राधिकरण को सुधारों पर यह सुझाव देगी कि विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्र और अधिकारक्षेत्र अर्थात् अकादमियाँ, अनुसंधान और विकास, प्रशासन और अभिशासन यह विश्वविद्यालय का एक समाकलित हिस्सा बनायें ;

(ख) चालू अकादमिक कार्यक्रमों तथा सहयोगी कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना ;

(ग) उच्चतर शिक्षा में सामाजिक आवश्यकताओं के साथ सुसंगत नए अकादमिक कार्यक्रमों का सुझाव देना ;

(घ) विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपायों को सुझावित करना ;

(ङ) प्रबंध मंडल परिषद की सिफारिशों पर सम्मानार्थ उपाधियाँ या अन्य अकादमिक उपाधियाँ प्रदान करना ;

(च) विश्वविद्यालय के विस्तृत नीतियों का तथा कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना और उसमें सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(छ) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट), वार्षिक रिपोर्ट, लेखा रिपोर्ट और लेखा परीक्षक द्वारा उसके सत्यापन के साथ उनके संतोषप्रद अनुपालन और विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासनिक या अन्यथा ली गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और अनुमोदन देना ;

(ज) अकादमिक परिषद द्वारा जैसा कि सिफारिश किए गए उच्चतर अध्यापन के महाविद्यालयों और संस्थाओं के अवस्थान के लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना वार्षिक योजना को अनुमोदन देना ;

(झ) विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली छात्र शिकायत-निवारण रिपोर्ट की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करना और अंगीकार करना ;

(ञ) संबंधित निदेशकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले छात्र विकास बोर्ड और क्रीडा बोर्ड की रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करना और अंगीकार करना ;

(ट) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों को और विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण, क्रीडा, सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिकार क्षेत्रों को सुधारों पर सुझाव देना जो कि क्षेत्र में किए जा सकेंगे ।

(ठ) परिनियमों को बनाना संशोधन करना या निरसन करना।

प्रबंध मंडल परिषद ।

३०. (१) प्रबंध मंडल परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी और नीति-निर्माता प्राधिकरण होगी तथा विश्वविद्यालय के कार्य का संचालन और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेवार होगी जो किसी अन्य प्राधिकरण को विशेष रूप से समनुदेशित नहीं किए गए हैं।

(२) प्रबंध मंडल परिषद की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी।

(३) बैठक में गणपूर्ति समेत, बैठक में अपनायी जानेवाली कामकाज के संचालन की प्रक्रिया और ऐसी बैठकों से संबंधित जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे अन्य मामलें जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे होंगे।

(४) प्रबंध मंडल परिषद, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) प्रति-कुलपति ;

(ग) शिक्षा, उद्योग, कृषि, वाणिज्य, बैंकिग, वित्त, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाने वाले अन्य सहबध्द क्षेत्रों से एक श्रेष्ठ व्यक्ति ;

(घ) ढाई वर्ष की पदावधि के लिए कुलपति द्वारा नामित किए जाने वालो दो संकायाध्यक्ष ;

"(ङ) चक्रानुक्रम क्रम द्वारा, एक वर्ष की अवधि के लिये विश्वविद्यालय विभागों या विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रमुख या निदेशकों में से, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रमुख या निदेशक :

परंतु, विभागों या विश्वविद्यालय संस्थाओं में से प्रमुख या निदेशकों के चक्रानुक्रम में, पहले से ही विभागों या विश्वविद्यालय संस्थाओं, जिन्हे प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया है, उन्हें ध्यान में नहीं लिया जायेगा।" ;

(च) प्राचार्यों, जो सीनेट के सदस्य हैं, उनमें से सीनेट द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले दो प्राचार्य, प्राचार्यों, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति)/ खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों में से, चक्रानुक्रम द्वारा, निर्वाचित होंगे, उनमें से दो प्राचार्य ;

(छ) अध्यापकों ओर विश्वविद्यालय के अध्यापकों जो सीनेट के सदस्य हैं उनमें से सीनेट द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले दो अध्यापक जो प्राचार्य नहीं हैं, उनमें से एक अध्यापक, अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अध्यापकों से चक्रानुक्रम द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति)/ खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों से निर्वाचित हुआ है ;

(ज) प्रबंध मंडल के प्रतिनिधियों में से सीनेट द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला प्रबंध मंडल के प्रतिनिधियों के दो सदस्य जो सीनेट के सदस्य हैं और आगे यह उपबंधित है कि उसी प्रबंध मंडल को लगातर दूसरा संस्थात्मक प्रतिनिधित्व नहीं होगा ;

परंतु, इस खण्ड के अधीन, दो प्रतिनिधियों में से एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या अन्य पिछडे वर्गो में से चक्रानुक्रम द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ;

(झ) सीनेट के निर्वाचित रजिस्ट्रीकृत स्नातक सदस्यों में से सीनेट द्वारा निर्वाचित दो रजिस्ट्रीकृत स्नातक उनमें से एक, रजिस्ट्रीकृत स्नातक में से जो अनुसचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति)/खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवर्गों में से, चक्रानुक्रम द्वारा, निर्वाचित होगा ;

(ञ) अकादमिक परिषद द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित दो सदस्य उनमें से एक निर्वाचित शिक्षकों में से जो परिषद के सदस्य है होगा और अन्य एक महिला होगी ;

(ट) कुलधिपति के परामर्श से, कुलपति द्वारा नामित किये जानेवाले संस्था या राष्ट्रीय ख्याति के संगठन से एक प्रख्यात विशेषज्ञ ;

(ठ) उच्चतर शिक्षा सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो उच्चतर शिक्षा उप-सचिव या संयुक्त निदेशक की नीचे की श्रेणी का नहीं है ;

(ड) उच्चतर शिक्षा निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो उच्चतर शिक्षा के संयुक्त निदेशक की नीचे की श्रेणी का नहीं है ;

(ढ) तकनीकी शिक्षा निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक की नीचे की श्रेणी का नहीं है ;

(ण) रजिस्ट्रार-सदस्य-सचिव।

(५) वित्त तथा लेखा अधिकारी और परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, प्रबंध परिषद के आमंत्रिती होंगे, परंतु, उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(६) विश्वविद्यालय छात्र परिषद का अध्यक्ष, जो जब और जहाँ आमंत्रित किया जायेगा, बैठक में भाग लेगा :

परंतु, ऐसे अध्यक्ष को, छात्र विकास, कल्याण और शिकायतों के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए कमसे कम प्रत्येक तीन महीने में आमंत्रित किया जायेगा ।

प्रबंध मंडल परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

३१. प्रबंध मंडल परिषद की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) अकादमिक, अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ, वित्त, प्रबंध मंडल और अभिशासन में सुधारों को जो राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर स्थान ले रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय में फैलाने के लिए अनुमति देने के विचार से अल्प तथा लम्बी अवधि पर पुनरीक्षण तथा विचार-विमर्श करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के सभी अधिकार क्षेत्र में आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकेगी कि सुधार के लिए क्रियात्मक यंत्रणा पर अध्ययन करना तथा उसका विनिश्चय करना ;

(ग) ऐसे उपबंध करेगी कि महाविद्यालयों और संस्थाओं को विशिष्ट अध्ययन तथा पाठ्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए समर्थ बना सके और जहाँ आवश्यक होगा या जहाँ वांछनीय है वहाँ अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए सामान्य प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा उपस्करों की स्थापना करेगी तथा उपबंध करेगी ;

(घ) अकादमिक परिषद की सिफारिश पर विभागों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, केंद्रों, उच्चतर अध्ययन, अनुसंधान और विशिष्ट अध्ययन संस्थाओं की स्थापना करना ;

(ङ) अनुमोदन के लिए परिनियम या संशोधन या परिनियमों को परिशोधन की सिफारिश सिनेट को करना ;

(च) परिनियमों, ऑर्डिनेंसों और विनियमों को बनाना, संशोधन करना या निरसित करना ;

(छ) विश्वविद्यालयों की आस्तियों तथा संपत्तियों के प्रशासन के लिए नियंत्रण तथा व्यवस्था करना ;

(ज) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन या बजट जिसे वह निधि कहते हैं जो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय विधियाँ और पृथक रूप से अन्य निधि अभिकरणों से प्राप्त की जा सकेगी, वित्त लेखा अधिकारी से यथा प्राप्त की गई यदि कोई हो, विचार-विमर्श करना तथा उपांतरण के साथ, अनुमोदन देना ;

(झ) विश्वविद्यालय की ओर से प्रविष्ट ठेका प्रस्तावों पर विचार करना, संशोधन करना, कार्यान्वित करना और ठेका रद्द करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा के प्ररुप का अवधारण करना तथा उसके उपयोग का उपबंध करना ;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी न्यास, वसीयत, दान का अंतरण स्वीकार करना तथा विश्वविद्यालय के किसी स्थावर, जंगम और बौद्धिक संपत्ति का अंतरण स्वीकार करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय की ओर से दिए गये अधिकार से किसी जंगम या बौद्धिक संपत्ति का विक्रय या अन्यथा द्वारा अंतरण करना ;

(ड) राज्य सरकार की पूर्वअनुमति से, किसी स्थावर संपत्ति का अन्य संघटन को विक्रय, पट्टे पर या ठेके पर अंतरित करना ;

परंतु यह कि, कोई स्थावर संपत्ति, विशिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक सुविधाएँ जैसे कि बैंक, उपाहार गृह, डाक घर, मोबाईल टॉवर्स आदि के प्रयोजनार्थ उपबंध करने के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, उपयोग किये जाने लिए अनुज्ञाप्राप्त की जा सकेगी ;

(ढ) उनके केन्द्र और उप-केन्द्रों के लिए आरक्षित निधि में से भूमि, इमारत और अन्य आधारभूत संरचना के रूप में स्थावर आस्तियों का सृजन करना ;

(ण) वित्त तथा लेखा समिति द्वारा जैसे कि सिफारिश की जाती है विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को उधार देना, उधार लेना या निवेशित करना ;

(त) विश्वविद्यालय के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, निपटान पर निधि के प्रशासन के लिए नीति अधिकथित करना ;

(थ) विश्वविद्यालय के कार्य के संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्निचर, उपस्कर और अन्य स्त्रोतों का उपबंध करना ;

(द) सम्मानिक उपाधियाँ और अकादमिक विशेष उपाधियों को प्रदान करने के लिए सिफारिश करना ;

(ध) अकादमिक परिषद द्वारा जैसा कि सिफारिश की जाती है ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य अकादमिक विशेष उपाधियों को संस्थित करना तथा प्रदत्त करना और उन्हें प्रदान करने के लिए आर्डिनेन्सों द्वारा यथा उपबंधित दीक्षांत समारोह का प्रबंध करना ;

(न) अध्येतावृत्ति, यात्रा वृत्ति, छात्र वृत्ति, अध्ययन वृत्ति, प्रदर्शनियाँ, पुरस्कारों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और इन्हें प्रदान करने के लिए विनियमों को विहित करना ;

(प) संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाती है ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग के लिए विनियमों को बनाना तथा पारस्परिक हितप्रद अकादमिक कार्यक्रमों के लिए संघटन बनाना ;

(फ) अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय ही निधि में से और जैसे और जब आवश्यक हो अन्य निधि देनेवाले अभिकरणों से निधि ग्रहण करके विश्वविद्यालय अध्यापक और गैर-अवकाश कर्मचारी-वृंद के पदों का सृजन करना तथा उनकी अर्हताएँ, अनुभव और वेतनमानों को विहित करना ;

(ब) अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय की निधि में से और जैसे और जब आवश्यक हो, अन्य निधि देनेवाले अभिकरणों से निधि ग्रहण करके अधिकारियों, गैर-अध्यापन कुशल, प्रशासनिक, अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द और अन्य पदों का सृजन करना तथा उनकी अर्हताएँ, अनुभव और वेतनमानों को विहित करना ;

(भ) पेपर-सेटरों और अन्य परीक्षा कर्मचारीवृन्द, अभ्यागत संकाय के लिए विश्वविद्यालय से दी गई अन्य सेवाओं के लिए मानदेय, पारिश्रमिक, फीस और यात्रा, तथा अन्य भत्ते और या प्रभारों को विहित करना ;

(म) उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालयों और संस्थाओं के अवस्थान के लिए संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा यथा निर्मित व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना की सिफारिश अकादमिक परिषद को करना ;

(य) प्रबंध मंडल के अंतरण या परिवर्तन के लिए और महाविद्यालय और संस्थाओं के अवस्थानों के स्थानांतरणों के लिए परिनियमों में यथा विहित प्रस्तावों पर विचार करना तथा उसका अनुमोदन करना ;

(यक) प्रत्येक छह महीनों में रजिस्ट्रार से प्राप्त विश्वविद्यालय के विकास क्रियाकलापों की रिपोर्ट ग्रहण करना तथा उस पर विचार करना ;

(यख) परिनियमों के अनुसार अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय संस्थाओं, संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को स्वायत्त प्रस्थिति प्रदान करना ;

(यग) अकादमिक कार्यक्रमों के लिए अकादमिक परिषद से प्राप्त प्रस्तावों का निर्धारण करना तथा अनुमोदित करना ;

(यघ) राज्य सरकार की निधियों, विश्वविद्यालय निधियों, और पृथक रूप से अन्य अभिकरणों से प्राप्त निधियों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा तथा लेखा रिपोर्ट को ग्रहण करना तथा उस पर विचार करना ;

(यङ) महाविद्यालयों, संस्थाओं या विश्वविद्यालय विभागों के उचित संचालन, कामकाज तथा वित्त संबंधित किसी भी मामले के बारे में की जानेवाली कोई जाँच करना ;

(यच) जैसा कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के कुलपति या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के या उसके द्वारा नियुक्त समिति के किन्हीं शक्तियों को प्रत्यायोजित करना, इसके अलावा अन्य शक्तियाँ बनाना, परिनियमों और ऑर्डिनेंसों का संशोधन करना या निरसन करना ;

(यछ) विश्वविद्यालय के निधि में से तथा अन्य निधि देनेवाले अभिकरणों से प्राप्त निधि में से सृजित पदों के संबंध में विश्वविद्यालय में अध्यापनेतर कर्मचारियों के कृत्यों, कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिनिश्चित करेगा।

सन १९८८ का महा. ६।

(यज) महाराष्ट्र शैक्षिक संस्था (कॅपिटेशन फीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ और उससे अन्य सुसंगत अधिनियमों के उपबंधो के अनुसार, विनिर्दिष्ट फीस के अतिक्रमण के संबंधित मामलों को निपटाना ;

(यझ) पूर्व छात्रों, लोकोपकारी, उद्योगों और अन्य पणधारियों से दान, संदान और वित्तीय समर्थन के अन्य स्वरूप का स्वीकार करना और ऐसे दान, संदान आदि स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जानेवाली विहित प्रक्रिया को अपनाना ;

(यञ) परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात्, दोषी महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर शास्तियों का अधिरोपण करना ;

(यट) कुलपति के जरिये राज्य सरकार को संबध्द महाविद्यालय के लिए प्रशासनिक बोर्ड नियुक्त करने की सिफारिश तब तक करना जब तक ऐसे महाविद्यालयों के संबंध में वादों के मामले में ऐसे महाविद्यालय के प्रबंधमंडल चलाने के लिए वाद का सांविधिक रूप से खंडन किया जाता है । इस बोर्ड के गठन और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए । इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय, अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(यठ) छात्रों की सनद का विकास करना और स्वीकृत करना।

अकादमिक परिषद।

३२. (१) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक प्राधिकरण होगी तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और मूल्यांकन का स्तर बनाए रखने और विनियमित करने के लिए जिम्मेवार होगी। वह अध्यापन, अनुसंधान, विस्तारण, अकादमिक मामलों में सहयोगी कार्यक्रमों के स्तर को बनाए रखने तथा उनमें सुधार लाने से संबंधित अकादमिक नीतियाँ अधिकथित करने और अध्यापकों के काम के बोझ का मूल्यांकन करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(२) अकादमिक परिषद की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होगी।

(३) अकादमिक परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) प्रति-कुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष तथा सहयोगी संकायध्यक्ष (यदि कोई हो) ;

(घ) उप-केन्द्रो के निदेशक ;

(ङ) अभिनव, उद्‌भवन तथा अनुबंध निदेशक ;

(च) कुलपति, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त तलाश समिति की सिफारिशों के अनुसार, कुलाधिपति के साथ परामर्श में, निम्न सदस्यों को नामित करेगा, अर्थात् :—

(एक) चक्रानुक्रम द्वारा, संचालित, स्वायत्त या संबंद्ध महाविद्यालयों जो राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित है के आठ प्राचार्य जिनमें से एक महिला होगी और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति(विमुक्त जाति)/खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा ;

(दो) दो प्राध्यापक, उनमें से एक चक्रानुक्रम द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति)/ खानादोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्गसे संबंधित व्यक्ति होगा ;

(तीन) मान्यताप्राप्त संस्था का एक प्रमुख ;

(छ) अध्यापकों में से अध्यापकों के अधिशासी मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो अध्यापक जिनका अध्यापन अनुभव पंद्रह वर्षों से कम न हो इनमें से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे प्रवर्ग का होगा जिससे प्रति संकाय आरक्षण का उपबंध होकर लॉट द्वारा निर्णय किया जायेगा ;

परन्तु, इस खण्ड के अधीन प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले अध्यापकों में से एक महिला होगी जिसे लॉट निकालकर विनिश्चय किया जायेगा।

(ज) प्रबंधमंडल के प्रतिनिधियों में से जो कि सीनेट के सदस्य हैं, सीनेट द्वारा नामित प्रबंधमंडल का एक प्रतिनिधि ;

(झ) कुलपति के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नामित राष्ट्रीय ख्याति की संस्थाओं या जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय अंतरिक्षा अनुसंधान संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेट संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज संस्थान, भारतीय सामाजिक अनुसंधान, औद्योगिक असोसिएशन परिषद, भारतीय ओलिम्पिक असोसिएशन और संबध्द क्षेत्रों और यथाशीघ्र संभव प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संकायों में से विख्यात आठ विशेषज्ञ ;

(ञ) उच्चतर शिक्षा निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, उच्चतर शिक्षा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो ;

(ट) तकनीकी शिक्षा निदेशक या उसका नामनिर्देशिती, तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से निम्न का न हो ;

(ठ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(ड) अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष ;

(ढ) रजिस्ट्रार-सदस्य-सचिव ।

अकादमिक परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य।

३३. (१) अकादमिक परिषद की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होगें, अर्थात् :—

(क) यह सुनिश्चित करना कि, यह विश्वविद्यालय अनुसंधान और विकास, उद्योगों के साथ पारस्परिक क्रिया तथा संयोजन, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का संवर्धन और उद्योगों से जुडी जानकारी का वृत्तिभोगी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय मध्यवर्ती केंद्र हो ;

(ख) संकाय के जरिए अध्ययन बोर्ड द्वारा यदि कोई हो, उसके निर्दिष्ट मामलें के जरिए विचार करना और उपांतरणों से अनुमोदन देना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा, उपाधियों, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों और अन्य अकादमिक उपाधियों के लिए श्रेय देनेवाली पसंद आधारित चयन प्रणाली हो ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि, सभी महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसंधान करने तथा उद्यमकर्ता फैली हो ;

(ड़.) बोर्ड के संकायाध्यक्ष द्वारा यथा सिफारिश पर फीसों, अन्य फीसों तथा प्रभारों का अनुमोदन देना ;

(च) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक उपाधियों को संस्थित करने की प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना ;

(छ) अकादमिक परिषद को अकादमिक मामलों से संबंधित अध्यादेशों के प्रारुप का प्रस्ताव देना ;

(ज) अकादमिक मामलों से संबंधित ऑर्डिनेन्सों और विनियमों को बनाना, उनमें संशोधन करना, या निरसित करना ;

(झ) संकायों को विषयों का आबंटन करना ;

(ञ) परीक्षा और मूल्यांकन के संचालन से संबंधित पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों और अन्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और मानक विहित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय की निधियों में से और अन्य निधि अभिकरणों से प्राप्त निधि से विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक विश्वविद्यालय अध्यापकों और गैर-अवकाश अकादमिक कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन के लिए विचार करना तथा प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना और उनकी अर्हताएँ अनुभव और वेतनमानों की विहित करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य के सरकार के मानकों के अनुरुप विश्वविद्यालय के अध्यापक के रुप में किसी संबद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्था के कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की मान्यता के लिए मानक विहित करना ;

(ड) महाविद्यालयों की अनुदत्त संबद्धता, जारी रखने सबंद्धत्ता का विस्तारण के लिये और उच्चतर विद्या तथा अनुसंधान या विनिर्दिष्ट अध्ययनों की संस्थाओं की मान्यता, मान्यता जारी रखने, मान्यता के विस्तारण के लिए मानक विहित करना ;

(ढ) इस अधिनियम, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, महाविद्यालयों या संस्थाओं को संबद्धता मंजूर करना :

(ण) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के मानकों के अनुरुप निजी कुशल शिक्षा मुहैयादारों द्वारा चलाए जानेवाले कार्यक्रमों और स्वायत्त कुशल विकास महाविद्यालयों को सशक्त बनाने के लिए, विभिन्न प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा और उपाधियों को मान्यता प्रदान करना ;

(त) संकायाध्यक्षों द्वारा यथा तैयार और प्रबंध मंडल परिषद द्वारा सिफारिश की गई व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजना को अनुमोदन देना ;

(थ) संकायध्याक्ष बोर्ड द्वारा तैयार किये गये और प्रबंधमंडल परिषद द्वारा सिफारिश किये गये उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालयों और संस्थाओं के अवस्थान के लिए वार्षिक योजना को अनुमोदन देना ;

(द) परिनियमों के उपबंधों के अनुसरण में संस्थाओं, विभागों, संबद्ध या संचालित महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर, स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के लिए प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना ;

(ध) बोर्ड के संकायध्यक्ष उसके द्वारा निर्दिष्ट नये पाठ्क्रमों, आंतर शाखीय पाठ्यक्रमों और लघु-सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदन देना ;

(न) संबंधित संकाय द्वारा सिफारिश किए गये पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण, पेपर सेटरों, परीक्षकों और अनुसीमकों तथा विभिन्न पाठ्यक्रम के पेपर सेटरों तथा मूल्यांकन प्रणाली का अनुमोदन देना ;

(प) विश्वविद्यालय को सभी अकादमिक मामलों पर सलाह देना, सीनेट की उसकी पूर्ववर्ती वार्षिक बैठक द्वारा सिफारिश किए गये अकादमिक कार्यक्रमों पर साध्यता रिपोर्ट प्रबंधमंडल परिषद को प्रस्तुत करना ;

(फ) सभी अकादमिक कार्यक्रमों के लिए, पसंद आधारित चयन श्रेय देने वाली प्रणाली के लिए नीति, प्रक्रिया तथा पद्धति का सृजन करना ;

(ब) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों में गतिशीलता लाने के लिए नीति निर्माण करना और राज्य में विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों में से अलग-अलग पाठ्यक्रम मापदंडों को चुनने तथा शिक्षा में लचिलापन देने के लिए भी नीति अधिकथित करना ;

(भ) शिक्षा का अधिक सुगम्य पहुँच मार्ग और उपाधि की समाप्ति का न्यूनतम तथा उच्चतम अवधि तथा अन्य अकादमिक कार्यक्रमों के साथ 'अध्ययन की ग्रहणीय गति' का परिचय कराने की प्रक्रिया, नीति तथा पद्धतियों का हल निकालना ;

(म) यह सुनिश्चित करना कि, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान परियोजना पसंद आधारित मापदण्डों का एक अनिवार्य हिस्सा हो ;

(य) चालू अकादमिक वर्ष के अवसान के तीन महीने पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार, पश्चातवर्ती अकादमिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का अकादमिक कॅलेंडर तैयार करना ;

(यक) उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान तथा विशेष अध्ययन के विभागों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, केंद्रो संस्थाओं की स्थापना करने के लिए प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना ;

(यख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमों द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उसपर अधिरोपित की जाए।

(२) अकादमिक परिषद, वित्तीय विवक्षाओं से अंन्तर्ग्रस्त सभी मामले या निर्णय प्रबंधमंडल परिषद को अनुमोदन के लिए निर्देशित करेगी।

संकाय। **३४.** (१) संकाय, क्रमशः संकाय में समाहित विषयों के संबंध में अध्ययन तथा अनुसंधान के बारे में तथा बहु-संकायों के अध्ययन तथा अनुसंधान के बारे में भी विश्वविद्यालय के अकादमिक सहयोजन प्राधिकरण की प्रमुख होगी ।

(२) विश्वविद्यालय, निम्न संकायों का होगा, अर्थात् :—

(एक) विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी संकाय ;

(दो) वाणिज्य तथा प्रबंधन मंडल संकाय ;

(तीन) मानविकी संकाय ;

(चार) आंतर-शाखीय अध्ययन संकाय ;

(३) प्रत्येक संकाय, परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसे विषयों को समाविष्ट करेगी।

(४) संकाय, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) संकायाध्यक्ष–**पदेन** अध्यक्ष ;

(ख) सह-संकायाध्यक्ष, यदि धारा १५ के उप-धारा (५) के अधीन नामित किया गया हो ;

(ग) संकाय में समाविष्ट विषयों के लिए, प्रत्येक अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष ;

(घ) प्रत्येक अध्ययन बोर्ड द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो अनुमोदित अध्यापक है तथा अन्यथा अध्ययन बोर्ड के सदस्य के रुप में नामित किए जाने के लिए पात्र है ;

(ङ) संकायाध्यक्ष के साथ परामर्श करके प्रति-कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले पाँच विशेष आमंत्रित, जो संकाय के भीतर के विषयों में अकादमिक उपलब्धि प्राप्त किए गए तथा संकाय के भीतर के विषयो में औद्योगिक तथा व्यावसायिक अभिदर्शन में प्रतिष्ठित विद्वान हैं ;

संकाय की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

३५. संकाय की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) प्रबंधमंडल परिषद, अकादमिक परिषद या संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा उसे निर्देशित किसी मामलों पर के रिपोर्ट पर विचार करना ;

(ख) अकादमिक नीति निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध परिचालक यंत्रणा सृजित करना ;

(ग) अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्देशित मामलों का विचार करना तथा उपांतरण के साथ, यदि कोई हो, अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा यथा अग्रेषित पाठ्यक्रम विवरण, पाठ्यक्रमों की संरचना तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन प्रणाली की अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(ङ) स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह को सशक्त बनाने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा बनाए पाठ्यचर्या का अध्ययन करना तथा उसे प्रमाणित करना ;

(च) विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं में, संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में स्नातकोत्तर या स्नातकपूर्व अध्यापन के संचालन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अनुदेश के संचालन से संबंधित मानवशक्ति आवश्यकता सम्मिलित आवश्यकताओं की संकायाध्यक्ष को सिफारिश करना ;

(छ) अध्ययन बोर्ड या विश्वविद्यालय विभागों तथा आंतर-शाखीय अध्ययन के बोर्ड द्वारा, उसे निर्देशित नए पाठ्यक्रमों, आंतर अनुशासनिक पाठ्यक्रमों तथा लघु-सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार करना तथा संकायाध्यक्ष को सिफारिश करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि, अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अनुदेश से संबंधित अकादमिक परिषद द्वारा विरचित मार्गदर्शन से कार्यान्वित हो रहे है ;

(झ) संकायाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड तथा विश्वविद्यालय विभागों तथा आंतर शाखीय अध्ययन बोर्ड से विचार-विमर्श करके आंतर-विभागीय तथा आंतर-संकाय कार्यक्रमों की योजना करना तथा आयोजित करना ;

(ञ) सहबद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय विभागों के, खास तौर पर पुनरीक्षित या फिर से पुर:स्थापित या आंतर शाखीय अध्ययन के पाठ्यक्रमों प्रशिक्षण तथा उन्नत प्रशिक्षण, क्षेत्र पहले तथा प्रतिनियुक्ति के अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या तथा अभिसंस्करण कार्यक्रमों के संचालन की अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय तथा अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(ट) संकाय के कर्तव्यों के वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा कुलपति को प्रस्तुत करना ;

(ठ) संकायो में तथा बहु-संकायों में भी सम्मिलित उद्देश्यों से संबंधित अध्ययन तथा अनुसंधान के अध्यधीन विश्वविद्यालय द्वारा उसे जो समनुदेशित किया जाए ऐसा अन्य कार्य हाथ में लेना ;

संकायध्यक्षों का बोर्ड ।

३६. (१) संकायाध्यक्ष का बोर्ड, विश्वविद्यालय के अकादमिक क्रिया-कलापों का समन्वय, निरीक्षण, कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण करेगा। वह विश्वविद्यालय के अकादमिक, अनुसंधान तथा विकास, उद्यमकर्ता, बौद्धिक संपत्ति अधिकारों, उद्योगों का उद्भवन तथा एकीकृत नियोजन के लिए उद्योगों के साथ अनुबंध के विकास का उत्तरदायी होगा। वह स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर अकादमिक कार्यक्रमों तथा सहबद्ध महाविद्यालयों के विकास की योजना, मानिटर, मार्गदर्शन तथा समन्वय भी करेगा।

(२) संकायाध्यक्षों का बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) प्रति-कुलपति, अध्यक्ष ;

(ख) संकायों के अध्यक्ष।

(ग) नवीकरण, उद्भवन तथा अनुबंध निदेशक।

संकायध्यक्षों के बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

३७. (१) संकायाध्यक्षों के बोर्ड की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन तथा महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में स्नातकोत्तर विभागों का संचालन करने के लिए अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(ख) संकाय द्वारा उसे निर्देशित नए पाठ्यक्रमों, आंतर-शाखीय पाठ्यक्रमों तथा लघु-सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विचार करना तथा अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(ग) विश्वविद्यालय विभागों तथा महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापन तथा अनुसंधान का दर्जा बनाए रखने के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों का नियंत्रण करना, विनियमन करना तथा समन्वयन करना ;

(घ) अकादमिक परिषद को, महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में के स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा मार्गदर्शकों के मान्यता के मानकों की सिफारिश करना ;

(ङ) अकादमिक परिषद द्वारा विहित मानकों के अनुसार अनुसंधान तथा मान्यता समिति द्वारा यथा सिफारिश से स्नातकोत्तर अध्यापकों तथा अनुसंधान मार्गदर्शकों को मान्यता अनुदत्त करना ;

(च) निजी कुशलता शिक्षा मुहैय्यादारों की मान्यता की कुलपति को सिफारिश करना और इस अधिनियम के अधीन यथा विहित प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा स्वायत्त कुशलता शिक्षा महाविद्यालयों को सशक्त बनाना ;

(छ) नए प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, उन्नत डिप्लोमा तथा उपाधि कार्यक्रमों तथा उसके अभिकल्पन पाठ्यक्रम के अध्यधीन नीजि कुशल शिक्षा मुहैयादारों तथा सशक्त स्वायत्त कुशल विकास महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गये प्रस्ताव पर विचार करना तथा उसकी अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(ज) उच्चतर शिक्षा तथा विकास के आयोग द्वारा विरचित मार्गदर्शन के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए सुविधाओं के सुनिश्चित रित्या उचित वितरण के विकास योजना के भीतर के एकीकरण के लिए पाँच वर्ष की व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना ;

(झ) परिप्रेक्ष्य योजना के आनुरुप्य में उच्चतर शिक्षा के महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के स्थाननिर्धारण के लिए वार्षिक योजना तैयार करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय विभागों, संस्थाओं, सहबद्ध महाविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालय विभागों तथा संस्थाओं, सशक्त, स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं के समूह, सशक्त स्वायत्त कुशलता विकास महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं का अकादमिक लेखा परीक्षा संचालित करना जो, आन्तरिक तथा बाह्य सदस्यों के समतुल्य संख्या में होनेवाले अकादमिक लेखा-परीक्षा समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ट) महाविद्यालय के सहबद्ध निरंतरता तथा संस्था के मान्यता की निरंतरता का अकादमिक संपरीक्षा प्रणाली के जरिए निरीक्षण करना ;

(ठ) विश्वविद्यालय में संचलित महाविद्यालयों, विद्यालयों, विभागों, उच्चतर शिक्षा की संस्थाओ, अनुसंधान तथा विशिष्ट अध्ययन अकादमिक सेवाओं के युनिट, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा संग्रहालय संस्थित करने के लिए अकादमिक परिषद को प्रस्ताव की सिफारिश करना ;

(ड) विश्वविद्यालय का निधि तथा निधि देनेवाले अन्य अभिकरणों से निधि ग्रहण करके, विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक विश्वविद्यालय अध्यापकों तथा गैर-अवकाश अकादमिक कर्मचारी वृंद के पदों का निर्माण करने के लिए विचार करना तथा उसकी अकादमिक परिषद को सिफारिश करना, तथा उनकी अर्हता अनुभव तथा वेतनमान विहित करना ;

(ढ) अध्येता वृत्ति, यात्रा वृत्ति, छात्र वृत्ति, अध्ययन वृत्ति, पारितोषिक तथा पदक को संस्थित करने के लिए, अकादमिक परिषद को प्रस्ताव देना तथा उन्हे प्रदान करने के लिए विनियमन बनाना;

(ण) आंतर-संकाय तथा क्षेत्र या प्रादेशिक अध्ययन, सामान्य सुविधाओं जैसे कि वादय-संगीत विन्यास केंद्रो, कार्याशालाओं, व्यासंग केंद्रो, संग्रहालयों ; संचालन के आदि के लिए अकादमिक परिषद के जरिए प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना ;

(त) फीस नियतन समिति की ओर से फीस, अन्य फीस तथा प्रभार विहित करने के प्रस्ताव की अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(थ) आर्डिनेन्सों का प्रारूप करना तथा उसे प्रबंधमंडल के समक्ष रखना ;

(द) विनियमनों का प्रारूप करना तथा उसे प्रबंधमंडल परिषद या, यथास्थिति, अकादमिक परिषद के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए रखना ;

(२) संकायाध्यक्षों का बोर्ड, प्रत्येक अध्ययन बोर्ड के लिए अनुसंधान तथा मान्यता समिति की नियुक्ति करेगा ;

(क) अनुसंधान तथा मान्यता समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(एक) प्रति कुलपति, पदेन अध्यक्ष :

(दो) संबंधित संकाय का और संबंधित विषयों का सहयोगी संकायाध्यक्ष हो ;

(तीन) अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड ;

(चार) कुलपति द्वारा नामित, प्राध्यापक के अनिम्न श्रेणी के दो विषय विशेषज्ञ, जिन्होंने कम से कम तीन पी. एच. डी. छात्रों को सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है तथा मान्यताप्राप्त या विख्यात राष्ट्रीय या आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स, मानव विज्ञान आदि में अनुसंधान कार्य प्रकाशित किया है, उनमें से एक विश्वविद्यालय के बाहर का होगा।

(ख) अनुसंधान तथा मान्यता समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) विषय में शोध-प्रबन्ध या शोध-निबन्ध का अनुमोदन करना ;

(दो) अकादमिक परिषद द्वारा यथा अनुमोदित मानक के आधार पर स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट तथा उच्चतर उपाधियाँ प्रदान करने के लिए, शोध प्रबन्ध या शोध निबन्ध के लिए निर्णायक तालिका की अध्ययन बोर्ड को सिफारिश करना ;

(तीन) निम्नलिखित समुचित प्रक्रिया द्वारा स्नातकोत्तर अध्यापकों के नाम, मान्यताप्राप्त अनुसंधान तथा अन्य संस्थाओं में अनुसंधान, अनुसंधान वैज्ञानिकों के नाम, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं या उद्योगों के विविधता केंद्रों में, पंद्रह वर्ष से अनिम्न अनुभव होनेवाले क्रियात्मक अनुसंधान तथा विकास विशेषज्ञ के नाम अनुसंधान मार्गदर्शक के यथा अनुमोदित मान्यता के लिए, संकायाध्यक्ष के बोर्ड को सिफारिश करना ;

(चार) संकायाध्यक्ष बोर्ड, संकाय तथा अकादमिक परिषद द्वारा उसे जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसे अकादमिक और अनुसंधान तथा विकास मामलों में का कोई अन्य कार्य हाथ में लेना ;

विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों का बोर्ड।

३८. (१) विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों के कार्य तथा नियत क्रियाकलापों को आयोजित करनेवाला विश्वविद्यालय उपकेंद्रों का एक बोर्ड होगा। वह, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा; अर्थात् :–

(क) प्रतिकुलपति, अध्यक्ष ;

(ख) संकायों के अध्यक्ष ;

(ग) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(घ) सभी उप-केंद्रों के निदेशक ;

(ङ) अभिनव, उद्‌भवन तथा अनुबंध निदेशक ;

(च) कुलपति द्वारा नामित प्रबंधमंडल परिषद के दो सदस्य, जिनमें से एक प्राचार्य होगा तथा अन्य एक प्रबंधमंडल का प्रतिनिधि होगा :

(छ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(ज) छात्र विकास बोर्ड का निदेशक ;

(झ) क्रीडा तथा शारीरिक शिक्षा का निदेशक ;

(ञ) प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामित, किये जानेवाला, प्रत्येक उपकेंद्र की अधिकारीता के भीतर के संबद्‌ध, स्वायत्त महाविद्यालयो के एक प्राचार्य, एक अध्यापक और एक प्रबंधन का प्रतिनिधि होगा ;

(ट) रजिस्ट्रार-सदस्य-सचिव ;

(२) विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों के बोर्ड की बैठक, वर्ष में कम-से-कम तीन बार होगी।

विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों के बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

३९. विश्वविद्यालय के उप-केंद्रों के बोर्ड को, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) जिले में स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शैक्षिक क्रियाकलापों का सहयोजन करना ;

(ख) मूल विश्वविद्यालय के विभिन्न अकादमिक, प्रशासकीय तथा अभिशासन प्रक्रिया के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करना ;

(ग) जिले में उच्चतर शिक्षा के संस्थाओं के बीच तथा आंतर संस्थात्मक सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी अनुबन्ध का सहयोजन करना ;

(घ) अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के लाभ के लिए महाविद्यालयों के सहयोजन के साथ कार्यशालाओं तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना ;

(ङ) जिले में परीक्षा तथा मूल्यांकन से संबंधित क्रियाकलापों का सहयोजन करना ;

(च) जिले में महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के लिए अनुसंधान योजनाओं का सृजन, विकास योजनाओं तथा अन्य निधि लेनेवाली क्रियाकलापों का सहयोजन करना तथा मूल विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय के साथ अनुबन्ध स्थापित करना ;

(छ) महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन तथा अध्ययन क्रियाकलापों का सहयोजन करना तथा इस संबंध में आवश्यक सहायता देना ;

(ज) छात्रों, अनुसंधान छात्रों, अध्यापको, सहायक कर्मचारीवृंद तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के सभी अकादमिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए विश्वविद्यालय जिला स्तर में लाने के रुप में कार्य करना ;

(झ) वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय आवश्यकता तथा वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) तैयार करना तथा उसे मूल विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए, ऐसा अन्य कार्य हाथ में लेना।

अध्ययन बोर्ड ।

४०. (१) परिनियमों द्वारा विहित प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिये एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्राथमिक अकादमिक निकाय होगा।

(२) अध्ययन बोर्ड, निम्न सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :—

(क) सुसंगत विषय में विश्वविद्यालय विभाग या संस्था का प्रमुख ;

परंतु यह कि, जहाँ किसी विषय में विश्वविद्यालय विभाग न हो, तो बोर्ड, अपनी पहली बैठक में उस विषय का स्नातकोत्तर अध्यापन करनेवाले किसी सहबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था से विभागाध्यक्ष सहयोजित करेगा ;

(ख) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष से परामर्श करके दस वर्ष का अध्यापन करने का अनुभव होनेवाले कुलपति द्वारा नामित निम्न प्रवर्गो में से छह अध्यापक, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय विभागों में संबंधित विषय के पूर्ण कालिक अध्यापकों में से एक अध्यापक ;

(दो) सहबद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं या स्नातकोत्तर केंद्रों में के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करनेवाले मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अध्यापकों में से दो अध्यापक ;

(तीन) सहबध्द महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में के विभाग प्रमुख के अलावा तीन अध्यापक ;

(ग) अन्य सहबध्द महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में के विभाग प्रमुखों से गुटोंमें से निर्वाचित किये गये सहबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं की तीन विभाग प्रमुख ;

(घ) अध्ययन बोर्ड, अपनी पहली बैठक में,—

(एक) धारा ६५ के उपबंधों के अध्यधीन, उसके सदस्यो में से अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के रुप में निर्वाचित करें :

परंतु, अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के रुप में निर्वाचित होने वाला सदस्य, स्नातकोत्तर छात्रों को अध्यापन करने के लिये मान्यताप्राप्त अध्यापक होगा ; तथा तत्पश्चात्, सयोजित होगा । ";

(दो) अन्य विश्वविद्यालयों से एक प्राध्यापक ; और

(तीन) चार विशेषज्ञ निम्न होंगे,

(क) ऐसा व्यक्ति है जो,- राष्ट्रीय प्रयोगशाला या संस्था या अभिज्ञात संस्था में सहायक निदेशक से निम्न श्रेणी का पद धारण न करता हो ; या संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ है, जिसने,- कम से कम एक संदर्भ पुस्तक; या अभिज्ञात राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में कम से कम तीन शोधकार्य प्रकाशित किया है।

(ख) उस विषय में विख्यात विद्वान ;

(ग) एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक उद्योग विषय से संबंधित या सहकारिता या व्यावसायिक निकायों से प्रख्यात सदस्य सहयोजित करेगा ।

(घ) उस विषय से संबंधित उद्योग में कम से कम दस वर्ष काम करने का या स्वामित्व या सलाह देने के कार्य या परामर्श कार्य का अनुभव होनेवाली व्यक्ति होगी।

(ङ) स्नातक परिक्षाओं कें अंतिम वर्ष के सर्वोच्च तथा स्नातकोत्तर परीक्षा अंतिम वर्ष के सर्वोच्च, पूर्व वर्ष के सर्वोच्च उस विषय के या विषयों के समूह के पाठ्यक्रम ढाँचा, उसमें सुधार पर विचार विमर्श करने के लिए यथा निमंत्रित सदस्य ।

अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

४१. अध्ययन बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

(क) संबंधित संकाय या संकायों के जरिए प्रबंध परिषद या अकादमिक परिषद को नये डिप्लोमा तथा उपाधियों के परिचय की सिफारिश करना ;

(ख) संबंधित संकाय या संकायों के जरिए प्रबंध परिषद या अकादमिक परिषद को डिप्लोमाएँ या उपाधियाँ जो अनसंगत हुई हो, को रोकने की सिफारिश करना ;

(ग) संबंधित संकाय को, पाठ्यक्रमों के अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम रचना, और विभिन्न पाठ्यक्रमों की मूल्यांकन योजना की सिफारिश करना;

(घ) पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये उपयुक्त, संदर्भ पुस्तकें या अनुपूरक वाचन पुस्तकें तथा ऐसी अन्य सामग्री की सिफारिश करना ;

(ङ) पाठ्यक्रम के जोड या अपमार्जन या अद्यतन करने के संबंध में परिवर्तन की सिफारिश करना ;

(च) अकादमिक परिषद द्वारा, अधिकथित निकषों के आधार पर, विश्वविद्यालय परीक्षाओं और मूल्यांकन के लिये पेपर सेटर्स, परीक्षक तथा अनुसीमक की नामसूची तैयार करना ;

(छ) संबंधित संकायाध्यक्ष को, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश में, विषयों में पाठ्यक्रमों के अभिमुखिकरण और पुनश्चर्या के संगठन का सुझाव देना ;

(ज) संबंधित पाठ्यक्रमों के संबंध में, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपस्कर के बारे में आवश्यकताओं को तैयार करना ;

(झ) परिचालक पाठ्यक्रमों के संबंध में विस्तार कार्यक्रमों का सुझाव देना ;

(ञ) समय की आवश्यकताओं से सुसंगत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया बनाने के लिये बडे पैमाने पर उद्योंग या कम्पनी या समाज की आवश्यकताओं को समझना तथा उनका पाठ्यक्रम में निर्वहन करना ;

(ट) सूचना तथा संसूचना प्रोद्योगिकी संसाधनों के प्रयोग द्वारा सहयोगिता और सहभागिता द्वारा अध्ययन को बढ़ावा देना ;

(ठ) प्रत्येक शाखा की पाठ्यचर्चा की योजना करना व्यावसायिक सारांश जोड़ना और कौशल विकास कार्यक्रम तथा आशयित निपुणता स्तर आगे बढ़ाने के लिये, न्यूनतम अवधि विहित करना;

(ड) स्वायत्त महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं, स्वायत्त मान्यताप्राप्त संस्थाओं, सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह सशक्त कौशल विकास महाविद्यालयों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम, सभी प्रक्रियाएँ और पद्धतियों को अभिपोषित करना ।

विश्वविद्यालय विभागों तथा आंतर विषयक अध्ययन बोर्ड।

४२. (१) निवेशों पर आंतरविषयक शिक्षा तथा अनुसंधान और राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सृजन को बढ़ावा देने तथा अकादमिक और अनुसंधान और विकासात्मक वातावरण का सृजन करने, जिससे कई शाखाओं में कल्पनाओं का मुक्तप्रवाह हो, के लिये विश्वविद्यालय विभागों का और आंतरविषयक अध्ययन का एक बोर्ड होगा ।

(२) विश्वविद्यालय विभाग या आंतरविषयक अध्ययन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) प्रतिकुलपति . . अध्यक्ष ;

(ख) संकायाध्यक्ष ; तथा सहयोगी संकायाध्य (यदि कोई हो) ;

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों या राष्ट्रस्तरीय अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं से, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित चार विशेषज्ञ ; हर एक को प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव हो या विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य तथा प्रबंध या आंतरविषयक अध्ययन के एक शाखा में, अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं में समतुल्य स्थान पर हों ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित चार विभाग प्रमुख या न्यायसंगत रित्या में, विभिन्न विषयों या शाखाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले वरिष्ठ प्राध्यापक ;

(३) आंतरविषयक अध्ययन का संकायाध्यक्ष सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा ;

(४) बोर्ड, वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक बुलाएगा ;

विश्वविद्यालय विभागों तथा आंतरशाखीय अध्ययन बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

४३. विश्वविद्यालय विभाग और आंतरशाखीय अध्ययन बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर शिक्षा दर्जा को बढावा देने के लिये दीर्घकालीन नीतियाँ तथा योजनाओं का आविष्कार करना ;

(ख) विश्वविद्यालय विभागों में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये एक व्यापक विकास योजना तैयार करना ;

(ग) विश्वविद्यालय विभागों के लिये वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) पर काम करना ;

(घ) अनुसंधान बोर्ड के साथ अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को समन्वित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के परिसर पर अध्यापन तथा अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को मजबूत बनाने के लिये विदेशी या भारतीय प्रमुख अध्यापन तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं या विश्वविद्यालयों के साथ अनुबन्ध स्थापित करना ;

(च) राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थाओं के साथ अकादमिक स्त्रोतों को बाँटने, संयुक्त अध्यापन कार्यक्रम चलाने, संयुक्त उपाधि कार्यक्रम चलाने के लिये, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अभिकरणों, विश्वविद्यालयों (समझे गये या स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों समेत) तथा संस्थाओं के साथ सहयोग के लिये राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबन्ध बोर्ड के साथ अग्रानुक्रम में कार्य करना ;

(छ) शिक्षकों के बीच समन्वय द्वारा केंद्र पर आंतरशाखीय अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और अकादमिक तथा अनुसंधान और विकास आधारभूत संरचनाओं को बाँटने के लिये भी नीति बनाना ;

(ज) विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विकल्पाधारित श्रेय देनेवाली प्रणाली को बढ़ावा देना ;

(झ) शिक्षा के वितरण में प्रौद्योगिकी उपयोग में लाना और प्रवर्तित करना ;

(ञ) कक्षाध्यापन में आमने-सामने तथा इ-अध्ययन प्रक्रिया, तथा स्नातकोत्तर अध्ययन में एकात्मिक भाग के रुप में अल्प अनुसंधान तथा बृहत् अनुसंधान परियोजनाओं के प्रयोग को बढावा देना ;

(ट) निरंतर ऑनलाईन प्रक्रिया के रुप में छात्रों द्वारा अध्ययन निर्धारण के लिये नए दृष्टिकोण तथा पद्धतियाँ प्रवर्तित करना ;

(ठ) कुलपति को सिफारिश करना,—

(एक) विश्वविद्यालय के अध्यापकों (सहायताप्राप्त पदों और धारा ८ की उप-धारा (२) के प्रयोजनों के लिये के पदों समेत) के पदों को चयन द्वारा भरना, जो विहित न्यूनतम और अतिरिक्त अहर्ता धारण करते है ;

(दो) परिश्रमिक और पदों की संख्या भरना ; और

(तीन) उप-खण्ड (एक) के अधीन पदों की संख्या, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजाति, (अधिसूचित जनजाति) या खानाबदेश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी गई है।

(ड) विश्वविद्यालय के विभाग और आंतरशाखीय अध्ययन बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये, विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे किन्हीं अन्य कार्यो का जिम्मा उठाना।

महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड ।

४४. (१) महाविद्यालयों में विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का दर्जा प्रवर्तित करने और मजबूत करने के विस्तृत उददेश्यों के साथ महाविद्यालयों में एक स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड होगा।

(२) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड वर्ष में चार बार से कम नहीं के लिये बैठक बुलाएगा, जिनमें से दो, आवश्यकतापूर्वक प्रत्येक वर्ष के सितंबर या अक्तूबर और दिसंबर या जनवरी महीने में होनी चाहिए।

(३) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा ; अर्थात् :—

(क) प्रतिकुलपति — अध्यक्ष ;

(ख) संकायाध्यक्ष और सहयोगी संकायाध्यक्ष (यदि कोई हो)। ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायवार अन्य विश्वविद्यालयों से एक विशेषज्ञ, जिसे प्राध्यापक के रुप में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो ;

(घ) अधिमानतः विभिन्न जिलों से, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवता, वाणिज्य तथा प्रबंधन की प्रत्येक शाखाओं में, महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर केंद्रों से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर प्राध्यापकों के रुप में न्यूनतम पाँच वर्षो के अनुभव के साथ, कुलपति द्वारा नामनिर्देशित महाविद्यालयों के संकायवार तीन विभाग प्रमुख ;

(ड) सभी उप-केन्द्रों के निदेशक ।

(च) संबंधित प्रशासकीय विभाग के उप-रजिस्ट्रार बोर्ड के सचिव के रुप में कार्य करेंगे ।

(४) महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड की निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) संबद्ध महाविद्यालयों विशिष्ट शाखा में नये स्नातकोत्तर केन्द्र का सृजन करने या विद्यमान स्नातकोत्तर केंद्र में नये पाठ्यक्रम की सिफारिश करना ;

(ख) जिला उप-केन्द्रों के ज़रिए, जिला स्तर पर स्नातकोत्तर केन्द्र की वृद्धि के लिये सहक्रिया का सृजन करना ;

(ग) स्नातकोत्तर केन्द्रों में शिक्षा के संमिश्र प्ररुप में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रवर्तित करना तथा प्रोत्साहन देना ;

(घ) शिक्षकों की क्षमता में वृद्धि करनेवाले क्रियाकलापों को प्रवर्तित करने द्वारा स्नानकोत्तर केंन्द्रों में दर्जा वृद्धि को बढाना देना तथा पता लगाना ;

(ङ) स्नातकोत्तर केंद्रो में अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों को प्रवर्तित करना ;

(च) विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे किन्ही अन्य कार्यों का जिम्मा उठाना ताकि, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के उद्दश्यों को कार्यान्वित किया जा सके ।

आजीवन अध्ययन तथा विस्तार बोर्ड ।

४५. (१) अपने विभिन्न उपाधि स्तरीय कार्यक्रमों और कुशलता विकास कार्यक्रमों के जरिये कुशल तथा शिक्षित मानवी शक्ति के सृजन के लिये एक निरंतर अध्ययन, मूल्य शिक्षा तथा जीवन कौशल विकास बोर्ड होगा ;

(२) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार विकास बोर्ड, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक बुलाएगा ;

(३) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार विकास बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, निरंतर अध्ययन कौशल, मूल्य शिक्षा तथा दीर्घ आयु क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रख्यात विशेषज्ञ ;

(ङ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विभागों में से दो शिक्षक, जो नवप्रवर्तन, अनुसंधान तथा विकास में सक्रियता से जुडा हुआ है ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित महाविद्यालयों में से दो शिक्षक, जो नवप्रवर्तन, अनुसंधान तथा विकास में सक्रियता से जुडा हुआ हो ;

(छ) आजीवन अध्ययन, तथा विस्तार के निदेशक-सदस्य सचिव ।

आजीवन अध्ययन तथा विस्तार बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

४६. (१) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

(क) वरिष्ठ नागारिकों के लिये आजीवन अध्ययन, मूल्य शिक्षा तथा जीवन कौशल के क्षेत्र में, विभिन्न अध्यापन, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं और विभिन्न प्रादेशिक और राष्ट्रीय निकायों और सरकारी अभिकरणों के बीच सहभाव और सहकारिता के लिये नीति और क्रियात्मक स्तरिय प्रक्रमों पर सहक्रिया का सृजन करना ;

(ख) बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये जाये ऐसे आजीवन अध्ययन, तथा विस्तार के लिये स्वतंत्र केन्द्रो के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण तथा मॉनिटर करना ;

(ग) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार के केंद्रो के बजट तथा वित्तीय जरुरतों को जाँचना ;

(घ) आजीवन अध्ययन, मूल्य शिक्षा तथा विस्तार केंद्र के क्रियाकलापों के वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना तथा उनका कालिक पुनरीक्षण करना ;

(ङ) प्रबंध परिषद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे किन्ही अन्य कार्यो का जिम्मा उठाना ;

(२) आजीवन अध्ययन तथा विस्तार बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये, निदेशक द्वारा प्रमुखता का एक आजीवन अध्ययन, तथा विस्तार विभाग होगा ।

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड ।

४७. (१) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, परीक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित सभी मामलों का निपटान करेगा । परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थाओं, विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय संस्थाओं में परीक्षाओं के संचालन का भी निरीक्षण करेगा ।

(२) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, प्रत्येक अकादमिक वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक बुलाएगा ।

(३) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति – अध्यक्ष ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष और सहयोगी संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(घ) प्रबंध परिषद द्वारा नामनिर्देशित, संकायाध्यक्ष के अलावा दो प्राचार्य ;

(ड.) प्रबंध परिषद द्वारा नामित, विश्वविद्यालय विभागों का एक प्राध्यापक ;

(च) प्रबंध परिषद द्वारा नामित किया गया, विश्वविद्यालय विभाग प्रमुखों से अन्य एक कम से कम पंद्रह वर्ष के अध्यापक का अनुभव होनेवाला एक अध्यापक या प्राचार्य ;

(छ) कुलपति द्वारा नामित संगणकिय वातावरण में, मूल्यांकन के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ ;

(ज) कुलपति द्वारा नामित महाराष्ट्र राज्य से अन्य सांख्यिकी विश्वविद्यालय के उप-रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का एक विशेषज्ञ, जिसे संगणकीय वातावरण में परीक्षा कार्य के संबंधित अनुभव हो ;

(झ) उच्चतर शिक्षा के निदेशक या संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशित ;

(ञ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक-सदस्य सचिव ;

परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य ।

४८. (१) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य निम्न होंगे ; अर्थात् —

(क) प्रभावी तथा समयबद्ध रित्या में छात्रों के निष्पादन के निर्धारण से संबंधित कार्य करने के लिये नीति, प्रक्रिया तथा क्रियात्मक योजना का आविष्कार करना ;

(ख) परिसीमन, तालिकाकरण, मूल्यांकन तथा समय से परिणामों की घोषणा समेत, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा संपरीक्षाओं के पर्याप्त संगठन को सुनिश्चित करना ;

परंतु, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, इस खण्ड के प्रयोजन के लिये, विकल्पीय इन्तजाम संबंध मे, छात्र विकास बोर्ड तथा क्रिडा और शारिरीक शिक्षा बोर्ड की सिफारिशों को प्रभावी करेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) के निर्वहन के लिये परीक्षाओं तथा मूल्यांकन से संबंधित वित्तीय अनुमान तैयार करना और वही वित्त तथा लेखा समिति को प्रस्तुत करना ;

(घ) परीक्षाओं के संचालन के दौरान कडी निगरानी रखने, जिससे छात्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों पर्यवेक्षकों आदि द्वारा अनुचित प्रयोग टाला जा सके, के लिये प्रबन्ध करना ;

(ड़) अध्यापकों द्वारा प्रमाणिय संरचना में आकलन निर्धारण के लिये तथा प्रश्न बँक के भण्डार का सृजन तथा प्रभावी उपयोग समेत निर्धारण और मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया के लिये कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये, प्रक्रिया स्थापित करना तथा क्रियात्मक प्रक्रिया का अविष्कार करना ;

(च) उपाधियों, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये उत्तर पुस्तिकाओं का निर्धारण, गोपनीयता के उददेश्य की सुनिश्चित के लिये, उत्तर पुस्तिकाओं के प्रच्छादन तथा अप्रच्छादन के अनुसरण द्वारा केन्द्रीय निर्धारण प्रणाली के जरिए केन्द्रीयतः या किन्ही अन्य विकल्पी प्रणाली द्वारा किये जायेंगे ;

(छ) परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनाने के क्रम में परीक्षा तथा मूल्यांकन सुधार हाथ में लेना ;

(ज) संबंधित पाठ्य बोर्डों द्वारा तैयार किये गये पॅनेल में समाविष्ट व्यक्तियों में से पेपर सेटर्स, परीक्षकों तथा परिसीमकों को नियुक्त करना तथा जहाँ आवश्यक हो, उप-धारा (५) के खण्ड (ख) के अधीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाना या प्रवर्जित करना ;

(झ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निर्देशक द्वारा बनाये गये परीक्षा तथा मूल्यांकन के विस्तृत कार्यक्रम अनुमोदित करना ;

(ञ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक द्वारा भेजे गये विश्वविद्यालय परिक्षाओं के परिणामों के पुनरीक्षण की रिपोर्ट ध्यान में लेना ;

(ट) परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई तथा विनिश्चय करना ;

(ठ) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन समनुदेशित किये जा सके ऐसी परीक्षा तथा मूल्यांकन के संबंध में ऐसी अन्य शक्तियाँ प्रदत्त करना ;

(२) किसी आपात्ति मामले में जिसमें सद्य कार्यवाही अपेक्षित है, बोर्ड का अध्यक्ष या उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी या व्यक्ति, ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह उचित तथा आवश्यक समझता है तथा अपने द्वारा ली गई कार्यवाही के बारे में बोर्ड की अगली बैठक में रिपोर्ट देगा।

(३) (क) पेपर-सेटर्स, परीक्षकों तथा परिसीमकों की नियुक्ति करने के लिये, परीक्षा बोर्ड प्रत्येक विषय के लिये समितियों का गठन करेंगी, जो निम्न से मिलकर बनेगी —

(एक) संबंधित संकाय का संकायध्यक्ष-अध्यक्ष ;

(दो) सहयोगी संकायाध्यक्ष (यदि कोई हो) ;

(तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष ;

(चार) अपने सदस्यों में से नामित अध्ययन बोर्ड के दो सदस्य , जिनमें से कम से कम एक स्नातकोत्तर अध्यापक हो ।

(पाँच) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड का निदेशक, ऐसी समिति के सचिव के रुप में कार्य करेगा ।

(ख) समिति, पाठ्य बोर्ड द्वारा तैयार किये गये पैनल में समाविष्ट किये गये विभिन्न परीक्षाओं तथा परीक्षणों के लिये व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी तथा उसे परीक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करेगी, जो बाद में पेपर-सेटर्स, परीक्षकों तथा परिसीमकों और जहाँ आवश्यक हो रेफरी को नियुक्त करेगा ।

(ग) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या इस धारा के अधीन गठित समिति का कोई भी सदस्य, पेपर-सेटर, परीक्षक, अनुसीमक या रेफरी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परंतु, प्रति कुलपति को, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या इस धारा के अधीन गठित समिति के सदस्य को, पेपर-सेटर, परीक्षक, परीसीमक या रेफरी के रूप में, जहाँ कोई अध्यापक जो परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड या समिति का सदस्य न हो, या उपलब्ध न हो तो, नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(४) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं तथा छात्रों के मूल्यांकन से संबंधित परिनियमों द्वारा यथा विहित आवश्यक सहायता और सेवाएँ प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालय, संबदध्, संचालित महाविद्यालयों, समुदाय महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रत्येक अध्यापक और अध्यापनेतर कर्मचारियो पर बाध्यकारी होगा । इस संबंध में, यदि कोई अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था के आदेश का अनुपालन करने में विफल हो तो, इसे अवचार माना जायेगा और कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये दायी होगा । इस संबंध में विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने में, किन्ही संबद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापक तथा अध्यापनेतर कर्मचारी के कर्तव्य पर विफल होने के मामले में, कुलपति को, उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की शक्ति होगी, जिसमें परिनियमों द्वारा विहित कि जाये ऐसी शास्तियों का अधिरोपण तथा या अध्यापक की नियुक्ति के लिये अनुमोदन के निलंबन का समावेश हो सकेगा।

(५) (क) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके और की परीक्षाओं या छात्रों के मूल्यांकन या औपचारिक अभ्यास के संबंध में सहायता या सेवा देने के लिये, विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन करने में विफल होने के लिये और परीक्षा-पूर्व स्तर या परीक्षोत्तर स्तर या अन्य स्तर, चाहे जो कोई भी हो, के समेत, परीक्षाओं के संचालन से संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों, रेफरी, अध्यापकों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की ओर से हुई गलतियों की जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड, पाँच व्यक्तियों से अधिक न हो, एक समिति गठित करेगा जिसमें से एक सभापति होगा;

(ख) ऐसी समिति, अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें कुलपति को प्रस्तुत करेगी, जो, परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक को, कदाचार में अंतर्ग्रस्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को प्रस्तावित करेगी और निदेशक, परीक्षा या मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक कुलपति के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये अग्रसर होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड।

४९. (१) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों तथा सहचारी कार्यों के सभी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को फैलाने के लिये, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर तथा कनेक्टिविटी का सही मायने में उपयोग करने से संबंधित तथा अकादमिक, वित्तीय, तथा प्रशासकीय, सॉप्टवेअर, तथा प्रौद्योगिकी प्रयुक्तियों का उपयोग करने तथा व्यावसायिक प्रबंध के चयन, परियोजन का एक छत्र ढाँचा सृजित करने तथा उस प्रयोजन के लिये आवश्यक निधि से संबंधित विषयों का संबोधन करने के लिये एक सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड होगा।

(२) सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड की बैठक, वर्ष में कम से कम तीन बार होगी ।

(३) सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) प्रति कुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष और सहयोगी संकायाध्यक्ष (यदि कोई हो) ;

(घ) परीक्षा तथा मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक ;

(ड) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, सॉफ्टवेअर तथा हार्डवेअर के क्षेत्र में का ज्ञान तथा अनुभव होनेवाला एक प्राध्यापक ;

(छ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के में से दो विशेषज्ञ, जिसमें की एक सॉफ्टवेअर मे विशेषज्ञ हो तथा अन्य हार्डवेअर के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो ;

(ज) रजिस्ट्रार।

(झ) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संकायाध्यक्ष सदस्य-सचिव के रुप में कार्य करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

५०. सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड की, निम्न शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना के ज़रिये सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की योजना करना ;

(ख) प्रौद्योगिकी संबंधित मूलभूत सुविधा के सृजन के लिये, विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट निश्चित करना ;

(ग) आभासी कक्षा तथा प्रयोगशाला मूलभूत सुविधा के सृजन के लिये योजना का आविष्कार करना ;

(घ) विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों में संजाल के लिये नीति अधिकथित करना ;

(ङ) उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान तथा विकास और संबध्द परियोजनाओं या कार्यक्रमों के क्षेत्र में वित्तीय स्त्रोतों को उत्पन्न करने के लिये नीति अधिकथित करना ;

(च) विश्वविद्यालय प्रशासन, विभागों तथा महाविद्यालयों को जोडने के लिये आंतर-विश्वविद्यालय तथा बाह्य विश्वविद्यालय संपर्कजाल का सृजन करने के लिये विश्वविद्यालय को सलाह देना तथा सहायता करना ;

(छ) राष्ट्रीय ज्ञान ज़ाल का भाग होने के लिए विश्वविद्यालय को सहायता करना;

(ज) राज्य में अन्य विश्वविद्यालयों से उसे जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय तंत्र को सहायता करना;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित प्राचलों के भीतर, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना और सेवाओं के विभिन्न स्तरों में गुण तथा कार्यक्षमता सुनिश्चित करना;

(ञ) अकादमिक, मूल्यांकन, वित्त तथा प्रशासन से संबद्ध सभी पहलूओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नीति तथा योजना कार्यप्रणाली का आविष्कार करना;

(ट) विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त तथा मूल्यांकन की गतिविधियों में प्रौद्योगिक के उपयोग का मॉनीटर करना;

(ठ) आमने-सामने एकीकरण तथा ई-लर्निंग उद्देशों के लिए और वास्तविक व्याख्यान तथा प्रयोगशाला आधारभूत संरचना के लिए भी सूचना-प्रवाह-सीमा के उपयोग के लिए योजना तथा तकनीकी, वित्तीय आवश्यकता और प्रवृत्त यंत्रक्रिया स्तर का आविष्कार करना;

(ड) विद्यार्थियों, अध्यापकों, तकनीकी तथा अन्य कर्मचारी और अन्य संबंधित जानकारी के विषय में आँकडों के भण्डार के सृजन के लिए दृष्टिकोण तथा परिचालन योजना तैयार करना;

(ढ) समग्र रुप में विश्वविद्यालय विभागों और विश्वविद्यालय प्रणाली के लिए सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर तथा संपर्कजाल के क्रय पर सलाह देना;

(ण) मल्टीमीडिया के उपयोग में मिश्रित जानकारी, ई-लर्निंग उद्देश्यों के निर्माण और शिक्षकों के प्रशिक्षण में तकनीकी के उपयोग में सहायता करना तथा परामर्श देना;

(त) संस्था के विद्यार्थियों, शिक्षकों के साथ ही साथ अन्य कर्मचारी सदस्यों के विषय में आँकडे के सृजन, उन्नयन और रखरखाव के लिए आँकडों के भण्डार कक्ष के सृजन के लिए यथोचित योजना और प्रक्रिया तैयार करना तथा विशिष्ट पहचान संख्या देना ;

(थ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसा कोई कार्य हाथ में लेना, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके।

राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड।

५१. (१) प्रमुख राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के संपर्क का संवर्धन करने, स्थापन करने, बनाए रखने और बल देने के लिए, एक राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड होगा।

(२) बोर्ड, वर्ष में कम से कम तीन बार अपनी बैठक लेगा।

(३) राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) कुलपति- अध्यक्ष;

(ख) प्रतिकुलपति;

(ग) संकायाध्यक्ष और सहयोगी संकायाध्यक्ष (यदि कोई हो) ;

(घ) कुलपति द्वारा नामित, प्रबंधन परिषद् का एक सदस्य;

(ङ) विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग से कुलपति द्वारा नामित, एक वरिष्ठ प्राध्यापक;

(च) स्वायत्त या दो प्रधानाचार्य, जिसमें से एक स्वायत्त या सशक्त स्वायत्त महाविद्यालयों या सशक्त स्वायत्त संस्थाओं से होंगे और दूसरा कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संबद्ध महाविद्यालयों से होगा ;

(छ) आयोग द्वारा नामनिर्देशित किया गया उद्योग से एक विशेषज्ञ जिसने राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबंधों के बारे में, विशेषज्ञता साबित की है ;

(ज) निदेशक, नवपरिवर्तन, उद्भवन और अनुबंध-सदस्य-सचिव।

राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

५२. राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबंध बोर्ड की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) प्रमुख राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ आंतर-अनुबंधों की वृद्धि करने के लिए दीर्घावधि नीति तथा योजना पर कार्य करना;

(ख) राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के साथ अकादमिक स्त्रोतों के हिस्सों को बाँटने, संयुक्त अनुसंधान और विकास तथा अध्यापन कार्यक्रमों को चलाने, संयुक्त स्नातक कार्यक्रमों को चलाने के लिए राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओ के विभागों, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं सहयोजन देने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना;

(ग) उद्योगों तथा अन्य हस्तियों से विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को तथा **विपर्ययेन** भेंट करने वाले अध्यापकों या अनुसंधान और विकास वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों के लिए प्रक्रिया विकसित करना, और ऐसे अतिथियों के लिए, संभार-तंत्र समर्थन का विवरण तैयार करना;

(घ) विश्वविद्यालय विभागों से राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को और **विपर्ययेन** भेंट करनेवाले अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया विकसित करना, और ऐसे अतिथियों के लिए बजट प्रावधानों तथा संभार-तंत्र समर्थन पर विवरण तैयार करना;

(ङ) विदेशी छात्रों और प्रवासी भारतीय छात्रों को उनके प्रवेश तथा अन्य परिनियामक औपचारिकताओं की सम्पूर्ति मे सहायता करने के लिए प्रक्रिया विकसित करना ;

(च) सांस्कृतिक तथा अन्य क्रियाकलाप जैसे कि विदेशी छात्रों और भारत के अन्य भागों के प्रवासी भारतीय छात्रों की भेंट का आयोजन करना ;

(छ) विदेशी छात्रों तथा प्रवासी भारतीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सृजित अन्य संभार-तंत्र आधारभूत संरचना के लिए, यदि कोई हो, व्यवस्था करना ;

(ज) बोर्ड की गतिविधियों के लिए और विदेशी छात्रों तथा प्रवासी भारतीय छात्रों को विभिन्न सेवाएँ मुहैया करने के लिए बजट प्रावधान तैयार करना ;

(झ) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समुनदेशित किया जाए ऐसा अन्य कार्य हाथ में लेना, ताकि राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय अनुबन्ध बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके।

नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड।

५३. (१) नवपरिवर्तन की संकल्पना के प्रचार के लिए तथा उद्‌भवन की प्रक्रिया के जरिए जो अंतिमत: उद्यम के निर्माण के लिए नेतृत्व करेंगे ऐसे नवपरिवर्तनात्मक विचारों को आदर्श कार्य में बदलने के लिए, अनुकूल वातावरण के सृजन और संवर्धन के लिए एक नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड होगा।

(२) विश्वविद्यालय, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम के लिए एक स्वतंत्र केंद्र स्थापित करेगी । केंद्र, समय-समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(३) नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति – अध्यक्ष;

(ख) प्रति कुलपति;

(ग) संकायाध्यक्ष और सहयोगी संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(घ) विनिर्माण, सूचना और संचार प्रोद्योगिकी, जीवविज्ञान और प्रोद्योगिकी, कृषि उद्योगों और सेवा उद्योगों से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच प्रमुख उद्योगपति ;

(ङ) विश्वविद्यालय विभागों या विश्वविद्यालय संस्थाओं से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक जो नवपरिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास में सक्रिय हैं ;

(च) महाविद्यालयों से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक जो नवपरिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास में सक्रिय हैं ;

(छ) सूचना तथा प्रोद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि, उप-सचिव की श्रेणी से निम्न का न हो ;

(ज) निदेशक, नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबन्ध-सदस्य-सचिव ;

नवपरिर्वन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

५४. नवपरिवर्तन, उद्‌भवन और उद्यम बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों तथा राज्य और अन्य राज्यों के विभिन्न अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के बीच सहअस्तित्व तथा सहकारिता के लिए नीति और क्रियात्मक स्तर प्रक्रिया में सहक्रिया का सृजन करना ;

(ख) अच्छे विचारों के उद्भवन जैसे कि निर्माण, प्रक्रिया, सेवा तथा नवपरिवर्तन के लिए क्रियात्मक नीति प्रक्रिया और समर्थन प्रणाली के जरिए मापदण्ड पद्धति में सहक्रिया का सृजन करना, ताकि लघु, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित किए जा सके ;

(ग) राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर बौध्दिक संपत्ति के संरक्षण का समर्थन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना ;

(घ) एक प्रणाली स्थापित करना ताकि, परिचालन, विधिक, व्यापार मॉडल निर्माण और वित्तीय समर्थन में युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन तथा सहायता की जा सके ;

(ङ) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम केंद्र द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली क्रियाकलापों की परियोजना और योजना बनाना ;

(च) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम केंद्र की क्रियाकलापों के वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और नियत काल पर उनका पुनर्विलोकन करना ;

(छ) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम केंद्र का वार्षिक बजट तैयार करना ;

(ज) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम केंद्र की क्रियाकलापों का निरीक्षण करना और मानिटर करना ;

(झ) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम केंद्र के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध परिषद को प्रस्तुत करना ;

(ञ) नवपरिवर्तन, उद्भवन और उद्यम बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसे कोई अन्य कार्य हाथ में लेना।

छात्र विकास बोर्ड।

५५. (१) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में छात्रों के विभिन्न सांस्कृतिक तथा कल्याण के क्रियाकलाप की योजना करने और निरीक्षण करने के लिए, एक छात्र विकास बोर्ड होगा। छात्र विकास बोर्ड के क्रियाकलाप, छात्र विकास निदेशक के द्वारा कार्यान्वित किये जाएगे।

(२) छात्र विकास बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) प्रति कुलपति ;

(ग) कला प्रदर्शन के क्षेत्र में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक व्यावसायिक ;

(घ) कला और ललित कला क्षेत्र में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक व्यावसायिक ;

(ङ) सांस्कृतिक या कल्याण गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो अध्यापक जिसमें से एक महिला होगी ;

(च) विश्वविद्यालय छात्र परिषद का पदाधिकारी ;

(छ) प्रबंधपरिषद द्वारा नामनिर्देशित, प्रत्येक जिले के लिए सांस्कृतिक तथा छात्र कल्याण का जिला समन्वयक ;

(ज) विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का निदेशक ;

(झ) निदेशक, छात्र विकास बोर्ड, सदस्य-सचिव।

छात्र विकास बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

५६. (१) छात्र विकास बोर्ड की, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(क) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय विभागों में संस्कृति के संवर्धन और छात्र विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(ख) विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय निकायों के साथ अनुबंध स्थापित करना और उनके साथ संयुक्त रूप से विभिन्न क्रियाकलापों को बढ़ावा देना ;

(ग) प्रदर्शन कला, विशुद्ध कला और चित्रकला कौशल के क्षेत्र में मूल्यांकन के लिए रुचि तथा कौशल को बढ़ावा देने कि लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय विभागों में क्रियाकलाप लेना ;

(घ) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय को समाज के करीब लाने के क्रम में, विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएँ, कौशल विकास कार्यशालाएँ, पारस्परिक क्रियाकलाप रखना ;

(ङ) समूहों, राजनीती दलों को छोडकर संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना, ताकि छात्र विकास बोर्ड की गतिविधियों में उन्हें शामिल कर सकें ;

(च) अर्जन और अध्ययन योजना, शिक्षा ऋण, कुलपति सहाय्यता निधि, विन्यास योजना, छात्र आदान-प्रदान योजना आदि समेत छात्र विकास के प्रवर्तन योजना आविष्कार द्वारा देना, विकास करना तथा कार्यान्वय करना;

(छ) छात्र शिकायत प्रतितोष यंत्रणा तथा छात्र के लैगिंक उत्पीडन तथा रॅगिंग के निवारण की यंत्रणा आविष्कार द्वारा देना तथा बोर्ड के वार्षिक-रिपोर्ट तैयार करना तथा अनुमोदन के लिए सीनेट को प्रस्तुत करना;

(ज) छात्र विकास तथा संस्कृति के संबंध में आयोग की सिफारशें कार्यान्वित करने की यंत्रणा आविष्कार द्वारा देना;

(झ) विभिन्न प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ तथा सांस्कृतिक, आमोद-प्रमोदात्मक और अन्य क्रियाकलापों में सुप्रशिक्षित दलों के सहभाग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करना ;

(ञ) व्यवसाय समुपदेशन, मानसिक रुप से समुपदेशन एवं पुनर्वास हेतु उन्नयन के लिए योजना तयार करना, विकसित करना और कार्यान्वित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय तथा सहबद्ध महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवायोजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कॅडेट कॉप्स (एन सी सी) समन्वित करना ;

(ठ) आर्डिनेन्सों द्वारा यथा विहित परिक्षाओं के सुसंगत समयसारणी के दौरान, अंतर-विश्वविद्यालयीन या राष्ट्रीय या आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं या एनसीसी, एनएसएस कार्यक्रमों मे भाग लेनेवाले छात्रों के लिए परीक्षाओं से संबंधित आनुकाल्पिक व्यवस्था करने के लिए सक्षम प्राधिकरण को सिफारिश करना ;

(ड) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समनुदेशित किया जाए ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना, ताकि छात्र विकास बोर्ड और छात्र विकास इकाई के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके ।

(२) छात्रों को सहायता करने तथा छात्रों के शिकायतों का तत्परता से प्रतितोष का उपबंध करने, परिचालन स्तरीय यंत्रणा आविष्कार द्वारा देने के लिए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में छात्र विकास ईकाई तथा छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष होगा। वह कक्ष निम्न होंगे,—

(क) छात्र विकास कक्ष,—

छात्रों को उनके दैनंदिन जीवन से संबंधित विभिन्न पहलूओं के तथा उनके अकादमिक कार्य व्यक्तिमत्व विकास और विश्वविद्यालय परिसर स्वास्थ्यकर जीवन से संबंधित अन्य पहलूओं में विषयों और कठिनाइयों में सहायता करने के लिए एक छात्र विकास कक्ष होगा। विश्वविद्यालय में ऐसे कक्ष की अध्यक्षता छात्र विकास निदेशक द्वारा की जायेगी। इस कक्ष विश्वविद्यालय परिसर के अध्यापकों मे से कुलपति द्वारा नामित अन्य सात सदस्यों से तथा छात्र परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव के पदेन सदस्यों से मिलकर गठित होगी। यह छात्र विकास कक्ष प्रत्येक महाविद्यालय में तथा मान्यता प्राप्त संस्था में, जो प्राचार्य द्वारा नामित उप-प्राचार्य या वरिष्ठ अध्यापक की अध्यक्षता से तथा अन्य चार सदस्य प्राचार्य द्वारा नामित अध्यापकों, महिला अध्यापकों, सामाजित कार्यकर्ता, परामर्शदता, तथा महाविद्यालयों छात्र परिषद के पदेन सदस्य होनेवाले पदाधिकारी के समेत होंगे।

(ख) छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष,—

छात्रों की शिकायतें दूर करने तथा ऐसी शिकायतों को कम करने तथा उन्हे रोकने के विभिन्न मार्ग उच्चतर प्राधिकरणों को सुझावित करने के लिए विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओ में छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष होगा छात्र शिकायत पतितोष कक्ष की कृत्यकारी यंत्रणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत प्रतितोष) विनियमन, २०१२ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियमों के उपबंधो के अनुसार तयार गए परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी होगी।

क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड।

५७. (१) क्रीड़ा की संस्कृति को बढ़ावा देने और क्रीड़ा से संबंधित क्रियाकलापों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय में क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड होगा। बोर्ड के क्रियाकलाप, क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा के निदेशक द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(२) क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) प्रति कुलपति ;

(ग) क्रीड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित विश्वसनीयता के साथ कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, तीन व्यावसायिक ;

(घ) जहाँ पर विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्थित है ऐसे जिले का जिला क्रीडा अधिकारी ;

(ङ) विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा के विभाग से प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट, एक अध्यापक ;

(च) सहबद्ध, संचालित या स्वायत्त महाविद्यालयों से प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो क्रीड़ा अध्यापक ;

(छ) एक वर्ष की अवधि के साथ क्षेत्रिय तथा प्रभागीय अध्यक्ष (मेजबान महाविद्यालय के प्राचार्य) तथा सचिव (मेजबान महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा निदेशक) ;

(ज) विश्वविद्यालय छात्र परिषद का अध्यक्ष, सचिव ;

(झ) धारा ९९ की उप-धारा (४) के खण्ड (ख) के, उप-उप-खण्ड (५) के अधीन विश्वविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय छात्र परिषद के क्रीड़ा क्षेत्र से एक छात्र सदस्य ;

(ञ) निदेशक क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा - सदस्य - सचिव ;

क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

५८. क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय विभागों में क्रीड़ा के क्षेत्र में क्रीड़ा संस्कृति तथा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(ख) क्रीडाओं में प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय निकायों के साथ अनुबंध स्थापित करना और उनसे जुड़े विभिन्न क्रियाकलापों को बढ़ावा देना ;

(ग) समूहों, संस्थाओं और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ संपर्क स्थापित करना ताकि क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड की क्रियाकलापों में उन्हें शामिल किया जा सके ;

(घ) विश्वविद्यालय की नीति और क्रीड़ा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार भी विभिन्न खेलो में अभिरुचि तथा कौशल को भी बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालय विभागों में क्रियाकलाप लेना ;

(ङ) महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय को समाज के निकट लाने के लिए विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं, क्रीड़ा कौशल विकास शिबिरों, पारस्परिक क्रियाकलापों तथा विभिन्न क्रीड़ाओं में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना ;

(च) विभिन्न क्रीडाओं में सुप्रशिक्षित टीमों के जरिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों तथा प्रतियोगिताओं में सहभागिता को प्रोत्साहित करना ;

(छ) आर्डिनेन्सों द्वारा यथा विहित परिक्षाओं के सुसंगत समय सारणी के दौरान आंतर विश्वविद्यालयीन या राष्ट्रीय या आंतर राष्ट्रीय क्रीडा प्रातियोगिताओ या कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले छात्रों के लिए परिक्षाओं से संबंधित आनुकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश करना ;

(ज) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समुनदेशित किया जाए ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके।

अनुसंधान बोर्ड।

५९. (१) विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसंधान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहन और बल देने के लिए तथा अनुसंधान की गतिविधियों के लिए योजना, सहकारिता, पर्यवेक्षण और वित्त की वृद्धि करने के लिए भी एक अनुसंधान बोर्ड होगा।

(२) अनुसंधान बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) प्रति कुलपति ;

(ग) संकायाध्यक्ष तथा सहयोगी संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, अनुभव प्रमाणित,चार प्रतिष्ठित अनुसंधान कर्ता ; उनमें से प्रत्येक एक अनुसंधानकर्ता शुद्ध तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य, लेखा तथा वित्त और आंतर विषयक अध्ययन से होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय विभागों से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक ;

(च) अनुसंधान संस्कृति में मजबूत आधार रखने वाले महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अध्यापक ;

(छ) कुलधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट वैश्विक रूझानों साथ ही साथ प्रादेशिक समस्याओं से सुपरिचित है ऐसे विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, बँकिग, वित्त, उद्योग बौध्दिक संपदा अधिकार आदि विभिन्न क्षेत्रो से, आठ प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(ज) निदेशक, अभिनवपरिवर्तन, उद्‌भवन और अनुबन्ध केंद्र - सदस्य - सचिव।

(३) अनुसंधान बोर्ड की, एक वर्ष में कम से कम तीन बार बैठकें होगी।

अनुसंधान बोर्ड की शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

६०. अनुसंधान बोर्ड के, निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुसंधान, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक नीति और योजना पर कार्य करना ;

(ख) वैयक्तिक तथा समूह स्तर पर आपातिक क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य करने के लिए अध्यापकों को परामर्श देना और प्रोत्साहित करना ;

(ग) अनुसंधान तथा मूलभूत सुविधा विकास के आदान-प्रदान के लिये अध्यापकों के बीच समन्वय द्वारा और नीति बनाने और स्पष्ट करने के लिये आंतर - विषयक अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ;

(घ) अनुसंधान छात्रों के लिए सभी अनुशासनों में अनुसंधान सेमिनारों का आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) विभिन्न अनुशासन के लिए अनुसंधान, जर्नल प्रबंधों को प्रकाशित करना ;

(च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामक निकायों के मानकों के अनुसरण में **पीएचडी** उपाधियों के लिए अनुसंधान दरजा बनाए रखने के लिए नीति पर निर्णय लेना ;

(छ) अकेले या समूह गतिविधि के रुप में या उद्योगों और अन्य अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के सहयोजन से विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में कृत कार्य के लिए अनुसंधान और विकास डाटा बेस के सृजन पर कार्य करना ;

(ज) शिक्षा, आमने-सामने अध्ययन और ई-लर्निंग, छात्रों के अध्ययन और बोधगम्यता पर ई-लर्निंग तथा वास्तविक कक्षाओं का संघात, दूरस्थ शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा की सुपुर्दगी में अनुसंधान कार्यान्वित करना और प्रारंभ करना ;

(झ) अनुसंधान के क्रियाकलापों कें लिए निधियों की वृद्धि करने के लिए प्रयास करना और अध्यापकों, विश्वविद्यालय विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को भी सहायता करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के अनुसंधान गतिविधियों के लिए बजट तैयार करना ;

(ट) अनुसंधान की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उद्योग से धन जुटाना ;

(ठ) विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र की संबंधीत समस्याओं तथा विवाद्यक से परिचित कराने तथा प्रायिक अनुसंधान के जरिए ऐसे विवाद्यक विशेष उपक्रम संबोधित करना ;

(ड) अनुसंधानकर्ता और उद्योग समूह के बीच में सहक्रिया सृजित करने के लिए दीर्घकालिक नीति और योजना के अनुसार कार्य करना जिस फलस्वरुप अनुसंधान विषयक ज्ञान और अंतरण तथा उत्पादन को बढावा मिले ;

(ढ) मूलभूत तथा उपयोजित अनुसंधान परियोजना को बढावा देने अंगीकृत करना तथा उसमें सहभाग लेने लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना ;

(ण) राष्ट्रीय तथा आंतराष्ट्रीय उद्योगों की सहभागिता की सहायता से केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करना ;

(त) विश्वविद्यालय प्राधिकरणों द्वारा जैसा कि समुनदेशित किया जाए ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना ताकि अनुसंधान बोर्ड के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके।

प्राधिकरणों की शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य।

६१. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों में अधिकधित न किये गये, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ, कृत्य तथा कर्तव्य इस प्रकार होंगे जिन्हें परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि।

६२. (१) इस अधिनियम के अधीन गठित प्रत्येक प्राधिकरण की अवधि, १ सितंबर से प्रारंभ होगी और उक्त दिनांक से पाँच वर्षों की होगी और उस दिनांक का विचार किए बिना, जिस दिनांक पर वह सदस्य अपने पद पर प्रविष्ट हुआ है, प्रत्येक प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि, उक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान पर अवसित होगी।

(२) निर्वाचन, नामनिर्देशन तथा सहयोजन की प्रक्रिया, प्राधिकरण की अवधि के अवसान से कम से कम तीन महीने पूर्व प्रारंभ करनी होगी और उस वर्ष के ३० नवम्बर तक पूर्ण की जायेगी।

सदस्यता की समाप्ति ।

६३. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित, नामित, नियुक्त या सहयोजित कोई व्यक्ति या विश्वविद्यालय के किन्हीं प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य, ऐसे पद, प्राधिकरण या निकाय संबंधी इस अधिनियम के संगत उपबंधो द्वारा या के अधीन, विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों या सदस्यों के किन्हीं संवर्ग के अधीन, ऐसा पदाधिकारी या सदस्य के रूप में इस प्रकार निर्वाचित, नामित, नियुक्त या सहयोजित होने का पात्र होता है, तो वह विश्वविद्यालय के ऐसे पदाधिकारी या ऐसे प्राधिकरण का सदस्य बने रहने से परिविरत होगा जब, वह ऐसा संवर्ग धारण करने से परिविरत होता हैं तथा उसने ऐसे पदाधिकारी या सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त किया है ऐसा समझा जायेगा।

प्राधिकारी की सदस्य बनने की अनर्हता।

६४. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण निकाय तथा समिति का सदस्य होने से अनर्ह होगा तथा प्राधिकरणों, निकायों तथा समिति को मतदान करने के लिए यदि वह,—

(क) विकृत चित्त का हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हैं ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हैं ; या

(ग) नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हैं ; या

(घ) प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग क्लास चलाता हैं या स्वयं को उसमें कार्यरत रखता हैं ; या

(ङ) कहीं से भी किसी परीक्षा तथा मूल्यांकन के संचालन में अनुचित व्यवहार करने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है ; या

(च) इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेंसों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर चूक करता है या इंकार करता है, या विश्वविद्यालय के हित को किसी रीति में हानि पहुँचाने का कार्य करता है ; या

(छ) अवचार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी भी रीत्या में दण्डित किया गया है ; या

(ज) परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में, कोई गोपनीय मामला, चाहे जिस किसी भी रीति में हो, उसकी पदीय स्थिति के कारण, वह जानकारी जो उसके अधिकार में आने वाली है, जनता में प्रकट करता है या प्रकट करवाने का कारण बनता है :

परंतु, खण्ड (ड़) तथा (छ) के संबंध में व्यक्ति का मत देने का अधिकार उक्त खण्डों के अधीन दण्डावधि के दौरान निलंबन शेष रहेगा।

द्वितीय लगातार पदावधि के लिए अपात्रता।

६५. प्रबंध परिषद, का सदस्य या अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष का कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वह निर्वाचित, नामित, या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य हो द्वितीय लगातार पदावधि के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु, कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक को विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद का सदस्य या अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष था, फिर चाहे वह निर्वाचित, नामित या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य था तो, वह इस अधिनियम के प्रारंभण के बाद पहली बार के लिए यदि नामित या निर्वाचित या सहयोजित हुआ है तो वह क्रमवर्ती पदावधि के लिए पात्र समझा नहीं जायेगा।

प्राधिकरण का विनिश्चय निश्चायक होगा।

६६. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा उपबंधित से अन्यथा, विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधो द्वारा या के अधीन उसे समनुदेशित कार्य करते समय और शक्तियों का प्रयोग करते समय या कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय इस अधिनियम के उपबंधो द्वारा या के अधीन उसे समनुदेशित मामलों पर कार्य करने तथा विनिश्चय करने तथा उसे समनुदेशित कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने की संपूर्ण अधिकारिता होगी, वह उसे समनुदेशित मामलों का निपटान और विनिश्चय करेगा।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन होगा ।

६७. (१) धारा ९९ की उप-धारा (२) के खण्ड (क) से (ङ) तथा उप-धारा (३) के खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट पदों के अलावा इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का प्रत्येक निर्वाचन परिनियमों द्वारा यथा विहित एकल हस्तांतरणीय मतदान के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार, बॅलेट द्वारा कराया जाएगा ।

(२) निर्वाचन संबंधी अन्य ब्यौरे, जिन्हें अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित किए गए के अनुसार होंगे ।

सदस्यता का पदत्याग।

६८. (१) **पदेन** सदस्य से अन्य सदस्य, अपने हस्ताक्षर से लिखकर त्यागपत्र दे सकेगा । कुलाधिपति का नामनिर्देशिती, कुलाधिपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकेगा और अन्य सदस्य कुलपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकेगा । कुलाधिपति या, यथास्थिति, कुलपति द्वारा स्वीकृत करने पर या त्यागपत्र के दिनांक से तीस दिनों की समाप्ति पर, जो कोई पहले हो, वह व्यक्ति सदस्य बने रहने से परिविरत हो जाएगा ।

(२) यदि, किसी प्राधिकरण या निकाय का नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित, नियुक्त या सहयोजित कोई व्यक्ति, प्राधिकरण या निकाय की पूर्वानुमति के बिना, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसने अपनी सदस्यता छोडी है यह समझा जाएगा तथा वह ऐसी तीसरी बैठक के दिनांक से, जिसमें वह अनुपस्थित रहा है, सदस्य होने से परिविरत होगा ;

परंतु यह कि, ऐसे सदस्यको, पिछले वर्ष की कम से कम एक बैठक में उपस्थित होना चाहिए।

प्राधिकरणों की बैठक।

६९. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय द्वारा गठित प्राधिकरणों, निकायों या समितियों, यदि कोई हों, बैठक बुलाने संबंधी सभी मामले ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(२) प्राधिकरण या निकाय की बैठक उसके सचिव द्वारा जारी नोटीस द्वारा अध्यक्ष द्वारा अवधारित दिनांक को ली जाएगी।

(३) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बैठक की गणपूर्ति, साधारणतया आसीन सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई होगी । यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो सभापति द्वारा, उसी दिन के विनिर्दिष्ट समय तक या पश्चात्वर्ती दिनांक के विनिर्दिष्ट समय तक सभा स्थगित की जाएगी और ऐसी बैठक स्थगित करने के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी । अगले दिन की बैठक जारी रखने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(४) जहाँ इस परिनियम द्वारा या के अधीन, अध्यक्ष या सभापति को, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की बैठक में पीठासीन होने के लिए कोई उपबंध नही किया गया है या इस प्रकार उपबंध किया गया अध्यक्ष या सभापति जब अनुपस्थित रहता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को पीठासीन होने का उपबंध नहीं किया गया है तब उपस्थित सदस्य, बैठक में पीठासीन होने के लिए अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे ।

(५) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कार्यसूची के समस्त मदों, प्रश्नों, मामलों या प्रस्तावों पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाएगा। सभापति भी मत देगा । मतों के समानता होने के मामले में, सभापति का, निर्णायक मत होगा । सचिव यदि, सदस्य नहीं है तो विचार-विमर्श में हिस्सा लेने का उसे अधिकार होगा परंतु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

आकस्मिक रिक्ति और स्थायी समिति रिक्तियाँ भरेगी।

७०. (१) प्रबंध परिषद को छोडकर विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के पदेन सदस्य कुलधिपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य अन्य किसी सदस्य का पद उसकी सामान्य पदावधि के अवसानपूर्व रिक्त हो जाता है, वह रिक्ति, उप-धारा (३) के अधीन गठित स्थायी समिति द्वारा किसी व्यक्ति के नामांकन से भर दी जाएगी जो कि अन्यथा उसी संवर्ग में से उक्त प्राधिकरण या निकाय पर निर्वाचित होने के लिए पात्र है।

(२) विश्वविद्यालय के प्रबंध परिषद के पदेन सदस्य से अन्य किसी सदस्य के पद में रिक्ति पायी जाने के मामले में, वह रिक्ति यथाशीघ्र प्राधिकरण, निकाय या संबंधित अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के नामांकन या निर्वाचन या, यथास्थिति, सहयोजना से भर दी जाएगी। इस प्रकार नामनिर्दिशित, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जो कि अन्यथा उसी संवर्ग में से उक्त प्राधिकरण या निकाय पर, नामनिर्देशित, निर्वाचित या सहयोजित होने

के लिए पात्र है। इस प्रकार नामनिर्दिशित, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान में उसे नामनिर्दिशित, निर्वाचित या सहयोजित किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई तो वह उस पद को धारण करता।

(३) उप-धारा (१) में उल्लिखित रिक्तियाँ भरने के लिए स्थायी समिति का गठन, निम्न सदस्यों से मिलकर होगा, अर्थात् : —

(क) प्रति कुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) प्रबंध परिषद पर की कुलाधिपति से नामनिर्देशित व्यक्ति;

(ग) प्रबंध परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक-संकायाध्यक्ष ;

(घ) प्रबंध परिषद द्वारा नामनिर्देशित उस परिषद का एक निर्वाचित सदस्य ;

(ङ) सीनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिशित एक प्राचार्य ;

(च) सीनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिशित एक अध्यापक ;

(छ) सीनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिशित एक स्नातक ;

(ज) रजिस्ट्रार- सदस्य-सचिव।

(४) स्थायी समिति की अवधि, १ सितंबर से प्रारम्भ होगी तथा उक्त दिनांक से पाँच वर्ष तक होगी । जिस दिनांक पर वह सदस्य अपने पद पर प्रविष्ट हुआ है उस दिनांक का विचार किए बिना सदस्य की पदावधि उक्त पाँच वर्षो की अवधि के अवसान पर अवसित होगी।

अध्याय पाँच

परिनियम, ऑर्डिनेन्स तथा विनियम

परिनियमों और उनकी विषय वस्तु।

७१. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों का उपबंध कर सकेगा, अर्थात् : —

(१) सम्मानिक उपाधियाँ और अकादमिक विशेष उपाधियाँ प्रदान करना ;

(२) उप-परिसर विश्वविद्यालय विभागों, संस्थाओं, संचालित महाविद्यालयों, उच्चतर विद्या, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाएँ तथा छात्रावासों की स्थापना तथा संपोषण ;

(३) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन अधिकथित नहीं किये गये है विश्वविद्यालय प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य;

(४) विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं तथा संचालित महाविद्यालयों का उत्सादन ;

(५) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों में कार्य के संचालन के लिए प्रक्रिया के नियम;

(६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय की निधियों का विनियोग;

(७) राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के विभागों या संस्थाओं, संबंध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को स्वायत्तता देने लिए मानक;

(८) व्यक्तियों या संगठनों से न्यास, वसीयत दान, विन्यास तथा अनुदानों को प्राप्त करना और प्रबंध ;

(९) राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानिक प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित और संपोषित महाविद्यालयों या संस्थाओं से अन्य विश्वविद्यालय, संबध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के व्यतिक्रम करनेवाले अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुध्द अनुशासनिक कार्यवाही ;

(१०) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के छात्रों के आवास, आचरण और अनुशासन की शर्तें और अनुशासन भंग करने के कदाचार के लिए उनके विरुध्द कार्यवाही की जाएगी, जिसमें निम्न का समावेश होगा : —

(क) परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करना या उसका दुष्प्रेरण ;

(ख) किसी मूल्यांकन तथा परीक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा या विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी प्राधिकृत जाँच में उपसंजात होने या साक्ष्य देने में इंकार करना ; या

(ग) चाहे विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर, विच्छृंखल या अन्यथा आक्षेपणीय आचरण ;

(११) छात्रों की शिकायतों का प्रतितोष करने के लिए रचना तंत्र और प्रक्रिया ;

(१२) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में छात्र परिषद के कृत्य और कर्तव्य ;

(१३) विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचनों के आयोजन के लिए प्रक्रिया ;

(१४) महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और उनके निलंबन या प्रत्याहरण को अनुमोदन देने के लिए शर्तें और प्रक्रिया ;

(१५) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, हॉल और छात्रावासों का निरीक्षण ;

(१६) प्रबंधन के अंतरण के लिए अनुमति देते समय अपनायी जानेवाली प्रक्रिया ;

(१७) इस अधिनियम के अधीन कुलपति द्वारा प्राधिकरणों, बोर्डों और समितियों पर सदस्यों का नामांकन करते समय अपनायी जानेवाले मानक और प्रक्रिया ;

(१८) महाविद्यालयों तथा संस्थाओं हेतु संबद्धन मंजूर करने और वापस लेने के मानक ;

(१९) विश्वविद्यालय द्वारा लोकहित में, किसी महाविद्यालय या संस्था का प्रबंध ग्रहण करना या अंतरण करना, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, ऐसे ग्रहण या अंतरण के लिए शर्तें ;

(२०) विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की अर्हताएँ, भर्ती, आचार संहिता, पद की शर्तें, सेवा की शर्तें तथा कर्तव्यों समेत कालिक निर्धारण को छोडकर, वे महाविद्यालय या संस्था जो राज्य या केंद्र सरकार या स्थानिय प्राधिकारी द्वारा सम्पोषित है, के भर्ती के लाभ तथा राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित उनकी सेवाओं की समाप्ति की रीति, परंतु यह कि वे राज्य सरकार की नितियों के उल्लंघन में नहीं होगी;

(२१) धारा ९८ की उप-धारा (७) के अधीन क्रय के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ;

(२२) परिनियमों द्वारा विहित किए जाने वाला या कोई मामला जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है ।

परिनियम कैसे बनाए जाए।

७२. (१) परिनियम सीनेट द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीत्या बनाये, संशोधित किए या निरसित किए जाएँगे ।

(२) परिनियम समिति, प्रबंध परिषद द्वारा यथा अधीन गठित होगी–

(क) अध्यक्ष के रुप में प्रबंध परिषद के निर्वाचित सदस्यो में से परिषद का एक सदस्य ;

(ख) एक संकायाध्यक्ष ;

(ग) विश्वविद्यालय विभागों या सहबद्ध महाविद्यालयों का एक प्राध्यापक ;

(घ) सहबद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य ;

(ड़) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार ;

(च) सदस्य सचिव के रुप में विश्वविद्यालय का विधि अधिकारी ।

ऐसी परिनियम समिति, प्रस्तावित प्रारूप परिनियम संबंधित मामले, अंतिम पूर्ववर्ती अनुभाग में विर्निर्दिष्ट करने के लिए तैयार करेगी तथा प्रबंध परिषद को, सीनेट की सिफारिशों के लिए प्रस्तुत करेगी ।

(३) प्रबंध परिषद, यदि आवश्यक समझती है, तो ऐसे किसी परिनियम के प्रारूप के संबंध में, जो कि विचारार्थ उसके समक्ष है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की भी राय प्राप्त कर सकेगा ;

(४) सीनेट द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को पेश किया जाएगा जो कि उसे अपनी सहमति दे सकेगा या रोक सकेगा या उसे पुनर्विचार हेतु प्रबंध परिषद के पास वापस भेज सकेगा । कुलाधिपति, ऐसे परिनियमों के कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार की तरफ से यदि कोई विवक्षाएँ हों, वित्तीय या अन्यथा, उसके विचार के लिए राज्य सरकार को परिनियम प्रारुप भेज सकेगा ।

(५) सीनेट द्वारा पारित कोई भी परिनियम, जब तक कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, विधिमान्य नहीं होगा या प्रवृत्त नहीं होगा ।

(६) पूर्वगामी उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति या तो **स्व-प्रेरणा** से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में विश्वविद्यालय को परिनियम में उपबंध करने

का निदेश दे सकेगा और यदि सीनेट वह प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर, ऐसा निदेश लागू करने में विफल रहता है, तो कुलाधिपति, सीनेट द्वारा उस निदेश का पालन करने में बताई गई अपनी असमर्थता के कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद परिनियमों को युक्तियुक्त बना सकेगा या उसमें संशोधन कर सकेगा ।

(७) सिनेट, या तो स्वयं या प्रबंधन परिषद के प्रस्ताव से, परिनियमों के प्रारुप पर विचार करेगी। प्रबंधन परिषद द्वारा प्रस्तावित न किये गये प्रारुप संबंध में, सीनेट, उस पर विचार करने से पूर्व, प्रबंधन परिषद की राय प्राप्त करेगी :

परंतु, प्रबंधन परिषदने, प्रारुप प्राप्त होने की दिनांक से तीन महिने के भीतर अपनी राय प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, सीनेट प्रारुप पर विचार करने की कार्यवाही शुरु करेगा।

(८) सीनेट यदि उचित समझें तो, उसके सामने विचारार्थ किसी प्रारुप परिनियम को संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी की, प्राधिकरण की या निकाय की राय लेगी।

परंतु, यदि ऐसा कोई भी प्रारुप, परिनियमों से संबंधित अकादमिक विषयों का है तो, सीनेट, उस पर विचार करने से पूर्व, अकादमिक परिषद की राय माँगेगी।

(९) प्रबंधन परिषद, प्रारूप परिनियम अनुमोदन के लिए सीनेट को सिफारिश करेगी और सीनेट द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(१०) पूर्ववर्ती उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को **राजपत्र** में प्रकाशन के जरिए उद्देश्यों पर एकरुप परिनियम, विहित करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय पर बाद्धकारी होगा।

ऑर्डिनेंस और उनके विषय-वस्तु ।

७३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, ऑर्डिनेंस निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(१) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशेष योग्यता के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा ;

(२) इस अधिनियम के अधीन फीस नियतन समिति द्वारा पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों को स्वीकृत करने का प्रभार और फीस, अन्य फीस सुनिश्चित करने के मानक एवं प्रक्रिया ।

(३) महाविद्यालयों और संस्थाओं को सम्बध्द करने और मान्यता देने के लिए फीस ;

(४) परीक्षकों की नियुक्ति और कर्तव्यों की शासी शर्तें ;

(५) परीक्षाओं, अन्य परीक्षणों और मूल्यांकन का आयोजन, तथा उनकी रीति जिसमें छात्र परीक्षकों के द्वारा निर्धारित या परीक्षित किए जा सकें ;

(६) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मान्यता और शर्तों के विषय में जो व्यक्ति, विश्वविद्यालय के विभागों, महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अनुदेश देने के लिए यथा पात्र मान्यताप्राप्त हैं ;

(७) छात्रों के अंतरण संबंध में महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले और प्रवृत्त किए जाने वाले मानक ;

(८) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५ के उपबंधों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समय-समय से जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धातों तथा निदेशों के अनुसरण में एक कक्ष की स्थापना करने के उपबंधों समेत समान अवसर कक्ष का गठन, शक्तियाँ, कर्तव्य तथा कृत्य ; सन् १९९६ का १।

(९) विश्वविद्यालय और सहबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों के रॅगिंग की रोकथाम के लिए यंत्रणा ;

(१०) विश्वविद्यालय और सहबद्ध महाविद्यालयों में के अध्यापक, कर्मचारी, छात्र के लैंगिक रॅगिंग की रोकथाम की यंत्रणा ; तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम प्रतिषेध तथा प्रतितोष) अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अनुसरण में लैंगिक उत्पीडन की घटनाओं से संबंधित शिकायतों का प्रतितोष तथा जो लैंगिक उत्पीडन करने के लिए आसक्त रहते है उनके लिए शास्ति की यंत्रणा ; सन् २०१३ का १४।

(११) कोई अकादमिक मामला जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या के अधीन ऑर्डिनेन्स द्वारा विहित किया जाए या जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है ।

ऑर्डिनेंस और उनको बनाना ।

७४. (१) अकादमिक परिषद, इसके पश्चात् उपबंधित रीत्या में ऑर्डिनेन्स बनायेगी, संशोधित करेगी या निरसित करेगी ।

(२) संकायाध्यक्ष बोर्ड, धारा ७३ में निर्दिष्ट ऑर्डिनेंस प्रारुप से संबंधित मामले तैयार करेगा और प्रस्तावित करेगा ।

(३) ऑर्डिनेंस से संबंधित अकादमिक मामले प्रबंध परिषद द्वारा बनाए गए संशोधित किए गए या निरसित नहीं किए जायेंगे जब तक उसका प्ररुप अकादमिक परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(४) प्रबंध परिषद द्वारा बनायें गए समस्त आर्डिनेंस ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक ऑर्डिनेंस दो सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा । ऑर्डिनेंस प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर कुलाधिपति प्रबंध परिषद को यह निदेश देने की शक्ति प्राप्त होगी की वह उसका प्रवर्तन रोक दें, और वह यथाशक्य शीघ्र प्रबंध परिषद को अपनी आपत्ति से अवगत कराएगा । वह प्रबंध परिषद की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद या तो ऑर्डिनेंस निलंबित करनेवाला आदेश वापस ले सकेगा या ऑर्डिनेंस को अस्वीकृत कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

७५.(१) इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन विहित उपबंधों के अध्यधीन, प्रबंध परिषद निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम, परिनियमों और ऑर्डिनेंसों से सुसंगत विनियम बना सकेगी ,— विनियम ।

(क) अध्येतावृत्ति, यात्रा अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना तथा उनको प्रदान करना ;

(ख) अकादमिक कार्यक्रमों के लिए पारस्परिक फायदा, अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग करना ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य अकादमिक विशेष योग्यता के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा ;

(घ) विश्वविद्यालय के अभिलेख का परीक्षण करना ;

(ङ) ऐसे सभी या किन्ही मामलें जिन्हें इस अधिनियम, परिनियमों या ऑर्डिनेंसों द्वारा या के अधीन, विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाएगा या किया जा सकेगा ;

(च) सभी गैर-अकादमिक मामलें जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या ऑर्डिनेंसों के प्रयोजनों के लिए प्रबंध परिषद की राय में उपबंध आवश्यक है ।

(२) इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित उपबंधों के अध्यधीन, अकादमिक परिषद इस अधिनियम, परिनियमों और ऑर्डिनेंसों से सुसंगत, अकादमिक मामलों से संबंधित विनियमों को बना सकेगी ।

(३) संकायाध्यक्ष बोर्ड, प्रबंध परिषद या, यथास्थिति, अकादमिक परिषद के अनुमोदन के लिए, उप-धाराएँ (१) और (२) में निर्दिष्ट मामलों के लिए और सभी या किन्हीं मामलें जो इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेंसों के द्वारा या के अधीन विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने वाले हैं या किए जा सकेंगे, विनियम प्रारुप बनाएगी और रखेगी ।

अध्याय छह

महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा तथा विकास आयोग

७६. (१) महाराष्ट्र राज्य में उच्चतर शिक्षा तथा विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग की स्थापना की जायेगी । महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा तथा विकास आयोग ।

(२) आयोग की संरचना, निम्न नुसार होगी, अर्थात् :—

(क) मुख्यमंत्री,	अध्यक्ष ;
(ख) उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री,	उपाध्यक्ष ;
(ग) वित्त मंत्री,	सदस्य ;
(घ) चिकित्सा शिक्षा मंत्री,	सदस्य ;
(ङ) उद्योग मंत्री,	सदस्य ;
(च) कौशल विकास तथा उद्यमशिलता के मंत्री,	सदस्य ;
(छ) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री,	सदस्य ;
(ज) राज्य विधान परिषद तथा विधान सभा के विरोधी पक्ष के नेता	सदस्य ;
(झ) महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित महाराष्ट्र विधान सभा के तीन सदस्य,	सदस्य ;
(ञ) महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति द्वारा नामित महाराष्ट्र विधान परिषद के दो सदस्य,	सदस्य ;
(ट) कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रख्यात उद्योजक,	सदस्य ;

(ठ) कुलाधिपति द्वारा नामित, वास्तविक जीवन स्थिति के साथ शिक्षा अनुबंध के सृजन का अनुभव होनेवाला, वित्त या वाणिज्य या शिक्षा या विधि तथा न्याय के क्षेत्र से एक प्रख्यात व्यवसायी, — सदस्य ;

(ड) कुलाधिपति द्वारा, नामनिर्देशित तकनीकी-सामाजिक या तंत्र विकास कार्य में (टेक्नोक्रेट) प्रतिष्ठित दो वैज्ञानिक या सामाजिक नेता, — सदस्य ;

(ढ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, शिक्षा के स्वरूप, भूमिका और सूपूर्दगी कें सुधार में अनुभव होनेवाला एक शिक्षाविद्, — सदस्य ;

(ण) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, राज्य में सार्वजनिक या निजी विश्वाविद्यालय के दो कुलपति, — सदस्य ;

(त) सामाजिक विकास के साथ शिक्षा के अनुबन्धन में उनके योगदान के लिये कुलाधिपति द्वारा, नामनिर्देशित दो प्राचार्य, — सदस्य ;

(थ) कुलधिपति द्वारा नामनिर्देशित अध्यापन और अनुसंधान में कम से कम पंद्रह वर्ष के अनुभव वाले, विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में से दो वरिष्ठ विख्यात अध्यापक, — सदस्य ;

(द) सचिव, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, — सदस्य ;

(ध) सचिव, चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग, — सदस्य ;

(न) सचिव, योजना विभाग, — सदस्य ;

(प) सचिव, वित्त विभाग, — सदस्य ;

(फ) सचिव, शालेय शिक्षा विभाग, — सदस्य ;

(ब) सचिव, उद्योग विभाग, — सदस्य ;

(भ) सचिव, कौशल विकास तथा उद्यमशीलता विकास विभाग — सदस्य ;

(म) तकनीकी शिक्षा के निदेशक, — सदस्य ;

(य) उच्चतर शिक्षा निदेशक, — सदस्य ;

(यक) चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान निदेशक, — सदस्य ;

(यख) संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय, — सदस्य ;

(यग) आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, — सदस्य-सचिव :

परंतु यह कि, यदि मुख्यमंत्री, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा शिक्षा, कौशल विकास तथा उद्यमता या वित्तीय विभाग का कार्यभार संभालता है तो वह सदस्य के रुप में किसी अन्य मंत्री को नियुक्त कर सकेगा ।

(३) आयोग के नियुक्त सदस्यों की पदावधि तीन वर्षो की होंगी तथा विधान सभा के अवधि के साथ पर्यवसित होगी।

(४) आयोग, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक बुलायेगा ।

(५) आयोग, राज्य में उच्चतर शिक्षा के प्रभारी ऐसा राज्य सरकार का प्राधिकरण होगा तथा राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए जिम्मेवार होगा। आयोग योजना, मॉनिटरींग, समन्वय तथा मूल्यांकन करनेवाली प्राधिकरण होगी तथा तकनीकी, चिकित्सा, प्रबंधन, वृत्तिक शिक्षा समेत उच्चतर शिक्षा तथा शिक्षा में उभरते क्षेत्रों, जैसे-जैव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और वे जो भविष्य में ज्ञान के क्षितिज पर उभरे, के लिये विचारक -मण्डल के रुप में कार्य करेगी । आयोग, विभिन्न पणधारियों, अर्थात्, राज्य सरकार, सार्वजनिक या निजी विश्वविद्यालयों, निजी कुशलता शिक्षा प्रबन्धक तथा उद्योगों के बीच सहक्रिया का सृजन करेगा ।

आयोग के कृत्य तथा कर्तव्य ।

७७. (१) आयोग के कार्य तथा कर्तव्य, निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श में, उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं के न्यायसंगत वितरण की सुनिश्चिति की रीति उच्चतर शिक्षा के महाविद्यालयों और संस्थाओं के स्थाननिर्धारण के लिये, प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये पाँच वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना ;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना को अनुमोदन देना ;

(ग) सार्वजनिक तथा निजी विश्वविद्यालयों के लिये तथा सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिये अतिरिक्त स्त्रोतों की वृद्धि तथा निधि के आबंटन के लिये नये रास्ते निकालने के अन्वेषण पर राज्य सरकार को सलाह देना ;

(घ) राज्य में केन्द्र तथा क्षेत्र विशिष्ट कुशलता स्तर पर पूर्ण, तकनीकी तथा वृत्तिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकारों के शिक्षा संस्थाओं के बीच सहभाव तथा सहयोग के लिये नीति तथा क्रियात्मक स्तरीय यंत्रावली पर सहक्रिया का सृजन करना ;

(ड.) शिक्षा के वितरण, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षा का प्रशासन तथा अभिशासन में राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर हो रहे विकास को समझना और खोज-खबर रखना और इन परिवर्तनों के साथ पहलू में बने रहने के लिये राज्य में शिक्षा प्रणाली के लिये यथोचित नीति तथा योजना तैयार करना ;

(च) विभिन्न शाखाओं के सभी विषयों के संपूर्ण तथा अनुप्रयुक्त क्षेत्रों तथा शिक्षा की सभी विभिन्न शाखाओं तथा अनुसंधान संस्कृति की आवश्यकताओं और उद्योगों की माँगो के लिये भी, अनुसंधान संस्कृति के लिये क्रियात्मक नीति के ज़रिए सहक्रिया का सृजन करना ;

(छ) विभिन्न शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य, केंद्र और उद्योग अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशालाओं के बीच अकादमिक तथा ज्ञान स्त्रोत आधारभूत संरचना बाँटने के लिये नीति तथा योजना का सृजन करना ;

(ज) राष्ट्रीय ग्रीड के साथ आगे-पिछे में शिक्षा सूचना संसूचना नेटवर्क स्थापित तथा पोषित करना और शिक्षा सूचना संसूचना नेटवर्क में के हर एक और प्रत्येक शिक्षा संस्था तक भौगोलिक पहुँच की वृध्दि भी करना और प्रौद्योगिकी परिवर्तन की खोज खबर रखना तथा समय-समय से नेटवर्क अद्यतन करना ;

(झ) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव स्त्रोत विकास के साथ अनुबन्ध स्थापित करना ;

(ञ) अद्यतन पर्यावरण में अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियाओं के लिये डिजिटल प्ररुप में ई-अध्ययन अभिलक्ष्य तथा आभासी प्रयोग तथा आधार सामग्री के भण्डार का सृजन करना ;

(ट) शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन, मूल्यांकन तथा अभिशासन के लिये प्रौद्योगिकी के प्रयोग के परिस्त्रवण के लिये, नीति तथा योजना विकसित करना तथा सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिये ई-प्लैटफार्म की स्थापना को बढावा देना ;

(ठ) राज्य में तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं में विभिन्न ज्ञान स्त्रोतों के नेटवर्क के सृजन के जरिए सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा अनुसंधान के कार्यक्षेत्र और दर्जा में वृद्धि लाये, ऐसे अनुसंधान पत्रिका, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी पुनरीक्षणों तथा अन्य ऐसी सामग्री को बाँटने के लिये कार्यक्षेत्र का अन्वेषण करना ;

(ड) समाज की समस्त वरीयता, परिप्रेक्ष्य तथा आवश्यकता और उच्चतर शिक्षा से अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र के विभिन्न विषयों में कार्यक्रम तैयार करना ;

(ढ) विश्वविद्यालयों में एकसमान शिक्षा का मानक अवधारित करने और उसे बनाये रखने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

(ण) विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को अपने बीच सहकारिता और समन्वयन को बढ़ावा देने के लिये सलाह देना और एक तरफ विश्वविद्याालय और दूसरी तरफ उद्योग तथा अन्य संगठनों के बीच पारस्परिक क्रिया के लिये कार्यक्षेत्र का अन्वेषण करना ;

(त) उद्योग तथा अन्य स्त्रोतों से उच्चतर शिक्षा के लिये अतिरिक्त स्त्रोतों की वृद्धि के लिये मार्ग और के जरिये सुझाव देना ;

(थ) विश्वविद्यालयों द्वारा जिम्मा लिये गये विभिन्न क्रियाकलापों के लिये आंतर-विश्वविद्यालयीन कार्यक्रमों पर सलाह देना ;

(द) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, महाविद्यालयों के अध्यापकों और विश्वविद्यालय विभागों के अध्यापकों में भारी सहयोग, पारस्परिक प्रभाव और लेन-देन के कार्यक्रमों पर सलाह देना ;

(ध) उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन, अनुसंधान तथा विस्तार से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों के लिये आंतर-विश्वविद्यालयीन कार्यक्रम प्रवर्तित करना ;

(न) महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में वृद्धि और दरजे की पुष्टि करने के लिये, अकादमिक, प्रशासनिक, अभिशासन और वित्तीय सहक्रिया अधिक प्रेरक बनाने के लिये विभिन्न सुझावों, सलाहों तथा विशिष्ट सिफारिशों को ध्यान में लेना, और उन्हें साध्यता में लाने के लिये उपाय करना ;

(प) अध्यापकों के लिये, अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियाओं में ज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढावा देने के लिये अभिगम और योजना कार्यान्वित करना ;

(फ) शिक्षा तथा अनुसंधान में अनुभव के साथ परिषत्सदस्यों के लिये मंच का सृजन करना जिससे सुधार के लिये केंद्रभाग बनाया जाये और अकादमिक रुपरेखा, पाठ्यकार्य, प्रणाली विज्ञान की सुपूर्दगी तथा छात्रों के मूल्यांकन में यंत्रावली का परिचालन भी करना होगा ;

(ब) प्राचार्यों, संस्थाओं और विभागों के प्रमुखों के लिये महत्वपूर्ण प्रदर्शन सूचक और विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थाओं के अध्यापकों के लिये अकादमिक प्रदर्शन सूचक के प्रयोग से प्रदर्शन आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली से संबंधित सिफारिशें करना ;

(भ) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, जिनका प्रदर्शन, अकादमिक, अभिशासन, आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में लगातार खराब हो, के पुनर्रचना के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करना ;

(म) राष्ट्रीय तथा विश्व निर्धारण तथा प्रत्यायन अभिकरणों के साथ पारस्परिक क्रिया करना तथा महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में सुव्यवस्थित संपूर्ण दर्जा निर्धारण तथा कार्यक्रम अनुसार निर्धारण प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना ;

(य) राज्य में अध्यापकों, अकादमिक तथा उद्योग विशेषज्ञों, महाविद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों का डाटाबेस सृजित करना ;

(यक) एकमात्र पहचान क्रमांक के उपयोग द्वारा, भारतीय छात्रों का, जब वे प्रवेश स्तर पर महाविद्यालय आरंभ करे, डाटाबेस सृजित करना ;

(यख) विदेशी छात्रों के लिये सूचना संग्रहण तथा डाटा सृजन कक्ष स्थापित करना ;

(यग) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान, उनकी अन्य प्रवाहों अनुसंधान तथा विकास, परामर्श, प्रशिक्षण-नि-कौशल्य विकास कार्यक्रम, विदेशी छात्रों के लिये विशेष कार्यक्रम और किन्हीं अन्य समान क्रियाकलापों के जरिए वित्त के निर्माण की सूचना रखना और वित्तिय स्त्रोतों के निर्माण के लिये विभिन्न प्रवाहों का आविष्कार करना, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बने ;

(यघ) प्रादेशिक असंतुलन के निराकरण के लिये और पिछडे प्रवर्गों, ग्रामीण तथा जनजाति समुदायों, महिलाओं और किन्हीं ऐसे विनिर्दिष्ट समूहों के लिये उठाये जा सकनेवाले कदम उठाना और राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालयों को सिफारिश करना ;

(यङ) अकादमिक तथा अन्य आधारभूत मूलभूत सुविधाओं को बाँटने के लिये राज्य में सभी शैक्षिक संस्थाओं के बीच सहयोग तथा पारस्परिक क्रिया का पुनर्विलोकन करना तथा और उसे अधिक कार्यक्षम और प्रभावी बनाने के लिये मार्ग और माध्यम सुझाना ;

(यच) सामाजिक विकास के साथ एकात्मिक शिक्षा के लिये, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक और निजी दोनों, द्वारा अपनायें गये दृष्टिकोण और पद्धतियों का पुनर्विलोकन करना और सामाजिक विकास पर ऐसे दृष्टिकोण के प्रभाव को जाँचना और इसे अधिक कार्यक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिये मार्ग और माध्यम सुझाना ;

(यछ) धारा ७८ की उप-धारा (४) के अधीन बनाये गयी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषद की रिपोर्ट का विचार करना ;

(यज) अकादमिक उत्कर्ष, प्रशासनिक सुधार और वित्तीय सुधार को ध्यान में रखते हुये विशिष्ट वार्षिक परिणाम के साथ दर्शन योजना विकसित करना ।

(२) आयोग के कृत्य तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए यथा निम्न प्रबंध बोर्ड होगा ;

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष ;

(ग) उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव , सदस्य ;

(घ) कुलधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट राष्ट्रीय तथा वैश्विक ख्याति के विख्यात शिक्षाविद्, सदस्य ;

(ङ) योजना तथा समन्वयन सलाहकार, सदस्य ;

(च) गुणवत्ता तथा उत्कर्ष आश्वासन सलाहकार, सदस्य ;

(छ) मुक्त शिक्षा स्रोत तथा अध्यापक प्रशिक्षण सलाहकार, सदस्य ;

(ज) नेटवर्किंग तथा समर्थक सेवाएँ सलाहकार, सदस्य ;

(झ) वित्तीय तथा स्रोत निर्माण का सलाहकार, सदस्य ;

(ञ) परीक्षा तथा मूल्यांकन सलाहकार, सदस्य ;

(ट) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक विख्यात उद्योजक, सदस्य ;

(ठ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक लोक विश्वविद्यालय का कुलपति, सदस्य ;

(ड) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, वित्त, लेखा, विधि तथा अन्य सहबद्ध क्षेत्र से एक व्यावसायिक विशेषज्ञ, सदस्य ;

(ढ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित परिसिद्ध उत्कर्ष के साथ **नॅक** प्रत्यायित 'अ' श्रेणीकृत महाविद्यालय का एक प्राचार्य, सदस्य ;

(ण) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का एक प्राध्यापक, सदस्य ;

(त) उच्चतर शिक्षा के निदेशक, सदस्य ;

(थ) तकनीकी शिक्षा के निदेशक, सदस्य ;

(द) आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य-सचिव।

(३) आयोग का एक सचिवालय होगा जो आयोग के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होगा तथा आयोग की नीतियों, योजनाओं और सिफारिशों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार होगा । सचिवालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारी तथा जो आवश्यक हो ऐसे कर्मचारीवृंद से गठित होगा ।

(४) आयोग के मुख्य अधिकारी, सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा वह राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन, सीधा कार्य करेगा ।

(५) आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपलब्धियाँ, सेवा की शर्तें तथा निबंधन तथा अर्हता तथा सचिवालय का कर्मचारीवृंद राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अवधारित किया जाए ऐसा होगा :

(६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , —

(एक) आयोग के सचिवालय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा, जो आयोग के सभी कृत्यों और कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेवार होगा ;

(दो) सचिवालय तथा आयोग की प्रशासन तथा संपूर्ण क्रियाकलापों का नेतृत्व, निरीक्षण तथा मानिटर करेगा ;

(तीन) आयोग की नीतियों, योजनाओं तथा सिफारिशों के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा ;

(चार) आयोग की नीतियों, योजनाओं और सिफारिशों के निष्पादन के लिये प्रौद्योगिकी-संचालित क्रियात्मक यंत्रावली स्थापित करना ;

(पाँच) राज्य में सार्वजनिक तथा निजी विश्वविद्यालय के कुलपति, सभी शैक्षिक संस्थाओं के प्राचार्यों तथा प्रबंधमंडल के साथ अनुबन्ध तथा समन्वय स्थापित करना ;

(छह) कुलाधिपति के निदेशों के अनुसार आयोग की बैठक आयोजित करना ;

(सात) आयोग के कृत्यों तथा कर्तव्यों को पूरा करने तथा कार्यान्वयन करने के लिये, यथावश्यक, सेमिनार, कार्यशालाएँ, बैठकें आयोजित करना ;

(आठ) उच्चतर शिक्षा विभाग को प्रस्तुति के लिय आयोग के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान तथा वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण तैयार करना ;

(नौं) आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को तैयार करना ;

(दस) नियमित रुप से लेखापरीक्षा किये गये सचिवालय और आयोग का लेखा रखना ;

(ग्यारह) उसके अधीन कार्यरत सचिवालय के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का नियुक्ति तथा अनुशासनिक प्राधिकरण बनाना ;

(बारह) सचिवालय के कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तों तथा निबंधनों के नियम तैयार करना ;

(तेरह) कुलाधिपति द्वारा उसपर प्रदत्त की जा सके ऐसे अन्य कृत्यों, शक्तियों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना ;

(चौदह) आयोग के उद्देश्यों, कृत्यों तथा कर्तव्यों को पूरा करने के लिये सभी ऐसी क्रियाकलापों को करना ;

(पंद्रह) आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किया जा सके ऐसे अन्य कार्यों का जिम्मा उठाना ।

(७) प्रबंध बोर्ड पर सलाहकार का चयन तथा नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ऐसी होगी ।

(८) इस धारा में की कोई भी बात, विश्वविद्यालय के कार्यों, के प्रबंधन में किन्हीं कार्यकारी कृत्यों के कार्यान्वयन के लिये आयोग को सशक्त नहीं करेगी ।

महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषद।

७८. (१) महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान परिषद के नाम से जानी जानेवाली एक परिषद होगी (जिसे इसमें आगे **'रूसा'** कहा गया है)।

(२) उप-धारा (१) के अधीन यह परिषद, निगमित निकाय होगी और उसे शाश्वत उत्तराधिकारी और सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने नाम से वाद चला सकेगा या उसपर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (१) के अधीन परिषद की संरचना, कार्य तथा उत्तरदायित्व जो भारत सरकार के **'रूसा'** के मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार होगा :

परंतु, ऐसी प्रत्येक अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, उसके जारी होने के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन की परिषद, अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट धारा ७६ के अधीन आयुक्त को अग्रेषित करेगी।

अध्याय सात

अध्यापकों और कर्मचारियों की शिकायतें

शिकायत समिति।

७९. (१) विश्वविद्यालय ,संबद्ध तथा स्वायत्त महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के, उनके अलावा जो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानिक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित तथा पोषित हो, जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अधिकरण अधिकारिता के भीतर न हो, राज्य सरकार के विरुद्ध की शिकायतों को छोडकर, सभी प्रकार की शिकायतों का निपटान करने के लिये, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिकायत समिति होगी ।

(२) विश्वविद्यालय, शिकायत समिति को प्रशासनिक सहायता मुहैय्या करने के लिये सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी के विश्वविद्यालय के अधिकारी द्वारा प्रमुखता का एक शिकायत राहत कक्ष स्थापित करेगा ।

(३) शिकायत समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति द्वारा नामित, जिला न्यायाधिश के अनिम्न श्रेणी का निवृत्त न्यायाधिश-अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति द्वारा नामित, एक संकायाध्यक्ष ;

(ग) प्रबंध मंडल परिषद पर कुलाधिपति से नामित व्यक्ति ;

(घ) रजिस्ट्रार ;

(ङ) सिनेट द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से एक अध्यापक तथा एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(च) विश्वविद्यालय का विधि अधिकारी-सदस्य-सचिव।

(४) शिकायत समिति के अध्यक्ष के रुप में निवृत्त न्यायाधिश और सदस्य के रुप में संकायाध्यक्ष का नामनिर्देशन, प्रत्येक मामले में, जैसा कि कुलपति, समय-समय से विनिश्चित कर सकें, ऐसी अवधि के लिये होगा, किंतु वह कुल मिलाकर तीन वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी।

(५) शिकायत समिति के अध्यक्ष के रुप में नामनिर्देशित निवृत्त न्यायाधिश, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये जा सके, ऐसे पारिश्रामिक और परिवहन प्रभारों के लिये हकदार होगा ।

(६) शिकायत समिति, शिकायतों को सुनने जहॉ तक व्यवहार्य हो, शिकायत दर्ज करने के दिनांक से तीन माह के भीतर सुनेगी, निपटायेगी तथा विनिश्चित करेगी ।

(७) कर्मचारियों की सेवा, जो दोनो पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, न्यायाधिकरण की अधिकारिता के भीतर न हो, से संबंधित शिकायतें या तक्रार का निपटान और विनिश्चिति करना शिकायत समिति के लिये, विधिपूर्ण होगा।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अधिकरण।

सन् १९८३ का महा ४१ । सन् १९९८ का महा १७ । सन् १९९९ का महा १० ।

८०. (१) धारा ८१ की उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानिक प्राधिकरण तथा उनके क्रमिक प्रबंध मंडल द्वारा प्रबंधित और पोषित उसके अन्य, इन विश्वविद्यालयों या उनके क्रमिक विश्वविद्यालयों तथा इन विश्वविद्यालयों की संबद्ध तथा स्वायत्त महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के बीच के विवादों के निवारण के लिये, इस अधिनियम के साथ-साथ महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३, महाराष्ट्र पशु तथा मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ तथा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान अधिनियम, १९९८ द्वारा शासित राज्य में एक या अधिक विश्वविद्यालयों के लिये एक या अधिक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अधिकरण होगे ।

(२) अधिकरण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जानेवाले केवल एक व्यक्ति अर्थात पीठासीन अधिकारी से मिलकर बनेगा ।

(३) कोई व्यक्ति, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप नियुक्त होने के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि ,—

(क) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधिश है या रह चूका हो ; या

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधिश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह हो :

परन्तु, खंड (ख) के अधीन नियुक्त किया जानेवाला व्यक्ति, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश द्वारा सिफारिश किये गये तीन व्यक्तियों के पॅनल में से होगा ।

(४) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर तथा ऐसी अवधि के लिए होगी किन्तु, वह कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जैसा राज्य सरकार, प्रत्येक मामले में समय-समय पर विनिश्चित करें ।

(५) पीठासीन अधिकारी का पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्ते, राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायेंगी ।

(६) विश्वविद्यालय, अधिकरण को ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारीवृन्द उपलब्ध करायेगा जो, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(७) पीठासीन अधिकारी और उसे दिए गए कर्मचारियों को अनुज्ञेय, पारिश्रमिक, पेंशन, भविष्य निर्वाहनिधि, अंशदान, छुट्टी भत्ता तथा अन्य भत्ता और सुविधाओं के प्रति समस्त व्यय राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे ऐसे अनुपात में विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों द्वारा उठाया जायेगा ।

(८) पीठासीन अधिकारी, अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा और राज्य सरकार द्वारा अपने इस्तीफे की स्वीकृति पर या इस्तीफे के दिनांक से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, अपना पद धारण करने से परिविरत होगा ।

(९) यदि, अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद अस्थायी रिक्ति को छोडकर अन्य रुप से रिक्त होता है, तो राज्य सरकार यथा संभव शीघ्र किन्तु, किसी भी मामले में तीन माह के भीतर, वह रिक्ति भरने के लिए अन्य अर्ह व्यक्ति की नियुक्ति करेगी । अस्थायी रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य पुनःग्रहण करने तक अन्य अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को प्रभार दे सकेगी । पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष लम्बित कोई भी कार्यवाही, उसके उत्तराधिकारी द्वारा, उसी अवस्था से जिसमें वह रिक्ति होने के समय थी जारी की तथा निपटाई जायेगी ।

अपील करने का अधिकार ।

८१. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम द्वारा इन विश्वविद्यालयों से संबंध्द महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शासित किन्ही विश्वविद्यालयों के कोई कर्मचारी, चाहे वह शिक्षक या अन्य कर्मचारी हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानिय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित तथा पोषित से अन्य, जो,—

(क) विश्वविद्यालय या प्रबंधमंडल द्वारा पदच्युत किया गया है, या हटा दिया गया है या जिसकी सेवा अन्यथा समाप्त कर दी गई है या जो अनिवार्य रुप से निवृत्त हुआ है या जिसकी श्रेणी में अवनति की गई है तथा जो व्यथित है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन स्थापित शिकायत समिति के निर्णय द्वारा व्यथित है ;

को, अपील करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश या निर्णय के विरुध्द की गई अपील अधिकरण को की जायेगी :

परंतु, ऐसे किसी मामले में, जहाँ न्यायालय या सक्षम अधिकारिता वाले अधिकरण द्वारा मामले पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है या जो, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक को ऐसे न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लम्बित है या जहाँ उस दिनांक से पूर्व, जिस दिनांक को यह अधिनियम प्रवर्तमान हुआ था, किसी भी समय प्रबंधमंडल द्वारा पदच्युत करने, हटाने या अन्यथा सेवा समाप्त करने या रैंक में अवनति करने का आदेश पारित कर दिया गया था, और ऐसे मामले में जहाँ अपील दाखिल करने की अवधि अवसित हो गई है, वहाँ अधिकरण को काई अपील नहीं की जायेंगी।

(२) ऐसी अपील, पदच्युत किए जाने, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्त करने, अनिवार्य निवृत्ति या रैंक में अवनति या, यथास्थिति शिकायत समिति के निर्णय, के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की भीतर, कर्मचारी द्वारा अधिकरण को की जायेगी :

परंतु, जहाँ ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से पूर्व दिया जाता है तो, ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से यदि तीस दिनों की अवधि अवसित नहीं हुअी है, ऐसी अपील की जा सकेगी।

(३) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तीस दिनों की उक्त अवधि अवसित होने के बाद की गई अपील पर अधिकरण विचार कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए अपीलकर्ता के पास पर्याप्त कारण हैं।

(४) प्रत्येक अपील, यथाविनिर्दिष्ट फीस के साथ की जाएगी, जो प्रत्यर्पणीय नहीं होगी तथा जो विश्वविद्यालय निधि में जमा की जाएगी :

परंतु, राज्य सरकार के लिए ऐसी फीस जिसे वह उचित समझे, समय-समय पर, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, पुनरीक्षित करना विधिपूर्ण होगा।

अधिकरण की सामान्य शक्तियाँ तथा प्रक्रिया।

८२. (१) अपील की सुनवाई तथा निपटान के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण को वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन अपील न्यायालय में निहित है तथा ऐसे किसी आदेश के, जिसके विरुध्द अपील की गई है, ऐसी शर्तो पर जिसे वह अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, प्रवर्तन को रोकने की भी शक्ति प्राप्त होगी तथा ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त की है। सन् १९०८ का ५।

(२) अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अधिकरण द्वारा, स्थान या स्थानों जहाँ तथा वह समय जिस दौरान वह उसकी बैठक लेगा समेत उसके कामकाज के निपटान के लिए, अपनायी जानेवाली प्रक्रिया का विनिश्चय करेगा।

(३) प्रत्येक अपील का, यथासंभव शीघ्रता के साथ विनिश्चय किया जायेगा। प्रत्येक मामले में अधिकरण द्वारा अपील प्राप्त करने के दिनांक से तीन महिने के भीतर, उसका विनिश्चय करने के लिए, अधिकरण द्वारा प्रयास किये जायेंगे। यदि अधिकरण इस अवधि के भीतर, किसी अपील का निपटान करने में असमर्थ रहता है तो, वह अपने अभिलेख में उसके कारणों को लिखेगा।

समुचित राहत तथा निदेश देने की अधिकरण की शक्तियाँ।

८३. (१) अपील की प्राप्ति पर, जहाँ दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, अधिकरण का समाधान हो जाता है कि, अपील धारा ८१ की उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय या प्रबंध मंडल के आदेश या शिकायत समिति के निर्णय में बाधा डालने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो वह अपील खारिज कर सकेगा।

(२) जहाँ अधिकरण, दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, किसी अपील में यह विनिश्चय करता है कि, पदच्युत करने, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्त करने, अनिवार्य निवृत्ति या रँक में अवनति करने का आदेश या शिकायत समिति का निर्णय तत्समय प्रवर्तमान किसी विधि, संविदा या सेवा की शर्तों के उल्लंघन में था या अन्यथा अवैध या अनुचित था तो अधिकरण, विश्वविद्यालय या, प्रबंध मंडल के आदेश या, यथास्थिति, शिकायत समिति के विनिर्णय को अंशतः या, यथास्थिति, पूर्णतः अपास्त कर सकेगा तथा विश्वविद्यालय या, प्रबंध मंडल को, –

(क) कर्मचारी को उसी पद पर या उससे निम्न पद पर जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, पुनः स्थापित करने ;

(ख) कर्मचारी को उसका रैंक, जिसे उसने अवनति से पहले धारण किया था, या कोई निम्न रैंक, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, वापस दिलाने ;

(ग) कर्मचारी को, ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे पारिश्रमिक, देय तथा अन्य वित्तीय लाभों का बकाया देने ;

(घ) पदच्युत करने, हटाने, अन्यथा सेवा समाप्त करने, अनिवार्य निवृत्ति या, यथास्थिति, रँक में अवनति करने के बदले ऐसा लघुदण्ड, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, देने ;

(ङ) जहाँ यह विनिश्चय किया गया है कि, कर्मचारी को पुनःस्थापित नहीं किया जाये या किसी अन्य समुचित मामले में, प्रतिकर के रूप में कर्मचारी को ऐसी रकम देने जो उसकी छह महीने की उपलब्धियों से अधिक नहीं होगी, रोजगार की हानि तथा तत्पश्चात्, यथोचित रोजगार मिलने या न मिलने की संभावना पर ध्यान देने, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये ; या

(च) मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, कर्मचारी का ऐसी अन्य राहत देने तथा ऐसी अन्य शर्तों, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, का अनुपालन करने, का निदेश देगा।

(३) अधिकरण के लिए, राज्य सरकार से यह सिफारिश करना विधिसम्मत होगा कि, उसके द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारी को अदा किये जाने वाले कोई शोध्यों की, विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, प्रबंध मंडल को देय अनुदान में से कटौती की जाए तथा उसे सीधे कर्मचारी को अदा किया जाये।

(४) उप-धारा (२) के अधीन, अधिकरण द्वारा दिया गया कोई भी निदेश, दोनों पक्षों को लिखित में संसूचित किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय, प्रबंध मंडल द्वारा, निदेश में विनिर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर, जो विश्वविद्यालय, या प्रबंध मंडल द्वारा उसकी प्राप्ति के दिनांक से दो महीने से अनून होगी, उसका अनुपालन किया जायेगा।

अधिकरण का विनिश्चय अंतिम तथा आबद्धकारी होगा ।

८४. तत्समय प्रवर्तमान किसी विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण द्वारा ग्रहण की गई तथा निपटाई गई अपील पर, उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय, या, यथास्थिति, प्रबंध मंडल पर आबद्धकारी होगा तथा अधिकरण द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के बारे में किसी न्यायालय, में या किसी अन्य अधिकरण या, प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अधिकरण के निदेशों का अनुपालन करने में विफल होने पर प्रबंध मंडल को शास्ति ।

८५. (१) यदि विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, प्रबंध मंडल किसी समुचित कारण के बिना, धारा ८३ के अधीन अधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का, निदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, या ऐसी अधिकतर अवधि में, जिसे अधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाये, अनुपालन करने में विफल रहता हैं, तो विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, प्रबंध मंडल को सिध्ददोष ठहराये जाने पर,–

(क) प्रथम अपराध के लिये, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपयों तक बढाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा :

परन्तु, इसके विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के न होने पर, जिसका उल्लेख अधिकरण के निर्णय में किया जाएगा, जुर्माना दस हजार रुपयों से कम नहीं होगा;

(ख) द्वितीय एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच लाख रुपयें तक बढाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा :

परंतु, इसके विपरीत विशेष तथा पर्याप्त कारणों के न होने पर, जिसका उल्लेख अधिकरण के निर्णय में किया जाएगा, जुर्माना पांच हजार रुपयों से कम नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि, जहाँ अधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश का निदेशन में अनुबद्ध अवधि के भीतर या ऐसी अधिकतर अवधि के भीतर, जिसे अधिकरण अनुमति दें, अनुपालन नहीं किया गया है और जहाँ यह उल्लंघन जारी रहा है तब, दोषसिध्द व्यक्ति को दोषसिध्दि के बाद, ऐसा उल्लंघन जारी रहने के दौरान, प्रतिदिन पाँच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

(२) (क) जहाँ इस धारा के अधीन अपराध करनेवाला कोई विश्वविद्यालय या, यथास्थिति, प्रबंध-मंडल, कोई संस्था है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध होने के समय, संस्था के कार्यकलापों के संचालन के लिये संस्था का प्रभारी तथा उसके प्रति जबाबदेह था, वह व्यक्ति और संस्था उस अपराध का दोषी समझी जायेगी तथा उसके विरुध्द कार्यवाही चलाई जाने के लिए तथा तद्नुसार, दंडित किए जाने के लिए दायी होगी:

परन्तु, इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनायेगी, यदि, वह यह साबित करता हैं कि, अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने अपराध को रोकने के लिये सम्यक् सतर्कता बरती थी।

(ख) खंड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया जाता है तथा यह साबित होता है कि, यह अपराध किसी विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद या संस्था के किसी अध्यक्ष, सभापति, सचिव, सदस्य, प्राचार्य या प्रबंधक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता या उसकी और से बरती गई उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसी प्रबंध परिषद, अध्यक्ष, सभापति, सचिव, सदस्य, प्राचार्य या संबंधित प्रबंधक या अन्य अधिकारी या कर्मचारी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उसके विरुध्द कार्यवाही चलायी जाने के लिए तथा तद्नुसार दंडित किये जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों लिये, "संस्था" का तात्पर्य, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन पंजीयित किसी संस्था या महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीयित लोक न्यास या अन्य कोई निगम निकाय से है तथा इसमें व्यक्तियों का सहयोजन या निकाय का चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये समावेश है, जिसके प्रबंध के अधीन एक या अधिक महाविद्यालय या संस्थाएँ संचालित है तथा जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये है ।

सन् १८६० का २१। सन् १९५० का मुंबई २९।

अध्याय–आठ

प्रवेश, परीक्षा, मूल्यांकन और छात्रों से संबंधित अन्य मामलें ।

प्रवेश । **८६.** समाज के कमजोर वर्गों के लिए, राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अध्यधीन, विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये और **राजपत्र** में प्रकाशित या विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये आर्डिनेन्सों, यदि कोई, के अनुसार प्रतियोगिता के गुणागुण के आधार पर दिया जाएगा :

परन्तु, जहाँ राज्य सरकार ने समूचे राज्य में छात्रों के हित में, प्रारूप नियम बनाये है तब, विश्वविद्यालय उसे अपनायेगा और ऐसे नियम, किसी भी शैक्षिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जाएगे :

परन्तु आगे यह कि, अनुशासन को बनाये रखने के उद्देश्य से, संबंधित प्राधिकरण को, किसी अकादमिक कार्यक्रम के प्रवेश के समय को छोडकर छात्रों को प्रवेश देने से इंकार करने की शक्ति होगी ।

प्रवेश संबंधि विवाद ।

८७. विश्वविद्यालय विभागों, संबद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में प्रवेश संबंधित सभी विवाद धारा ५६ की उप-धारा (२) के उप-खण्ड (ख) के अनुसार विश्वविद्यालय छात्र शिकायत प्रतितोष कक्ष द्वारा न्यायनिर्णित होंगे ।

परीक्षाएँ तथा मूल्यांकन ।

८८. प्रत्येक अकादमिक वर्ष की समाप्ति के पूर्व, विश्वविद्यालय, उसके द्वारा या उसकी अधिकारिता के भीतर आनेवाले किन्ही भी सहबद्ध महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा तथा मूल्यांकन की श्रेय देनेवाली विकल्प आधारित प्रणाली की सारणी तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा और सारणी का कड़ाई से पालन करेगा । विश्वविद्यालय का संबंधित प्रधिकरण या अधिकारी विफल हो तो, तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति के कार्यालय में तर्कसंगत रिपोर्ट देनी होगी तथा कुलाधिपति के निदेशन या विनिश्चय इस संबध में अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे।

स्पष्टीकरण एक.— " परीक्षाओं का कार्यक्रम " का तात्पर्य, परीक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रत्येक प्रश्नपत्र के आरंभ का दिनांक, समय और दिन के बारे में विस्तृत जानकारी देनेवाली सारणी से है तथा इसमें प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी का समावेश होगा।

स्पष्टीकरण दो.— " श्रेय देनेवाली विकल्प आधारीत प्रणाली " का तात्पर्य मूल्यांकन से है, जिसमें निरंतर निर्धारण के एक भाग के रूप में आवश्यक अकादमिक कार्य तत्काल पूरे होने पर या सेमिस्टर की समाप्ति होने पर छात्रों द्वारा की गई प्रमापक निर्धारिती होगी :

परंतु यह कि, विश्वविद्यालय उसके नियंत्रण से परे कारणों और परिस्थितियों के कारण, इस सारणी का अनुपालन करने में अक्षम है तो, वह यथाशीघ्र व्यवहार्य, कुलाधिपति और राज्य सरकार को, प्रकाशित कार्यक्रम का विचलन करने के विस्तृत कारणों की जानकारी देते हुए, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

परिणामों की घोषणा ।

८९. विश्वविद्यालय, उस विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा के अंतिम दिनांक से तीस दिनों के भीतर और किसी भी मामले में अधिकाधिक उसके पैतालीस दिनों के भीतर, ली गई प्रत्येक परीक्षा का परिणाम घोषित करने की कोशिश करेगा :

परंतु यह कि, उपर्युक्त पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर किन्ही कारणों के लिए, चाहे किसी भी कारणों के लिये, किसी परीक्षा या मूल्यांकन का परिणाम अंतिमतः घोषित करने में विश्वविद्यालय असमर्थ है, तब वह ऐसे विलम्ब के कारणों की विस्तृत जानकारी की रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे कुलपति के ज़रिए कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इस संबंध में कुलाधिपति के निदेशन अंतिम तथा बाध्यकारी होंगे ।

सारणी का अनुपालन न करने के कारण परीक्षाएँ, तथा मूल्यांकन अविधिमान्य नहीं होंगे ।

९०. कोई परीक्षा या मूल्यांकन, या परीक्षा या मूल्यांकन के परिणाम केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं किये जायेंगे, कि विश्वविद्यालय ने धारा ८८ या, यथास्थिति, ८९ में, यथा अनुबद्ध कार्यक्रम का अनुसरण नहीं किया हैं ।

क्रीड़ा तथा पाठ्येतर क्रियाकलाप ।

९१. विश्वविद्यालय, समुचित परिनियम, ऑर्डिनेंस और विनियम बनाने के लिये, यह सुनिश्चित करेगा कि उनके वर्गों, महाविद्यालयों या, यथास्थिति, विश्वविद्यालयों के क्रीड़ा, संस्कृति और समस्त अन्य क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गये छात्र, केवल खुली गुणागुण प्रतियोगिता के जरिए संपूर्ण गुणागुण के आधार पर ही चुने गए हैं और किसी अन्य आधार पर नहीं हैं ।

अध्याय नौ

समितियाँ तथा परिषदें

समितियाँ तथा परिषदें ।

९२. (१) इस अधिनियम के अधीन निम्न, समितियाँ तथा परिषदें गठित होंगी, अर्थात् :—

(एक) सलाहकार परिषद ;

(दो) वित्त तथा लेखा समिति ;

(तीन) आंतरिक दर्जा आश्वासन समिति ;

(चार) ज्ञान स्त्रोत समिति ;

(पाँच) महाविद्यालय विकास समिति ;

(छह) क्रय समिति ;

(सात) छात्र परिषद ;

(आठ) भवन तथा कार्य समिति ;

(नौ) फीस निर्धारण समिति ;

(दस) भूतपूर्व छात्र समिति ।

सलाहकार परिषद ।

९३. (१) सलाहकार परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी,—

(क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जानेवाले,—

(एक) एक विख्यात उद्योगपति जो युवाओं के लिये रोजगार अवसर निर्माण करने और अकादमिक औद्योगिक आंतरक्रिया में वैश्विक रुख का व्यापक अनुभव रखनेवाला हो—अध्यक्ष ;

(दो) अनुसंन्धान तथा विकास में नीती तथा कार्ययोजना की कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय तथा वैश्विक ईकायों के कार्य का अनुभव से ख्यातिप्राप्त एक विख्यात विज्ञानी—सदस्य ;

(तीन) एक प्रतिष्ठित सामाजिक नेता जिसे सर्वसाधारण जनता के साथ कार्य करने का अनुभव हो तथा शिक्षा और सामाजिक रुपांतरण के बीच के अनुबन्ध को समझनेवाला हो—सदस्य ;

(चार) एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् जो उच्चतर शिक्षा जगत में नये रुखों से सुपरिचित है—सदस्य ;

(पाँच) एक सूचना संसूचना प्रौद्योगिकी (आयसीटी) विशेषज्ञः जिसे उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा के राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव रखनेवाला हो—सदस्य ;

(ख) पदेन सदस्य :

(छह) कुलपति-सदस्य ;

(सात) प्रतिकुलपति-सदस्य-सचिव ;

(२) परिषद की शक्तियाँ तथा कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात,—

(एक) कुलपति को अकादमिक अनुसंधान तथा विकास प्रशासन, वित्तीय स्त्रोतों के सृजन तथा अभिशासन में प्रतिवेदनों के सृजन तथा कार्य योजना के जरिए सलाह देना ताकि विश्वविद्यालय अकादमिक रुप से कम्पमान, प्रशासनिक तौरपर पर्याप्त तथा वित्तीय रुप से मजबूत प्रणाली बन सके ;

(दो) संपूर्ण रुप से विश्वविद्यालय प्रणाली के कार्य का मानीटरिंग करने और कार्यकलापों का मार्ग बनाए रखने और विश्वविद्यालयों के कार्य पर कार्यकलापों के प्रगति तथा समाघात पर सूचना देना और आलोचनात्मक विश्लेषण और टिप्पणी करना तथा समाज में उसकी पहचान बनाए रखने के लिए यंत्रणा को सलाह देना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के नीतिगत परिप्रेक्ष्य योजनाओं से संबंधित सलाह देना ;

(चार) किसी अन्य कार्य का स्वीकार करना कि परिषद का अध्यक्ष जिसे विश्वविद्यालय की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले ;

(पाँच) विश्वविद्यालय के विकास, प्रगतिकार्य पर कुलाधिपति को आवधिक प्रतिवेदन करना ;

(छह) आयोग द्वारा यथा उत्तरदान विभिन्न सुधारों तथा उसपर नीतियों में दिलचस्पी लेना ।

(३) सलाहकार परिषद की, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी ।

वित्त तथा लेखा समिति ।

९४. (१) वित्त तथा लेखा समिति, विश्वविद्यालय के वित्तीय परिचालनों की योजना, सहयोजन तथा निरीक्षण करेगी । वह लेखाओं का व्यय का विकास तथा उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभिनव व्यय में शामिल सभी प्रस्तावों की परीक्षा लेगी ।

(२) वित्त तथा लेखा समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) लेखा तथा कोषागार का निदेशक या, लेखा तथा कोषागार के उप-निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका प्रतिनिधि ;

(घ) प्रबंध मंडल परिषद से कुलाधिपति का नामिति ;

(ड़) अकादमिक परिषद में से, कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य ;

(च) प्रबंध मंडल परिषद द्वारा नामित दो विशेषज्ञ, जिनमें से एक लेखा तथा संपरीक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा तथा अन्य एक वित्त के क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा ;

(छ) रजिस्ट्रार ;

(ज) वित्त तथा लेखा अधिकारी - सदस्य-सचिव ।

(३) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति चार से होगी ।

(४) समिति के **पदेन** सदस्यों को छोडकर सभी सदस्य, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा द्वितीय लगातार सत्र के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(५) समिति की बैठक, वर्ष में कम से कम चार बार बुलाई जायेगी ।

(६) वित्त तथा लेखा समिति :–

(क) लेखों का वार्षिक विवरण, संपरीक्षित अंतिम लेखों का विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा उसकी अनुपालन रिपोर्ट की परीक्षा तथा विचार करेगी तथा लेखा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाला तथा उसकी समान रुप से प्रबंध मंडल परिषद के पास तत्पश्चात्, सीनेट को उनके अनुमोदन के लिए सिफारिश करेंगें ;

(ख) व्यय की प्रगति का तथा उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभिनव व्यय में शामिल सभी प्रस्तावों का परीक्षण करेगी ;

(ग) उत्पादन कारी कार्य के लिए निकाले गए ऋण मे शामिल, विश्वविद्यालय के आय तथा साधनों पर आधारित वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमितता के लिए प्रबंध परिषद को सिफारिश करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की परिसम्पत्ति तथा साधनों के उत्पादित निवेश तथा प्रबंधन की प्रबंध मंडल को सिफारिश करना ;

(ड़) विश्वविद्यालय के विकास के लिए साधनों को आगे बढाने की संभाव्यत्ता की गवेषणा करना ;

(च) प्रबंध मंडल परिषद द्वारा नियुक्त किये गये लेखापरीक्षक द्वारा विश्वविद्यालय लेखाओं की संपरीक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ;

(छ) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधि के प्रशासन के संबंधित मामलों पर प्रबंध मंडल परिषद को सलाह देना ;

(ज) राज्य सरकार से प्राप्त निधि, परिसंपत्ति तथा अन्य स्त्रोतों से संबंधित, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से जारी किये गये आदेशों के उचित कार्यान्वयन की सुनिश्चिति करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल परिषद, अकादमिक परिषद या किन्हीं अन्य प्राधिकरण, निकाय या समिति या किन्ही अधिकारी द्वारा, उसे निर्दिष्ट किये गये वित्तिय मामलों पर सलाह देना ;

(ञ) कुलपति को वित्तिय मामलों मे किन्हीं चूक या अनियमितता, जो उसके ध्यान में आये, की रिपोर्ट करना, जिससे वह, मामले की गंभीरता निर्धारण करने के पश्चात्, उचित तत्काल कार्यवाही कर सके या प्रबंध मंडल परिषद को इसे निर्दिष्ट करे ;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये लेखापरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के लिये, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तथा संस्थाओं के वार्षिक लेखा खुले है, की सुनिश्चिति करना ;

(ठ) लेखाओं के अनुरक्षण तथा लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं में कार्यक्षमता को बढाने के लिये वित्तीय स्त्रोतों के प्रबंधन, लेखाओं का अनुरक्षण तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये, महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा तथा विकास परिषद द्वारा सुझाये गये विभिन्न सुधारों का अध्ययन करना ;

(ड) विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे किन्हीं अन्य कृत्यों तथा कार्यों को पूरा करना ।

आंतरिक दर्जा आश्वासन समिति ।

९५. (१) विश्वविद्यालय के सभी अकादमिक क्रियाकलापों में, गुणता आश्वासन तथा गुणता वृद्धि की योजना, मार्गदर्शन तथा मानिटर करने के लिये, विश्वविद्यालय में एक आंतरिक गुणता आश्वासन समिति होगी ।

(२) विश्वविद्यालय में आंतरिक गुणता आश्वासन समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार गठित होगी तथा कार्य करेगी ।

(३) वार्षिक गुणता आश्वासन रिपोर्ट आवश्यक गुणता वृद्धि योजनाओं के लिये, अनुवर्ती कार्यवाही के लिये, विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल परिषद द्वारा अनुमोदित की जायेगी । विश्वविद्यालय नियमित रुप से वार्षिक दर्जा आश्वासन समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय मूल्यांकन, तथा प्रत्यायन परिषद, या अन्य प्रत्यायन निकायों को प्रस्तुत करेगा ।

(४) प्रत्येक महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था में, एक आंतरिक गुणता आश्वासन समिति होगी जो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय से जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार गठित होगी तथा कार्य करेगी ।

(५) महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था, नियमित रुप से, उनकी वार्षिक गुणता आश्वासन रिपोर्ट, संबद्ध विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय गुणता आश्वासन निकायों तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकायों को प्रस्तुत करेगी ।

(६) विश्वविद्यालय, उसकी अधिकारिता के भीतर महाविद्यालय और मान्यताप्राप्त संस्थाओं में आंतरिक गुणता आश्वासन समितियों के कार्य को मानिटर करेगा ।

ज्ञान स्त्रोत समिति।

९६. (१) विश्वविद्यालय के ज्ञान स्त्रोत केन्द्र, मुद्रण तथा विद्युत उपस्कर तथा संबंधित सेवाओं के प्रशासन, संगठन तथा पोषण करने के लिये एक ज्ञान स्त्रोत समिति होगी ।

(२) ज्ञान स्त्रोत समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति—अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, एक संकायाध्यक्ष ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय विभाग या विश्वविद्यालय संस्था का एक प्रमुख ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो सदस्य, जिनमें से एक उद्योग से होगा और अन्य राष्ट्रीय स्तर संगठन का पुस्तकालयाध्यक्ष होगा ;

(ङ) रजिस्ट्रार ;

(च) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(छ) ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के निदेशक-सदस्य-सचिव ;

(३) ज्ञान स्त्रोत समिति के सभी नामनिर्देशित सदस्य, **पदेन** सदस्यों के अलावा, तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

(४) ज्ञान स्त्रोत समिति, वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक बुलायेगी ।

(५) ज्ञान स्त्रोत समिति :—

(क) ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के कार्य, प्रलेखन सेवाओं तथा सदृश और डिजिटल प्ररुप में अभिलेखों के रखरखाव के लिये योग्य संगठन तथा सहायता का उपबंध करेगी ;

(ख) ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के आधुनिकरण तथा सुधार और सादृश तथा डिजिटल दोनों ढाँचों मे अभिलेखों के रखरखाव के लिये पद्धति और क्रियात्मक योजना का उपबंध करना ;

(ग) छात्रों तथा अन्यों द्वारा ज्ञान स्त्रोत केन्द्र की सेवाओं तथा उपयोग के लिये, फीस और अन्य प्रभार, अकादमिक परिषद को सिफारिश करना ;

(घ) प्रबंध परिषद के अनुमोदन के लिये, ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के विकास के लिये, वार्षिक बजट तथा प्रस्ताव तैयार करना ;

(ड.) कुलपति को ज्ञान स्त्रोत केन्द्र के कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(च) प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पुस्तकालयों तथा सूचना केंन्द्रों के साथ नेटवर्क स्थापित करना ;

(छ) सभी प्रशासनिक, अभिशासन, अकादमिक तथा अन्य दस्तावेजों से संबंधित महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालयों तथा महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और विश्वविद्यालय के निर्धारण तथा प्रत्यायन से संबंधित सूचना तथा डाटा धारण करना ;

(ज) विश्वविद्यालय प्रधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जा सके ऐसे अन्य कार्य हाथ में लेना, जिससे ज्ञान स्रोत केन्द्र के उद्देश्यों को कार्यान्वित किया जा सके ।

महाविद्यालय विकास समिति।

९७. (१) प्रत्येक संबद्ध स्वायत्त सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के लिये निम्न सदस्यों से मिलकर एक अलग से महाविद्यालय विकास समिति होगी, अर्थात् :—

(क) प्रबंध मंडल का अध्यक्ष या उनका नामनिर्देशिती—पदेन अध्यक्ष ;

(ख) प्रबंध मंडल का सचिव या उनका नामनिर्देशिती ;

(ग) संस्था के प्राचार्य या प्रमुख द्वारा नामनिर्देशित किया जायें जानेवाला एक विभाग प्रमुख ;

(घ) पूर्ण कालिक अनुमोदित अध्यापकों द्वारा उनमें से, निर्वाचित महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था में से तीन अध्यापक जिसमें से कम से कम एक महिला होगी ;

(ड.) नियमित अध्यापनेतर कर्मचारीवृंद द्वारा, उनमें से नामनिर्देशित एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(च) प्राचार्य से परामर्श में, प्रबंध मंडल द्वारा नामनिर्देशित, शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में से चार स्थानिक सदस्य, जिसमें से कम से कम एक भूतपूर्व छात्र होगा ।

(छ) समन्वयक, महाविद्यालय की आंतरिक गुणता आश्वासन समिति ;

(ज) महाविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष तथा सचिव ;

(झ) महाविद्यालय का प्राचार्य या संस्था का प्रमुख—सदस्य सचिव ।

(२) राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित तथा पोषित महाविद्यालय या संस्था के लिये महाविद्यालय विकास समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात :—

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्था के प्रमुख—अध्यक्ष ;

(ख) उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा पदाभिहित संयुक्त निदेशक, **पदेन** सदस्य ;

(ग) पूर्ण कालिक अनुमोदित अध्यापकों द्वारा उनमें से, निर्वाचित महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था में से तीन अध्यापक ;

(घ) नियमित अध्यापनेत्तर कर्मचारीवृंद द्वारा, उनमें से निर्वाचित एक अध्यापनेतर कर्मचारी ;

(ड.) प्राचार्य से परामर्श से, उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा नामनिर्देशित, शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में से तथा कम-से-कम स्नातकोत्तर उपाधि पानेवाले चार स्थानिक सदस्य, जिसमें से कम से कम एक भूतपूर्व छात्र हो ;

(च) समन्वयक, महाविद्यालय की आंतरिक गुणता आश्वाासन समिति, पदेन सदस्य ;

(छ) महाविद्यालय छात्र परिषद का अध्यक्ष तथा सचिव ; और

(ज) महाविद्यालय के प्राचार्य या संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्देशित एक विभाग प्रमुख-सदस्य-सचिव ।

(३) महाविद्यालय विकास समिति, वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक बुलायेगी ।

(४) निर्वाचित तथा नामनिर्देशित सदस्यों का निर्वाचन तथा नामनिर्देशन के दिनांक से पांच वर्षों की अवधि होगी । यदि, ऐसे सदस्यों के पद में कोई रिक्ति उदभूत होती है तो, रिक्ति, प्राचार्य द्वारा तीन महीनों के भीतर भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य यदि, रिक्ति उदभूत नहीं होती है तो, जिसके लिये पूर्व सदस्य ने पद धारण किया था, उस अवधि के लिये पद धारण करेगा।

(५) महाविद्यालय विकास समिति,—

(क) अकादमिक, प्रशासनिक तथा आधारभूत संरचना की वृद्धि से संबंधित, समग्र व्यापक विकास योजना तैयार करेगी और पाठ्यचर्या, सहपाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में श्रेष्ठता विकसित करने के लिये महाविद्यालयों को समर्थ करना ;

(ख) समग्र अध्ययन कार्यक्रम या महाविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर के बारे में विनिश्चय करना ;

(ग) नये अकादमिक पाठ्यचर्याओं को प्रवर्तित करने तथा अतिरिक्त अध्यापन तथा प्रशासनिक पदों के सृजन के बारे में प्रबंध मंडल को सिफारिश करना ;

(घ) महाविद्यालय में, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों यदि किन्हीं, का पुनरीक्षण करना तथा उनके सुधार के लिये सिफारशे करना ;

(ड.) महाविद्यालय में अनुसंधान संस्कृति, परामर्श कार्य तथा विस्तार क्रियाकलापों को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के लिये प्रबंध मंडल को विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(च) अध्यापन तथा अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिये अकादमिक सहयोग विकसित करने के लिये प्रबंध मंडल को विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(छ) अध्यापन तथा अध्ययन प्रक्रिया में सूचना तथा संसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये, प्रबंध मंडल को विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(ज) अध्यापन में सुधार तथा महाविद्यालय के कर्मचारियों के लिये यथोचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करना ;

(झ) महाविद्यालय या संस्था का वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) तथा वित्तिय विवरण तैयार करना तथा उसे अनुमोदन के लिये प्रबंध मंडल को सिफारिश करना ;

(ञ) वार्षिक वित्तीय अनुमान (बजट) में उपबंधित न किये गये, नये व्यय के प्रस्तावों के ढाँचे बनाना ;

(ट) महाविद्यालय या संस्था में छात्रों तथा कर्मचारियों के कल्याण क्रियाकलापों से संबंधित सिफारिशें करना ;

(ठ) आंतरिक गुणता आश्वासन समिति की रिपोर्ट का विचार करना और यथोचित सिफारिशें करना ;

(ड) वैधानिक मानकों के अनुसरण द्वारा विविध कार्यक्रमों के लिये यथोचित प्रवेश प्रक्रिया का ढाँचा बनाना ;

(ढ) महाविद्यालय में प्रमुख वार्षिक समारोह की योजना करना, जैसा कि, वार्षिक समारोह, क्रीडा समारोह, सांस्कृतिक समारोह, आदि ;

(ण) महाविद्यालय या संस्थाओं के अनुशासन, सुरक्षा तथा सतर्कता विषयों के संबंध में उठाये जाने वाले पर्याप्त कदमों के बारे में प्रशासन को सिफारिश करना ;

(त) निरीक्षण रिपोर्ट, स्थानिक जाँच रिपोर्ट, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद की रिपोर्ट, आदि पर विचार करना तथा पर्याप्त सिफारिशें करना ;

(थ) छात्रों को विविध पुरस्कारों, पदकों तथा इनामों के वितरण की सिफारिशें करना ;

(द) ३० जून पर समाप्त होनेवाले वर्ष के लिये समिति द्वारा किये गये कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट तैया करना तथा उसे प्रबंध मंडल को तथा विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल परिषद को प्रस्तुत करना ;

(ध) प्रबंध मंडल और विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे जा सके ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना ।

क्रय समिति।

९८. (१) विश्वविद्यालय के सभी क्रयों सें संबंधित सभी मामलों, ऐसी वस्तुओं के संबंध में जहाँ प्रत्येक वस्तु की अलग किमत एक समय पर दस लाख रुपयों से अधिक है, व्यवहार करने के लिये एक क्रय समिति होगी ।

(२) समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति अध्यक्ष ;

(ख) प्रति-कुलपति ;

(ग) प्रबंध मंडल परिषद पर कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ;

(घ) प्रबंध मंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय विभागों या विश्वविद्यालय संस्था के दो प्रमुख ;

(ड) प्रबंध मंडल परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से परिषद द्वारा नामनिर्देशित प्रबंध मंडल परिषद का एक सदस्य ;

(च) कुलपति द्वारा नामनिर्देशितः उद्योग से सामुग्री प्रबंधन के क्षेत्र में से एक विशेषज्ञ ;

(छ) रजिस्ट्रार ; और

(ज) वित्त तथा लेखा अधिकारी—सदस्य सचिव ।

(३) वित्त तथा लेखा अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान, रजिस्ट्रार समिति के सचिव के रुप में कार्य करेगा ।

(४) क्रय समिति, विश्वविद्यालय विभाग या व्श्विविद्यालय संस्था के प्रमुख, जिसके लिये क्रय किया जा रहा है, को आमंत्रित करेगी ।

(५) समिति के सभी सदस्य, **पदेन** सदस्यों के अलावा,तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और उसी विश्वविद्यालय में द्वितीय क्रमिक सत्र के लिये पात्र नहीं होंगे ।

(६) विश्वविद्यालय के सभी क्रयों से संबंधित सभी मामलों ऐसी वस्तुओं के संबंध में जहाँ प्रत्येक वस्तु की अलग किमत एक समय पर दस लाख रुपयों से अनधिक है, ऐसे सभी मदें परिनियमों द्वारा यथा विहित किए जायेंगे ।

(७) क्रय समिति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उसकी बैठकों के लिये प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

छात्र परिषद।

९९. (१) छात्रों के कल्याण की देखभाल करने तथा बेहतर सामुहिक जीवन के लिये, विविध छात्र संघ की अध्यापनेतर क्रियाकलापों को बढावा देने तथा समन्वय करने के लिये, विश्वविद्यालय के विभागों के लिये , एक विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक संचालित महाविद्यालय या संस्था के लिये एक छात्र परिषद, उप-धारा (४) के खंण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, विश्वविद्यालय छात्र परिषद होगी। परिषद, राजनीतिक क्रियाकलापों में नहीं जुडेगी ।

(२) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) छात्रों, जो सभी विश्वविद्यालय विभागों में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुडे है, से मिलकर किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष ;

(ख) छात्रों, जो सभी विश्वविद्यालय विभागों में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुडे है, से मिलकर निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित सचिव ;

(ग) छात्रों, जो सभी विश्वविद्यालय विभागों में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुडे है, से मिलकर निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित, एक महिला प्रतिनिधि ;

(घ) छात्रों, जो सभी विश्वविद्यालय विभागों में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुडें है, से मिलकर, किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जाति (विमुक्त जाति)/ या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों में से एक प्रतिनिधि ;

(ड.) छात्रों, जो उस विभाग में, पूर्ण कालिक अध्ययन में जुड़े है, से मिलकर किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित, प्रत्येक विभाग से एक छात्र ;

(च) छात्रों, जो विहित निकषों के आधार पर, क्रमशः राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कॅडेट कोर, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जुडे है, से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित (क) राष्ट्रीय सेवा योजना, (ख) राष्ट्रीय कॅडेट कोर, (ग) क्रीड़ा तथा (घ) सांस्कृतिक क्रियाकलापों से, प्रत्येक एक छात्र ।

(छ) निदेशक, छात्र विकास, **पदेन**-सदस्य होगा ।

(३) प्रत्येक संस्था, संचालित महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय के लिये महाविद्यालय छात्र परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) छात्रों, जो, उस महाविद्यालय में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुड़े है, से मिलकर किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित एक अध्यक्ष ;

(ख) छात्रों, जो, उस महाविद्यालय में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुड़े है, से मिलकर निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित सचिव ;

(ग) छात्रों, जो, उस महाविद्यालय में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुड़े है, से मिलकर निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित एक महिला प्रतिनिधि ;

(घ) छात्रों, जो उस महाविद्यालय में पूर्ण कालिक अध्ययन में जुड़े हैं, से मिलकर, किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित चक्रानुक्रम द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों में से एक प्रतिनिधि ;

परंतु, विश्वविद्यालय, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए आरक्षण का प्रवर्ग चिठ्ठियाँ डालकर निश्चित करेगा ;

(ड.) छात्रों, जो उस कक्षा में, पूर्ण कालिक अध्ययन में जुडे है, से मिलकर किसी निर्वाचक मण्डल द्वारा निर्वाचित, प्रत्येक कक्षा से एक छात्र ;

(च) छात्रों, जो विहित निकषों के आधार पर, क्रमशः राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कॅडेट कोर, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में जुड़े है, से प्राचार्य द्वारा, नामनिर्देशित (क) राष्ट्रीय सेवा योजना (ख) राष्ट्रीय कॅडेट कोर, (ग) क्रीड़ा तथा (घ) सांस्कृतिक क्रियाकलापों से, प्रत्येक एक छात्र ;

(छ) महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नियुक्त, छात्र परिषद के समन्वयक के रुप में, एक वरिष्ठ अध्यापक और निदेशक, क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और एनसीसी अधिकारी के रुप में स्थायी निमंत्रिति।

(४) (क) विश्वविद्यालय छात्र संघ निम्न से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद तथा प्रत्येक महाविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष ;

(दो) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद तथा प्रत्येक महाविद्यालय छात्र परिषद के सचिव ;

(तीन) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद तथा प्रत्येक महाविद्यालय छात्र परिषद की एक महिला प्रतिनिधि ;

(चार) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद तथा प्रत्येक महाविद्यालय छात्र परिषद के, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों में से छात्र प्रतिनिधि ;

(ख) विश्वविद्यालय छात्र परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा उनमें से, निर्वाचित अध्यक्ष ;

(दो) विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा उनमें से, निर्वाचित सचिव ;

(तीन) विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा उनमें से, निर्वाचित एक महिला प्रतिनिधि ;

(चार) विश्वविद्यालय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित चक्रानुक्रम द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से एक प्रतिनिधि ;

(पाँच) विश्वविद्यालय विभागों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के छात्रों, जो राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कॅटेड कोर, क्रीड़ा तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुडे है, में से, छात्र विकास निदेशक से परामर्श में विश्वविद्यालय छात्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित (क) राष्ट्रीय सेवा योजना, (ख) राष्ट्रीय कॅडेट कोर, (ग) क्रीड़ा तथा (घ) सांस्कृतिक क्रियाकलापों से प्रत्येकी एक छात्र ;

(छह) छात्र विकास बोर्ड निदेशक, क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक, आजीवन शिक्षा तथा विस्तार बोर्ड निदेशक स्थायी आमंत्रिति होंगे।

(५) विश्वविद्यालय छात्र परिषद की प्रथम बैठक की , अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जायेगी और वह जैसा उचित समझे ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा उपस्थित होगा ।

(६) कोई छात्र, किसी छात्र परिषद का सदस्य होने या निरंतर बने रहने के लिये पात्र होगा, केवल, यदि, वह पूर्ण कालिक छात्र के रूप में नामांकित हो ।

(७) निर्वाचन की अवधि के दौरान, कोई व्यक्ति, महाविद्यालयों या संस्थाओं या विश्वविद्यालय की नामसूची पर के छात्र के अलावा, किसी भी हैसियत में, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये, अनुज्ञप्त नहीं होगा । इस शर्त का अतिक्रमण करनेवाला कोई छात्र, या उम्मीदवार, उसकी उम्मीदवारीता के प्रतिसंहरण के अतिरिक्त में, उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये दायी होगा ।

(८) विश्वविद्यालय विभाग छात्र परिषद, प्रत्येक संस्था, संचालित महाविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों के लिए की छात्र परिषद तथा विश्वविद्यालय छात्र परिषद की प्राक्कलन तथा बैठकों की बारंबारता ऐसी होंगी जैसा कि वह परिनियमों द्वारा विहित की जायगी।

(९) छात्र परिषद के छात्र सदस्यों का निर्वाचन, प्रत्येक वर्ष के लिए, अकादमिक वर्ष के प्रारम्भण के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र जैसा कि विहित किया जाए ऐसी दिनांक पर होगा। निर्वाचित छात्र सदस्यों की पदावधि, निर्वाचन के दिनांक से प्रभावि होगी तथा अकादमिक वर्ष के अंतिम दिनांक तक विस्तारित की जायेगी, जब तक इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता है, अभ्यंतर काल में उपगत नहीं होती है तब तक तथा बाद में वह अवसित होगा।

(१०) छात्र परिषद के एक तिहाई सदस्यों से मिलकर बैठक की गणपूर्ति होगी। कारोबार की बैठक के संचालन की प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामले, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसे होंगे। परिषद की बैठक, प्रत्येकी कम से कम तीन महिने में एक बार होगी।

(११) निर्वाचन की प्रक्रिया, शक्तियाँ तथा कर्तव्य, निर्वाचन करानेवाले प्राधिकरण, ऐसे निर्वाचन लेनेवाली यंत्रणा उम्मीदवारों तथा निर्वाचन प्रबंधक के लिए आचरण की संहिता तथा शिकायत प्रतितोष यंत्रणा, परिनियमों द्वारा विहित की जाये ऐसी होगी, जैसा राज्य सरकार, समय-समय पर **राजपत्र** में प्रकाशित आदेशों द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।

(१२) इस धारा के उपबंध, ऐसे दिनांक से प्रभावी होगे जिसे उप-धारा (११) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात् ऐसे आदेश में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट करे ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा ।

भवन तथा कार्य समिति ।

१००. (१) भवन तथा कार्य समिति, विश्वविद्यालय के अनेक गौण तथा प्रधान मुलभूत सुविधा विकास क्रियाकलापों का कार्यान्वयन, समयबद्ध रित्या में तथा कार्य कुशलता से करेगी।

(२) भवन तथा कार्य समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति—अध्यक्ष ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) प्रबंधमंडल परिषद पर का कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ;

(घ) लोक कार्य विभाग का, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित है, या क्षेत्र का प्रभारी मुख्य इंजीनियर या उस क्षेत्र से कार्यकारी इंजीनियर से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(ड.) कुलपति द्वारा, निजी क्षेत्र से नामनिर्देशित एक विख्यात इंजीनियर ;

(च) कुलपति द्वारा, निजी क्षेत्र से नामनिर्देशित एक विख्यात वास्तुकार ;

(छ) रजिस्ट्रार ;

(ज) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(झ) विश्वविद्यालय का कार्यकारी इंजीनियर सदस्य-सचिव ।

(३) पदेन सदस्यों के अलावा, समिति के अन्य सभी सदस्य, पाँच वर्षों की अवधि के लिए, पद धारण करेंगे तथा द्वितीय क्रमवर्ति सत्र के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(४) यदि, सदस्य के पद में से कोई रिक्ति पाई जाती है तो, वह कुलपति द्वारा, एक महिने के भीतर, भरी जायेगी तथा इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य, अवशिष्ट अवधि के लिए जिसमें पहले सदस्य के लिए यदि रिक्ति नहीं पाई गई थी, पद को धारण किया जायेगा ।

(५) भवन तथा कार्य समिति,—

(क) प्रबंधमंडल परिषद के निदेशन तथा सम्पूर्ण अधीक्षण के अधीन, लोक निर्माण कार्य विभाग के अभिकरणों के जरिए, निष्पादित होनेवाले प्रमुख कार्यों के सम्मिलित सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेवार होगी ;

(ख) रखरखाव कार्य के लिए, बजट में निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय मंजूरी के अनुरुप होगा ;

(ग) सभी लघु तथा मुख्य कार्यों के संबंध में, प्रबंधमंडल परिषद से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करना तथा व्यय मंजूर करने की सिफारिश करना ;

(घ) अनुवर्ती वर्ष में होनेवाले, अलग से, विशेष रूप से उल्लिखित रखरखाव कार्यों, लघु कार्यो तथा प्रमुख कार्यों के ' कार्यों के कार्यक्रम ' की वित्त तथा लेखा समिति के जरिए, प्रबंधमंडल परिषद को सिफारिश करना ;

(ड.) विश्वविद्यालयीन कार्यों के लिए, दस से बारह वास्तूकारों तथा अन्य अनुभव तथा गुणवत्ता से परिसिद्ध विशेष परामर्श दाताओं का पॅनल तैयार करना तथा प्रबंधमंडल परिषद द्वारा वही अनुमोदित होगी। ऐसा पैनल, कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जो उसमें जैसा वह उचित समझे ऐसा उपांतरण कर सकेगा ;

(च) प्रबंधमंडल परिषद के लघु तथा मुख्य कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन लेने तथा व्यय की मंजुरी लेने के लिए विश्वविद्यालय के कार्यकारी इंजीनियर या इस परियोजना के लिए चयनित वास्तुकार से, विश्वविद्यालय के अनुमोदित वास्तुकारों के पॅनल द्वारा धारित ऐसे कार्य की योजना तथा अनुमान बनाना ;

(छ) अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के निष्पादन के लिए, उनके प्रौद्योगिक अनुभव तथा वित्तीय क्षमताओं के आधार पर अनुमोदित संविदाकारों की सूची बनाए रखना ;

(ज) उनके द्वारा जैसा कि आवश्यक विचारार्थ रखा जाए, प्रौद्योगिक संवीक्षा करने के लिए जिम्मेवार होगा ;

(झ) अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के लिए, निविदाओं की प्राप्ति के लिये सावधानी से संवीक्षा करने के पश्चात्, स्वीकृति के लिए जिम्मेवार होगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारिवृंद के कार्य पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करना तथा विशिष्टतया में, आवश्यक अभिलेखों तथा डाटा अद्यतन करने का सुनिश्चय करना तथा उचित अवधि के लिए प्रतिधारित अस्वीकृत निविदाओं को सुनिश्चित करना ;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि, अनुरक्षण कार्यों तथा लघु कार्यों के संबंध में, यदि नियुक्त किए गए है, वास्तुकार द्वारा अनुमोदित अंतिम अभिकल्पना के अनुसार कार्य की समाप्ति का विश्वविद्यालय के कार्यकारी इंजीनियर से प्रमाणित करना ;

(ठ) जैसा और जब भी आवश्यक हो, परामर्शी वास्तुकारों से सहयुक्त रहना तथा विमर्शित करना ;

(ड़) अनुरक्षण कार्यों तथा प्रमुख कार्यों के संबंध में, निविदाकारों से परिनिर्धारित दावें तथा वादों, निविदा द्वारा आवृत्त नहीं होंगे :

परंतु यह कि, उस विभाग को न्यस्त किए गए प्रमुख कार्यों के संबंध में, दरों या दावे या विवादों को लोक निर्माण कार्य द्वारा परिनिर्धारित किए जायेंगे, इस परिस्थिति के अध्यधीन, यह कि यदि, किसी ऐसे दावे या वादों के संबंध में निर्णय, परियोजना के लागत अनुमानित अनुमोदन के उपर अतिरिक्त कारणों के हेतूक, संभाव्य ऐसी अतिरिक्त रकम की प्राप्ति के लिए प्रबंधमंडल परिषद की पूर्व मंजुरी से होगी ;

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसा परिनियमों द्वारा उसे, उस पर प्रदत्त किया जाए ।

(६) समिति के अध्यक्ष को, अनुरक्षण तथा लघु कार्यों के संबंध में मासिक चालू लेखा बिलों की अदायगी की मंजुरी की शक्ति होगी ऐसे बिल के अध्यधीन, जहाँ नियुक्त किए है, वास्तुकार द्वारा परीक्षण किए जाने पर विश्वविद्यालय के कार्यकारी इंजीनियर द्वारा 'अदायगी के लिये उचित' रूप से प्रमाणित होगा। इस प्रकार अदा किया जानेवाला बिल, उनकी अगली बैठक में समिति के अनुमोदन के लिए रखा जायेगा।

(७) यदि, समिति के अध्यक्ष के लिए विश्वास रखने का युक्तियुक्त आधार यह है कि, यहाँ कोई आपात काल, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है, वह समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगा। समिति की अगली बैठक में, अध्यक्ष द्वारा, ऐसे मामलों का प्रतिवेदन किया जायेगा।

(८) विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन के लिए की प्रक्रिया तथा समिति के बैठक में कारोबार के संचालन के लिए की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा यथा विहित ऐसी होगी ।

फीस नियतन समिति।

१०१. (१) यह फीस नियतन समिति, स्वायत्त महाविद्यालयों तथा स्वायत्त संस्थाओं तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा स्थानिय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित तथा सम्पोषित न होनेवाली से भिन्न, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाले हर एक स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के परिदान की वास्तविक लागत पर कार्य करेगी।

(२) फीस नियतन समिति, संकायाध्यक्ष के बोर्ड द्वारा यथा सिफारिश से अध्यापन फीस, अन्य फीस तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के प्रभारों का विनिश्चय करेगी तथा अनुमोदन के लिए अकादमिक परिषद को सिफारिश करेगी ।

(३) फीस नियतन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) सेवानिवृत्त कुलपति या शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव होनेवाला विख्यात शिक्षाविद् जो, विश्वविद्यालय या उसके अधिकारिता के अधीन किसी महाविद्यालय या संस्था से संबंधित नहीं होगा ; अध्यक्ष

(ख) संबंधित संकायाध्यक्ष ;

(ग) प्रबंधमंडल परिषद का कुलाधिपति का नामनिर्देशित ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक बेहतर चार्टड अकाऊंट, जो विश्वविद्यालय या उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन के महाविद्यालय या संस्था से संबंधित न होनेवाला एक वित्तीय विशेषज्ञ ;

(ड.) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, एक विधि विशेषज्ञ उसकी अधिकारिता के अधीन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था से संबंधित नहीं होगा ;

(च) रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति–सदस्य सचिव ।

(४) समिति के बैठक की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(५) पदेन सदस्यों से अन्य समिति के सभी सदस्य, पाँच वर्षों के लिए अपना पद धारण करेंगे तथा द्वितीय अनुवर्ती सत्र के लिए पात्र नहीं होंगे।

(६) उपर्युक्त अंतर्ग्रस्त किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार फीस के नियतन तथा विनियमन की सांविधिक यंत्रणा उन्नत करेगी, जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा, यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्ररूप के महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं पर बाध्यकारी होगी ।

(७) फीस नियतन समिति द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के लिए जैसे सिफारिश किए गए शिक्षा फीस, अन्य फीस तथा प्रभार होंगे और अकादमिक परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन सामान्य रुप में लागू होंगे :

परंतु, स्वायत्त महाविद्यालय और स्वायत्त संस्था से अन्य कोई महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था जो राज्य सरकार केंद्र सरकार तथा स्थानिय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित तथा सम्पोषित हो जिसका आशय उन विहित से अन्य विभिन्न फीस प्रभार से तथा अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित फीस नियतन समिति को प्रस्ताव प्रस्तूत कर सकेगा तथा फीस नियतन समिति ऐसे आवेदक महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा उपबंधित विभिन्न अतिरिक्त सुविधाओं के निर्धारण तथा मूल्यांकन के आधार पर ऐसे महाविद्यालय तथा संस्थाओं के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों के लिए अध्यापन फीस, अन्य फीस तथा प्रभारों का विनिश्चय करेगी । इस संबंध में फीस नियतन समिति का निर्णय, अंतिम होगा और अवेदक महाविद्यालय या संस्था पर बाध्यकारी किया जायेगा ।

(८) इस अध्यादेश में यथा विहित मानकों के आधार पर समिति, फीस नियतन प्रस्तावों का परिक्षण करने तथा विचार करने के लिए, वर्ष में दो बार बैठक बुलायेगी तथा आवश्यकता होने पर अधिक बैठकें लेगी। समिति, अकादमिक वर्ष के प्रारम्भण से कम से कम छह महिने पूर्व, अध्यापन फीस, अन्य फीस तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के प्रभार का विनिश्चय करेगी।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों का चयन तथा नियुक्तियाँ।

१०२. (१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन, कुलपति गुणागुण के आधार पर तथा चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय अध्यापक की नियुक्ति करेगा ।

(२) विश्वविद्यालय अध्यापकों, की नियुक्ति के लिए, सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से चयन समिति का गठन होगा,—

(क) कुलपति के निर्देशों पर कुलपति या प्रतिकुलपति-अध्यक्ष ;

(ख) कुलधिपति द्वारा नामनिर्देशित प्राध्यापक की श्रेणी से अनिम्न का एक व्यक्ति ;

(ग) संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष सदस्य-सचिव के रुप में ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख या संबंधित बहुअनुशासी संस्था के संबंधित विद्यालय का प्रमुख ;

(ड.) विशेषज्ञों के छह नामों से अनून पॅनल में से, प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित, तीन से अनून विशेषज्ञ, अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किये गये विश्वविद्यालय से संबंधित न हो, जिसे, जिसके लिये अध्यापक का चयन किया जा रहा है, उस विषय का विशेष ज्ञान है ;

(च) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों से प्राध्यापक या प्राचार्य से अनिम्न श्रेणी का एक व्यक्ति ;

(छ) प्रबंधमंडल परिषद नामनिर्देशित एक प्राचार्य, जो प्रबंधमंडल परिषद का सदस्य है ;

(ज) निदेशक, उच्चतर शिक्षा, या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(झ) निदेशक, तकनिकी शिक्षा, या संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति :

परंतु, खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रमुख, जो सहयोगी प्राध्यापक है, सहायक प्राध्यापक के चयन के लिये, चयन समिति का एक सदस्य होगा ।

(३) चयन द्वारा भरे जानेवाले विश्वविद्यालय अध्यापकों को प्रत्येक पद, कुलपति द्वारा, अनुमोदित प्रारूप के अनुसार सम्यकतया तथा व्यापक रूप से, यथाविहित न्यूनतम तथा अतिरिक्त अर्हताएँ, पारिश्रमिक तथा भरे जाने वाले पदों की संख्या, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों के सदस्यों के लिये आरक्षित हैं, तथा विश्वविद्यालय विभाग तथा आंतर विषय अध्ययन बोर्ड के सिफारिश पर कुलपति द्वारा निर्धारित किया जाये, विज्ञापित किये जायेंगे, तथा ऐसा युक्तियुक्त समय, जिसमें आवेदन कर्ता, विज्ञापन की प्रतिक्रिया के भीतर, में, उनके आवेदनों को प्रस्तुत करने की अनुमति होगी ।

(४) प्रत्येक चयन समिति की बैठक का दिनांक, इस प्रकार नियत किया जायेगा कि, प्रत्येक सदस्य को, ऐसी बैठक के कम-से-कम तीस दिनों की सूचना की अनुमति हो ; तथा प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण, चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जायेगा, जिससे वह बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व पहुँच सकें :

परंतु, प्राध्यापक के पद के लिये, चयन समिति, अधिमानतः, उम्मीदवार, जिसने आवेदन किया था और उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, नियुक्ति के लिये, सभी आवश्क विवरणि के साथ, किसी अन्य व्यक्ति का नाम, जिसने आवेदन नहीं किया है या उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं है, किन्तु सम्यकतया पात्र है तथा उच्च अकादमिक उपलब्धियाँ या विशेषीकरण में प्रवीणता, तथा असाधारण अकादमिक अंशदान, लिखित में अभिलिखित किया है, के साथ नियुक्ति करेगा ।

(५) प्रत्येक चयन समिति के बैठक की गणपूर्ति, चार सदस्योंसे, मिलकर होगी जिसमें से कम से कम दो सदस्य उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए गए व्यक्ति होंगे।

(६) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर या कुलधिपति की **स्वप्रेरणा** से आवश्यक ऐसी जाँच पर या जाँच करने के पश्चात् या उन अध्यापकों की जिसकी नियुक्तियाँ प्रभावित होने की संभावना हैं ऐसे अध्यापकों से विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारण द्वारा किसी भी समय मे किये गये स्पष्टीकरण समेत प्राप्त या प्राप्त किये गये ऐसे स्पष्टीकरण की तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं थे तो कुलाधिपति आदेश द्वारा, ऐसे अध्यापकों के सेवा के निबंधनों से संबंधित संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उनको एक महिने की सूचना देने या ऐसी सूचना के बदले एक महिने का वेतन देने के पश्चात्, उनकी

नियुक्ति पर्यवसित करने के निदेश कुलपति को दे सकेगा और कुलपति तुरंत उसका अनुपालन करेगा तथा नए चयन के लिए कदम उठायेगा। वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति इस प्रकार पर्यवसित हो गई है वह उस पद के लिए फिर से आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(७) अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन कुलाधिपति द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा तथा उस आदेश की प्रतिलिपि, उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कुलपति द्वारा संबंधित अध्यापक को तामील की जायेगी।

(८) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि किसी व्यक्ति को उसकी सेवा पर्यवसित होने के पश्चात् किसी अवधि के लिए विश्वविद्यालय के निधि में से, वेतन या भत्ते के रूप में कुछ भी अदायगी नहीं की गई है इसकी सुनिश्चिति करेगा और किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई ऐसी अदायगी की गई है तो वह इसप्रकार अदायगी की गई रकम विश्वविद्यालय को वापस करने के लिए दायी होगा।

(९) कुलपति, विहित प्रक्रिया के अनुसार सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय अध्यापको की रिक्ति भरने की कार्यवाही करने पूर्व उच्चतर शिक्षा निदेशक से यह सुनिश्चित करेगा कि, अन्य विश्वविद्यालय में समावेशन करने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा सम्पोषित सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय अध्यापको की अधिशेष सूची पर कोई यथोचित व्यक्ति उपलब्ध है और ऐसे सहायता प्राप्त अध्यापक उपलब्ध होने पर कुलपति उस अध्यापक की नियुक्ति करेगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की अस्थायी रिक्तियों को भरना ।

१०३. (१) जहाँ ऐसी नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अध्यपकों की अस्थायी रिक्ति, पदत्याग, छुट्टी या चाहे कोई भी कारण पर हो, पर बनाई जानेवाली है तो यदि, रिक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये हो, तो, चयन समिति की सिफारीश पर धारा १०२ के उपबंधों के अनुसरण में की जायेगी । चयन समिति की गणपूर्ति, तीन सदस्यों से होगी ।

परंतु, यदि रिक्ति एक वर्ष से कम अवधि के लिये हो या कुलपति का समाधान हो जाता है कि, अध्यापन के हित में, रिक्ति शीघ्रतम भरना आवश्यक है तो, वह स्थानिय चयन समिति की सिफारिशों पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये सम्यक् तथा पात्र व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा ।

(२) स्थानिय चयन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :–

(क) कुलपति–अध्यक्ष ;

(ख) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष ;

(ग) संबंधित विभाग प्रमुख ;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ :

परंतु, जहाँ विभाग प्रमुख संकायाध्यक्ष भी है वहाँ, कुलपति, एक के बजाय दो व्यक्तियों को नामित करेगा ;

(ङ) अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति)**/ या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों या विशेष पिछडे प्रवर्गों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य या प्राध्यापक की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक सदस्य ;

(च) प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक प्राचार्य या प्राध्यापक जो प्रबंधमंडल परिषद का सदस्य है ;

(छ) उच्चतर शिक्षा का निदेशक या उच्चतर शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिति ; और

(ज) तकनीकी शिक्षा का निदेशक या उसका नामनिर्देशिति तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का न हो :

परंतु, यथा उपर्युक्त एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व, कुलपति धारा १०२ के उपबंधों के अनुसरण में, नियुक्ति द्वारा पद भरने के लिये कदम उठायेगा ।

संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति तथा चयन।

१०४. संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्यों या विश्वविद्यालयों संस्थाओ या विश्वविद्यालय द्वारा संपोषित स्नातकोत्तर केंद्रों या उप-केंद्रों के निदेशक या प्रमुख के चयन के लिये, चयन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) प्रबंधमंडल परिषद पर का कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ;

(ग) प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ तथा अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ, जों उसकी अधिकारिता के अधीन विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों या संस्थाओं के साथ न जुडा हो ;

(घ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे प्रवर्ग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित प्राचार्य या प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का एक सदस्य ;

(ङ) प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित एक प्राचार्य जो प्रबंधमंडल परिषद सदस्य है ;

(च) निदेशक, उच्चतर शिक्षा या उच्चतर शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों, संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए चयन समितियाँ ।

१०५. (१) उक्त पदों के नियुक्ति के लिए, एक चयन समिति होगी जो उचित उम्मीदवारों के नियुक्ति की सिफारिश करेगी,—

(क) संकायाध्यक्ष ;

(ख) विश्वविद्यालय के उप परिसर का निदेशक ;

(ग) रजिस्ट्रार ;

(घ) परीक्षा तथा मुल्यांकन बोर्ड का निदेशक ;

(ड.) वित्त तथा लेखा अधिकारी ;

(च) क्रीड़ा तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक ;

(छ) अभिनव, उद्‌भवन तथा संलग्नता के निदेशक ;

(ज) आजीवन अध्यापन तथा विस्तार निदेशक ।

(२) चयन समिति, निम्न सदस्यों से मिलकर गठित होगी, अर्थात्, —

(क) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ख) प्रबंधमंडल परिषद पर कुलाधिपति का नामनिर्देशिती ;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, जो उसके अधिकारिता के अधीन के विश्वविद्यालय तथा सहबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं से संबंधित नहीं हैं, भरी जानेवाली पद से संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखनेवाले, दो विशेषज्ञ ;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) या खानाबदोश जनजाति या अन्य पिछडे वर्गों, में से, प्राचार्य या प्राध्यापक से अनिम्न श्रेणी का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;

(ङ) प्रबंधमंडल परिषद द्वारा नामनिर्देशित एक निर्वाचित प्राचार्य या अध्यापक जो प्रबंधमंडल परिषद का सदस्य है ;

(च) उच्चतर शिक्षा का निदेशक या उच्चतर शिक्षा के संयुक्त निदेशक से अनिम्न श्रेणी का उसका नामनिर्देशिती ;

(छ) रजिस्ट्रार, सदस्य सचिव :

परंतु, जहाँ वह अपने आप ही पद के लिए उम्मीदवार है, तब ऐसे मामले में, प्रतिकुलपति, सदस्य-सचिव होगा ।

(३) उप-धारा (१) में उल्लिखित सभी पद, सम्यक्तया तथा व्यापक रूप से विज्ञापित किये जायेंगे ।

(४) प्रत्येक चयन समिति की बैठक का दिनांक, इस प्रकार नियत किया जायेगा कि, प्रत्येक सदस्य को, ऐसी बैठक के कम-से-कम तीस दिनों की सूचना की अनुमति हो तथा प्रत्येक उम्मीदवार का विवरण, चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जायेगा जिससे वह बैठक के दिनांक से सात दिन के पूर्व पहुँच सके ।

(५) प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा की गई याचिका पर कुलाधिपति की **स्वप्रेरणा** से आवश्यक ऐसी जाँच करने पर या जाँच के पश्चात् उन व्यक्तियों जिनकी नियुक्तियाँ प्रभावित होनी की संभावना हैं, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा किसी भी समय में किये गये स्पष्टीकरण समेत प्राप्त या प्राप्त किये गये ऐसे स्पष्टीकरण तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं थी तो कुलाधिपति आदेश द्वारा ऐसे व्यक्तियों के सेवा के निबंधनों से संबंधित संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उनको एक महिने की सूचना देने या ऐसी सूचना के बदले एक महिने का वेतन देने के पश्चात् उनकी नियुक्ति पर्यवसित करने के निदेश कुलपति को दे सकेगा और कुलपति तुरंत उसका अनुपालन करेगा तथा नए चयन के लिए कदम उठायेगा। वह व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति इसप्रकार पर्यवसित हो गई है वह उस पद के लिए फिर से आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(६) अंतिम पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन कुलधिपति द्वारा किया गया कोई आदेश, अंतिम होगा तथा उस आदेश की प्रतिलिपि उसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कुलपति द्वारा संबंधित व्यक्ति को तामील की जायेगी।

(७) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि, किसी व्यक्ति को, उसकी सेवा पर्यवसित होने के पश्चात् किसी अवधि के लिए विश्वविद्यालय के निधि में से, वेतन या भत्ते के रूप में कुछ भी अदायगी नहीं की गई है इसकी सुनिश्चिति करेगा और किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई ऐसी अदायगी की गई है तो वह इस प्रकार अदायगी की गई रकम विश्वविद्यालय वापस करने के लिए दायी होगा।

(८) चयन समिति और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति, राज्य सरकार **राजपत्र** में विहित करेगी।

(९) किसी सहायता प्राप्त महाविद्यालय का प्रबंधमंडल विहित प्रक्रिया के अनुसार सहायता प्राप्त अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त कर्मचारियों की रिक्ति भरने की कार्यवाही करने पूर्व उच्चतर शिक्षा निदेशक से यह सुनिश्चित करेगा की, अन्य महाविद्यालय में समावेश करने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा सम्पोषित सहायता प्राप्त महाविद्यालय व्यक्तियों की अधिशेष सूची पर कोई यथोचित व्यक्ति उपलब्ध है और ऐसे सहायता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध होने पर प्रबंधमंडल उच्चतर शिक्षा के निदेशक द्वारा जारी निदेशन के अनुसार उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

परंतु, अधिशेष अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के समावेशन की प्रक्रिया केवल सहायता प्राप्त अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त अन्य कर्मचारीयों को लागू होगी।

(१०) संबंद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिये, चयन समिति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतो, निदेशनों के अनुसार, **राजपत्र** में राज्य सरकार द्वारा, विहित किये जा सके, ऐसी होगी।

अन्य समितियाँ ।

१०६. इस अधिनियम के अधीन गठित संस्थाओं के अतिरिक्त में, विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, यथोचित शर्तों तथा किसी विशिष्ट कार्य के लिये के संदर्भ के साथ, समिति नियुक्त कर सकेगी, तथा ऐसी समिति में, ऐसी समिति के गठन करनेवाले उसी प्राधिकरण के सदस्यों तथा उस प्राधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किये जाए ऐसे अन्य व्यक्तियों का भी समावेश होगा।

अध्याय दस

अनुज्ञा, संबद्धता और मान्यता

परिप्रेक्ष्य योजना ।

१०७. (१) विश्वविद्यालय, प्रत्येक पाँच वर्षों के लिये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा और वह आयोग द्वारा अनुमोदित की जायेगी। जो योजना, महाविद्यालय और संस्थाओं के स्थान के लिये तैयार की जायेगी जो जिसमें उच्चतर शिक्षा के लिये सुविधाओं का व्यापक समान बटवारा सुनिश्चित होगा, जिसमें विश्वविद्यालय की अधिकारिता के भीतर सेवाएँ अप्राप्त और कम विकसित क्षेत्रो की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । ऐसी योजना, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा तैयार की जायेगी और अकादमिक परिषद और प्रबंध परिषद के जरिए सिनेट के समक्ष रखी जायेगी।

(२) परिप्रेक्ष्य योजना में, अनुज्ञा दी जाये ऐसे नये पाठ्यक्रमों तथा विषयों का समावेश किया जायेगा जिन्हें क्षेत्र की सामाजिक तथा अर्थिक आवश्यकताएँ, उपलब्ध नौकरी के अवसर तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अध्ययन द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उच्चतर प्रवेश समानता, उत्कृष्टता सुसंगत अनुसंधान और गुणता के राष्ट्रीय और राज्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उच्चतर शिक्षा के लिये राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय नीति की योजना के साथ पुष्टि की जाये, का समावेश होगा।

(३) परिप्रेक्ष्य योजना में, संबंधित पाठ्यक्रम के लिये माँग को क्रमगुणित करने के पश्चात्, विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा के महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के लिये अनुज्ञा दी जाने के लिये अनेक नये विभागों के लिये उपबंध बनायेगी और धारा ७६ के अधीन योजनाओं और आयोग के अनुमोदन के पश्चात्, पुष्टि की जायेगी।

(४) परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करते समय, जिलों, जहाँ कुल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है और वृद्धि, सामाजिक सुसंगता और मूल्य शिक्षा के समावेशन समेत गुणता निर्देशिचिन्ह के अलावा जनजाति, पहाड़ी और अगम्य क्षेत्रों को भी वरीयता दी जायेगी।

(५) विश्वविद्यालय परिप्रेक्ष्य योजना के सामंजस्य में, उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के स्थान के लिये, प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक योजना के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरु करेगा उसे जिस वर्ष में उच्चतर शिक्षा के नए महालिद्यालय या संस्थाओं को शुरु करने के वर्ष के पूर्ववर्ती अकादमिक वर्ष के अंत के पूर्व प्रकाशित करेगा।

(६) उच्चतर शिक्षा की सुविधाओं की अपेक्षितता, स्थानीय उद्योगों, व्यापार तथा वाणिज्य के लिये आवश्यक कौशल्य के प्रकार, प्रदेश के युवाओं की आकांक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित युवाओं की आवश्यकताएँ जैसे कि, महिला छात्रा, पिछडे तथा जनजाति समुदायों तथा ऐसे अन्य संबंधित घटकों के संबंध में, विश्वविद्यालय, प्रत्येक पाँच वर्ष में, विश्वविद्यालय की भौगोलिक अधिकारिता के भीतर, सुव्यवस्थित क्षेत्र सर्वेक्षण उपक्रमित करेगा। विश्वविद्यालय, ऐसे क्षेत्र सर्वेक्षण के जाँच परीणामों का उपयोग करेगा तथा विश्वविद्यालय की परिप्रेक्ष्य योजना के विकास तैयार करते समय वैज्ञानिक डाटा आधार विकसित करेगा।

संबद्धता और मान्यता की शर्ते ।

१०८. (१) संबंद्धता या मान्यता के लिए आवेदन करने वाला प्रबन्धमंडल तथा प्रबन्धमण्डल जो महाविद्यालय या संस्था को संबद्ध या मान्यता अनुदत्त की गई है निम्न वचन देगा तथा निम्न शर्तों का अनुपालन करेगा कि,—

(क) अधिनियम के उपबन्धो तथा परिनियमों, आर्डिनेंसो तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों तथा विश्वविद्यालय के स्थायी आदेशों तथा निदेशों का राज्य सरकार से, अनुपालन किया जायेगा ;

(ख) अधिनियम की धारा ९७ द्वारा यथा उपबंधित संबद्ध किये गये किसी महाविद्यालय के लिए एक पृथक महाविद्यालय विकास समिति का उपबन्ध किया जायेगा ;

(ग) अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए प्रवेशित किये गये छात्रों की संख्या, विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित सीमाओं से अधिक नहीं होगी ;

(घ) अध्यापन तथा अनुसंधान के लिए अपेक्षित भौतिक सुविधा जैसे की भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पुस्तकें, आवश्यक उपस्कर तथा छात्रावास, जिमखाना, आदि उचित तथा पर्याप्त होनी चाहिए जैसा कि, विहित किया जाए ;

(ङ) महाविद्यालय या संस्था के वित्तीय स्रोत ऐसे होने चाहिए ताकि उसके जारी रखरखाव और कार्य के लिए सम्यक् उपबंध किया जा सके ;

(च) संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्था के अध्यापन कर्मचारिवृन्द तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द की संख्या तथा अर्हताएँ तथा संबद्ध महाविद्यालय के कर्मचारियों का पारश्रमिक तथा सेवा के निबन्धन तथा शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये तथा पाठ्यक्रमों, अध्यापन प्रशिक्षण या अनुसंधान को दक्षतापूर्वक करने के लिए सम्यक् उपबन्ध बनाने के लिए पर्याप्त होगी ;

(छ) समस्त अध्यापकों तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के सेवाएँ तथा संबद्ध किये गये महाविद्यालयों की सुविधा विश्वविद्यालय की परीक्षा तथा मूल्यांकन संचालित करने तथा अन्य गतिविधियों को बढावा देने के लिए उपलब्ध की जायेंगी ;

(ज) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा अन्य अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धो, परिनियमों, आर्डिनेंसो तथा विनियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये निदेशों और आदेशों का अनिवार्य अनुपालन किया जायेगा ;

(झ) विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, प्रबन्धमण्डल में कोई परिवर्तन या महाविद्यालय या संस्था के स्थान का अन्तरण नहीं किया जायेगा ;

(ञ) विश्वविद्यालय की पुर्वानुमति के बिना, कोई महाविद्यालय या संस्था बन्द नहीं की जाएगी ;

(ट) धारा १२१ के अधीन महाविद्यालय या संस्था के असंबद्धीकरण या मान्यता वापस लेने या उन्हे बन्द करने की स्थिति में, प्रबंधमडल, प्रबंधमंडल से पूर्ति की जानेवाली क्षति या मुआवजे से संबंधित अकादामिक परिषद के विनिर्णय का निष्पादन करेगी।

(२) उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालय या संस्था पर, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय का भाग है, मूल विश्वविद्यालय द्वारा जब तक "निराक्षेप प्रमाणपत्र" नहीं दिया जाता, तब तक संबद्धता या, यथास्थिति, मान्यता के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

नये महाविद्यालय या नये पाठ्यक्रम, विषयों, संकायों, प्रभाग शुरु करने के लिए मंजूरी की प्रक्रिया ।

१०९. (१) अध्ययन के नये पाठ्यक्रमो, विषयों, संकायों या अतिरिक्त विभाग शुरू करने के लिये, उच्चतर शिक्षा के नये महाविद्यालयों या संस्थाओं को शुरु करने के लिये प्रस्ताव, विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे तथा विचार में लिये जायेंगे ।

(२) उच्चतर अध्ययन नए महाविद्यालय या संस्था शुरू करने के लिए के आवेदन जो धारा १०७ के अधीन तैयार परिप्रेक्ष्य योजना से अनुरूप नहीं है वह विश्वविद्यालय द्वारा विचारार्थ नहीं लिए जायेंगे।

(३) (क) उच्चतर अध्ययन के नये महाविद्यालय या संस्था शुरु करने के उद्देश की अनुज्ञा चाहनेवाले प्रबंधमंडल, जिस वर्ष से अनुज्ञा चाही गई है, के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिन के पूर्व, विहित प्ररूप में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ;

(ख) आवश्यकताओं से अनुपालन करनेवाले तथा विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त होनेवाले ऐसे आवेदन केवल विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे तथा विचार में लिये जायेंगे ।

(ग) उपर्युक्त विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन संकायाध्याक्ष बोर्ड द्वारा संविक्षित किये जायेंगे और विश्वविद्यालय, प्रबंध परिषद के अनुमोदन से सुसंगत कारणों द्वारा सम्यकतया समर्थित ऐसी सिफारिशों से वर्ष के ३० नवम्बर जिस वर्ष मे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ है को या के पूर्व, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा संवीक्षीत सभी आवेदनों को राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा, जिसे प्रबंध परिषद द्वारा समुचित समझा गया है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किये गये आवेदनों में से, राज्य सरकार खण्ड (ग) के अधीन विश्वविद्यालय के सिफारिशों के तत्काल पश्चात्, ३१ जनवरी को या के पूर्व के आशय पत्र के ऐसी संस्थाओं को अनुज्ञा अनुदत्त करेगी, जिसे वह अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार में सही और उचित समझे, जिसमें राज्य सरकार के बजट स्रोतों, उच्चतर अध्ययन के नये महाविद्यालयों या पाठ्यक्रमों या संकायों या विभागों या विषयों या अनुषंगी केंन्द्रो या संस्थाओं को शुरु करने की अनुज्ञा चाहनेवाले प्रबंधमंडलों की उपयुक्तता तथा उनके स्थानों संबंधी राज्यस्तरिय वरियता पर भी विचार किया जायेगा :

परन्तु, अपवादात्मक मामलो में और किसी आवेदन का लिखित में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश नहीं की जायेगी, जिसे उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालय या संस्थाओं को आशय पत्र अनुदत्त करने के लिये राज्य सरकार को अनुमोदित किया जा सकेगा ;

(ड.) राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त ऐसे आशय पत्र निकटतम अगले वर्ष के ३१ जनवरी तक वैध होगा । प्रबंधमंडल, ऐसे अवधि के भीतर, आशय पत्र में उल्लिखित आवश्यक शर्तो का पालन करेगा तथा संस्था शुरु करने के लिए आवश्यक अकादमिक और आधारभूत सुविधा तथा तत्परता की वर्तमान स्थिति का अनुपालन रिपोर्ट अंतिम अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेज से विश्वविद्यालय को भेजेगा ।

(च) उपयुक्त समय सीमा के भीतर प्राप्त ऐसा अनुपालन रिपोर्ट संकायाध्यय के बोर्ड द्वारा संविक्षित किया जायेगा तथा जिस समय में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसके १ मई को या के पूर्व प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार को भेजेगा । संकायाध्यक्ष के बोर्ड की सिफारस तथा प्रबंधमंडल परिषद द्वारा अनुमोदित सिफारस को प्रबंद मंडल परिषद द्वारा समुचित समझा ऐसे संबंधित कारणों द्वारा सम्यक पृष्टी की जायेगी :

परंतु, खण्ड (ड.) में यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर यदि प्रबंधमंडल परिषद आशय पत्र के शर्तो के अनुपालन करने में असफल होता है तो आशप पत्र व्यवगत हुआ समझा जायेगा ।

परंतु, तथापि, अपवादात्मक मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा सम्यकतया तथा परिष्कृत प्रबंधमंडल के आवेदन पर अधिक नहीं होगी समय-समय पर विस्तारित अधिकतर अवधि के लिये आशय पत्र की विधिमान्यता कुल बारह महिनों से अधिक नहीं होगी ।

(छ) खण्ड (च) के अधीन विश्वविद्यालय के रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के बजट संबधी स्त्रोत तथा अन्य सुसंगत घटक नई संस्था शुरु करने की अनुज्ञा माँगनेवाले प्रबंध मंडल की उपयुक्तता आदि ध्यान में लेकर राज्य सरकार अपने संपूर्ण निदेशन में जैसा वह उचित समझे ऐसे प्रबंधमंडल को अंतिम अनुमोदन अनुदत्त कर सकेगा। इस खण्ड के अधीन अंतिम अनुमोदन, ऐसे नए महाविद्यालय या संस्था शुरु करने के प्रस्तावित वर्ष के १५ जून को या पूर्व दे दी जायेगी। राज्य सरकार से ऐसा अनुमोदन विश्वविद्यालय को सुसंचित किया जाएगा । उसके पश्चात्, अनुदत्त अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा अनुवर्ती अकादमिक वर्ष में केवल प्रभावित होंगे :

परंतु तथापि, अपवादात्मक मामलो में तथा लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए, आशय पत्र पर कोई अनुपालन रिपोर्ट जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश नहीं किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा ।

(४) (क) नए अध्ययन पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त विभाग या सेटेलाईट केंद्र शुरु करने की अनुज्ञा माँगने के लिए प्रबंधमंडल, जिस वर्ष से अनुमति माँगी गई है उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के सितंबर के अंतिम दिनांक के पूर्व विहित प्ररुप में, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ।

(ख) जो आवश्यकताओं का पालन करते है तथा विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त होते है केवल वही आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होंगे तथा उसपर विचार किया जायेगा ।

(ग) उपयुक्त विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा संविक्षित किए जायेंगे तथा उस वर्ष के १ अप्रैल या के पूर्व प्रबंधमंडल परिषद द्वारा समुचित समझे जाए ऐसे सुसंगत कारणों द्वारा सम्यक समर्पित ऐसी सिफारिशों के प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार को अग्रेवित करेगा।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश किए गए आवेदनों में से राज्य सरकार के अन्य सुसंगत घटक, बजट संबंधी स्त्रोत, तथा अनुमति माँगनेवालो प्रबंधमंडल की उपयुक्तता आदि को ध्यान में लेकर राज्य सरकार अपने संपूर्ण निदेशन में जैसा वह ठीक और उचित समझे ऐसे संस्था को उस वर्ष के १५ जून को या के पूर्व अनुमति दे सकेगा। अनुमति इस खण्ड में विनिर्दिष्ट दिनांक को या के पूर्व राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को संसूचित की जायेगी :

परंतु तथापि, अपवादात्मक मामलो में तथा लिखित में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों के लिए कोई आवेदन, जिसकी विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश नहीं की है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

(५) कोई आवेदन, राज्य सरकार द्वारा विभाग उप-धारा ३ के अधीन आशय पत्र को अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिये, या उप-धारा ४ के अधीन अंतिम अनुमादन के लिए राज्य सरकार द्वारा, सीधे प्रविष्ट नहीं किया जायेगा ।

(६) उच्चतर अध्ययन के विद्यमान महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा, अध्ययन के नये पाठ्यक्रम, विषय, संकाय या अतिरिक्त विभाग या अनुषंगी केन्द्रो, को शुरू करने के लिये आवेदन, विश्वविद्यालय द्वारा, राज्य सरकार को, अग्रेषित नहीं किया जायेगा, यदि–

(क) वह, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद या तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, से प्रत्यायित या पुनः प्रत्यायित या नहीं किये गये है, अब उनके जरिए प्रत्यायन अभिकरणों के मानकों के अनुसार, प्रत्यायित किये जाने के लिये पात्र है ; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों से अनुपालन नहीं होगा ।

(७) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई प्रबंधनमंडल, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय, राज्य में उच्चतर शिक्षा का नवीन महाविद्यालय या संस्था स्थापित नहीं करेगा ;

(ख) कोई प्रबंधमंडल, राज्य सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम या, विषय, संकाय अतिरिक्त अनुभाग शुरु नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति का तात्पर्य "उच्चतर अध्ययन के नवीन महाविद्यालय या संस्था स्थापित या खोलने" और "अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम, विषय संकाय अतिरिक्त अनुभाग या सॅटेलाईट केंद्र शुरु करने से है" और इसमें राज्य सरकार से बिना, सहायता प्राप्त आधार पर उच्चतर अध्ययन के ऐसे महाविद्यालय या संस्था स्थापित करने या अध्ययन के ऐसे किसी पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त अनुभाग या सॅटेलाईट केंद्र शुरु करना सम्मिलित होगा।

(८) असाधारण परिस्थिति के मामले में जिसमें विशिष्ट संकायों के नए अनुभाग शुरु करना न्यायसंगत होता है राज्य सरकार को अभिलिखित लिए जानेवाले कारणों से ऐसे नए अनुभाग शुरु करने की अनुज्ञा अनुदत्त करणे की तेज गति प्रणाली तथा उस संबंधित मानक तथा प्रक्रिया घोषित करके उसे अपनाने के प्रधिकार होगे :

परंतु, ऐसे असाधारण परिस्थितिमें, अनुज्ञा अनुदत्त करने की प्रक्रीया जिस वर्ष में ऐसे नए अनुभाग शुरु करने है उस एकादामिक वर्ष के ३१ अगस्त तक पूर्ण की जायेगी :

परंतु आगे यह कि, तेज गति प्रणाली के अधीन नए अनुभाग शुरु करने के लिए आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत सम्यक् प्रक्रिया की जायेगी। आवश्यक शर्तों के अनुपालन करने पर यदि विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को ऐसे नए अनुभाग शुरु करने के प्रस्ताव को सिफारिश किया है तब जिस अकादमिक वर्ष में ऐसे नए अनुभाग शुरु करने है उस वर्ष के ३१ अगस्त तक राज्य सरकार द्वारा सरकार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकुल संसूचना जारी नहीं हुई है तो राज्य सरकार द्वरा ऐसी अनुज्ञा मिल गई ऐसा समझा जायेगा।

(९) राज्य सरकार, उप-धारा (३) या, यथास्थिति, उप-धारा (४) के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा उक्त उप-धाराओं के प्रयोंजनो के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया अधिकथित कर सकेगी।

संबद्धन के लिये प्रक्रिया ।

११०. (१) राज्य सरकार से अनुज्ञा की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद, उच्चतर अध्ययन के नये महाविद्यालय या संस्था को या, अध्ययन के नये पाठ्यक्रमों, विषयों, संकायों, अतिरिक्त विभाग या, यथास्थिति, सॅटेलाईट केंद्रो को, प्रथम बार संबंद्धन देने पर विचार करेगा :

(२) अकादमिक परिषद विनिश्चय करेगी कि,—

(क) चाहे संबंध्दन मंजूर किया जाये या नामंजूर किया जाये ;

(ख) चाहे संबंध्दन संपूर्ण रूप से या अंशतः मंजूर किया जाये ;

(ग) विषय, अध्ययन के पाठ्यक्रम, प्रवेशित किये जानेवाले छात्रो की संख्या ;

(घ) शर्तें, यदि कोई हो, अनुदत्त करते समय या युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन की जानेवाली संबंध्दन अनुदत्त करने के लिये अनुबद्ध किया जा सकेगा :

परंतु, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी शर्तों का अनुपालन विफल होने के मामले में, अनुदत्त किया गया संबंद्धन, रदद् किया गया समझा जायेगा तथा संबंधित प्रबंधमंडल को, विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में, कोई संसूचना आवश्यक नहीं होगी ।

(३) प्रति-कुलपति, उच्चतर अध्ययन के नए महाविद्यालय या संस्था शुरु करने या नए अध्ययन पाठ्यक्रमों, विषयों, संकायों या अतिरिक्त अनुभाग या सॅटेलाईट केंद्रो को शुरु करने संबंद में राज्य सरकार द्वारा मंजूरी की सूचना का एकादमिक परिषद का विनिर्णय एक महिने के भीतर प्रबंधमंडल का संसूचित करेगा तथा उसकी एक प्रतिलिप उच्चतर शिक्षा निदेशक को भेजेगा और यदि संबंधित किसी सूचना के साथ संबंद्ध के लिए आवेदन अनुदत्त है तो,—

(क) अध्ययन के पाठ्यक्रम, विषयों, संकायों या अतिरिक्त विभागों, जिसके लिये, संबद्धन अनुदत्त किया गया है ;

(ख) प्रवेशित किये जानेवाले छात्रों की संख्या ;

(ग) शर्तें, यदि कोई हो, की पूर्ति के अध्यधीन, जिसके लिये संबद्धन अनुदत्त किया गया है, तथा ऐसी शर्तों के अनुपालन के लिये अनुबदध् किया गया समय ।

(४) जहाँ पर महाविद्यालय तथा संस्था पात्र है तथा प्रत्यायन या, यथास्थिति, पूनर्प्रत्यायन लिए पात्र है तथा ऐसा महाविद्यालय प्रत्यायन या पूनर्प्रत्यायन की आवश्यकताओं की देय अनुपालन करने में असफल होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय या संस्था के संबंद्धन मंजूर नही किया जायेगा :

परंतु, इस उप-धारा की कोई भी बात संकाय के प्राकृतिक विकास अतिरिक्त अनुभाग अध्ययन के पाठ्यक्रम विषय या सॅटेलाईट केंद्रो के लिए संबंद्धन के संबध में नहीं होगी।

(५) उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालय या संस्था को या नये अध्ययन के पाठ्यक्रम, विषयों, संकायों या अतिरिक्त विभाग को, विश्वविद्यालय में संबद्धधन जब तक अनुदत्त नहीं किया जाता तब तक विश्वविद्यालय के महाविद्यालय या संस्था द्वारा कोई भी छात्र प्रवेशित नहीं किंया जायेगा ।

संस्थाओं की मान्यता की प्रक्रिया।

१११. (१) किसी संस्था का प्रबंध-मंडल जो पांच वर्षो से अनून अवधि के लिए अनुसंधान या विशेषीकृत अध्ययन, सक्रियापूर्वक संचालित करता है तथा जो मान्यताप्राप्त करना चाहता है तो, जिस वर्ष से मान्यता चाही उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व निम्न मामलों को के पूरी जानकारी के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पास आवेदन भेजेगा, अर्थात्

(क) प्रबंध मंडल का गठन तथा कार्मिक ;

(ख) अध्ययन के ऐस पाठ्क्रमों तथा विषयों तथा अनुसंधान कार्यक्रमों जिनके लिए मान्यता पाना चाही गयी हैं ;

(ग) ऐसी निवास व्यवस्था, उपकरण और छात्रों की संख्या जिनके लिए उपबंध किया गया है ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान मार्गदर्शन करने के लिए मान्यता या उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के स्थायी, अभ्यागत, और अवैतनिक कर्मचारिवृन्द ; उनका अनुभव, संस्था में कार्यान्वित किया गया अनुसंधान कार्य का सबूत, प्रकाशनों, रिपोर्टो, प्रबंध, संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ;

(ङ) उद्ग्रहित या उद्ग्रहित किये जाने के लिये प्रस्तावित फीस तथा भवनों, उपकरणों तथा संस्था के अनुरक्षण तथा कार्य को सुचारू रूप से बनाये रखने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए उपबंध किये गये।

(२) आवश्यकताओं से अनुपालन करनेवाले (और विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त,) केवल वहीं आवेदन, विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किये जायेगे तथा विचार में लिये जायेंगे ।

(३) सभी ऐसे आवेदन, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा संविक्षित किये जायेंगे। संकायाध्यक्ष बोर्ड, किन्ही अधिकतर सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, और आवश्यकताओं से अनुपालन करने के लिये, प्रबंधमंडल को कहेगा ।

(४) यदि, संकायाध्यक्ष बोर्ड, आवेदन पर विचार करने का विनिश्चय करता हैं तो मान्यता अनुदत्त करने के लिये सभी आवश्यकताओं के भौतिक सत्यापन के लिये संबंधित विषय या क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की एक समिति द्वारा, निरिक्षण करेगा ।

(५) समिति, संस्था भेट देगी और संकाध्यक्ष बोर्ड को, यथोचित समझे जाये, ऐसे सुसंगत कारणों द्वारा, सम्यक्तया समर्थित ऐसी सिफारिशों से उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(६) ऐसी जाँच की रिपोर्ट को ध्यान में लेने के पश्चात्, तथा आवश्यक समझी जाये ऐसी आवश्यक अधिकतर जाँच करने पर, संकायाध्यक्ष बोर्ड, कुलपति को, यथायोग्य समझे जाये ऐसे सुसंगत कारणों द्वारा, सम्यक्तया समर्थित ऐसी सिफारिशों से, अंशतः या पूर्णतः आवेदन की मंजूरी या नामंजूरी के प्रस्ताव तथा जाँच समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(७) कुलपति, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव ध्यान में लेने के पश्चात्, या तो मंजूर या नामंजूर कर सकेगा । इस बारे में कुलपति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा ।

(८) प्रति-कुलपति, कुलपति का विनिश्चय, प्रबंधन को, संसूचित करेगा, तथा उसकी एक प्रती उच्चतर शिक्षा निदेशक को भेजेगा।

(९) उप-धारा (१) से (८) में अधिकथित प्रक्रिया छह महिने के भीतर पूरी की जायेगी।

निजी शिक्षा प्रबंधक की मान्यता के लिए प्रक्रिया।

११२. (१) निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक के प्रबंधमंडल का आशय विभिन्न उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को कौशल्य अर्हता तथा शिक्षा संरचना से संबंधित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय नीति के अनुसार विश्वविद्यालय से मान्यता लेना है और ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए लगे हुए विशेषज्ञ, निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों और चाहे गए प्रारुप में जिस वर्ष मान्यता चाही गई है उस पूर्ववर्ती वर्ष से, वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व विहित प्ररुप में रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे .।

(२) आवश्यकताओं का अनुपालन करनेवाले और विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त केवल उन आवेदनों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और उनका विचार किया जाएगा ।

(३) ऐसे सभी आवेदनों की संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा जाँच की जाएगी । संकायाध्यक्ष बोर्ड मान्यता चाहने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन या दस्तावेजों में विसंगतियाँ प्रबंध मंडल को सूचित करेगा और आवश्यकताओं का अनुसरण करने को पूछेगा।

(४) संकायाध्यक्ष बोर्ड, निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक की वास्तविकता से समाधान होने के पश्चात्, मान्यता देने के प्रयोजन के लिए, कौशल्य शिक्षा, उद्योग और अकादमिक की विशेषज्ञ समिति द्वारा जाँच करेगा ।

(५) समिति संस्था को भेंट देगी और समिति जैसा कि समुचित समझती है ऐसे संबंधित कारणों से सम्यक् रुप से समर्थित ऐसी सिफारिशों से, उसकी रिपोर्ट संकायाध्यक्ष बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

(६) ऐसी जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और जैसा कि वह आवश्यक समझे ऐसी अधिकतर जाँच करने के पश्चात् , संकायाध्यक्ष बोर्ड, जैसा कि उचित समझा गया है ऐसे सुसंगत कारणों से सम्यक् रुप से समर्थित ऐसी सिफारिशों और जाँच समिति की रिपोर्ट भागतः या पूर्ण रुप में आवेदन को मंजूरी देने या अस्वीकृत करने का प्रस्ताव कुलपति को प्रस्तुत करेगा ।

(७) कुलपति, संकायाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का विचार करने के पश्चात्, उसे या तो मंजुरी देगा या अस्वीकृत करेगा और इस संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(८) प्रति-कुलपति कुलपति का निर्णय प्रबंधन को संसूचित करेगा।

(९) उप-धारा (२) से (८) में अधिकथित प्रक्रिया के लिए समय अनुसूची जिस वर्ष में निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक को विभिन्न उपाधि, डिप्लोमा, अंतरिम डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों का शुरु करना आशयित हे उस वर्ष के ३० अप्रेल तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तथा पूर्ण की जायेगी।

(१०) मान्यता, पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य की जायेगी उप-धारा (१) से (८) में निर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसी मान्यता के निरंतरता के लिए समय-समय से यथावश्यक परिवर्तन संहित लागू की जायेगी।

(११) मान्यताप्राप्त निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, अंतरिम डिप्लोमा और विभिन्न उपाधियाँ प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्धारण का संचालन, परिणामों की घोषणा और सिफारिश करेगा ।

(१२) निजी कौशल्य शिक्षा देने वाली संस्था को बंद करनेवाले इच्छुक प्रबंधन, ऐसी संस्था को बंद करने के लिए उसके आधारों का पूर्णतया कथन करके और भवनों तथा उपकरण के प्रारुप की आस्तियाँ, उनकी मूल लागत, विद्यमान बाजार मूल्य और या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या लोक निधि अभिकरणों से अब तक उसे प्राप्त अनुदानों को बताते हुए, पूर्ववर्ती वर्ष के अगस्त के पहले दिन को या के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे ।

(१३) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कुलपति, निर्धारण और अवधारण के लिए जैसा कि वह उचित समझे जाँच कर सकेगा चाहे निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक बंद करने के लिए अनुज्ञाप्राप्त हो । कुलपति, ऐसी बंदी के लिए अन्य प्रबंधन में उसका अंतरण होना चाहिए का निरीक्षण करेगा ।

(१४) यदि कुलपति बंद करने की सिफारिश करने का विनिश्चय करता है तो संकायाध्यक्ष बोर्ड, ऐसी सिफारिश तैयार करेगा और प्रबंधन परिषद से वसूल किये जानेवाले नुकसानों और प्रतिकर के परिमाण की रिपोर्ट प्रबंध परिषद को प्रस्तुत करेगा और चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या अन्य लोक निधि अभिकरणों द्वारा उपबंधित निधियों का उपयोग करने के लिए सृजित आस्तियाँ विश्वविद्यालय को या अन्य प्रबंधन को आंतरित की जाएगी।

(१५) कुलपति, चाहे निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक बंद करने की अनुज्ञाप्राप्त हो, प्रबंधन परिषद की पूर्व सहमति से विनिश्चय करेगा ।

(१६) बंद करने के लिये प्रभावि प्रक्रिया किसी चरण में की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी कौशल्य शिक्षा प्रबंधक में पहले ही से प्रविष्ट छात्र प्रभावित नहीं हैं और उसका प्रथम वर्ष प्रथम बंद किया जाएगा और कोई भी नया प्रवेश प्रभावित नहीं होगा । बंद करने के चरण को पूर्ण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ।

सशक्त स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालयों को मान्यता।

११३. (१) मान्यता के लिए आवेदन करनेवाले सशक्त स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय, निम्नलिखित वचन देंगे और उनका अनुपालन करेंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेंसों के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये विनियमों और विश्वविद्यालय के स्थायी आदेशों और निर्देशों का अवलोकन करेगी ;

(ख) वहाँ पर आवश्यक उपकरणों से आधुनिक शैली की सुविधाएँ, कौशल्य विकास प्रयोगशालाओं से उचित तथा पर्याप्त भौतिक सुविधाएँ जैसे कि भवन, कक्षाएँ होंगी, यदि आवश्यक हो तो पुस्तकालय और ज्ञान पहुँचानेवाली सुविधाएँ, जानकारी तथा संचारण प्रौद्योगिकी जोडनेवाले और अन्य सुविधाएँ विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जा सकेगी ;

(ग) महाविद्यालय के वित्तीय स्त्रोत, ऐसे होंगे कि उसका नियमित रुप से अनुरक्षण और कार्य के लिये उपबंध किये जा सके ;

(घ) वहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित कोर अकादमिक और तकनीकी कर्मचारिवृंद होंगे और महाविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के सेवा के पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विहित किया जा सेके ;

(ङ) वहाँ पर व्यावसायिक अनुभवों को देने के लिए आवश्यक ऐसे उद्योग या व्यवसाय से अनुबंध होंगे और उद्योग या व्यवसाय से विशेषज्ञों का एक पॅनल भी होगा जो उस महाविद्यालय चलाने के आशयों के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा माँग किए गए अनुसार भेंट देने वाले शिक्षक या प्रशिक्षकों के रुप में कार्य करेगा ;

(च) महाविद्यालय, सभी अध्यापकीय कर्मचारिवृन्द, भेंट देनेवाले शिक्षकों या विशेषज्ञों, समर्थित और तकनीकी कर्मचारीवृन्द की सभी सेवाएँ और महाविद्यालय सुविधाएँ, विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का संचालन, मूल्यांकन और अन्य क्रियाकलापों को बढावा देने के लिए उपलब्ध किए जाएँगे ;

(छ) वहाँ पर विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना, प्रबंधमंडल में कोई बदलाव या अंतरण नहीं किया जायेगा ;

(ज) महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना, बंद नहीं किया जाएगा ;

(झ) महाविद्यालय की अनर्हता या अमान्यता या बंद करने की दशा में, महाविद्यालय, उसके कृत्य और उसके कर्तव्यों का निर्वहन तब तक जारी रखेगा जब तक विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की अंतिम बॅच, प्रशिक्षित, निर्धारित या मूल्यांकित किए जाने तक, विश्वविद्यालय द्वारा उनके परिणाम घोषित किए जाने तक और कार्यक्रम को पूरा करने का समुचित प्रमाणपत्र उन्हें देने होंगे ।

(२) विश्वविद्यालय से मान्यता चाहनेवाले महाविद्यालय के प्रबंधमंडल, जिस वर्ष मान्यता चाही गई है उस पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व, महाविद्यालय में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी देकर जिसमें पाठ्यक्रम, परिदान प्रक्रिया, आवश्यक अकादमिक और कौशल्य प्रशिक्षण आधारभूत संरचना का सृजन, समूचित उद्योगों या व्यवसायों और, उनकी अकादमिक अर्हताओं और अधिकारिक अनुभववाले संकाय तथा विशेषज्ञ और छात्रों के निर्धारण पर समर्थित अन्य जानकारी और मान्यता चाहनेवाले महाविद्यालय के वित्तीय विवरण पर संबंधित आँकडे सम्मिलित करके विहित प्ररुप में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे ।

(३) केवल उन्हीं आवेदनों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत और विचाराधीन होंगे जो आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और विहित समय-सीमा के भीतर प्राप्त होते हैं ।

(४) ऐसे सभी आवेदनों की, संकायाध्यक्षों द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट कुलपति को अग्रेषित की जायेगी और विश्वविद्यालय, प्रबंध मंडल को सूचित करेगा और मान्यता के लिए प्रस्तुत किए आवेदन तथा दस्तावेजों में वे असंगतियों के बारे में आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रबंधमंडल को पूछेगा।

(५) संकायाध्यक्ष बोर्ड प्रस्ताव के अधिप्रमाणता से समाधान होने के पश्चात्, मान्यता को मंजूर करने के प्रयोजनों के लिए कुशल शिक्षा, उद्योग और शिक्षा जगत में विशेषज्ञों की समिति द्वारा निरीक्षण कराएगा ।

(६) समिति, संस्था को भेंट देगी और उसकी रिपोर्ट संकायाध्यक्ष को, समुचित समझें जाए ऐसे सुसंगत कारणों द्वारा सम्यकतया समर्थित ऐसी सिफारिशों से प्रस्तुत करेगी ।

(७) ऐसी जाँच की रिपोर्ट का विचार करने और वह आवश्यक समझें ऐसी अधिकतर जाँच करने के पश्चात्, संकायाध्यक्ष बोर्ड, कुलपति को समुचित मानी जाए ऐसी सुसंगत कारणों द्वारा सम्य्कतया समर्थित ऐसी सिफारिशों से जाँच समिति की रिपोर्ट से अंशतः या पूर्णतया आवेदन को मंजूर करने या खारिज करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा ।

(८) कुलपति, संकायाध्यक्षों के बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात्, उसे या तो मंजूर करेगा या खारिज करेगा और इस संबंध में कुलपति का विनिश्चय, अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(९) उप-धारा (२) से (८) में अधिकथित प्रक्रिया के लिए फी समय अनुसूची जिस वर्ष में सशक्त स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय का विभिन्न उपाधि, डिप्लोमा अग्रनीत डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को शुरु करना आशयित है उस वर्ष के ३० अप्रैल तक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तथा पूरी की जायेगी।

(१०) प्रति-कुलपति, कुलपति का विनिश्चय प्रबंधन को उस वर्ष के ३० अप्रैल को या के पूर्व प्रबंधमंडल को संसूचित करेगा, जो प्रबंधमंडल की मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

(११) मान्यता, पाँच वर्षों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी । उप-धाराएँ (१) से (१०) में निर्दिष्ट प्रक्रिया, समय-समय पर मान्यता को जारी रखने के लिए **यथावश्यक परिवर्तन सहित** लागू होगी ।

(१२) मान्यताप्राप्त सशक्त स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारण परिणामों को घोषित करने का आयोजन करेंगे और विश्वविद्यालय को प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, अग्रिम डिप्लोमा और उपाधि की सिफारिश करेंगे ।

(१३) सशक्त स्वायत्त कौशल्य विकास महाविद्यालय को बंद करने के इच्छुक प्रबंधमंडल, बंद करने के लिए आधारों का पूर्णतया कथन करते हुए और भवनों तथा उपकरणों के प्ररूप की आस्तियाँ, उनकी मूल लागत, विद्यमान बाजार मूल्य और या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या लोक निधि अभिकरणों से उसे अब तक प्राप्त अनुदानों को विनिर्दिष्ट करते हुए, पूर्ववर्ती वर्ष के अगस्त के प्रथम दिन को या के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे ।

(१४) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कुलपति निर्धारण और अवधारण के लिए जैसा कि उचित समझे ऐसी जाँच कर सकेगा चाहे वह महाविद्यालय बंद करने के लिए अनुज्ञाप्राप्त हो या नही। कुलपति, उस अन्य प्रबंधमंडल में उसका अंतरण के लिए उपबंध करके उसे बंद करने से रोका जा नहीं की जाँच कर सकेगा।

(१५) यदि कुलपति, बंद करने की सिफारिश करने का विनिश्चय करता है तो ऐसी सिफारिश करेगा और प्रबंधन से वसूल की जानेवाली नुकसानों और प्रतिकर के परिमाण की रिपोर्ट प्रबंध परिषद को प्रस्तुत करेगा और चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या अन्य लोक निधि अभिकरणों द्वारा उपबंधित निधियों का उपयोग करने के लिए सृजित आस्तियाँ विश्वविद्यालय को या अन्य प्रबंधमंडल को अंतरित की जाएगी।

(१६) कुलपति, प्रबंधमंडल परिषद की पूर्व सहमति से चाहे, महाविद्यालय बंद करने की अनुमति का, विनिश्चय करेगा।

(१७) बंद करने की प्रक्रिया किसी चरण में की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि, महाविद्यालय में पहले ही से प्रविष्ट छात्र प्रभावित नहीं है और उसका प्रथम वर्ष प्रथम बंद किया जाएगा और कोई भी नया प्रवेश प्रभावित नहीं होगा। बंद करने के चरण को पूर्ण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए।

संबध्दता या मान्यता का जारी रहना ।

११४. (१) धारा ११० की उप-धाराएँ (१) से (३) में विहित प्रक्रिया, समय-समय पर, **यथावश्यक परिवर्तन सहित,** संबध्दता को जारी रखने के विचारार्थ, लागू होगी।

(२) मान्यता देने के लिए, धारा १११ में विहित प्रक्रिया, **यथावश्यक परिवर्तन सहित,** मान्यता को जारी रखने के विचारार्थ, लागू होगी।

संबध्दता या मान्यता का विस्तार।

११५. संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था अध्ययन के अतिरिक्त पाठ्यक्रम के लिए, संबध्दता या मान्यता के लिए, आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय, जहाँ तक लागू हो, धाराएँ १०८, १०९, ११० और १११ में यथाविहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

स्थायी संबध्दता और मान्यता।

११६. संबध्दता या मान्यताप्राप्त संस्था के रुप में स्थायी कम-से-कम पाँच वर्षों से संबध्द महाविद्यालय या संस्था या मान्यताप्राप्त संस्था स्थायी संबध्दता या मान्यता के लिए आवेदन करेंगे। संकायाध्यक्ष बोर्ड, आवेदनों का विचार करेगी और संवीक्षा करेगी और अकादमिक परिषद को सिफारिश करेगी। यदि अकादमिक परिषद का यह समाधान हो जाता है कि संबध्द महाविद्यालय या संस्था या मान्यताप्राप्त संस्था ने, संबध्दता या मान्यता के समस्त निर्बंधनों को संतोषप्रदरीत्या पूर्ण किया है तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित शैक्षणिक तथा प्रशासनिक मानकों का उच्च स्तर प्राप्त किया है और संबंधित विनियामक निकाय समय-समय से अकादमिक परिषद महाविद्यालय या, यथास्थिति, संस्था को स्थायी संबध्दता या मान्यता प्रदान करेगा।

महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण तथा रिपोर्ट।

११७. (१) प्रत्येक संबध्द महाविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्था, ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य जानकारियाँ प्रस्तुत करेगी जिसे महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के शैक्षणिक स्तरों तथा शैक्षणिक प्रशासन स्तरों को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझे।

(२) प्रति कुलपति, उस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त ऐसी एक या अधिक समितियों से, कम-से-कम तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था का निरीक्षण कराएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) संबंधित संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष ;

(ख) अकादमिक परिषद द्वारा नामनिर्देशित, एक विशेषज्ञ, जो उसकी अधिकारिता के अधीन विश्वविद्यालय या किसी संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित न हों ;

(ग) प्रबंध परिषद द्वारा नामनिर्देशित, एक विशेषज्ञ ;

(घ) सीनेट द्वारा नामनिर्देशित, एक विशेषज्ञ :

परंतु, ऐसी समिति का कोई भी सदस्य, संबंधित महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधमंडल से संबंधित नहीं होगा ।

(३) समिति, अपनी रिपोर्ट, उसके विचारार्थ और अधिकतर आवश्यक कार्यवाही के लिए जैसा आवश्यक हो प्रस्तुत करेगी ।

महाविद्यालय के स्थान का स्थानांतरण।

११८. (१) उच्चतर अध्ययन के महाविद्यालय या संस्था को केवल उसी जिले के भीतर स्थान के स्तानांतरण की अनुमति मिलेगी।

(२) विश्वविद्यालय की, प्रंबधमंडल परिषद महाविद्यालय के स्थान का स्थानंतरण करने के लिए अनुमति देने के पूर्व उप-धारा (३) में निर्दिष्ट मद्दों पर विचार करेगी।

(३) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात्, विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी :

परंतु यह कि,–

(क) ऐसे स्थान का स्थानांतरण का परिणाम जहाँ महाविद्यालय स्थानंतरित हो रहा है उस स्थान के शैक्षणिक विकास में विघ्न नहीं डालता है ;

(ख) ऐसे स्थानांतरण का नया स्थान यदि वार्षिक परिप्रेक्ष्य योजना में यथा सूचित ऐसे उच्चतर अध्ययन के नए महाविद्यालय या संस्था की शुरुवात करने के लिए के स्थान के पाँच किलोमीटर की परिधि के भीतर है तो ऐसे स्थानांतरण को अनुमति दी जायेगी और

(ग) नये स्थान की मूलभूत सुविधाओं और अन्य सुविधाएँ विहित मानकों के अनुसार पर्याप्त हैं।

(४) यदि कोई महाविद्यालय प्राकृतिक विपत्ति के कारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो रहा है तो अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समय में मंजूरी दी जायेगी।

प्रबंधन का अंतरण ।

११९. विश्वविद्यालय का प्रबंधमंडल परिषद, महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्रबंधमंडल के अंतरण के लिए, जैसा कि राज्य सरकार की अनुज्ञा के अध्यधीन परिनियमों में विहित है, प्रस्तावों का विचार करेगी ।

संबद्धता या मान्यता का प्रत्याहरण ।

१२०. (१) यदि संबद्धता महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था, धारा १०८ में यथा उपबंधित संबद्धता या मान्यता के निर्बंधनों का अनुपालन करने या समुचितरीत्या निर्वहन करने के लिए धारा ९७ में यथा उपबंधित महाविद्यालय विकास समिति को अनुमति देने या इस अधिनियम के अधीन जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने में असफल होती है या यदि वह विश्वविद्यालय के हित या उसके द्वारा अधिकथित स्तरों के प्रतिकूल रिति में, यदि महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था चलाती है तब संकायाध्यक्ष बोर्ड, प्रबंध-मंडल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि संबद्धता या मान्यता द्वारा, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को प्रदत्त विशेषाधिकारों का, भाग में या सम्पूर्णता प्रत्याहरण या को उपांतरित क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(२) संकायाध्यक्ष बोर्ड, उन सभी आधारों का उल्लेख करेगा जिन पर कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव किया गया है और महाविद्यालय के प्राचार्य को या मान्यताप्राप्त संस्था के प्रमुख को नोटिस की एक प्रति भेजेगा। बोर्ड, वह अवधि भी विनिर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रबंधमंडल की सूचना के जवाब में उसका कथन लिखित में दाखिल करना चाहिए ऐसी अवधि जो कि तीस दिनों से कम नहीं होगी ।

(३) ऐसे लिखित कथन की प्राप्ति पर या उप-धारा (१) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, संकायाध्यक्ष बोर्ड ऐसे विशेषाधिकार के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव के साथ या के बिना, यदि कोई हो, सूचना और लिखित कथन, अकादमिक परिषद के समक्ष रखेगा ।

(४) अकादमिक परिषद, महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्ययन करनेवाले छात्रों के हित को ध्यान में रखकर, इस निमित्त किसी कार्यवाही की सिफारिश करेगा और कुलपति का आवश्यक आदेश पारित करेगा ।

संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था बंद करना।

१२१. (१) संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था का कोई भी प्रबंधमंडल राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना, संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद कराने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

(२) महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करने के इच्छुक प्रबंधमंडल ऐसी संस्था को बंद करने के लिए आधारों का पूर्णतया कथन करते हुए और भवनों तथा उपकरण के प्ररुप की आस्तियाँ, उनकी मूल लागत, विद्यमान बाजार मूल्य और या तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या लोक निधि अभिकरणों से अब तक उसे प्राप्त अनुदानों को बताते हुए, पूर्ववर्ती वर्ष के अगस्त के प्रथम दिन को या के पूर्व विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगे।

(३) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर,अकादमिक परिषद, निर्धारण और अवधारण के लिए, जैसा कि उचित समझे ऐसी जाँच कर सकेगा चाहे संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था बंद करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर सके। अकादमिक परिषद, ऐसी बंदी के लिए या तो [आवश्यक सहायता का उपबंध या विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय या संस्था ग्रहण होनी चाहिए] या अन्य प्रबंधमंडल में उसका अंतरण होना चाहिए, इसका निरीक्षण करेगा ।

(४) यदि अकादमिक परिषद, बंद करने की सिफारिश करने का विनिश्चय करती है तो ऐसी सिफारिश तैयार करेगा और प्रबंधमंडल से वसूल किये जानेवाले नुकसानों या प्रतिकर के और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या अन्य लोक निधि अभिकरणों द्वारा उपबंधित निधियों का उपयोग करने के लिए सृजित आस्तियों के लिये परिमाण की रिपोर्ट प्रबंधमंडल परिषद को प्रस्तुत करेगा ।

(५) अकादमिक परिषद, चाहे संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को बंद करने की अनुज्ञाप्राप्त हो प्रबंध परिषद की पूर्व सहमति और राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करेगा ।

(६) विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और उस निमित्त विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, किसी महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था या उसका अन्य प्रबंधमंडल में अंतरण करने का कार्य संभाल सकेगा ।

(७) यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबध्द महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था में पहले ही से प्रविष्ट छात्र प्रभावित नहीं हैं और उसका प्रथम वर्ष पहले बंद किया जाएगा और कोई भी नया प्रवेश प्रभावित नहीं होगा, बंद करने की प्रक्रिया चरण में की जाएगी । बंद करने के चरण को पूर्ण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए ।

(८) संबध्द महाविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं को बंद करने के लिये उप-धाराएँ (१) से (७) में निर्दिष्ट प्रक्रिया संकाय, अध्ययन के पाठ्यक्रमों या सॅटेलाईट केंद्रो को बंद करने के मामले में, **यथा आवश्यक परिवर्तन सहित** लागू होगी ।

स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था।

१२२. (१) कोई विश्वविद्यालय विभाग या संस्था, संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को स्वायत्त स्थिति प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेंगे । अकादमिक परिषद की सिफारिश पर प्रबंधमंडल परिषद, स्वायत्त स्थिति प्रदान कर सकेगी ।

(२) स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था या संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था अध्यापकों तथा छात्रों की ओर से अकादमिक स्वातंत्र्य और छात्रवृत्ति को बढावा देने के उद्देश्यों के साथ जो कि छात्रवृत्ति और उत्कर्ष के अनुसरण में सहायक बौध्दिक वातावरण को प्रोत्साहित करने और विकास करने के लिए आवश्यक है, कार्य करेंगे ।

(३) स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था या संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था अपने प्राधिकरणों या निकायों को गठित कर सकेंगे और जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और कृत्यों का पालन कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक और अन्य गतिविधियों को कार्यान्वित कर सकेंगे ।

(४) स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था या संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था उसके अनुदेश पाने वाले छात्रों के लिए अपने स्वयं के अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित कर सकेगी और अपने स्वयं के अध्यापन पध्दतियों को विकसित कर सकेगी और छात्रों के लिए परीक्षाओं तथा कसौटियों का आयोजन कर सकेगी, और परिनियमों में यथा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, उपाधियाँ, डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को सिफारिश कर सकेंगे। स्वायत्त विश्वविद्यालय विभाग या संस्था या संबध्द महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों और समय-समय पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिध्दांतों के अध्यधीन पूर्ण अकादमिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होगी ।

स्वायत्त महाविद्यालयों को सशक्त करना ।

१२३. (१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापन में उत्कर्षता या उत्कर्ष संभाव्य महाविद्यालयों के रुप में परिलक्षित किए गए और प्रबंध परिषद जिसमें राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** के जारिए विहित की जानेवाली उच्च स्तरिय श्रेणी प्राप्त की है ऐसे महाविद्यालयों को सशक्त स्वायत्त स्थिति की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेंगे । अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, प्रबंध परिषद ऐसे महाविद्यालयों पर सशक्त स्वायत्त प्रदान कर सकेगी।

(२) सशक्त स्वायत्त प्रस्थिति के मंजूरी तथा उसकी निरंतरता के लिये मानक तथा प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा विहित की जाये, ऐसी होगी ।

(३) सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय परिनियमों द्वारा विहित किये जाये के अनुसार, अपने प्राधिकरण या निकाय गठित कर सकेगा तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कृत्यों को पूरा करेगा और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक, वित्तीय तथा अन्य क्रियाकलापों को कार्यान्वित करेगा ।

(४) सशक्त स्वायत्त महाविद्यालय, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिनियमों और मार्गदर्शनों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा उपयोग किये गये विशेषधिकारों के अतिरिक्त सभी विशेषधिकारों का उपयोग करेगी ।

स्वायत्त समूह संस्थाओं को सशक्त करना।

१२४. (१) समान प्रबंधमंडल या शैक्षिक संस्था को संबंद्ध स्वायत महाविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थाओं जिसमें, उत्कर्षता या उत्कर्ष महाविद्यालयों के लिये संभाव्य महाविद्यालय के रुप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा,निर्धारित जिसमें राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** के जारिए विहित की जानेवाली उच्च स्तरिय श्रेणी प्राप्त की है ऐसे सशक्त स्वायत्त समूह संस्थाओं की स्थिति की, मंजूरी के लिये विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकेंगे । अकादमिक परिषद की सिफारिशों पर प्रबंधमंडल परिषद, ऐसे महाविद्यालयों या संस्थाओं के समूह पर सशक्त स्वायत्त समूह संस्था की स्थिति प्रदान कर सकेगी ।

(२) सशक्त स्वायत्त समूह संस्था की स्थिति तथा उसके निरंतरता की मंजूरी के लिये, मानक तथा प्रक्रिया, परिनियमों द्वारा विहित की जा सकेगी ।

(३) सशक्त स्वायत्त समूह संस्था, परिनियमों द्वारा विहित किये जा सके, के अनुसार अपने प्राधिकरण तथा निकाय गठित कर सकेगी तथा शक्तियों का प्रयोग करेगी और कृत्यों का अनुपालन करेगी और जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए तथा राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक, वित्तिय तथा अन्य क्रियाकलापों को कार्यान्वित करेगी ।

अध्याय ग्यारह

नामांकन, उपाधियाँ और दीक्षान्त समारोह

स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान ।

१२५. समस्त स्नातकोत्तर अनुदेश, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अनुसंधान सहयोग तथा सहभागिता साधारणतया विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय क्षेत्र के भीतर संचलित किया जाए ऐसी रीत्या विहित किया जा सकेगा ।

छात्रों का नामांकन ।

१२६. विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में नामांकित किया जानेवाला व्यक्ति, ऐसी अर्हतायें धारण करेगा तथा ऐसी शर्तों को पूरा करेगा जिसे कि विहित किया जाए ।

अनुशासनात्मक शक्तियाँ तथा छात्रों के बीच अनुशासन ।

१२७. (१) विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थाओं तथा महाविद्यालयों के छात्रों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित समस्त शक्तियाँ कुलपति में निहित होगी ।

(२) कुलपति, किसी आदेश द्वारा उप-धारा (१) के अधीन अपनी समस्त या किन्ही शक्तियों को, जिसे वह उचित समझे, उस निमित्त वह नामित करें ऐसे अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(३) कुलपति, अपनी शक्तियों की प्रयुक्ति में, किसी आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासन या निष्कासित किया जाएगा या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, उसे या उन्हें संचालित महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय विभाग में अध्यापन पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित ऐसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो कि पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी, के लिये विश्वविद्यालय द्वारा पोषित विभाग, महाविद्यालय या संस्था द्वारा ली जानेवाली परीक्षा या मूल्यांकन करने से विवर्जित किया जायेगा या संबंधित छात्र या छात्रों की परीक्षा या मूल्यांकन जिसमें वह या वे बैठे थे, के परिणाम रद्द किये जाएँगे ।

परन्तु, यदि निष्कासन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो, तो कुलपति, सम्बन्धित विद्यार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(४) कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रमुख तथा विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, उचित अनुशासन बनाये रखने के लिए, उनके नियंत्रणाधीन छात्रों पर ऐसी समस्त शक्तियाँ, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रयुक्त करेगा ।

(५) विश्वविद्यालय छात्रों के लिए, अनुशासन तथा उचित आचरण तथा अनुशासन के उल्लंघन या अवचार के लिये उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही के संबंध में उपबंध परिनियमों द्वारा विहित किये जाये, ऐसे होंगे जो कि उसके समस्त, संचालित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय विभागों या संस्थाओं, संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के छात्रों को भी लागू होंगे ।

(६) छात्रों के अनुशासन तथा उचित आचरण, तथा अनुशासन का उल्लंघन या अवचार के लिये, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही से संबंधित परिनियमों को, विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के विवरणीका में भी प्रकाशित किये जायेंगे और प्रत्येक छात्र को उसकी एक प्रतिलिपि की आपूर्ति की जायेगी । विश्वविद्यालय द्वारा, पोषित महाविद्यालय के प्राचार्य तथा संस्थाओं के प्रमुख परिनियम से असंगत नहीं है, ऐसे अनुशासन तथा उचित आचरण के अतिरिक्त परिनियम विहित कर सकेगा, जो कि वे आवश्यक समझें तथा प्रत्येक छात्र को ऐसे मानकों की प्रति की आपूर्ति करेगा ।

(७) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र, उस प्रभाव के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य अधिकारियों तथा प्राधिकरणों या निकायों तथा संचालित महाविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्राधिकरणों या निकायों की अनुशासनात्मक अधिकारिता तक, स्वयं को सुपूर्द करता है तथा तन्निमित्त कुलपति द्वारा बनायें नियमों तथा जहाँ तक कि वे लागू होते हैं, संचालित महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विश्वविद्यालय संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा बनायें अतिरिक्त मानकों को लागू कर सकेगा ।

(८) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित नहीं है, ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबधित सभी शक्तियाँ, सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या मान्यताप्राप्त संस्था के प्रमुख में निहित होंगी, तथा उप-धारा (६) और (७) के उपबन्ध, तद्धीन बनाये गये परिनियमों, समेत, **यथावश्यक परिवर्तन** सहित, ऐसे महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा उसमें छात्रों को लागू होंगे ।

उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ ।

१२८. (१) प्रबंध परिषद, ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ संस्थित तथा प्रदान कर सकेगी, जैसा कि अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किया जाये ।

(२) प्रबंधमंडल परिषद, अनुसंधान में स्नातकोत्तर डॉक्टर संबंधित उपधियाँ जैसे की डी. एससी तथा डि.लिट. संस्थित तथा प्रदान कर सकेगी जैसा कि अकादमिक परिषद द्वारा सिफारिश किया जाए।

(३) कुलाधिपति को, नैतिक अधमत्ता जैसे किसी अपराध के लिये विधि के न्यायालय द्वारा यदि कोई व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया गया है या कपटपूर्ण प्रकार से ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश की मांग की है या कपटपूर्ण प्रकार से ऐसी उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशिष्टता प्राप्त की है तो प्रबंध परिषद और अकादमिक परिषद की सिफारिश पर, जो कि उसकी बैठक में उपस्थित ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के दो-तिहाई से अनून सदस्यों से बहुमत समर्थित होंगे और ऐसे प्रत्येक प्राधिकरण के आधे सदस्यों से वह कम नही होगें, उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या कोई अन्य अकादमिक विशिष्टता स्थाई रुप से या कुलाधिपति उचित समझे ऐसी अवधि के लिये प्रत्याहत की जायेगी। इस धारा के अधीन जब तक संबधित व्यक्ति को स्वयं के बचाव का अवसर नहीं दिया जाता है तब तक ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

मानद उपाधि ।

१२९. (१) प्रबन्ध परिषद, किसी व्यक्ति को, किसी परीक्षण या परीक्षा मूल्यांकन की अपेक्षा किये बिना, मानद उपाधि या अन्य अकादमिक विशेषताएँ प्रदान करने के लिये विचार कर सकेगा और सिनेट से सिफारिश इस आधार पर कर सकेगा कि वह, अपने विशिष्ट पद प्राप्तियों और लोकसेवा के कारण ऐसी उपाधि या अन्य अकादमिक विशेषताएँ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और ऐसी सिफारिश यदि सिनेट की बैठक में उपस्थित दो-तिहाई से अनून, लेकिन जो कुल सदस्यों के आधे से कम नही हों के, बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त हो जाने पर सम्यक्तया पारित समझी जायेगी :

परन्तु, प्रबन्ध परिषद, कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना, इस निमित्त किसी प्रस्ताव को ग्रहण या उस पर विचार नहीं करेगी ।

(२) प्रबंध परिषद, सीनेट के प्रस्ताव पर निर्णय ले सकेगी परन्तु, सीनेट उस निमित्त कोई प्रस्ताव ग्रहण नहीं करेगी या विचार नहीं करेगी जब तक कि कुलपति ने कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया है ।

दीक्षान्त समारोह ।

१३०. उपाधियाँ, स्नातकोतर डिप्लोमा प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह शैक्षणिक वर्ष के दौरान, कम से कम एक बार परिनियमों द्वारा विहित रीत्या किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रीकृत स्नातक ।

१३१. (१) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, निम्न व्यक्ति विश्वविद्यालय द्वारा पोषित रजिस्ट्रीकृत स्नातकों को रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के या रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के हकदार होंगे, अर्थात् :—

(क) जो विश्वविद्यालय के स्नातक है ;

(ख) जो ऐसे किसी विद्यमान विश्वविद्यालय का स्नातक है जिससे तत्सम नवीन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रुप में मूल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत स्नातक है, किंतु, नये विश्वविद्यालय की अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में, रहता है, रजिस्ट्रीकरण के लिये, नये विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा और नये विश्वविद्यालय से एक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर वह, मूल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने से, अपने आप समाप्त होगा ।

(२) जो व्यक्ति,—

(क) विकृत चित्त का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) नैतिक अधमता किसी अपराध से अन्तर्ग्रस्त का सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

(घ) कपटपूर्ण प्रकार से उपाधि प्राप्त की गई है ; या

(ङ) राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक है, वह अपना नाम स्नातकों के रजिस्टर में दर्ज कराने या रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के लिये अर्ह नहीं होगा ।

(३) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत स्नातक होना चाहता है, रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्रपत्र तथा परिनियमों द्वारा विहित ऐसी फीस की अदायगी पर आवेदन करेगा ।

(४) कुलपति, ऐसी पुछताछ करने के बाद, जिसे वह उचित समझे, यह निर्णय लेगा कि व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के लिए हकदार है अथवा नहीं है । यदि ऐसा कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि, वह व्यक्ति स्नातकों के रजिस्टर में उसका नाम प्रविष्ट किये जाने या रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने का हकदार है अथवा नहीं या रजिस्ट्रीकृत स्नातक होने के लिए अर्हित नहीं है तब ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, कुलपति द्वारा विनिश्चय किया जायेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(५) रजिस्ट्रीकृत स्नातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से धारा २८ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (न) के अधीन सिनेट के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक-मण्डल गठित किया जायेगा और उस प्रयोजनार्थ, सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन द्वारा, उसके द्वारा यथा विहित निर्वाचक नामावली तैयार की जायेगी जिसमें ऐसी निर्वाचक नामावली में, अपना नामांकन कराने के लिए इच्छुक रजिस्ट्रीकृत स्नातकों से ऐसे नामांकन के लिए विहित प्ररूप भरने के अपेक्षा की जायेगी ।

स्नातकों के रजिस्टर से नाम हटाना ।

१३२. (१) कुलपति, प्रबंध परिषद की ऐसी सिफारिश पर जिसे उसकी बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों के दो-तिहाई से अनून बहुमत का समर्थन प्राप्त है, ऐसा बहुमत उसके सदस्यों के आधे सदस्यों से आधे से कम न हो, किसी भी व्यक्ति का नाम स्नातकों के रजिस्ट्रर से, धारा १३१ की, उप-धारा (२) में उल्लिखित किन्ही कारणों के लिये, ऐसी अवधि के लिए है जिसे कुलपति आवश्यक समझे, हटा सकेगा ।

(२) इस धारा के अधीन, कोई भी कार्यवाही संबंधित व्यक्ति को परिनियमों द्वारा यथाविहित रीत्या, जब तक अपने बचाव में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता तब तक नहीं की जाएगी ।

अध्याय बारह

विश्वविद्यालय के निधि, लेखे और लेखा-परीक्षा

वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन ।

१३३. (१) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भण से कम-से-कम दो माह पूर्व, वित्त तथा लेखा समिति के निदेश के अधीन वित्त तथा लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा ।

(२) वित्त तथा लेखा अधिकारी, तत्पश्चात, प्रबंध परिषद तथा सीनेट द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों की प्रतियाँ कुलाधिपति, महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा तथा विकास आयोग तथा राज्य सरकार को प्रेषित करेगा ।

(३) विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष भी वही होगा जो कि राज्य सरकार का है ।

विश्वविद्यालय निधियाँ।

१३४. (१) विश्वविद्यालय निम्न निधियाँ स्थापित करेगा, अर्थात् —

(क) सामान्य निधि ;

(ख) वेतन निधि ;

(एक) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सभी पदों के लिये ;

(दो) अलग से सभी अन्य पदों के लिये ;

(ग) न्यास निधि ;

(घ) विकास तथा कार्यक्रम निधि ;

(ङ) आकस्मिक निधि ;

(च) अन्य कोई निधि, जो विश्वविद्यालय की राय में स्थापित करने के लिये आवश्यक समझी गयी है ।

(२) निम्न, राशियाँ सामान्य निधि का हिस्सा होंगी या उसमें से अदा की जायेंगी,—

(क) राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त वेतन-इतर अंशदान या अनुदान ;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त आय, चाहे किसी भी साधन से हो, जिसमें फीस, अन्य फीस तथा प्रभारों से हुई आय का समावेश है ;

(ग) राज्य सरकार की अनुज्ञा से, बैंकों या अन्य अभिकरणों से उधार ली गई कोई राशि ;

(घ) अन्य किसी स्त्रोत या अभिकरणों से प्राप्त राशि ।

(३) वेतन तथा भत्ते की संपूर्णत: या अंशत: अदायगी के प्रति राज्य सरकार, केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सभी रकमों से मिलकर वेतन निधि बनेगी । वेतन तथा भत्तों की अदायगी से अन्य किसी प्रयोजनों के लिये, इस निधि से किसी रकम का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।

(४) न्यासों, वसीयतों, दानों, विन्यासों, अभिदानों से प्राप्त समस्त आय तथा राशियाँ तथा उसी प्रकार के अनुदान, न्यास निधि का हिस्सा होंगी ।

(५) (क) विश्वविद्यालय के विकास तथा कार्यक्रम निधि, राज्य सरकार से प्राप्त समस्त मुलभूत विकास, अनुदान विकास तथा अनुसंधान के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये समस्त अंशदान केंद्र सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके सम्बद्धक को निधिकरण एजेंसियाँ, अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियाँ, उद्योग, बँक तथा वित्तीय संस्थाएँ या किसी व्यक्ति से प्राप्त अनुदान से मिलकर बनेगी ;

(ख) इस निधि से कोई रकम, विश्वविद्यालय की अन्य किसी निधि में विनियोजित या अन्य किसी प्रयोजन के लिये खर्च नहीं की जायेगी ;

(ग) विकास तथा कार्यक्रम निधि, कार्यक्रमों के उद्देश्यों से संगत रीत्या इस्तेमाल की जायेगी जिसके लिये प्रबंध परिषद द्वारा मंजूर तथा अनुमोदित की जानेवाली, व्यय तथा लेखा-संपरीक्षा पर, निधिकरण एजेंसी के मार्गदर्शक सिद्धान्तों का समावेश करने के लिये, एक समुचित संहिता अंगीकृत की जाएगी ।

(६) विश्वविद्यालय को अलग लेखा शीर्ष के अधीन विश्वविद्यालय की आकस्मिक निधि होगी तथा उसे बनाया रखा जायेगा, जिसका उपयोग केवल किसी अप्रत्यशित व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा ।

(७) इन निधियों में जमा अतिरिक्त रकम, उचित सामग्री समेत जिसे सद्य या किसी पूर्व दिनांक को, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं किया जा सकेगा, राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में समय-समय पर जमा की जायेंगी या राज्य सरकार की वित्तीय सहभागिता रखनेवाले निगम द्वारा जारी किये गये किसी अन्य शेअर या प्रतिभूतियों में निवेशित की जायेगी ।

वार्षिक लेखे तथा लेखा-परीक्षा ।

१३५. (१) विश्वविद्यालय के लेखाओं को दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के आधार और सिद्धांतों पर बनाए रखा जाएगा, और अपनायी जानेवाली लेखा की पद्धति राज्य सरकार द्वारा यथा विहित महाराष्ट्र विश्वविद्यालय लेखा संहिता को अपनाते हुए व्यापारिक प्रणाली होगी ।

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघ जो भागीदारों विश्वविद्यालय किन्हीं प्राधिकरणों या कार्यों में हित नही रखते है उनमें से प्रबंधमंडल परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के चार महीनों के भीतर किसी मामले में लेखा परीक्षित किया जाएगा । विश्वविद्यालय ऐसे लेखा-रिपोर्ट की प्राप्ति के एक महीने के भीतर किसी मामले में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में जैसा कि पाया जाए ऐसी टिप्पणियों और विसंगतियों का अनुपालन करेगा, लेखा-परीक्षित लेखाओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ जोड़कर वित्तीय वर्ष के समापन के एक वर्ष के भीतर कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) लेखा-परीक्षित लेखों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रतिलिपि लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिलिपि के साथ जोड़कर कुलाधिपति को और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और किसी मामले में वित्तीय वर्ष के समापन से छह महींनो के भीतर सीनेट के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(४) राज्य सरकार, उसे प्राप्त विश्वविद्यालय के लेखापरिक्षित वार्षिक लेखा राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष अधिकथित करेगी।

(५) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय लेखों की सांकेतिक लेखा-परीक्षा या सम्पूर्ण लेखा-परीक्षा, नियमित अंतराल पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा करा सकेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

१३६. (१) संकाय बोर्ड, प्रत्येक अकदमिक वर्ष के लिए, वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तथा संस्थाओं के, उनकी अधिकारिता के अधीन, प्रशासनिक, अकादमिक, अनुसंधान तथा विकास और अन्य क्रियाकलापों का समावेश है, तैयार करेगा तथा विचार के लिये, प्रबंधमंडल परिषद को प्रस्तुत करेगा। सिनेट, प्रबंधमंडल परिषद से प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करेगी तथा अनुमोदित करेगी। सिनेट द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा रिपोर्ट कुलाधिपति तथा राज्य सरकार को, अकादमिक वर्ष के समापन से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

(२) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, वार्षिक रिपोर्ट, अधिकथित करेगी ।

अध्याय तेरह

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के लिए विशेष उपबंध ।

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के लिए उपबंध ।

१३७. (१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त, इस धारा में उपवर्णित उपबंध, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय को लागू होंगे ।

(२) इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त की गई शक्तियाँ जिस राज्यक्षेत्रों सीमाओं के भीतर प्रयुक्त की जाएँगी वह संपूर्ण राज्य में समाविष्ट होगा :

परंतु, विश्वविद्यालय, ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, जिसे वह तथा राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, संबंधित सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में किसी अन्य राज्यक्षेत्र में किसी महिला शैक्षिक संस्था को ला सकेगा ।

(३) महाराष्ट्र राज्य के किसी भी क्षेत्र या किसी अन्य राज्यक्षेत्र की कोई भी महिला छात्रा, विश्वविद्यालय में निजी छात्रा के रूप में या विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम या किसी अन्य बाहरी उपाधि या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अपना नाम रजिस्टर करा सकेगी ।

(४) राज्य की कोई भी संस्था, संगम या निकाय, केवल महिलाओं के लिए, शुरू किये गये या संचालित महाविद्यालयों या संस्थाओं के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता या मान्यता प्राप्त करना चाहता हैं तो उसे ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय की अनुमति पाने की आवश्यकता नहीं होगी जिसके क्षेत्र में महाविद्यालय, या, यथास्थिति, संस्था स्थित की जानेवाली हैं या स्थित हैं । किसी ऐसी संस्था या संगम या निकाय के आवेदन पर, विश्वविद्यालय, तत्समय प्रवर्तमान किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय की, जिसके क्षेत्र में महाविद्यालय या, यथास्थिति, संस्था स्थित की जानेवाली है या स्थित है, अनुमति प्राप्त किये बिना, संबद्धता या, यथास्थिति, मान्यता प्रदान कर सकेगा ।

(५) विश्वविद्यालय, महिला शिक्षा के हित में, संबंधित सरकार के अनुमोदन से, महाराष्ट्र राज्य से बाहरी किसी राज्यक्षेत्र में महाविद्यालय या अनुसंधान संस्था शुरू या संचालित कर सकेगा ।

(६) विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध या मान्यता प्राप्त कोई भी शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार की अनुमति से, को छोडकर, विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय किसी प्रकार से सहयुक्त नहीं होंगी या उसके किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं करेगी ।

(७) विश्वविद्यालय के सीनेट में, निम्न अतिरिक्त सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, महाराष्ट्र राज्य में के महिला शैक्षिक संगम या निकायों के दो प्रतिनिधि ;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार से प्रवेशित राज्य के बाहर से महिला शैक्षिक संगम या निकायों के दो प्रतिनिधि ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित अन्य राज्यक्षेत्र महिला शैक्षिक संगम या निकायों का एक प्रतिनिधि।

(८) विश्वविद्यालय, परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों को पृष्ठांकित करने तथा ऐसे चलाये जानेवाले विद्यालयों, पॉलिटेक्निक आदि के अन्य क्रियाकलापों को हाथ में लेने की शक्तियाँ होगी ।

(९) विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड या समितियों के सदस्यों की लिखित में अभिलिखित की जानेवाली अपवादात्मक परिस्थितियों के अधीन बोर्ड के लिखित अनुमोदन से को छोडकर पेपर-सेंटर, परीक्षक, अनुसीमकों या रेफरी के रूप में नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

अध्याय चौदह

विविध

नुकसान के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी तथा अधिकारी।

१३८. (१) विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकरण या निकाय तथा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि विश्वविद्यालय के हितों का सम्यक्तया संरक्षण किया जा रहा है ।

(२) यदि ऐसा पाया गया है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या अधिकारी की ओर से किये गये ऐसे किसी कार्य द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों, परिनियमों, आर्डिनेन्सो या विनियमों के अनुकूल नहीं था, इस बात को छोडकर जब वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो, या उसके अनुकूल कार्य करने पर किसी असमर्थता के कारण या उनकी या उसकी ओर से जानबूझकर उपेक्षा या व्यतिक्रम बरते जाने पर, विश्वविद्यालय को कोई क्षति या नुकसान पहुँचा है, तो ऐसी क्षति या नुकसान परिनियमों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण या निकाय या उसके संबंधित सदस्य से, संयुक्त रूप से या पृथकतः या, यथास्थिति, संबंधित अधिकारी से वसूलीय होगा।

राज्य विधान मंडल और संसद की सदस्यता।

१३९. (१) अध्यापक, या अध्यापनेतर कर्मचारी केवल इस आधार पर, ऐसा अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी बने रहने से अनर्ह नहीं होगा कि वह राज्य विधानसभा या विधान परिषद या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामित हुआ है।

(२) राज्य विधानसभा या विधान परिषद या संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी अपनी विधानसभा या विधान परिषद या संसद की सदस्यता की अवधि को वेतन और भत्ते के बिना छुट्टी मानने का हकदार होगा।

(३) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट अध्यापक या अध्यापनेतर कर्मचारी, पेन्शन, वरिष्ठता और वेतन-वृद्धी के प्रयोजनों के लिए विधानसभा या विधान परिषद या संसद की अपनी सदस्यता की अवधि को भी गिनने का हकदार होगा।

विश्वविद्यालय प्राधिकरण या निकाय आदि के गठन के बारे में निर्वाचन तथा विवाद संबंधी प्रश्न।

१४०. इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधो के निर्वचन या किसी परिनियमों, आर्डिनेंन्स, या विनियम या नियम या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य के रूप में सम्यक्ता निर्वाचित या नियुक्त या नामनिर्देशित या सहयोजित व्यक्ति या के लिये हकदार व्यक्ति संबंधी यदि कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो ऐसा मामला कुलपति, **स्वप्रेरणा से** या प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति या निकाय की याचिका पर, कुलाधिपति के पास निर्दिष्ट करेगा जो, ऐसी सलाह, जिसे कि वह उचित समझे, लेने के बाद, प्रश्न का निर्णय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

परन्तु, ऐसा निर्देश, सिनेट के एक चतुर्थ सदस्यों से कम न हो अध्यपेक्षा के हस्ताक्षर पर कुलपति द्वारा दिया जायेगा।

कृत्यों तथा आदेशों का संरक्षण।

१४१. विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारियों, प्राधिकरणों या निकायों द्वारा सद्भावनापूर्वक कृत तथा किये गये समस्त कार्य तथा पारित आदेश इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अंतिम होंगे ; तथा तद्नुसार, सद्भावनापूर्वक तथा इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिनियमों, आर्डिनेन्सो, तथा विनियमों के अनुसरण में कृत, या पारित किसी बात या करने के लिए आशयित किसी बात के लिए, विश्वविद्यालय या उसके अधिकारियों, प्राधिकरणों या निकायों के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी रखी नहीं जायेगी या किन्ही नुकसान का दावा नहीं किया जायेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

१४२. इस अधिनियम के उपबंधों तथा परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकरण, आदेश द्वारा, परिनियम, ऑर्डिनेन्स तथा विनियम बनाने में अन्य, उसकी या अपनी शक्तियाँ, उसके नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को, तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों की प्रयुक्ति के लिए, अंतिम जिम्मेदारी, उन्हें प्रत्यायोजित करनेवाले अधिकारी या प्राधिकरण में सदैव निहित होंगी।

केवल गठन में त्रुटि, रिक्तियाँ या प्रक्रिया, आदि में अनियमितता के आधार पर कृत्य तथा कार्यवाहियों अविधिमान्य नहीं होंगी ।

१४३. कुलपति की नियुक्ति के लिए कुलाधिपति द्वारा नियुक्त समिति समेत विश्वविद्यालय के सिनेट या प्रबंध परिषद या अकादमिक परिषद या किसी अन्य प्राधिकरण या किसी निकाय या समिति का कोई भी कृत्य या कार्यवाही, किसी भी समय केवल इस आधार पर विधिमान्य नहीं समझा जायेंगे, कि—

(क) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति का कोई सदस्य निर्वाचित, नियुक्त या नामनिर्देशित या सहयोजित नहीं है या ऐसे किसी अन्य कारणवश गठन के समय पद धारण करते या उसकी किसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति जो एक से अधिक हैसियत का सदस्य है या उसके गठन में कोई अन्य त्रुटि है या उसके सदस्यों के पद में एक या अधिक रिक्तियाँ है ;

(ख) ऐसे किसी प्राधिकरण, निकाय या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जो विचारार्थ रखी हुई बात के गुणों पर प्रभाव नहीं डालती है, तथा ऐसी कृत्य या कार्यवाही की विधिमान्यता को ऐसे किसी आधार पर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष प्रश्नास्पद नहीं बनाया जाएगा ।

अध्याय पन्द्रह

नये विश्वविद्यालयों की स्थापना ।

जब नया विश्वविद्यालय गठित किया जाता है तब तत्संबंधी विषयों का उपबंध करनेवाले आदेश का निर्गमन ।

१४४. (१) जब धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, कोई नवीन विश्वविद्यालय या उस धारा की उप-धारा ६ के अधीन समूह विश्वविद्यालय गठित किया जाता है, तब राज्य सरकार, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, **राजपत्र** में प्रकाशित एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्न, सभी या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति तथा जिस अवधि के लिए वे नियुक्त किये जायेंगे वह अवधि ;

(ख) ऐसी रीति में जिसे वह उचित समझे, प्रथम प्रबंध परिषद तथा अकादमिक परिषद का गठन तथा, जिस कालावधि तक वह कार्य करेगी वह कालावधि ;

(ग) ऐसे उपांतरणों जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, ऐसे परिनियमों, ऑर्डिनेन्सो और विनियमों को जारी रखना या प्रयुक्ति ;

परंतु, नए विश्वविद्यालय का सक्षम प्राधिकारी उस विश्वविद्यालय की स्थापना से दो वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे परिनियमों ऑर्डिनेन्सो तथा विनियमों को या तो पूर्णतः या जेसे वह उचित समझे ऐसे उपांतरणों के साथ स्वीकार करेगा

(घ) तत्समय विद्यमान किसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने या नये विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रीकृत कराने के विकल्प का प्रयोग ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन गठित विद्यमान विश्वविद्यालयों के प्रबंध परिषद, अकादमिक परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों, निकायों तथा समितियों की सदस्यता जारी रहना या समाप्त होना ;

(च) विद्यमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों या समितियों की सदस्यता समाप्त होने के कारण हुई रिक्तियों को भरना ;

(छ) ऐसे नये विश्वविद्यालय द्वारा, जिसे वह क्षेत्र जोडा गया है वहाँ के महाविद्यालयों की संबद्धता या संस्थाओं की मान्यता जारी रखना तथा विद्यमान ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिसमें से वह क्षेत्र निकाल दिया गया है, उसकी समाप्ति ;

(ज) विद्यमान विश्वविद्यालय के किन्ही कर्मचारियों का नये विश्वविद्यालय में अंतरण तथा ऐसे कर्मचारियों को लागू निबंधन तथा शर्तें या ऐसी सेवांत सुविधाएँ देकर जिसे राज्य सरकार उचित समझे, विद्यमान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति :

परंतु, इस प्रकार अंतरित किसी कर्मचारी के सेवा के निबंधन तथा शर्ते उसके अहित में परिवर्तित नहीं किये जायेंगे ;

(झ) ऐसे किसी आदेश के निर्गमन के पूर्व आस्तियों का अर्थात् किसी भी प्रकार की अर्जित स्थावर या जंगम संपत्ति, अधिकार या हित अर्जित तथा उपगत दायित्वों तथा बाध्यताओं का अंतरण ; तथा

(ञ) ऐसे अन्य अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबंध, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझें।

अध्याय सोलह

अस्थायी उपबंध

विश्वविद्यालय के विद्यमान अधिकारियों तथा कर्मचारियों का बने रहना।

१४५. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व दिनांक पर किसी विश्वविद्यालय के अधिकारी या कर्मचारी चाहे वह अध्यापन करनेवाले हों या अन्य कर्मचारी हो के रूप में पद धारण करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो ऐसे दिनांक के सद्यपूर्व उसे लागू थी, पद धारण किये रहेगा, तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त की गई है ।

इस प्राधिकरण का जारी रहना।

१४६. (१) विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण यथा साध्यशीघ्रता से परंतु इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से छह महिने के अवधिके भीतर या ठीक पश्चात्, ३१ अगस्त के तक जो भी पहले ही, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में पूनर्गठित किया जाएगा ऐसा प्रत्येक प्राधिकरण कुलाधिपति, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ऐसे दिनांक से पुनर्गठित किया गया ऐसा समझा जाएगा।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व ऐसे किसी प्राधिकरण के सदस्य रूप में पद धारण करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, उक्त पद को धारण करना जारी रखेगा तथा ऐसे सदस्यों का प्राधिकरण जिस दिनांक से यह प्राधिकरण पुनर्गठित हुआ है ऐसा माना गया है दिनांक से या इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से छह महिने के अवधि समाप्त होने तक जो भी बाद हो, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(३) कोई प्राधिकरण जिस दिनांक को पुनर्गठित हुआ ऐसा माना गया है उस दिनांक से छह महिने का अवधि समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, विद्यमान विश्वविद्यालय के प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य, जो इस धारा के अधीन पद पर बना हुआ है उसने अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जायेगा।

(४) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर किसी प्राधिकरण या निकाय का इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसरण में गठन नहीं करेगा, कुलपति, कुलधिपति के अनुमोदन के पश्चात्, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का अंतरिम गठन के लिये ऐसे उपाय करेंगी।

(५) उप-धारा (४) के अधीन गठित ऐसे प्राधिकरण या निकाय का पदावधि, उसके गठन से एक वर्ष की अवधि के लिये या ऐसा प्राधिकरण या निकाय इस अधिनियम के अधीन सम्यकतया गठित है, जो भी पहले हो, किया जायेगा।

(६) संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, ऐसे प्राधिकरण या निकाय के अंतरिम गठन के एक वर्ष की अवधि के अवसान पर ऐसे प्राधिकरण या निकाय के कृत्यों को परिविरत करेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

१४७. (१) इस अधिनियम के प्रारम्भण को या से, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९४ सन् १९९४ का महा. ३५। निरसित होगा।

(२) उक्त अधिनियमों के निरसन के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पद धारण करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भण पर तत्स्थानी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा तथा उक्त पद तब तक धारण करता रहेगा जब तक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती यथा उपर्युक्त पद की अपनी पदावधि के अवसान से पूर्व वह मृत्यू, त्यागपत्र या, अन्य कारण

से कुलपति बने रहने से परिविरत नहीं होगा तथा वह इस अधिनियम द्वारा या के अधीन संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदत्त तथा अधिरोपित सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(ख) ऐसे समस्त महाविद्यालय जो, इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, वे तब तक इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे जब तक इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा उनकी संबद्धता वापस नहीं ली जाती है ;

(ग) समस्त अन्य शैक्षणिक संस्थाएँ जो किसी विश्वविद्यालय के किन्ही विशेषाधिकारों की हकदार थी, विश्वविद्यालय के उन्ही विशेषाधिकारों की हकदार होंगी।

(घ) किसी विश्वविद्यालय की समस्त जंगम या स्थावर संपत्ति तथा समस्त अधिकार, हित चाहे वह, किसी भी प्रकार के हो, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेंगे तथा अगले हस्तांतरणपत्र के बिना, उसमें निहित होंगे तथा उस उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को लागू होंगे, जिनके लिए विश्वविद्यालय का गठन किया गया है ;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व, स्वीकृत या ग्रहण तथा धारित समस्त उपकृति इस अधिनियम के अधीन उस विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत या ग्रहण या धारित समझी जायेगी तथा ऐसी सभी शर्तें जिनके अनुसार ऐसी उपकृति स्वीकृत या ग्रहण की गई या धारण की गई थी इस बात के होते हुये भी, ऐसी शर्ते इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों से असंगत हो सकती है ; इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य समझी जायेंगी ;

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भण से पूर्व उपगत तथा विश्वविद्यालय के विरुद्ध विधिपूर्वक अस्तित्व में रहे समस्त ऋणों, दायित्वों तथा बाध्यतओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्वहन किया जायेगा तथा चुकाया जायेगा ;

(छ) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व बनायी गयी कोई वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज जिसमें विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, शर्त या न्यास अंतर्विष्ट है इस अधिनियम के अधीन, तथा इस प्रयोजन के लिए उस विश्वविद्यालय के पक्ष में बनाई गई समझी जायेगी ;

(ज) विश्वविद्यालय को किसी अधिनियमिति में या किसी अधिनियमिति के अधीन जारी किये गये अन्य लिखतों में किए गए सभी निर्देश इस अधिनियम प्रारम्भण के पूर्व विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन और प्रयोजनों के लिए समझे जायेंगे ;

(झ) इस अधिनियम के प्रारम्भण से सद्यपूर्व, उक्त अधिनियमों के अधीन विधिमान्य की गई परीक्षकों की नियुक्ति तथा जो अस्तित्व में बनी है विश्वविद्यालय हेतु इस अधिनियम के अधीन तथा प्रयोजनों के लिए की गई समझी जायेगी तथा ऐसे परीक्षक, इस अधिनियम के अधीन नई नियुक्ति किये जाने तक, पद पर बने रहेंगे तथा कार्य करते रहेंगे ;

(ञ) ऐसे अध्यापक जो, इस अधिनियम के प्रारम्भण से सद्यपूर्व उक्त अधिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त अध्यापक थे, इस अधिनियम के अधीन या के प्रयोजनों के लिए उस विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त अध्यापक समझे जायेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन, नई मान्यता अनुदत्त किये जाने तक, ऐसे मान्यताप्राप्त अध्यापक बने रहेंगे ;

(ट) ऐसे रजिस्टर स्नातक, जिनके नाम इस अधिनियम के प्रारम्भण से सद्यपूर्व विश्वविद्यालय द्वारा बनाये रखे गये स्नातकों के रजिस्टर में प्रविष्ट किये थे, इस अधिनियम के अधीन तथा या के प्रयोजन के लिए उस विश्वविद्यालय के रजिस्टर स्नातक समझे जाएँगे तथा इस प्रकार रखा गया रजिस्टर तथा ऐस रजिस्टर स्नातक जिनके नाम उसमें इस प्रकार प्रविष्ट किये गये है, विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया रजिस्टर तथा रजिस्टर स्नातक, रजिस्टर स्नातक बने रहेंगे ;

(ठ) विश्वविद्यालय के बारे में उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियम तथा आर्डिनेन्स जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नही है, जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा वे अतिष्ठित या उपांतरित नहीं होते तब तक प्रवर्तमान बने रहेंगे तथा उस विश्वविद्यालय के परिनियमों या, यथास्थिति, ऑर्डिनेन्स द्वारा विश्वविद्यालय के बारे में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जायेंगे ;

(ड) विश्वविद्यालय के बारे में उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी परिनियम जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक उन्हे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित नहीं किया जाता तब तक, प्रवर्तमान बने रहेंगे तथा उस विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समझे जायेंगे ;

(ढ) उक्त अधिनियमों के अधीन विहित कोई मानक संहिता, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन विहित की गई है समझी जाएगी और जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय या इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, जब तक वह अतिष्ठित नहीं है तब तक प्रर्वतमान में जारी रहेंगे ;

(ण) उक्त अधिनियमों के अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी या जारी सभी सूचनाएँ तथा आदेश, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक उन्हे इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित नहीं किया जाता है, तब तक प्रवर्तमान रहेंगे तथा उस प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या निर्गमित किये गए समझे जायेंगे ;

(त) उक्त अधिनियम के अधीन गठित और इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक को विद्यमान अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन इस रूप में कार्य करता रहेगा और ऐसे अधिकरण के समक्ष लम्बित समस्त वाद या मामले 'या अपीलें' ऐसे अधिकरण द्वारा बरती और निपटायी जायेगी :

परंतु, इस धारा द्वारा निरसित तथा इस अधिनियम के प्रारम्भण के सद्यपूर्व प्रवर्तमान उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये या जारी किये गये कोई परिनियम, ऑर्डिनेन्स, विनियम, सूचना या आदेशो केवल इस कारण से इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं समझे जायेंगे कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा परिनियम, आर्डिनेन्स, विनियम, सूचना या आदेश बनाने या जारी करने की शक्ति भिन्न प्राधिकरण या निकाय या अधिकारी में निहित है, या कि उसकी विषय वस्तु केवल इस अधिनियम के अधीन बनाये जानेवाले भिन्न प्रकार के अधीनस्थ विधान या लिखित अनुज्ञेय है ।

कठिनाईयों का निराधरण।

१४८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो कोई कार्य कर सकेगी जो कठिनाई निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

अनुसूची

भाग-एक

[धाराए ३(१) तथा ६(१) देखिये]

	विश्वविद्यालय का नाम (१)	विश्वविद्यालय का क्षेत्र (२)
१.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई ।	(१) मुंबई शहर (२) मुंबई उपनगर (३) रायगड (४) थाने (५) पालघर (६) रत्नागिरी (७) सिंधुदुर्ग, के जिले ।
२.	सावित्रिबाई फुले पूना विश्वविद्यालय, पूना ।	(१) पूना (२) अहमदनगर (३) नाशिक, के जिले।
३.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।	(१) कोल्हापुर (२) सांगली (३) सातारा, के जिले ।
४.	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।	(१) औरंगाबाद (२) जालना (३) बीड (४) उस्मानाबाद, के जिले ।
५.	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय, नागपुर ।	(१) नागपूर (२) भंडारा (३) गोंदिया (४) वर्धा, के जिले ।
६.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई ।	सम्पूर्ण महाराष्ट्र राज्य ।
७.	संत गाडगेबाबा विश्वविद्यालय, अमरावती ।	(१) अमरावती (२) अकोला (३) बुलढाणा (४) यवतमाल (५) वाशिम, के जिले ।

अनुसूची—जारी

(१)		(२)
८.	उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव ।	(१) जलगाँव (२) धुले (३) नंदुरबार, के जिले ।
९.	स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नांदेड ।	(१) नांदेड (२) परभणी (३) लातूर (४) हिंगोली, के जिले ।
१०.	सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर ।	सोलापुर का जिला।
११.	गोंडवना विश्वविद्यालय, गडचिरोली ।	(१) गडचिरोली (२) चंद्रपुर, के जिले ।

भाग दो

(धाराए ३(२) देखिये)

नए विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय क्षेत्र
(१)	(२)

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.